राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या: 19

बुधवार,

30 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार।

कल की ऐतिहासिक बैठक के लिए आप सब को बधाई। हिस्ट्री में जायेगी कल की बैठक, या फिर कोई 52 में हुई थी। इसलिए आप सब को बधाई।

प्रश्नकाल। श्रीमती शकुन्तला रावत। (व्यवधान) सब नींद में होंगे, कोई बात नहीं, बहुत लम्बे समय तक बैठे थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा, नींद में होंगे!

श्री अध्यक्ष: आज ही सोये हैं न। भई, आज ही सोये हैं। वे तो अब उठ जायेंगे, जब चाहेंगे, तब। (व्यवधान) हां, तीन बजे सोये, तो वह आज में ही आ गया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो खुद ही चले गये थे नौ बजे ही। आपको क्या पता, रात क्या हुआ।

एक माननीय सदस्य: आप तो छह बजे चले गये थे। आप थे ही नहीं।

क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के शिलालेखों पर नाम उत्कीर्ण कराने के नियम

397. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों के उद्‌घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों के सम्मिलित होने एवं सम्बन्धित शिलालेखों पर उनके नाम उत्कीर्ण कराने के लिए सरकार द्वारा प्रोटोकाल/नियम एवं मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? प्रोटोकाल नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में जिला अलवर में किन-किन कार्यों एवं योजनाओं के उद्‌घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम कहां-कहां पर आयोजित किये गये एवं इनमें किन-किन जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके नाम शिलालेखों पर उत्कीर्ण किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आयोजनों में सरकार द्वारा क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों के लिए जारी किये गये प्रोटोकाल/नियमों के विरुद्ध शिलान्यास किये गये हैं, जिनमें ग्रामीण गौरव पथ योजना के शिलान्यास विशेषकर हैं? यदि हां, तो जिला अलवर में ग्रामीण गौरव पथ के कितने शिलान्यास कब-कब, किन-किन जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) (प्रशासनिक सुधार और समन्वय मंत्री के स्थान पर): अध्यक्ष महोदय, (1) प्रदेश में सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों के उद्‌घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम जन-प्रतिनिधियों द्वारा कराये जाने एवं शिलालेख पर अधिकारियों के नाम नहीं लिखने के बारे में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.11.1995, 30.04.2007 एवं 09.10.2015 को जारी किये गये निर्देश क्रमशः परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(2) गत दो वर्षों में जिला अलवर में आयोजित किये गये उद्‌घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में सम्मिलित जन-प्रतिनिधियों की सूची, उनके नाम शिलालेखों पर उत्कीर्ण किये गये, इस प्रकार हैं, परिशिष्ट-4 पर 'क' से लेकर 'ट' तक संलग्न हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा उद्‌घाटन/शिलान्यास समारोह में जन-प्रतिनिधियों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से कराने एवं उद्‌घाटन/शिलान्यास शिलालेखों पर अधिकारियों के नाम उत्कीर्ण नहीं करने के निर्देशों की अलवर जिले में कतिपय उद्‌घाटन/शिलान्यासों में पालना नहीं हुई है।

अलवर जिले के ग्रामीण गौरव पथ के कराये गये शिलान्यासों/ उद्‌घाटन का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-5 के अनुसार है।

(4) राजकीय भवनों व कार्यक्रमों के उद्‌घाटनों एवं शिलान्यास समारोहों के संदर्भ में जन-प्रतिनिधियों के अधिकारों एवं भावना के प्रति राज्य सरकार सजग है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रसारित निर्देशों की निरन्तरता में परिपत्र दिनांक 09.10.2015 द्वारा पुनः निर्देश जारी किये गये हैं, जो परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर वन।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, परिशिष्ट–3 पर है। जब ये सारे नियम लिखे हुए हैं, तो क्यों उन नियमों की पालना नहीं हो रही है? मैं यह जानना चाहती हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नियमों की पालना के आदेश करने के लिए, सरकारी अधिकारी नहीं करता है और आपके यहां जो मैंने 'कतिपय' शब्द लिखे, उसको भी मैंने जो कुछ वस्तुस्थिति थी उसको बिना छिपाये लिखा है। केवल, और केवल, कठूमर ही ऐसा एक विधान सभा क्षेत्र है जिस विधान सभा क्षेत्र में वहां के अधिकारियों के नाम इस पर लिखे हुए थे। उनको भी मैंने लिया है। और, एक ही दिन में कठूमर में ये सारे के सारे शिलान्यास हमारे वहां के विधायक महोदय ने 07.10.2015 को किये हैं। उसमें वहां के विधायक मंगलरामजी भी थे और श्रीमती बीना महावर, एस.डी.ओ., लक्ष्मणगढ़ और मोहन सिंह फौजदार, बी.डी.ओ., इन सब के भी पट्ट पर नाम लिखे हुए हैं।

यह निश्चित रूप से एक तरह से अवहेलना हुई है, लेकिन मैंने भी पूरी पक्की कार्यवाही की है। आपको पूरा ठीक तरह से संतुष्ट कर सकूं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। मैंने उन सब अधिकारियों से भी एफिडेविट मंगाये हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने न तो अपनी सहमति दी और न हम उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। एक ही दिन में 07.10.

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

को सारे के सारे कार्यक्रम पर जो पट्ट लगे हैं, मंगलराम जी विधायक का आग्रह था कि आप लोगों के भी नाम लगें। मैंने इनमें से जितने अधिकारी हैं, उनका सब का एफिडेविट बनवा कर के मंगाया है, कि न तो हमने स्वीकृति दी, न हम वहां उपस्थित थे, और ये फोटोग्राम भी उस दिन का मैं साथ में लेकर के आया हूं, जिसमें उनकी उपस्थिति नहीं थी। पर यह सच है कि वहां जो शिला पट्ट लगे हैं उनमें उन लोगों के नाम हैं, एस.डी.ओ. के भी हैं, बी.डी.ओ. के भी हैं। इसीलिए मैंने कहा, कतिपय बोर्डों पर लगे हैं।

मैं आज ही निर्देश करूंगा कि उनके नाम तुरन्त हटा दिये जाएं।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, जैसे 2013 में जो राजीव गांधी भवन का शिलान्यास करने के सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुए थे कि उसमें एम.एल.ए. भी रहेगा, प्रधान भी रहेगा, या वहां का जीता हुआ मंत्री, जो भी है, जन-प्रतिनिधि वह मौजूद रहेगा। तो उन नियमों का क्या हो गया? कहां गये? वे नियम हैं, तो फिर क्यों नहीं बुलाया जाता? अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं सूचना दी जाती? अध्यक्ष महोदय, मेन पाइंट यह है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं हमेशा जिस बात की तैयारी करता हूं, मैं आपका पुराना इतिहास साथ लाता हूं, ताकि आपको कहीं गली-खांचे में निकलने का मौका नहीं मिले। मैं 2009 से लेकर 2013 तक की आपकी जन्म-पत्री लेकर आया हूं। अब पढ़ता हूं। अब पढ़ता हूं, उसको सुनना।

अब आप देखो, आपका प्रश्न सीधा अपने विधान सभा क्षेत्र बानसूर में है, बानसूर में 2009 से 2013 तक विधायक थे डाक्टर रोहिताश्व कुमार जी, लेकिन रोहिताश्व कुमार जी को उस समय जितने भी पट्ट लगे हैं, बानसूर में माडल स्कूल भवन, बानसूर का शिलान्यास हुआ, बृजकिशोर जी शर्मा थे, सांसद लालचंद कटारिया थे और श्रीमती सोफिया खान, जिला प्रमुख थीं; विधायक नहीं था। उसके बाद फिर नयाबास में हुआ, नहीं था; बिलाली में था, नहीं था। फिर बिलाली में खेड़ा, खेड़ा, कूपा खेड़ा और एक देवसन कोई जगह है राजीव गांधी ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप थे न। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अभी आपका तो अब आ रहा है इतिहास।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय सक्षम बता रहे हैं न, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय सक्षम हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं बिलकुल सक्षम हूं। मैं इसलिए कहूं कि देवसन कोई जगह है जहां राजीव गांधी सेवा केन्द्र का हुआ, वहां श्रीमती शकुन्तला रावत, अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश महिला समिति का बोर्ड लगा हुआ है, जो अधिकृत नहीं है। ये जन-प्रतिनिधि उसमें नहीं आ सकते हैं। एक। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अभी जो हो रहा है, वह क्या है? दो साल में आपने क्या किया है, वह मैं पूछना चाह रही हूं न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सैकंड ठहरो, ठहरो, ठहरो। अभी जल्दी काहे को कर रहे हो? अभी तो बहुत जन्म पत्री लाया हूं मैं। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप सारे बोल कर आवाज नहीं दबा सकते। सारों को बोलने की जरूरत नहीं है। सारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। यह सच्चाई है, आपने कौनसे उसमें जन-प्रतिनिधियों को बुलाया है, यह बताओ।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): कांग्रेस राज में इस तरह का व्यवहार हुआ है। कांग्रेस के राज में हुआ है यह व्यवहार। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): राजनीतिक भेदभाव है। ये सारे बोल कर आवाज नहीं दबा सकते। आपकी सरकार राजनीतिक भेदभाव कर रही है। अभी तो मंत्री महोदय कह रहे थे ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): शकुन्तला जी, आपका नाम अब हटाया जायेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पांच साल तक हम भी विधायक रहे हैं। वाह, भाई, वाह।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपका नाम है, दुर्रु मियां जी गये थे, उस पत्थर पर नाम है, यह रहा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): एक भी नहीं है। आप मंगाइये फोटो। अगर एक भी स्कूल हो, एक भी नाम हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): देखो, देखो, आपका नाम है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बिलकुल नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पढ़ लो। पढ़ लो। है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पांच साल तक हम दूर बैठे हुए देखते रहे। क्या बात करते हो! परम्परा, यह पौधा आपने ही लगाया है, खाओ इसके फलों को।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ले जाओ जानकारी के लिए, नवाब साहब गये थे, नाम लिखा हुआ है। बनवारी सिंघल जी, नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। पढ़ लो। पढ़ लो। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): होगा कहीं एकाध जगह। पांच साल की बात करो। पांच साल में एक दिन नहीं बुलाया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सारे अख़बार की कटिंग समेत मैं लेकर आयी हूं। आपके नाम पढ़ लो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अख़बार की कटिंग! पांच साल तक हम दूर बैठे देखते थे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपका नाम है।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपने की है परम्परा शुरू।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2009 से लेकर 2013 तक बानसूर में जितने कार्यक्रम हुए, उन सब कार्यक्रमों की सूची मेरे पास है, जो मैंने आपको भी दी है। इसमें केवल डाक्टर रोहिताश्व कुमार एक कार्यक्रम में मोठूका, जो 2012 में सी.सी., शैतान सिंह मीणा के घर से अजय पब्लिक स्कूल तक हुआ, उसमें जरूर उनका नाम है, बाकी किसी में नहीं है। लेकिन आपका बामनवास काकड़ 2013 ...

श्री रमेश (सपोटरा): गृह मंत्रीजी, दो साल का प्रश्न पूछा है। यह कोई डिबेट नहीं हो रही है। इसमें आप जन्म कुंडली बता रहे हो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सुन लो जरा। अपने कुकर्मों को सुन लो। (व्यवधान) पहले के कुकर्मों को सुनने की हिम्मत भी रखो। दो साल की सुनना चाहते हो (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): कितने सालों तक चलाओगे? (व्यवधान) आपसे दो वर्ष का पूछा है, वह बताएं। आप जवाब दे नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सुनो न सात साल की। क्या दिक्कत आ रही है सात साल की सुनने में?

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): पूरी जानकारी दे रहे हैं। रमेश जी, पूरी जानकारी सुनो, पीछे की भी और अब की भी। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): कौनसी? जब भी बात आती है जवाब की ... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): पिछले दो सालों की भी सुन लो, अब के दो सालों की भी सुन लो। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): जन्म कुंडली लाया हूं। (व्यवधान) अपराध कम हो गये हैं, यही बात आती है। आपके पास दूसरा सब्जेक्ट है क्या? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कहां से आएं ये माला और मुकुट? (व्यवधान) अब नहीं हैं माला, मुकुट। खतम हो गये आपके हिस्से के। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): कब तक कांग्रेस को कोसते रहोगे? (व्यवधान) दो साल हो गये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पांच साल तक एम.एल.ए. दूर बैठे हुए देखते रहे और आप लोगों ने ऐसी दुर्गति की एम.एल.एज. की। हारे हुए लोग जा रहे हैं ...(व्यवधान) और इसके अलावा पदाधिकारी जा रहे हैं। क्या आवश्यकता थी? (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने जो परम्परा डाली है ... (व्यवधान) आपने जो काम किये हैं, आपने जिस तरह का रवैया अपनाया, वह आपके साथ ही होगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): कांग्रेस ने दुर्भावना की थी ... (व्यवधान) गलत परम्परा डाली थी कांग्रेस ने।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): परम्परा इन्होंने शुरू की, माननीय अध्यक्ष महोदय। आज इस बात पर चर्चा करते हैं, दर्द होता है। उस वक्त क्यों नहीं हुआ, जब जा-जाकर सीटों पर बैठते थे? (व्यवधान) मंचों पर कैसे बैठते थे? किस अधिकार से बैठते थे कल तक?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तो 2009 से 2013 की सूची पढ़ रहा हूं, अभी तो 2014-15 की भी पढ़ूंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): दो साल का जवाब पूछा है, जो तो बता नहीं रहे हों।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 2014-15 की भी पढ़ूंगा, देर नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले आपको अपना कांच दिखा रहा हूं। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आगे की।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अब का काम तो बता दो 2 साल का।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसी तरह से आपने देखा कि 2013 में बामनवास काकड़ में राजीव गांधी सेवा केन्द्र हुआ, उसमें भी शकुन्तला रावत का बोर्ड पर नाम है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): जो कि गलत था।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसी तरह से चांदपुरी में भी आंगन बाड़ी केन्द्र है, शकुंतला रावत उस समय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थीं; किसी भी जन-प्रतिनिधि के पद पर नहीं थीं। इसी तरह से आपने देखा कि बनवारी लाल जी सिंघल, यह जो 2009 से 2013 की मेरे पास सूची है, इस सूची में लगभग सारे के सारे बृजकिशोर जी हैं, बृजकिशोर जी हैं, भंवर जितेन्द्र सिंह जी हैं, जितेन्द्र सिंह जी हैं, सोफिया खान हैं, फिर जितेन्द्र सिंह हैं, ए.ए. खान हैं, फिर जितेन्द्र सिंह हैं, ए.के. खान हैं, दुर्रु मियां हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, इसमें बनवारी लाल सिंघल, बनवारी लाल जी सिंघल के नाम हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बैठिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हमने देखा है दूर बैठकर। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इससे भी आप देखेंगे कि 2009 से 2013 में बाबूलाल बैरवा विधायक थे कठूमर के, लेकिन उनका किसी भी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कार्यक्रम में नाम नहीं है। वहां नाम है रमेश खींची, पूर्व विधायक कठूमर; रमेश खींची, पूर्व विधायक। (व्यवधान) हर बार वही। नांगल भावना में रमेश खींची, पूर्व विधायक ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हम नियम पूछ रहे हैं अभी का, वह बताने में नहीं हैं। बताने में सक्षम नहीं हैं क्या? वह बताओ ना, अब का। अब क्या किया है, बताओ ना।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपके पाप आपको ही भुगतने पड़ेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 2 वर्ष के अन्दर, क्या आप उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सुन तो लो आगे।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): कांग्रेस के लोगों ने जन-प्रतिनिधियों का अपमान किया है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सरकार ने जो आदेश निकाले हैं, जन-प्रतिनिधियों से करायें। यह सरकार के परिपत्र आपको तीनों पढ़कर के सुनाये हैं, उन परिपत्रों में लिखा है कि जन-प्रतिनिधियों से कराये जायें। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसी की तरफ चल रहा हूं। जन-प्रतिनिधि का मतलब, कठूमर में भी रमेश नहीं होता है; वहां के जो हमारे बाबूलाल बैरवा, विधायक थे, पर उनका कहीं नाम नहीं है। पूर्व विधायक का नाम है ... (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, वर्तमान का ...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसी तरह से हेमसिंह जी भड़ाना के विधान सभा क्षेत्र में, हेमसिंह जी भड़ाना 2009 से 2013 में विधायक थे। जितने नाम मेरे पास हैं, थानागाजी के कृष्ण मुरारी गंगावत, अध्यक्ष, देवस्थान विभाग ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, 2014-15 का क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हेमसिंह जी भड़ाना का 2009 से लेकर के 2013 में जितने पट्ट लगे हैं, उनमें से एक में भी उनका नाम नहीं है। ज्ञानदेव आहूजा जो उस समय विधायक थे 2009 से 2013 में, इसमें जिला

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रमुख सोफिया, पूरा 1 से लेकर के 22 तक उन्हीं के नाम हैं। इसके अलावा उनका कहीं नाम नहीं है। इसमें से 36 नाम मैंने लिये हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप सुन लो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अधिकारियों के जैसे नाम बताये मंत्री महोदय ने खुद ने, हमने 2 साल में क्या कर लिया, क्या नहीं किया; उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे, या नहीं करेंगे; जन-प्रतिनिधियों के अधिकारों का संरक्षण करेगी सरकार, या नहीं करेगी ...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): गृह मंत्रीजी, सबसे पहले तो इनके पत्थर उखड़वाओ। इन्होंने बिना अधिकार के लगवाये। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप सारे बोलकर के क्या दिखाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके खिलाफ भी कार्यवाही होगी, आपके खिलाफ भी। (व्यवधान) आपका नाम हटाया जायेगा। (व्यवधान) आपका नाम गलत लिखा है, उसको हटाया जायेगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आज में बताओ, आज में। (व्यवधान) आज क्या हो रहा है, वह बताओ। यह दुर्व्यवहार है, शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कौन था यह खींची? हटवाओ इन पत्थरों को, सबको। पहले अलवर से...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसे ही ग्रामीण, जिस पर इनको विरोध है, या जिसके कारण से इनको पीड़ा है...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पहले अपनी जन्म कुंडली पढ़कर आओ।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पढ़कर आये हैं। अनपढ़ नहीं हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वह हैं गौरव पथ। इन गौरव पथों में, मैं सारी सूची लेकर आया हूं, गौरव पथ में यह जो 2015-16, अभी तक जो हुए हैं, अब इसमें आपका नाम नहीं है; गौरव पथ में ग्रामीण अलवर में भी आपका नाम नहीं है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आपके क्षेत्र बानसूर में एक भी गौरव पथ का न शिलान्यास हुआ और न ही उद्घाटन हुआ। सारे के सारे जो हुए हैं, वे बाकी सारे विधान सभा क्षेत्रों में हुए हैं। वहां के जो जन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रतिनिधि हैं, उन सबके नाम इसमें हैं। अलवर ग्रामीण में जयराम जाटव का है, जयराम जाटव का है। जयराम जाटव के निर्वाचन क्षेत्र में सारे उनके नाम हैं। मैं सारी सूची लेकर के आया हूं। हेमसिंह जी भड़ाना के एरिये में सारे के सारे हेमसिंह जी भड़ाना के नाम हैं। उसके आगे आपने देखा कि बनवारी लाल जी सिंघल के एरिये में जो हुआ है, उसमें बनवारी लाल जी सिंघल के नाम हैं। धर्मपाल जी चौधरी के क्षेत्र में, मुण्डावर में उनके नाम हैं। यह पूरी सूची है। विधायक ज्ञानदेव जी आहूजा के क्षेत्र में सारे ज्ञानदेव जी आहूजा, इवन वहां के सरपंच का भी नाम है, वहां के पंचायत समिति सदस्य का भी नाम है, वहां के जिला परिषद के सदस्य का भी नाम है। सारे के सारे हैं।

केवल, और केवल, गौरव पथ इनके विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आपसी विवाद के कारण से न तो शिलान्यास में किसी का नाम आया और न उद्घाटन में किसी का नाम है। इसका दर्द इनको जरूर है कि इनका पट्ट वहां नहीं लगा। वह इनके आपसी विवादों के कारण से नहीं लगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, बोलूं?

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी सही समाधान कर रहे हों।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नाम पत्थर पर अंकित हो, या नहीं हो, ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उसका नहीं है, लेकिन मैं तो यह कह रही हूं कि जन-प्रतिनिधि का प्रोटोकाल आप, 2 साल के अन्दर चैलेंज देते हैं, मंत्री महोदय। इसलिए पूछ रही हूं कि क्या है और क्या नहीं है ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): आपने परम्परा जो डाली है, उसको भुगतिये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह तोड़ा किसने था, यह बताओ। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पत्थर पर नाम लिखने का तो आपको शौक है, जो राजीव गांधी भवन का नाम अटल सेवा केन्द्र कर दिया। अगर नाम लिखने के शौकीन थे तो एक धर्मशाला, सामुदायिक भवन, अम्बेडकर भवन बना देते। नाम लिखने का शौक आपको है, हमको नहीं है। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ऐसे ही चलेगा। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): जो पिछली सरकार ने परिपाटी डाली ...(व्यवधान) उनको हटवायेंगी क्या?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं धन्यवाद देना चाहती हूं सोनिया जी को कि अटल जी के नाम को भी संसद में कायम रखा उन्होंने। यह नहीं कि नाम मिटा दो कमरे पर से। यह उनकी उदारता है। हम नाम मिटाने वालों में नहीं हैं। हम नाम लिखने वालों में हैं, मिटाने वालों में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): शौक नहीं था, तो प्रश्न क्यों किया? (व्यवधान) नाम के लिए ही तो मर रहे हो ना। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जिनमें जन-प्रतिनिधियों के नाम नहीं हैं, उन शिलालेखों को मंत्री महोदय हटवायेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली विधायक को यह बात भी कहना चाहता हूं, जो सूची मैंने आपको दी है, उस सूची में ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्या सवाल पूछ रही हैं और इस प्रकार हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाउस आर्डर में नहीं है। यह पहली बार आपकी अध्यक्षता में ऐसा महसूस हो रहा है। आप तो सख्त हो, इनको निर्देश दीजिये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सचेतक महोदय, हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्या सवाल पूछ रही हैं, हाउस आर्डर में लाइये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हाउस आर्डर में है। (व्यवधान) हमारे अधिकारों से जुड़ा मामला है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): आपको सुनने में क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हाउस पूरा आर्डर में है। (व्यवधान) वे बार-बार डिस्टर्ब कर रही हैं; वे बार-बार मंत्रीजी को डिस्टर्ब कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 5 साल हमने भी झेला है इसको। हमारे अधिकारों का मामला है, हम बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अब 2014-15 की सूची पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वह पढ़िये। पढ़िये आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): बानसूर, बानसूर आपका ही क्षेत्र है ना, ग्रेवल सड़क बलिचा से सीबी नदी तक, श्रीमती शकुंतला रावत, विधायक; ग्रेवल सड़क मुख्य सड़क से अधाना की ढाणी, श्रीमती शकुंतला रावत, विधायक; श्री अमरसिंह जी, शकुंतला रावत विधायक...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वह तो मेरा है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके बाद नंबर 4 सीमेंट इंटरलाकिंग रतीराम जी के मकान से लेकर श्मशान घाट तक, श्रीमती शकुंतला रावत और सरपंच।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय मेरा है, मेरे कोटे का है। यह तो कोटे का है, अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): श्रीमती शकुंतला रावत; श्रीमती शकुंतला रावत। केवल एक जगह भू-अभिलेख में डा. रोहिताश्व का है और प्रधान जो है वहां की, उसका एक जगह है। बाकी सारे के सारे शकुंतला जी के नाम से हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लिस्ट तो मेरे पास है। मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि लिस्ट तो मेरे पास भी है। यह तो मेरे कोटे का है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उस समय जो प्रधान रही थीं, वह प्रधान रही थीं मीना कुमारी, एक साल तक वे प्रधान भी थीं; चुनाव एक साल के बाद हुए हैं, एक साल के पहले जितने भी हुए हैं, वह मीना कुमारी, पूर्व प्रधान और सरपंच के द्वारा हुआ है। (व्यवधान) मैं पूरी फेहरिस्त इनके एक-एक नाम की लेकर के आया हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एम एल ए लैड का है। इसमें क्या अधिकार नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): काकाजी का था ना एम एल ए कोटा तो! आपके घर का था? एम एल ए कोटा तो आपका खुद का था! सरकार का था।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सरकार का था, तो देकर के तो दिखाओ मेरे नाम से। मेरे लैटर पैड पर आप एक इंच देकर के तो दिखाओ।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने निर्देश जारी क्यों कर रखे हैं? यह प्रोटोकाल आपने क्यों बना रखा है? अगर

(श्री मनोज कुमार)

आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की परम्परा में रहोगे, तो विधायक और एम पी का प्रोटोकाल बना क्यों रखा है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इतना कलेजा रखते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मिसिंग लिंक सरकार की तरफ से एक टुकड़ा नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, अब यह खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है। पहले तो गलती करते हैं और अब ऊपर आ पड़ी, तो हो-हुल्लड़ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कालूलाल जी, क्यों बोलते हो फालतू? (व्यवधान) नीचे बैठो आप। (व्यवधान) फालतू ही खड़े हो जाते हो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपने जो प्रश्न किया, उसके लिए माफी मांग लो। (व्यवधान) सवाल किया, उसके लिए माफी मांग लो ... (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप प्रोटोकाल की पालना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो, यह बता दो। (व्यवधान) इस प्रोटोकाल की पालना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो, मंत्री महोदय।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माफी मांगकर के पाप को धो लो। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में न खोएं, सिर्फ इतना बता दें कि जन-प्रतिनिधियों का प्रोटोकाल आप बनाए रखना चाहते हैं या नहीं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): प्रोटोकाल हंड्रेड परसेंट, विधायक चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है और प्रोटोकाल के आधार पर ही इन दो वर्षों में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जो पट्ट लगे हैं, उनमें जो भी जन-प्रतिनिधि हैं, जिनकी सूची मैंने अभी शकुन्तलाजी की इतनी लम्बी-चौड़ी पढ़ी, उनमें सब में इनका पट्ट लगा हुआ है। केवल, और केवल, गौरव पथ में इनका...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूर्ववर्ती सरकार ने गलत परिपाटी डाली थी, हम जन-प्रतिनिधियों के नाम नहीं लिखवाए, क्या सरकार उन शिलालेखों को उखाड़ने की मंशा रखती है, या नहीं रखती है? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे जो पूर्व विधायक हैं, वैसे वे आज तो जन-प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन कम से कम पार्टी के अध्यक्ष जहां-जहां भी उन बोर्डों पर लगे हैं, वे सारे हटा देंगे। पूर्व विधायक का नाम रखेंगे।

दूसरा यह कि जहां भी अधिकारियों ने कहीं नाम लिख दिये, मैंने उनका सबका एफिडेविट ले लिया कि हम मौजूद नहीं थे, एम एल ए साहब की सहृदयता थी कि मेरे एस डी ओ और बी डी ओ के नाम लिखो, इसलिए एक ही दिन में 7-10 में ये पट्ट लगे हैं, उन पर उनके नाम हैं। उनका एफिडेविट आ गया। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि उनके जो नाम लिखे हैं, वे नाम भी हटा लेंगे। केवल, और केवल, जन-प्रतिनिधि के नाम रहेंगे। इसमें न बी जे पी है, न कांग्रेस है। जन-प्रतिनिधि अगर कोई जिला परिषद का सदस्य मेरे क्षेत्र में भी आता है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं उसको अपने साथ लेकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाऊं, लेकिन प्रश्न जिस मंशा से पूछा, इसलिए मैंने आप पर वार किया। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रही हूं कि अब आगे से, ऐसा कह रहे हैं मंत्री महोदय, उन शब्दों पर कायम रहेंगे क्या?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जान-बूझकर गलत परिपाटी डाली थी, उसको संशोधित करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप अपने शब्दों पर कायम रहेंगे क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हमारी सरकार के टाइम के अन्दर राजीव गांधी भवनों के अन्दर जो नाम लिखे गये थे, पत्थर लगे थे, सरकार ने आदेश जारी किये थे बाकायदा जन-प्रतिनिधियों के। आपने उन पर तो 'अटल सेवा केन्द्र' लिख दिया। तो उनको भी क्या वापस उखाड़ेंगे? 'राजीव गांधी भवन' जो मार्बल पर लिखा हुआ है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य डोटासराजी, आपस में बहुत आरोप-प्रत्यारोप हो गये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो मंत्री महोदय ने आदेश दिया है कि अंकित मत करो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठो। (व्यवधान) अब आप बैठिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उस पर कायम रहेगी क्या सरकार? अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा कि सरकार पैसा दे रही है, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सारी बहस हो चुकी है, बैठ जाइए। (व्यवधान) एक शब्द अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

सूरतगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों का पदस्थापन

398. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बख्तावरपुरा, देईदासपुरा व सूरतगढ़ (ग्रामीण) की पी एच सी में आज तक चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इनमें चिकित्सक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बख्तावरपुरा एवं देईदासपुरा में क्रमशः डॉ. सन्त कुमार एवं डॉ. हिमांशु गोस्वामी, चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिनांक 03.09.2013 के द्वारा नियुक्ति प्रदान कर रिक्त पदों को भरा गया, परन्तु

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उक्त चिकित्सकों ने कार्य ग्रहण नहीं किया। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (ग्रामीण) में चिकित्सकों के वर्तमान में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को 1,300 पदों की अर्थना भिजवाई गई है। चयनित चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को यथा सम्भव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक। आ गया, पर्याप्त जवाब आ गया।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इन्हें जल्दी जोइन करवा दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन में इन्स्पायर्ड अवार्ड से वंचित योग्यताधारी

399. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में विद्यार्थियों को प्रतिशत के आधार पर सुविधाएं एवं प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो इसके नियम एवं शर्तें क्या हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गुड़ा केसरसिंह का दुर्गाराम पुत्र मांगीलाल सिरवी इन्स्पायर्ड अवार्ड के लिए वर्ष 2013-14 में योग्यता रखता था? यदि हां, तो उसे अवार्ड नहीं दिए जाने के क्या कारण रहे?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे और कितने व्यक्ति हैं जिन्हें योग्य होते हुए भी अवार्ड नहीं दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वंचित योग्यताधारियों को अवार्ड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) जी हां। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित निम्न योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में विद्यार्थियों को प्रतिशत के आधार पर चयन कर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान है:-

1. गार्गी पुरस्कार;

2. कक्षा 12 में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार;

3. इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार;

4. विदेश अध्ययन;

5. इन्स्पायर अवार्ड;

6. मुख्य मंत्री हमारी बेटियां योजना;

7. मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्ता-युक्त लैपटोप योजना।

उक्त योजनाओं की शर्तों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। गुड़ा केसरसिंह का दुर्गाराम पुत्र मांगीलाल सिरवी वर्ष 2013-14 में इन्स्पायर्ड अवार्ड के लिए पात्र नहीं था। इन्स्पायर्ड अवार्ड के लिए विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित (दोनों विषय मिलाकर) सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी (छात्र/छात्रा) को दिया जाता है। चूंकि श्री दुर्गाराम पुत्र श्री मांगीलाल ने वर्ष 2013-14 में कक्षा 9 में विज्ञान विषय में 167 तथा गणित विषय में 140 अंक प्राप्त किये थे, जबकि कुमारी जिनल वैष्णव पुत्री धर्मेन्द्र दास कक्षा 9 ने विज्ञान में 193 तथा गणित विषय 185 अंक प्राप्त करने के कारण इसे पात्र मानते हुए इन्स्पायर्ड अवार्ड दिया गया।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसे पात्र होते हुए भी उक्त योजना से लाभांवित नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं। प्रश्न के भाग संख्या 2 व 3 के अनुसार।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताएं कि 'उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे और कितने व्यक्ति हैं जिन्हें योग्य होते हुए भी अवार्ड नहीं दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।, तो इन्होंने कहा है कि कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस

(श्री केसाराम चौधरी)

इन्स्पायर्ड अवार्ड योजना के तहत विज्ञान एवं गणित के दोनों विषयों के अंकों को मिलाकर सर्वोच्च अंक प्रतिशत प्राप्त करने वाले राजकीय और गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8, 9 व 10 में से प्रत्येक कक्षा में एक-एक विद्यार्थी; मतलब, पूरे ब्लाक में ऐसा विद्यालय नहीं था, जिसमें एक भी विद्यालय पात्र नहीं था। नहीं था, तो आप बता दीजिए कि यह जो योजना लागू हुई, उस योजना के लागू होने के पश्चात् पांच वर्षों में किस पंचायत समिति में कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, वर्षवार?

श्री अध्यक्षः विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्स्पायर्ड अवार्ड, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दिया जाता है। बच्चों के अन्दर विज्ञान के प्रति और माडल के प्रति उनके मन में रुचि आगे बढ़े इसके लिए भारत सरकार ने कक्षा 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों के लिए यह योजना लागू की। प्रत्येक स्कूल का कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में जो टापर होगा, वह विद्यार्थी इसके लिए योग्य माना जाएगा। पांच साल की योजना है, पांच साल के अन्दर दस लाख विद्यार्थियों को इस प्रोत्साहन राशि के लिए उपलब्धता की गई। इसके अन्दर प्रत्येक वर्ष दो लाख विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत देश भर में साढ़े चार लाख मिडल और सेकंडरी लेवल के स्कूल्स हैं, उनमें प्रत्येक को पांच हजार की राशि दी जाती है। उसके लिए विद्यार्थियों को आवेदन करना होता है, उस आवेदन की पात्रता...

श्री अध्यक्षः केवल मारवाड़ जंक्शन तक का ही बताइए; लम्बा-चौड़ा मत बताइए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनके आवेदन में 2012-13 के अन्दर, मैं पहले योजना समझा दूं, नहीं तो फिर बाद में योजना पूछेंगे।

श्री अध्यक्षः वे सब समझे हुए हैं। आप तो सीधा सवाल का जवाब दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2012-13 के अन्दर जिला पाली में 358 और मारवाड़ जंक्शन के अन्दर 39 विद्यार्थियों को इससे लाभांवित किया गया; 2013-14 में 126 पाली जिले के रहे और मारवाड़ जंक्शन का शून्य; 2014-15 के अन्दर 710 जिला पाली के और मारवाड़

(श्री वासुदेव देवनानी)

जंक्शन के 25; 2015-16 के अन्दर जिला पाली के 64 और मारवाड़ जंक्शन के 4 ।

इसमें जो विद्यार्थी एप्लाई करते हैं, यह नहीं कि उनको दिया जाता है। जो इसके लिए आवेदन देते हैं, उन्हीं के नाम हमारे डी ई ओ कलेक्ट करके डायरेक्टर को भेजता है और डायरेक्टर यह नाम भारत सरकार को भेजता है और वहां से चयन होकर इन विद्यार्थियों को राशि उपलब्ध कराई जाती है।

श्री अध्यक्षः बैठिए। दूसरा पूरक प्रश्न पूछेंगे आप? जवाब आ गया।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि विद्यार्थी अप्लाई करता है, तो आपके इस इन्स्पायर अवार्ड योजना का जो प्रारूप दिया है उसमें आवेदन का तरीका बताया है। ''सम्बन्धित विद्यालय का संस्था प्रधान जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चयन कर चयनित विद्यार्थी का प्रस्ताव सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।'' विद्यार्थियों द्वारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसका मतलब यह है कि अधिकारियों ने नाम भेजे ही नहीं। फिर मेरे क्षेत्र के विद्यार्थी थे, वे उससे लाभान्वित नहीं हो सके। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि इस तरह से जिन अधिकारियों ने गलती की है, क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके उनको दण्डित करने का विचार रखते हैं, या नहीं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आवेदन आनलाइन भी तो आवेदन होता है। यदि किसी विद्यार्थी ने आनलाइन आवेदन किया है और उसका नाम मेरे किसी अधिकारी ने नहीं भेजा है, तो निश्चित रूप से मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसमें स्पष्ट लिखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों द्वारा आवेदन करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अध्यक्षः वह आ गया, जवाब आ गया।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मुझे जो जवाब दिया है, उसमें लिखा है...

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दे दो आप तो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जिन अध्यापकों के द्वारा पात्र व्यक्तियों को... एक वर्ष में शून्य, शून्य रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजो। विराजो आप। जवाब दे रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पूरे ब्लाक में ऐसा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, पांच क्लासों में कोई विद्यार्थी निकला ही नहीं, इसलिए शून्य दिया है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट है कि आनलाइन, आनलाइन विद्यार्थी को एप्लाई तो करना पड़ेगा कि मैं रुचि रखता हूं और मैं इसमें कुछ बनाऊंगा, या विज्ञान में मेरी रुचि है। यह विज्ञान में रुचि है। केवल 5-5 हजार बांटने के लिए नहीं है। वह तो विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए उस बालक को दिया जाता है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जिसके अच्छे नम्बर आये, उनको तो देना ही पड़ेगा। यह क्या बात हो गई !

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: जवाब ले लेना। जो वे दे चुके, वह दे चुके।

श्री शंकरसिंह रावत।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप कहें तो मैं टेबल कर दूं।

श्री अध्यक्ष: आप रख दो टेबल पर। टेबल पर रख दो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद आपका।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अजमेर जिले से ही हैं, सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का आदेश दिया गया है, क्या आपने सब जगह खोल दिये हैं? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमारी सरकार ने खोलने के आदेश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: शंकर सिंहजी, यह इर्रेलेवेंट है। नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं।

अगला सवाल। डा. राजकुमार शर्मा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरा क्वेश्चन लगा नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं, इर्रेलेवेंट है। अगला सवाल। डा. राजकुमार शर्मा। जवाब देने की जरूरत नहीं है। यह रेलेवेंट नहीं है सवाल। जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल। डा. राजकुमार शर्मा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): दिला दो, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना इनसे। आप मिल लेना इनसे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): वहां धरने पर बैठते हैं, हल्ला करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आप मिल लेना उनसे। वे सहज रूप से उपलब्ध होते हैं। अपनी समस्या उनके सामने रख देना।

अगला प्रश्न। डा. राजकुमार शर्मा। अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या-400

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला सवाल। श्री तरुण राय कागा।

बाड़मेर जिले में हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध कार्यवाही

401. **श्री तरुण राय कागा** (चौहटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में ऐसे कितने आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो विभिन्न अपराधों में वांछित हैं व जिनके विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खुली हुई हैं? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त हिस्ट्रीशीटरों में से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं राजनैतिक दलों के सदस्य/पदाधिकारी हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा ऐसे लोगों के विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जिला बाड़मेर के विभिन्न थानों में ऐसे 4 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो विभिन्न अपराधों में वांछित हैं एवं जिनके विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खुली हुई हैं। थानेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) उक्त आपराधिक प्रवृत्ति के चारों हिस्ट्रीशीटरों में से कोई भी व्यक्ति न तो किसी राजनैतिक दल के अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य हैं और ना ही पदाधिकारी हैं।

(3) जिले में ऐसे 4 अपराधी विभिन्न प्रकरणों में वांछित हैं जिनकी हिस्ट्रीशीट खोली हुई हैं। ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जिला पुलिस द्वारा विशेष टीमों का गठन कर इनके छिपने के स्थानों एवं सकुनत पर दबिशें दी जा रही हैं। जिले के समस्त थानाधिकारियों/वृताधिकारीगण को अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष निर्देश दिये गये हैं। समय-समय पर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि ये 4 अपराधी हैं, अब तक क्यों नहीं पकड़े गये हैं? इनकी पृष्ठभूमि क्या है? आपने फरमाया कि ये राजनैतिक दल के सदस्य नहीं हैं, लेकिन राजनैतिक संरक्षण है, इसलिए अब तक गिरफ्तार नहीं हुए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये जो 4 लोग हैं, जिसमें पहला है सुखसिंह पुत्र श्री हडवन्तसिंह; सुखसिंह के कुल 11 प्रकरण थे, हिस्ट्रीशीट बनी हुई है। 4 में फैसला हो गया, लम्बित अभी ट्रायल में 7 हैं। इन 11 में से 3 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें यह वांटेड है, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसी तरह से, देवाराम, कुल प्रकरण इसके खिलाफ 17 हैं, 12 में फैसला हो गया, 5 अभी ट्रायल में हैं और एक मुकदमे में यह वांटेड है। तीसरा, खेताराम, इसके कुल 22 प्रकरण हैं, 14 में फैसला हो गया, 8 में अभी ट्रायल लम्बित हैं, 1 में यह वांछित है। इसके बाद, महेन्द्रसिंह, कुल प्रकरण 11, 2 में फैसला हुआ, 9 में ट्रायल हैं, 1 प्रकरण में यह अभी वांटेड है।

ऐसे पूरे के पूरे बाड़मेर जिले में 211 लोग स्थायी वारंटी के रूप में हैं। सूची मेरे पास उपलब्ध है। हिस्ट्रीशीट जिनकी खुली हुई हैं, ऐसे 359 लोग हैं।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग हिस्ट्रीशीटर बिना सूची के हैं, उनकी सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है। वैसे मैं कहना चाहूंगा, हमारा सीमावर्ती इलाका है, बहुत बड़ा संवेदनशील इलाका है। वहां कई शस्त्र तस्कर हैं, नकबजन हैं, कई हथियारों में और अन्य अपराधों में वांछित हैं। उन लोगों की हिस्ट्री के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी? अभी

(श्री तरुण राय कागा)
देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। इस वजह से सरकार की क्या पालिसी है, या किस तरह से वह कार्य कर रही है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर हम पूरे प्रदेश में इस प्रकार का अभियान चलाते हैं, उसमें कुछ सफलता हमें मिलती भी है। एग्जेक्ट फिगर तो अभी मेरे पास नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार के जो भगोड़े हैं उनको हमने हजारों की संख्या में पकड़ा भी है। अभी भी राजस्थान में, सही फिगर मैं नहीं कह सकता, लेकिन 54 हजार से भी अधिक लोग वांटेड हैं, जो राजस्थान पुलिस को आज भी उनकी जरूरत है। आपके यहां भी 211 लोग ऐसे हैं जो वांटेड हैं। अभी फिर एक अभियान चलाकर लगातार एक महीने प्रयास करेंगे और इन लोगों में से जितने को पकड़ने में पुलिस सफल होगी, निश्चित रूप से प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक। श्री घनश्याम मेहर।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, कुल कितने हिस्ट्रीशीटर हैं?

श्री अध्यक्ष: बाड़मेर से सम्बन्धित है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): बाड़मेर जिले में कुल कितने हिस्ट्रीशीटर हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं? क्या बाड़मेर जिले में कोई जन-प्रतिनिधि या विधायक भी वर्तमान में हिस्ट्रीशीटर की सूची में हैं? क्या उनका कोई राजनैतिक दल से सम्बन्ध है? क्या उनकी थाने में सूची लगायी गयी है? विस्तृत मंत्री महोदय इसका जवाब दें। क्या उनकी फोटो भी लगा रखी है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बाड़मेर जिले के हिस्ट्रीशीटर्स की पूरी सूची थानानुसार है। मैंने बताया कि 359 लोग हैं, अलग-अलग थानों में। अब सारों को तो पढ़ना मेरे लिए सम्भव नहीं, लेकिन आपका जो पाइंट है, वह मैं समझ रहा हूं। वह मैं समझ रहा हूं और आप भी समझ रहे हों।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उनके नाम बता दो आप तो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से इसमें हर पार्टी का, मैं इतना डिटेल नहीं जानता कि इसमें से कौन किस पार्टी का है, लेकिन आपका... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सूची आप तक पहुंच जाएगी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नाम बता दो, सर, नाम; कौन-कौन लोग हैं। सूची आ जाय कि किन-किन राजनैतिक दलों के लोग हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने कहा 359 हैं। एक जिसके ऊपर आप निशाना मार रहे हों...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या कोई विधायक भी हिस्ट्रीशीटर है? उसका नाम बता दो।

+++

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ। (व्यवधान) माननीय सदस्य के बारे में जो कुछ भी चर्चा यहां हुई है, उसको एक्सपंज कर दिया जाए, उसको रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

श्री रामपाल।

बारां के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

402. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के बारां शहर में संचालित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय में किस-किस संकाय में कितने-कितने व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के बारां शहर में संचालित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय में संकायवार व्याख्याताओं के पद निम्नानुसार स्वीकृत हैं:-

महाविद्यालय का नाम	संकाय	स्वीकृत पद
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारां	कला वाणिज्य विज्ञान	34 03 16
राजकीय कन्या महाविद्यालय, बारां	कला वाणिज्य विज्ञान	18 01 05

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) बारां शहर में संचालित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के 1,339 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवायी गई है। इन पदों पर चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने/नियमित स्थानान्तरण के समय विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के बारां शहर में संचालित राजकीय महाविद्यालयों के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय में 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। माननीय मंत्रीजी ने शीघ्र भरने का जवाब दिया है, जिससे तो मैं संतुष्ट हूं, पर साथ ही बारां स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 4 हजार के लगभग छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और उनके लिए केवल 13 कक्षा कक्ष बने हुए हैं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रों के अनुपात में लगभग 48 कमरे होने चाहिए और वे उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही, दोनों महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र और कन्या महाविद्यालय, में मैदान की स्थिति सही नहीं है। तो क्या उसको सही करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, यह बात सही है कि टोटल 6 हजार का कैडर है हमारे कालेज शिक्षा में लेक्चरर्स का और उनमें से 1,339 पद रिक्त हैं। ये पद इसलिए रिक्त हैं कि या तो 913 नये पदों की स्वीकृति जब 2003 से 2008 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हुई, और उसके बाद 5 साल तक एक भी नये लेक्चरर की नियुक्ति नहीं हुई। उसके बाद, हमारे आने के बाद हमने 1,339 नये पद स्वीकृत किये हैं और उनकी रिक्विजिशन हमने आर पी एस सी को भेज दी है, आर पी एस सी से हमने यह अनुरोध किया है। 1

(श्री कालीचरण सराफ)

जुलाई को जब नया सत्र प्रारम्भ होगा, उस समय निश्चित रूप से सारे पदों को भरने की कोशिश की जाएगी। वहां से जैसे ही आयेंगे, हम पदों को भर देंगे।

जहां तक बारां का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्थायी रूप से हमने 4 टीचर तो बारां कालेज में तीन-तीन महीने के लगाकर वहां कोर्स पूरा करवाया है और कन्या महाविद्यालय में दो लेक्चरर पालिटिकल साइंस और फिजिक्स का, ये भी लगाकर वहां कोर्स पूरा कराया है।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही लेक्चरर आयेंगे, तो हम प्रायोरिटी के आधार पर आपके यहां लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय मंत्री महोदय, एक तो कक्षा कक्षों का आपने नहीं कहा। केवल वहां पर 13 ही कक्षा कक्ष हैं; विद्यालय में छात्रों को पढ़ने के लिए केवल 13 कक्षा कक्ष ही बने हुए हैं, जबकि 4 हजार छात्र-छात्राओं की संख्या है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, भर लेंगे ये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): साथ ही मेरा एक विशेष निवेदन और है कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिन्दी साहित्य, समाज शास्त्र और इतिहास तथा कन्या महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में रसायन विभाग, समाज शास्त्र और इतिहास में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने के लिए विषय खोलने की मंशा सरकार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): यह आपका अलग से प्रश्न है कि कितने कमरे वहां पर हैं, कितने नहीं हैं। आप मेरे को लिखकर दे दीजियेगा। जितने कमरे और सम्भव हो सकेंगे, हम बनवाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री ललित कुमार। ध्यान रखना, यह बारां-अटरू है।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं बारां कालेज के लिए पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूछो।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बारां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2005 से 2016 तक एस एफ एस पर ज्योग्राफी और इकोनोमिक्स पढ़ाई जा रही है, तो आप इसको सरकारी स्तर पर खोलने की मंशा रखते हैं क्या? क्योंकि वर्तमान में 5,500 रुपये की फीस प्रत्येक छात्र द्वारा स्नातकोत्तर के लिए ज्योग्राफी और इकोनोमिक्स की दी जाती है। तो क्या इन दोनों विषयों को एस एफ एस समाप्त करते हुए सरकारी स्टेटस देने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मापदण्ड यदि पूरे करेंगे और वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, तो निश्चित रूप से खोलेंगे।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि 2009 से 2010 तक मैं खुद एस एफ एस में ज्योग्राफी से पढ़ा हुआ हूं। इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इसको एस एफ एस से सरकारी दिलाने का यहां आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष: कोशिश करेंगे ये।

श्री हबीबुर्रहमान। पूरक प्रश्न। आपने नाम दिया है तो बोलिये। नागौर से नहीं।

श्री रामलाल शर्मा। बारां का।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बारां महाविद्यालय के अन्दर एक तरफ पद रिक्त हैं और बारां महाविद्यालय के कुछ प्राध्यापक प्रतिनियुक्ति के ऊपर दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले प्राध्यापकों को बारां महाविद्यालय में भेजने का विचार रखते हैं? यदि रखते हैं, तो कब तक?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आप मुझे वह सूची दे दीजियेगा। गुण-दोष के आधार पर देखकर इसको कर देंगे। (व्यवधान) इनका क्या लेना-देना था बारां से?

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इनको लिख-लिखकर सूची भी एम एल ए दे देंगे, तो ये माननीय मंत्री क्या करेंगे?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): क्योंकि वह फर्जी क्वेश्चन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनको सूचना दे दी; सूचना देना पर्याप्त है, मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ऐसा है, इनका बारां से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेना-देना है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): नहीं है; इनका नहीं है; कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको सूची दे दी, आपको सूचना दे दी और जो बोला, वह अंकित हो गया। फिर भी कहते हो कि लिखकर दे दो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): लिखकर दे दो, तो देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष: देख लेंगे ये।

प्रश्न संख्या-403

अगला प्रश्न। डाक्टर किरोड़ी लाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल निवाई।

निवाई के पर्यटन स्थलों का विकास करने की कार्ययोजना

404. श्री हीरालाल (निवाई): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत तीन वर्षों में पर्यटन विकास की दृष्टि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां व कितनी राशि के कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के देवधाम जोधपुरिया एवं निवाई के प्राचीन किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)): (1) पर्यटन विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत तीन वर्षों में पर्यटन विकास हेतु कोई कार्य नहीं करवाये गये हैं।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा))

(2) पर्यटन विभाग में वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र निवाई के देवधाम जोधपुरिया एवं निवाई के प्राचीन किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में कोई कार्ययोजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्य करवाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। अब आप सुझाव दीजिये, तो ये कंसिडर करें। वहां तो अभी कुछ हुआ ही नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं, आप भी निवाई का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं एज ए एम एल ए भी और एज ए एम पी भी; मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निवाई में रक्तांचल पर्वत है, जहां ऊपर दरगाह है, वहां महल है नरूका राजाओं का और उस महल में आज भी पानी भरा रहता है। वहां टांका है, वहां रहते हैं। साथ ही, वहां पर दरगाह है और वहां पर नवरात्रा होती है; नवरात्रा में नौ दिन तक नवरात्राएं भी होती हैं। तो क्या, मंत्री महोदया, उक्त रक्तांचल को पर्यटन के क्षेत्र से... अब यह तो बता ही दिया कि संसाधन की बात है, हर चीज में संसाधन आ गये, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, होगा।

श्री हीरालाल (निवाई): क्या, मंत्री महोदया, रक्तांचल पर्वत को, उस दरगाह को, जो महल है नरूकाओं के, उनको पर्यटन में रखेंगे? आज भी ऐसे व्यवस्थित महल हैं रहने के। तो क्या, मंत्री महोदया, उनको लेंगी?

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि नौ दुर्गाओं की, जहां इनकी पूजा होती है, यह देवस्थान विभाग में जाता है। यह मेरे विभाग में नहीं आएगा।

श्री अध्यक्ष: चलो, विराजिये। अब सवाल का जवाब आ गया आपके पास।

श्री हीरालाल (निवाई): नहीं, नहीं, वह तो आ गया। दूसरा पूरक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक प्रश्न है। जालंधरनाथ का मंदिर है, पूरे हिन्दुस्तान में, भारत में एक ही मंदिर है निवाई में। वह तो पर्यटन स्थल में आ सकता है, जहां गुरु गोरखनाथ ने और मछंदरनाथ ने तपस्या की है।

श्री अध्यक्ष: अब पर्यटन और देवस्थान के विभाग का है।

श्री हीरालाल (निवाई): नहीं, यह पर्यटन विभाग का है। दूसरा, देवधाम जोधपुरिया है।

श्री अध्यक्ष: वह तो मुझे भी मालूम है।

श्री हीरालाल (निवाई): मैंने पहले भी निवेदन किया, जोधपुरिया में लक्खी मेला भरता है। वहां मासी डैम है जिससे निवाई को पानी मिलता है। आप परिचित हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक। माननीय विधायक।

श्री हीरालाल (निवाई): वहां बोटिंग होती है। क्या जोधपुरिया देवधाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे? लाखों गुर्जर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कोटपूतली, यू पी, महाराष्ट्र, गुजरात से आते हैं। इतने सारे लोग आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से कहूंगा कि देवधाम जोधपुरिया को पर्यटन स्थल के रूप में लें और उसको करें। लक्खी मेला भरता है। एक तो डिग्गीश्री कल्याणजी का है और एक देवधाम जोधपुरिया का है, दो ही मेले भरते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको तो आपने देवस्थान विभाग के लिए कह दिया, किन्तु कम से कम इसको तो पर्यटन स्थल में लें। वहां तो बोटिंग भी होती है। आप परिचित हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप कम से कम इसको, देवधाम जोधपुरिया को लें। यहां पर राजेन्द्रजी भी बैठे हैं, वहां के अध्यक्ष हैं। कम से कम इनको तो लें। संसाधन की आड़ नहीं लगायें। यह तो धार्मिक स्थल है। अलकाजी भी यहां विराजमान हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं भी हूं।

राजेन्द्रजी। पूरक प्रश्न।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है। ये हम लोगों को औपचारिक लिखित में दे देंगे...

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने प्रश्न उठाया है देवधाम जोधपुरिया के बारे में। जोधपुरिया मंदिर हमारी आस्था का केन्द्र है। वहां तीन नदियों का संगम है और मासी डैम बना हुआ है, और हमारे वहां वनस्थली यूनिवर्सिटी है, मोदी यूनिवर्सिटी है। यहां देशी-विदेशी छात्र पढ़ने आते हैं, कई प्रकार के लोग भी वहां आते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत उत्तम जगह है। वैसे भी जयपुर के

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

आसपास के क्षेत्र के लोग वहां सण्डे को जाते हैं। इसलिए उसका विकास किया जाये। यह मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है।

श्री अध्यक्षः मान सिंह। आप विराजिये। माननीय मान सिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार ने जिन 23 मंदिरों को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, उनमें सबसे ज्यादा देवधाम जोधपुरिया में लोग आते हैं। क्या सरकार उसको भी सूची में शामिल करेगी?

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुरिया मंदिर के बारे में ये बात कर रहे हैं, यह इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है। इसके प्रस्ताव आने दो। इसकी जांच करके, आगे बढ़ा देंगे।

श्री अध्यक्षः अगला सवाल। श्री कैलाश चौधरी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्षः नहीं, इतना नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई): मेरे यहां नरूका के महल थे जिनको...

श्री अध्यक्षः वह सब है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): प्रश्न संख्या 405.

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पुरातत्व का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः इनसे आप मिल लेना। वे विचार कर रही हैं। विचार कर रही हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): उन महलों को, पता नहीं, सरकार ने किस आधार पर तुड़वा दिया है। इसकी जांच कराई जाये। उन महलों को किस आधार पर तुड़वाया है?

श्री अध्यक्षः विराजो। विराजो।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ही लूंगा; मैं कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उन महलों को कैसे तुड़वा दिया, किसके आदेश से तुड़वा दिया, यह मालूम किया जाये, जांच की जाये।

श्री अध्यक्षः विराजिये। विराजिये। यह इनका विभाग नहीं है। (व्यवधान) यह इनका विभाग नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न। श्री कैलाश चौधरी।

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु निर्धारित मानदण्डों में छूट

405. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर व जैसलमेर जिला भौगोलिक दृष्टि से दूर-दूर तक फैला होने के कारण वहां की आम जनता को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है?

(2) क्या सरकार उक्त जिलों में महिला एवं बालकों के विकास की योजनाओं का समुचित लाभ आमजन को दिलवाने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त जिलों में निर्धारित मानदण्डों से हटकर आमजन की सुविधा के लिए नये आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती अनिता भदेल): (1) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाड़मेर, जैसलमेर जिले में समस्त संचालित योजनाओं का समुचित लाभ आम जनता को प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में कठिनाइयां रहती हैं।

(2) जी हां।

(3) नये आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नोर्म्स के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। तदुपरान्त भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के आधार पर नये आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 400 की आबादी पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के मापदण्ड हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर भी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा सकते हैं। उक्त मापदण्डानुसार नियमानुसार केन्द्र खोले जाते हैं। भारत सरकार के निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया जी से पूछना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े क्षेत्र हैं और वहां पर आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चे आते हैं, उनको आने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनको कम से कम तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर तक आना पड़ता है, और वास्तव में वे वहां पहुंच भी नहीं पाते हैं। इसकी वजह से उसका दुरुपयोग भी होता है। जैसा आपने पहले जवाब में कहा है, वास्तव में वहां जाने में कठिनाई महसूस होती है। तो क्या भौगोलिक दृष्टि से इसको, जैसा 300 की जनसंख्या पर किया गया है, तो इसको और कम करके, क्षेत्रफल को कम करके, और इसको ऐसा करने का विचार करते हैं, जिसको भारत सरकार में भिजवाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में रेगिस्तानी एरिया है, उनमें 150 से 300 तक की आबादी पर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के भारत सरकार के नोर्म्स हैं। यदि छितरी हुई आबादी है, रेगिस्तानी एरिया है, तो उसमें 150 से 300 तक की जनसंख्या पर हम आंगनबाड़ी केन्द्र खोलते हैं। इसमें क्षेत्र का कोई प्रोविजन नहीं है कि क्षेत्र का कितना किलोमीटर एरिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर आबादी उसमें मुख्य कारण है। यदि आप कोई लिखित में प्रस्ताव भेजेंगे, तो हम भारत सरकार से उसके लिए मार्गदर्शन के लिए, वहां भेजकर मार्गदर्शन वहां से प्राप्त कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): दूसरा, अध्यक्ष महोदय जी, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जिस तरह से गर्म पोषाहार का वितरण होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको वास्तव में गर्म पोषाहार, कई जगह ऐसी हैं जहां पर मिलता भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि क्या सरकार ऐसा विचार रखती है जिसमें वह पोषाहार का पैसा है, सीधा अगर उनके खाते में पैसा डाल दिया जाये, उनके अकाउंट खुलवाकर? तो वह पैसा, उनको लाभ सीधा मिलेगा। ऐसा विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, गर्भवती महिलाओं को गर्म पोषाहार के स्थान पर, आपने यह कहा है कि सीधे ही उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाये; क्योंकि यह योजना पूरे हिन्दुस्तान भर में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित है, इसलिए भारत सरकार के जो नोर्म्स हैं, उनके तहत ही हम पोषाहार वितरण का कार्य करते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है, इस प्रस्ताव पर भी चूंकि भारत सरकार के दिशानिर्देश आवश्यक हैं, इसलिए यदि ये चाहते हैं इस प्रकार से, तो वह भी हम एक बार वहां भारत सरकार से पत्राचार करके, उनसे पूछकर ही आपको बता पायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवारामजी जैन। 20 सेकंड ही बचे हैं, आप अपना सवाल तो कर लो। पूरक प्रश्न।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि जनता को सुविधा मिले, बाड़मेर ब्लाक में आई सी डी एस को चार भागों में अलग-अलग बांटा गया है, बायतू में पंचायतें डाल दीं, सिणधरी में डाल दीं, नोखड़ा में डाल दीं, बाड़मेर ग्रामीण में डाल दीं; क्या जनता की सुविधा हेतु एक ब्लाक में करना चाहती हैं?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से प्रदेश में राशन वितरण में पी.ओ.एस. मशीनों में तकनीकी गड़बड़ियों से गरीब एवं बी.पी.एल. वर्ग को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में;
2. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2013 का परिणाम आने के बाद भी नियुक्तियां नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
3. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा महानरेगा के अन्तर्गत किए गए टेण्डरों के सम्बन्ध में अपनाई जा रही दोहरी प्रक्रिया से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से राज्य में 100 से कम संख्या वाले विद्यार्थियों के मिडल स्कूलों को सीनियर सेकण्डरी स्कूल में मर्ज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
5. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर लिफ्ट कैनाल-फेज द्वितीय निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में;

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से भरतपुर की चम्बल लिफ्ट परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के सम्बन्ध में;
7. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से राज्य में शिक्षा के अधिकार कानून के अन्तर्गत सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से कथित रूप से वंचित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
8. श्रीमती सोना देवी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में शमशान घाट हेतु स्थान आरक्षित करने के सम्बन्ध में; एवं
9. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में डोडा पोस्त बंद करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गिर्राज सिंह, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्रीमती सोना देवी एवं श्री भंवर सिंह को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जोधपुर विकास प्राधिकरण में कथित रूप से हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच नहीं कर दोषियों को बचाये जाने के सम्बन्ध में;
2. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों के कारण जनता को न्याय में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

3. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या की ओर से जोधपुर शहर के रियासतकालीन सरकारी विद्यालयों के भवनों का संरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में;
4. श्री प्रहलाद गुंजल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउण्ड को अन्यत्र शिफ्ट करवाकर बॉयोलोजिकल पार्क बनाने के सम्बन्ध में;
5. डा. जसवंत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कालेज आफ डेयरी साइंस एण्ड फूड टेक्नोलोजी खोलने के सम्बन्ध में;
6. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों पर विद्युत कनेक्शन व रास्ता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
7. श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में;
8. श्री चन्द्रभान सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चितौड़गढ़ की शंभूपुरा से नाहरगढ़ चौराहे तक सड़क की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में;
9. श्री सुखराम विश्नाई, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
10. श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में;
11. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर व भरतपुर के जाटों को आरक्षण देने के सम्बन्ध में; एवं
12. श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से जिला सिरोही के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दे

आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु 49 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में राजबाग, आखलिया चौराहे क्षेत्र में बढ़ते हुए यातायात दबाव को देखते हुए एलीवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में;
2. श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से हाउसिंग बोर्ड द्वारा उदयपुर में पानेरिया की मादड़ी के किसानों की अवाप्त की गई भूमि-के-बदले-भूमि दिलवाये जाने के सम्बन्ध में;
3. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से पानी के सप्लाई कार्य को पी एच ई डी से लेकर चौमूं नगरपालिका को हस्तांतरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में; एवं
4. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से जयपुर ग्रामीण में खाद्य आपूर्ति में निरन्तर हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यगण, मुझे आपसे निवेदन करना है कि कल भी बहुत लंबे समय तक चली, ऐतिहासिक 52 का इतिहास तोड़ा। आज वित्त विधेयक भी है और विनियोग विधेयक भी है, इन दोनों विधेयकों पर संशोधन बहुत कम आये हैं और हम चाहेंगे कि गम्भीरता से इन पर विचार हों। मैंने डोटासरा साहब जो कांग्रेस के सचेतक हैं उनसे पूछा, इन्होंने कहा हमारी तरफ से प्रद्युम्न सिंह जी बोलेंगे और प्रद्युम्न सिंह जी के बाद मुख्य मंत्रीजी बोलें, हमको कोई एतराज नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: ये तो मुझे एक ही कहकर गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उनका पता नहीं था मेरे को। ये उस पर बोल लेंगे पारण वाले समय पर। लगाया हुआ नहीं था। इनका पारण वाले समय में पांच मिनट बोल देंगे।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट दे देंगे। मतलब, मेरा विचार यह है कि इसको चार बजे तक हम सम्पन्न कर लें। चार बजे प्रद्युम्न सिंह जी बोल लें। वे मेरे पास आये भी थे, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, वे बोलेंगे चालीस-पचास मिनट। उसके

(श्री अध्यक्ष)

बाद मुख्य मंत्रीजी पांच बजे बोल दें। यह मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस व्यवस्था में सहयोग करेंगे। अपने वक्तव्य छोटे-छोटे करके और चार बजे तक समाप्त कर दें और उसके बाद दोनों भाषण होने के बाद पास करेंगे हम। ऐसी स्थिति बने, यह मेरा निवेदन है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। यह रोज-रोज नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि राजस्थान विधान सभा की परम्परा रही है, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों पर एक साथ चर्चा होती है...

श्री अध्यक्ष: दोनों साथ चलते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और खण्डश: अलग-अलग इनका पारण जरूर हो जाता है। इसलिए आपकी अनुमति हो, तो माननीय सदस्य दोनों विधेयकों पर, एप्रोप्रिएशन पर और फाइनेंस बिल पर, एक साथ अपने विचार व्यक्त कर दें। माननीया मुख्य मंत्रीजी दोनों का एक साथ उत्तर दे देंगी।

श्री अध्यक्ष: यही परम्परा रही है। इसलिए इसको एग्री करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रद्युम्न सिंह जी भी और प्रतिपक्ष के नेता भी एग्री कर रहे हैं। नियम 295 को लम्बे समय से, पढ़े हुए मान लिया, पढ़े हुए मान लिया। आज अपने पास थोड़ा समय है और समय है, तो 295 को पढ़े हुए नहीं, यहां पढ़ने दिया जाए। यह मेरी व्यवस्था है।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इजाजत हो तो मैं मेरी तरफ से एक निवेदन करना चाहूंगा और गृह मंत्रीजी से गुजारिश करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी नहीं। आप मिल लेना, गृह मंत्रीजी। नो, नो, बिलकुल नहीं। तरुण राय जी कागा, नहीं। अंकित नहीं हो।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं, तरुण राय जी, आप बैठ जाएं। अंकित नहीं हो रहा है और न ही जवाब आएगा। आप बैठ जाइए।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह जी।

सूचना

नोखा में गड़रा रोड (बाड़मेर) की लड़की के साथ बलात्कार व हत्या

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अभी मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अभी कागा साहब ने जो बताया है, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। कल की तारीख में इनके गड़रा रोड, बाड़मेर से एक लड़की जो बी एस टी सी कर रही थी नोखा के अन्दर, उसके साथ में रेप किया गया और उसको फिर पानी की कुंडी में डुबो दिया गया और उसकी लाश मोर्चरी में पड़ी है। ये जो कह रहे हैं, बिलकुल सही कह रहे हैं। मैं यह चाह रहा हूं कि इसकी जांच बिलकुल सही हो और जो दोषी है, वह बचना नहीं चाहिए। यह दलित लड़की के साथ में अन्याय हुआ है।

श्री अध्यक्ष: किसी के भी साथ हो, यह गम्भीर प्रश्न है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसलिए मैं चाहता हूं, गृह मंत्रीजी बैठे हैं, इसकी सही तरीके से जांच हो। चाहे कितना भी बड़ा हो, इस कालेज का जो संचालक है उसका इन्वाल्वमेंट है और कालेज का जो पी टी आई है उसका सहयोग रहा। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं गृह मंत्री से आपके माध्यम से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि जिस घटनाक्रम की ओर आप ध्यान दिला रहे हैं, वह हमारे ध्यान में आई हुई है। निश्चित रूप से उसकी उच्च अधिकारी, जो भी एडिशनल एस पी या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति, और टीम बनाकर के इसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, और हमारे लेवल पर भी अगर कहीं कमी रही है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्षः बस, आ गया है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में एक निवेदन कर रहा था...

श्री अध्यक्षः क्या हर बात में आपका बोलना जरूरी है? नहीं। नो, नो। आप बैठ जाइए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुमति दे दो।

श्री अध्यक्षः नहीं दूंगा मैं। यह तरीका गलत है। एक व्यवस्था करनी पड़ती है। नहीं, बिलकुल नहीं। एक मिनट भी नहीं। आपका जवाब आ गया और बहुत गम्भीरता से आ गया है। वे गम्भीरता से ले रहे हैं।

श्री गिर्राज सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भरतपुर की चम्बल लिफ्ट परियोजना के कार्य की धीमी गति

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया यहां पर दिख नहीं रही हैं। कल से लेकर अब तक न तो मैंने पानी पर चर्चा की। रात को भी मंत्रीजी ने एक बजे तक हम लोगों को यहां सदन में बैठाये रखा, उसके बाद में भी मंत्रीजी ने मुझे कोई भी आश्वासन नहीं दिया। कोई भी एक सिंगल परसेंट यह भी जवाब नहीं दिया मुझे कि आपके क्षेत्र में चम्बल लिफ्ट योजना का पानी जो भरतपुर जा रहा है, उसमें कांग्रेस सरकार में जो टेण्डर हुए और कार्य चालू हो गये, वे धीमी गति से काम चल रहे थे, अब वे टोटल बंद हो गये हैं। मैंने रात को भी सदन में आवाज उठायी, मंत्रीजी ने अपना जवाब भी दिया, जवाब के बावजूद भी एक भी शब्द उन्होंने यह नहीं बोला कि आपके यहां ये काम हम करेंगे, या नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 44 गांवों में पानी की स्थिति बहुत खराब है; पानी पीने के लिए नहीं है। ट्रैक्टर और टैंकरों से हमारे क्षेत्र के गांवों में लोगों के लिए पानी लेकर नहीं आते हैं और मंत्रीजी एक भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछली साल मैं मंत्रीजी से मिला, तो मंत्रीजी ने बोला कि इस साल हम मार्च तक आपको पानी दे देंगे। वहां पर आज तक पानी की

(श्री गिर्राज सिंह)

पाइपलाइन के लिए एक पाइप भी नहीं बिछाया गया। एक साल का मंत्रीजी ने वादा किया, उस वादे का क्या हुआ?

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार-पांच गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी हैंडपंप नहीं हैं, पानी पीने के लिए एक भी कुआ नहीं है। चार-पांच किलोमीटर, सात किलोमीटर दूरी से पानी लेकर आते हैं, वह भी गन्दा पानी है। मंत्रीजी से मैंने कल भी काफी निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, इसके बाद भी मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में एक भी शब्द यह नहीं बोला कि हम आपको पानी पिलाएंगे, या आपके गांव में हैंडपंप लगायेंगे, या आपके पानी की कोई योजना करेंगे, या जो हमारी पुरानी कांग्रेस सरकार में जो हमारी चम्बल लिफ्ट योजना स्वीकृत थी, उसमें कार्य भी चालू था, किस कारणवश उस काम को रोका गया, या उस दोषी ठेकेदार के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे। उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कोई भी रात को जवाब नहीं दिया। कल भी पानी पर बहस हुई। मैं मंत्री महोदया के जवाब से बिलकुल भी संतुष्ट नहीं हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यहां पर बैठी हैं; मंत्रीजी, आप तुरन्त घोषणा करें, हमको संतुष्ट करें कि आप हमको पानी कैसे पिलायेंगे। जिन गांवों में हैंडपंप नहीं हैं, जिन गांवों में कुआं नहीं है, आप पानी के लिए वहां पर क्या व्यवस्था करेंगे? मंत्री महोदया, आप हमको जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जवाब जानना चाहता हूं, आप जवाब अभी दिलवा दें मुझे। मंत्रीजी बैठी हैं न, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: वे जवाब नहीं देना चाहें, तो मैं दबाव नहीं डाल सकता। आपने रिक्वेस्ट कर ली, एक व्यवस्था भी है, लेकिन अगर वे रेस्पोंड नहीं करना चाहतीं...।

अगला वक्ता। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लोग क्या करेंगे? पानी पीने के लिए नहीं है, पानी के लिए क्या व्यवस्था करें? माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की व्यवस्था कैसे करें? जब सरकार पानी ही नहीं पिला सकती है, तो फिर यह सरकार किस काम की है? जो सरकार पानी ही नहीं दे सकती है, गांवों में एक भी हैंडपंप नहीं है, माननीय अध्यक्ष

(श्री गिर्राज सिंह)

महोदय। मंत्रीजी जांच करा लें। इनके पास पूरी मशीनरी है, पूरी सरकार है, जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष: आपने उनका ध्यान खींच लिया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से ध्यान खींच रहा हूं, पर मंत्रीजी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उन गांवों में एक भी हैंडपंप नहीं है, एक भी कुआं नहीं है। उन गांवों के लिए पानी के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? मंत्रीजी कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो इनकी नीयत में खोट है, या ये पानी नहीं पिलाना चाहते हैं। बैर भाव की राजनीति करते हैं। हमने मांगे, पर एक भी हैंडपंप नहीं दिया इन्होंने।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सक्षम हों, आप मंत्री को आदेश दे सकते हों। अध्यक्ष की ड्यूटी है कि माननीय मंत्री महोदय से जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, आप विराजिये, मैंने डोटासरा जी का नाम पुकार लिया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये तो खड़े हो जाएंगे। वे जवाब क्यों देंगे? यह भी कोई तरीका है क्या?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये; कृपापूर्वक विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप सक्षम हों। अध्यक्षजी चाहें, तो मंत्री जी से जवाब दिला सकते हैं। हमें मालूम नहीं है क्या? हम नये आदमी हैं क्या कोई? आप बताओ। जब आप सक्षम हों और हमारे इतने बहादुर अध्यक्ष हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जवाब दिलवायें, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) पानी कैसे पीयेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय श्री डोटासरा जी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी गांव में हैंडपंप नहीं है, एक भी गांव में कुआं नहीं है। तो वे लोग पानी कैसे पियेंगे? ये जवाब क्यों नहीं देते, मंत्री जी?

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रवेश से वंचित वर्ग

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो शिक्षा का अधिकार कानून है, उसके तहत अब तक एस सी/एस टी/बी पी एल/सामान्य वर्ग के छात्र, ओ बी सी/एस बी सी के छात्र, जिनकी ढाई लाख रुपये तक की वार्षिक आय होती थी, उनको एडमिशन मिलता था। जो तीन साल का आंकड़ा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 5,55,966 छात्रों का प्रवेश हुआ, जिनमें बीपीएल के 65,219 हैं, ओ बी सी और एस बी सी के 3,31,015 हैं और एस सी/एस टी के 44,342 हैं। जो 2015 में एडमिशन हुए, बी पी एल में केवल 15,883 हैं, सामान्य में 25,951 हैं, ओ बी सी/एस बी सी में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 79,526 हैं और एस सी/एस टी के 44,342 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया फरवरी में चालू हो जाती है क्योंकि इस कानून की मंशा यह थी कि जो निर्धन परिवार से बच्चे आते हैं, जो बी पी एल हैं, एस सी/एस टी हैं, सामान्य वर्ग हैं, ओ बी सी हैं, एस बी सी हैं, उन बच्चों को भी अच्छी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा मिले; लगभग तैंतीस हजार विद्यालय इस दायरे में आते हैं, लेकिन इस वर्ष न तो शिक्षा मंत्रीजी के मंत्रालय ने इनके आवेदन मांगने चालू किये और मुझे जो ज्ञात हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ओ बी सी/सामान्य/एस बी सी, इन वर्गों को बिलकुल कट किया जा रहा है; केवल बी पी एल के लोगों को रखा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पांच गुणा छात्र वंचित हो जाएंगे; जो इस वर्ष अध्ययन कर रहे थे, वे सारे के सारे...। सरकार केवल मात्र यह तर्क दे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, सरकारी में तो पहले ही पढ़ा रहे थे, लेकिन यह केन्द्र में कानून आया, राज्य सरकार ने 2012 में लागू किया, उसके बाद में जिन बच्चों को, जो ढाई लाख की इन्कम से कम हैं, एस बी सी, ओ बी सी, सामान्य वर्ग के लोग जो इनका लाभ ले रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस लाभ से वंचित करने जा रहे हैं। चार सौ करोड़ का 2015-16 में बजट था, अब इस बजट को कम करने जा रहे हैं।

एक, माननीय अध्यक्ष महोदय, कब तक यह प्रक्रिया चालू कर देंगे? और सामान्य/एस बी सी/ओ बी सी के बच्चे, जो ढाई लाख तक की इन्कम की पात्रता रखते हैं,...

श्री अध्यक्षः विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक, जो पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2015-16 में थी, माननीय मंत्री महोदय, उसमें बड़ा घपला हुआ है। 49

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

विद्यालयों को चयन हुआ, निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करके उनका चयन किया गया है, क्या उसकी भी आप जांच कराने की मंशा रखते हैं?

ये ओ बी सी/एस बी सी और सामान्य वर्ग के जो कमजोर तबके से आते हैं, जो निर्धन परिवारों से आते हैं, उनके साथ में यह सरकार उनके हकों पर डाका डालने का काम नहीं करे और उन सब विद्यार्थियों को, जो पहले से चालू हैं, आपको बजट बढ़ाना पड़े तो बढ़ाइये, शिक्षा मंत्रीजी, लेकिन उन गरीबों का कोई दोष नहीं है। जो कानून केन्द्र की सरकार ने दिया, राजस्थान की सरकार ने जिस कानून को इम्प्लीमेंट किया, हमारी सरकार ने उसमें छात्रों को फायदा दिया, आप गुपचुप में और यह सदन का समय समाप्त होने के बाद, जब सत्रावसान हो जाएगा, तब आप कानून लाकर के उन निर्धन परिवारों को वंचित करना चाह रहे हैं, यह ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, विराजिये। पांच मिनट हो गये, आप बैठिये। वे जवाब दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, दोनों बातें बताइये, आर टी ई की भी बताइये और पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति में जो घपला हुआ, उसकी भी जांच करायेंगे कि नहीं करायेंगे, यह बताइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व-प्राथमिक तथा कक्षा एक, जैसी भी स्थिति, में पच्चीस प्रतिशत सीटों पर दुर्बल वर्ग व असुविधा समूह में बालकों को नि:शुल्क प्रवेश दिये जाने तथा नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान की जो केन्द्र की मंशा है, उसका राज्य सरकार बिलकुल सम्मान करती है और प्रान्त के दुर्बल और असुविधाजनक बालकों को नि:शुल्क शिक्षा देने के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन पहले जो प्रावधान रहे हैं उन प्रावधानों में बाकी राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन किया गया और इन प्रावधानों के अन्तर्गत इस समय जिस प्रकार से बी पी एल, एस सी और एस टी, इनकी संख्या तुलनात्मक कम होती जा रही थी, क्योंकि ढाई लाख से कम इन्कम का सर्टिफ़िकेट कोई भी ले आता था और उस सर्टिफ़िकेट के आधार पर कई इस प्रकार के विद्यार्थियों की शिकायतें आईं, जिसकी जांच में, आप लोग भी सब समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जिसकी

(श्री वासुदेव देवनानी)

जांच के लिए सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का सत्यापन कार्य करने में बहुत अधिक समय भी लग रहा है। सरकारी विद्यालयों के नामांकन में भी कमी आ रही है और राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

इसलिए इसका बाकी राज्यों का हमने अध्ययन किया।

(12:19 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का दुर्बल वर्ग केवल बी पी एल और असुविधाजनक समूह, दो प्रकार की कैटेगरीज हैं। उसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नि:शक्त बालक, विमुक्ति जाति, वन ग्राम के पट्टाधारी परिवार, वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारी पत्रधारी परिवार। इसी प्रकार गुजरात में एस सी, एस टी, अनाथ बालक, नि:शक्तजन बालक, एच आई वी प्रभावित बालक, प्रवासी बालक और पिछड़े वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक व शैक्षणिक रूप से वर्ग। केरल में एच आई वी प्रभावित बालक, अभिभावक, अनाथ बालक, केवल इतना है और अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 60 हजार से कम है। आंध्र प्रदेश में भी जिन अभिभावकों की 60 हजार से कम है, ऐसे दुर्बल वर्ग और एस सी, एस टी, नि:शक्त बालक और अनाथ बालक, एच आई वी प्रभावित बालक, इतना प्रोविजन है। असम में केवल बी पी एल है और एस सी, एस टी का है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में यही है; उड़ीसा में भी यही है।

इसलिए राजस्थान सरकार ने इसकी सारी समीक्षा की, आने वाली दिक्कतों पर भी विचार किया और इसका सही ढंग से उचित लोगों को इसका लाभ मिले और सरकार सही समय पर उनका पुनर्भरण भी करे, इसके लिए हमने दो नोटिफिकेशन का विचार किया है। पहला, जिसमें आपका डिस्एडवांटेज्ड ग्रुप हैं, उसमें एस सी रहने वाला है- "A child belonging to Scheduled Castes; a child belonging to Scheduled Tribes; and orphan; a child whose parents are guardians in HIV, or cancer affected persons; a child of a war widow; and a child covered under the definition of person with disabilities under clause (t) of section-2 of the Persons with the Disabilities..."

उसके साथ दूसरा, जिसके अन्तर्गत हमने वीकर सेक्शन में लिया है, उसमें- "A child whose parents are included in the list of BPL, both Centre and the State, of the families General, S.C., S.T., Backward Classes and Special Backward Classes." इन सबके बी पी एल परिवार के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मैं केवल जानकारी दूं, आपने जो बी पी एल की संख्या बताई, पिछले दिनों में केवल 2,750 विद्यार्थियों तक ही इसका लाभ मिल पाया है; यानी, 2012 से लेकर 2015-16 तक बी पी एल 2,750 को ही लाभ मिला है। यह बाकी सारी संख्या बढ़ जाने के कारण, जो वास्तव में केन्द्र सरकार की मंशा है कि हम दुर्बल वर्ग को दें, हम असुविधाजनक समूहों को दें, उसके लिए यह संशोधन का विचार किया गया है।

जहां तक आपने कहा कि अभी तक शुरू नहीं की, अगले सप्ताह में हम इसको शुरू करने जा रहे हैं और इस बार अप्रैल और मई की लॉटरी, जो अलग निकलती थीं, हम एक साथ इसकी लॉटरी निकालकर इन सब बच्चों को निश्चित रूप से इसकी प्रवेश प्रक्रिया दूर करके, जो केन्द्र सरकार की और आप सबकी और हमारी जो सोच है कि वास्तव में गरीब बच्चे को नि:शुल्क अच्छे स्कूल में प्रवेश मिल सके...।

साथ में, सरकार यह भी प्रयत्न कर रही है कि हमारे स्कूल भी उनके बराबर आ जायें, ताकि किसी भी गरीब बालक को इस प्रकार की असुविधा न हो। पंजाब सरकार में तो एक प्रकार का प्रोविजन और है कि जहां पर सरकारी स्कूलों में प्रवेश बंद हो जाये, उनमें न मिल पाये, तो ही वे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। इस प्रकार वे सरकारी स्कूलों को भी अच्छा बना रहे हैं।

प्राइवेट स्कूलों में भी इस प्रकार के वंचित वर्ग और असुविधाजनक जो समूह हैं, दुर्बल वर्ग हैं, इनके बच्चों को सरकार निश्चित रूप से अपनी प्रवेश प्रक्रिया अगले सप्ताह प्रारम्भ करके, जो मैंने कैटेगरीज बताईं, इनके बच्चों को हम प्रवेश देने जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, आप पंजाब से तुलना मत कीजिये, वह सम्पन्न राज्य है, लेकिन जो सामान्य एस बी सी, ओ बी सी के जो ढाई लाख तक की इन्कम के बच्चे, जो गरीब बच्चे थे, वह भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, इस बात की व्यवस्था केन्द्र सरकार की मंशा थी, आप उसको समाप्त करने जा रहे हैं और फिर तर्क ऐसे दे रहे हैं कि इस बी पी एल में ओ बी सी भी आ गया। बी पी एल तो बी पी एल है। उसकी कोई जाति नहीं है। उसकी जाति है, बी पी एल। वह तो अत्यन्त गरीब है। जो ढाई लाख तक के लोगों को आज तक हमने दे रखा था, उसको आप कट करना चाह रहे हैं दूसरे राज्यों की तुलना करके, यह ठीक नहीं है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पूर्व में जो मैट्रिक छात्रवृति योजना 2015-16 थी, क्या उसकी जांच कराने की मंशा रखते हैं? उसमें विद्यालयों के चयन में बड़ा घोटाला हुआ है। उसकी भी बात बतायें।

मेरा निवेदन यह है कि आप निश्चित रूप से ओ बी सी, एस सी, एस टी की ढाई लाख तक की इन्कम रेट को आप बढ़ायें, यह तो ठीक था, लेकिन आपने तो पंजाब के बराबर हमारे प्रदेश को कर दिया। यह ठीक नहीं है।

इसलिए गरीबों के साथ में अन्याय नहीं हो, इसके लिए मैं पूरे सदन में आपसे मांग करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और जो गरीब सामान्य, ओ बी सी, एस बी सी के बच्चे थे, ढाई लाख तक की इन्कम है, उनको भी वापस शामिल किया जाये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की...

श्री उपाध्यक्षः मंत्री महोदय, there is one more gentleman.

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को अवगत कराता हूं कि इसी साल 26 जनवरी, 2016 को केन्द्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है कि एस सी, एस टी, ओ बी सी के बच्चों को सरकार प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कालेज में 25 परसेंट सीट देने के लिए उन शिक्षण संस्थानों को बाध्य करे और उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करे। जो प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले रहे हैं और उनमें जो घोटाला कर रहे हैं, नाम के तौर पर सिर्फ उन बच्चों को, अपने परिवार के रिश्तेदारों को, सगे-संबंधियों को उन स्कूलों में एडमिशन दिलवा देते हैं। उनमें जितने तथ्य हैं, वे फर्जी हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने इसी साल 26 जनवरी को यह अध्यादेश जारी किया है, उस अध्यादेश को आप तुरन्त प्रभाव से इसी सत्र में लागू करें। ऐसी आप मंशा रखते हैं क्या?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सरकार, केन्द्र सरकार की मंशा के अनुकूल ही निर्णय कर रही है और जो आपने कहा, इस प्रकार के फर्जी, इस प्रकार की सारी बातों को रोकने के लिए ही इस प्रकार के संशोधन का हमने विचार किया है, और अब तक जिनके भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की बात आयेगी, उसकी हम जांच करवाकर दोषियों को निश्चित रूप से सज़ा देंगे।

श्री उपाध्यक्षः श्रीमती सोना देवी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस साल 400 करोड़ का बजट था, उसको घटा रहे हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आदरणीय, अब हो गया।

रायसिंहनगर में श्मशान हेतु जमीन का आरक्षण

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की अति-महत्वपूर्ण कार्यवाही को रोककर मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगी कि चौथे विधान सत्र में मैंने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से श्रीगंगानगर जिले में हड्डारोडी और श्मशान भूमि के लिए आरक्षित भूमि नहीं है, की सूची जाननी चाही थी। जवाब में इतना आश्चर्यजनक तथ्य उभर कर सामने आया, जिसमें गंगानगर जिले के 5 विधान सभा क्षेत्र में 70 परसेंट क्षेत्र ऐसे थे जिनमें हड्डारोडी के लिए और श्मशान भूमि के लिए जगह आरक्षित नहीं हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगी, मैं आज पुनः यह प्रश्न सरकार को नहीं करती, अगर करणपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोठासरखुनी पर कोई संकट नहीं आता। मैं सरकार को बताना चाहूंगी कि मोठासरखुनी गांव में हाल ही में जो फरवरी माह गया है, उसमें पालतू पशु, दुधारू पशु और छोटे-बडे एक हजार पशु अज्ञात बीमारी से मर गये थे। मैंने कृषि व पशु चिकित्सा मंत्रीजी से दूरभाष पर बात भी की थी। उन्होंने बीकानेर से विशेष चिकित्सक भी मोठासरखुनी भेजे थे, बीमारी पर रोक भी लगी, लेकिन जो पशु मर गये, उसके लिए सरकार क्या करेगी? माननीय मंत्री महोदय जी जवाब दें।

इसके साथ ही मैं मोठासरखुनी के लिए विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि वहां पर हड्डारोडी के लिए आरक्षित भूमि नहीं है। मैं जानकारी में भी ला दूं कि मोठासरखुनी के पास राजरकबा, जो रेलवेलाइन व नहर के पास जो त्रिकुंठिया पड़ा है, वहां के किसान व ग्रामीण उस जगह को नहीं मानना चाहते, क्योंकि वहां पर नहर है। नहर के पास में अगर मृतक पशु डालेंगे, तो वहां के कुते उन मृतक पशुओं को नहला-नहला कर खायेंगे और वही पानी वाटर वर्क्स में जायेगा, तो इससे गांव के लोगों में भी बीमारियां होंगी। मेरा विशेषकर मोठासरखुनी के लिए निवेदन है कि मृत पशुओं के लिए हड्डारोडी के लिए

(श्रीमती सोना देवी)

घोषणा करें। इसके साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में विशेषकर जहां-जहां पर श्मशान भूमि नहीं हैं, हड्डारोडी की भूमि नहीं हैं, आरक्षित करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: Is there somebody reacting? One of the Ministers? Are you reacting to what she has said? Is there somebody reacting?

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर): मंत्रीजी यहां पर हैं ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: भंवर सिंह जी।

डोडा-पोस्त बिक्री पर प्रतिबंध से उत्पन्न स्थिति

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए एक विशेष महत्व के विषय के बारे में आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च 2016 यानी कल से पूरे राजस्थान में डोडा और पोस्त बिक्री पर राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, डोडा-पोस्त का सेवन निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हमारे राजस्थान के आठ-दस जिले ऐसे हैं जहां डोडा-पोस्त को सैकड़ों वर्षों से सामाजिक मान्यता मिली हुई है और उसी की वजह से राजस्थान के इन दस जिलों में लाखों लोग ऐसे हैं, जो डोडा-पोस्त का वर्षों से सेवन करते आ रहे हैं, जिससे ये लोग डोडा-पोस्त के आदी हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि डोडा-पोस्त का सेवन करने वाले व्यक्ति को एक दिन भी पोस्त उपलब्ध नहीं होता, तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब हो जाता है...

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शांति बनाए रखें और वरिष्ठ सदस्य इसमें अग्रणी हों।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): और उसका एक दिन भी निकल पाना मुश्किल हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो पिछले चालीस-पचास सालों से डोडा-पोस्त का सेवन कर रहे हैं, जिनकी उम्र 60 से लेकर 80 साल तक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य के सभी डोडा-पोस्त व्यसनियों को आज तक नशा-मुक्त कर दिया गया है? और यदि नहीं किया गया है, तो 31 मार्च, 2016 से राजस्थान में डोडा-पोस्त किस आधार पर बंद कर रहे हैं?

उसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि लाखों लोग वर्षों से डोडा-पोस्त

(श्री भंवरसिंह)

का नियमित सेवन करते हैं और 2001 में लगभग 20 हजार ऐसे लोग हैं, जिनको हैल्थ परमिट, चिकित्सकीय परीक्षण करने के बाद डाक्टरों के द्वारा दिये गये और जिन्हें हर माह डोडा-पोस्त लेने की नियमित मात्रा डाक्टरों के द्वारा तय की गई है। राजस्थान में लगभग 20 हजार ऐसे लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 2015-16 में राजस्थान में 'नया सवेरा' के नाम से नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 20 हजार में से सिर्फ 4,700 परमिटधारी, जो डोडा-पोस्त का सेवन करने वाले लोग हैं, वे राजस्थान के अलग-अलग अस्पतालों में इस अभियान के तहत भर्ती हुए और आउटडोर में दवा लेने वालों की संख्या भी मात्र आठ हजार है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से भी यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में कितने लोगों को जिलेवार नशे मुक्ति का प्रमाण-पत्र दे दिया गया? उपाध्यक्ष महोदय, 'नया सवेरा' के जो कैम्प लगाये गये, निश्चित रूप से सरकार का यह प्रयास था कि सभी डोडा-पोस्त का सेवन करने वाले लोगों को नशा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन बड़े दु:ख की बात है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति को नशा-मुक्त नहीं किया गया। मेरे बीकानेर जिले में ऐसे 970 परमिटधारी डोडा-पोस्त का सेवन करने वाले व्यसनी हैं, लेकिन 970 में से एक भी व्यसनी को इन कैम्पों के माध्यम से नशा-मुक्त नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि राजस्थान में डोडा-पोस्त को बंद करना है, तो पहले सम्पूर्ण राज्य के सभी परमिटधारक और बिना परमिट के जो सेवन करने वाले व्यसनी हैं, उनको पूर्ण रूप से डोडा-पोस्त के नशे से मुक्त किया जाए और उस नशे से मुक्त करने के बाद इस व्यसन को बंद किया जाता है, डोडा-पोस्त की बिक्री बंद की जाती है, तो निश्चित रूप से यह सराहनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि जल्दबाजी में आज से एक दिन बाद कल 31 मार्च को डोडा-पोस्त की बिक्री बंद कर दी गई, तो राजस्थान में स्मगलिंग बढ़ेगी, राजस्थान में डोडा-पोस्त की भारी कालाबाजारी बढ़ेगी और उस कालाबाजारी की वजह से, ब्लैक-मार्केटिंग की वजह से जो गरीब लोग हैं, जो डोडा-पोस्त के बिना अपनी दिनचर्या चालू नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को स्मगलिंग माफिया से मुंह-मांगी रेट पर डोडा-पोस्त खरीदना पड़ेगा और निश्चित रूप से इन लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान भी होगा।

(श्री भंवरसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डोडा-पोस्त का नशा निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुनः आग्रह रहेगा कि इसकी बिक्री 31 मार्च की बजाय, आने वाले एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाए और राजस्थान के तमाम लोगों को डोडा-पोस्त से मुक्त करने के बाद सरकार इस दिशा में कदम उठाए, अन्यथा राजस्थान में कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी, लाखों लोगों की स्थिति मरने जैसी हो जाएगी, क्योंकि लोग आदतन डोडा-पोस्त के बिना निश्चित रूप से नहीं रह पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का और माननीया मुख्य मंत्रीजी की तरफ से जो आबकारी मंत्रीजी का कार्य देख रहे हैं, उनसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि यह राजस्थान के लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान के अन्दर काफी बड़ी संख्या में लोग परमिट के आधार पर डोडा-पोस्त का सेवन करते हैं और यह बात भी सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने लोग परमिटधारी हैं, उनके अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग डोडा-पोस्त का सेवन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं हिन्दुस्तान की सरकार ने Single Convention on Narcotic Drugs, 1961; Convention on Psychotropic Substances, 1971; UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 पर हस्ताक्षर किये हैं और उसके आधार पर हिन्दुस्तान की सरकार राज्य सरकारों से यह अपेक्षा करती है कि धीरे-धीरे इस डोडा-पोस्त का इस्तेमाल करने वालों की संख्या घट जाए, समाप्त हो जाए और इसी के आधार पर सरकार ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश के आधार पर, 19.02.2015 के आदेश के द्वारा उस अवधि को 31.03.2015 तक, सरकार यह चाहती थी कि डोडा-पोस्त के व्यसनियों को डोडा-पोस्त का परमिट देना बंद कर दिया जाए, लेकिन तब तक हम डी-एडिक्शन सब लोगों का नहीं कर पाए और चूंकि सब लोगों का डी-एडिक्शन नहीं कर पाए, इसलिए दिल्ली की सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने इसकी तिथि को एक साल बढ़ा दिया, जो 31.03.2016 को समाप्त हो रही है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमने 2001-02 में चिकित्सकीय आधार पर 21 हजार कुछ लोगों को परमिट दिये थे और इनकी संख्या लगातार घटती-घटती 2015-16 में 19,296 परमिटधारी रह गये। इसका मतलब है कि परमिटधारियों की संख्या घट गई और साथ में, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि परमिटधारियों की संख्या जो घटी, शायद छोड़ दिया, इसलिए; मौत हो गई हो, इसलिए। साथ-साथ, नये नशेड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार ने 2014-15 में लोगों के डी-एडिक्शन के लिए 198 कैम्प लगाये। उन 198 कैम्पों के माध्यम से 23,201 लोगों को डी-एडिक्ट किया। 2015-16 में हम 800 कैम्प लगाना चाहते थे, लेकिन हम 800 कैम्प नहीं लगा पाये, हमने केवल 398 कैम्प लगाये और 398 कैम्पों के माध्यम से 41 हजार से ज्यादा लोगों को डी-एडिक्ट किया। इससे ही साफ है कि परमिटधारी 2014-19 में 19 हजार रह गए। डी-एडिक्शन कर दिया 23 हजार का एक और 41 हजार का एक, 60-70 हजार लोगों का डी-एडिक्शन कर दिया। परमिटधारी 19 हजार हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में वे लोग होंगे, जिनके पास परमिट नहीं हैं, लेकिन वे डोडा-पोस्त का सेवन करते हैं। यह बात सही है कि इन 800 कैम्पों को लगाने के बाद पूरे राजस्थान के अन्दर जितने भी डोडा-पोस्त का सेवन करने वाले लोग हैं, उन सब का हमने डी-एडिक्शन कर दिया होता, लेकिन अभी तक, मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं, 800 कैम्प हम नहीं लगा पाये। इसलिए हो सकता है कि कुछ तादाद में ऐसे लोग रह गए हों, जिनका अभी डी-एडिक्शन नहीं हुआ हो।

लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि यह कट आफ डेट राजस्थान सरकार की बनाई हुई नहीं है, यह दिल्ली की सरकार की बनाई हुई है। गए साल भी यह कट आफ डेट थी। कट आफ डेट के बाद डोडा-पोस्त सरकार ने अवेलेबल कराना बंद कर दिया। उसके बाद यह निर्णय आया, दिल्ली का आदेश आया और उसे एक साल के लिए बढ़ाया गया। मैं समझता हूं, हम सब लोग यह मानते हैं कि डी-एडिक्शन होना चाहिए, हम सब लोग यह मानते हैं कि डोडा-पोस्त का सेवन करने वाले प्रदेश में नहीं रहने चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि डी-एडिक्शन कैम्प लगाकर इतनी बड़ी तादाद में डी-एडिक्शन करने के बावजूद राजस्थान में बड़ी संख्या में आज भी लोग हैं, जो डोडा-पोस्त

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

का इस्तेमाल करते हैं और जिनके लिए डोडा-पोस्त का इस्तेमाल किए बिना रहना मुश्किल है। मैं समझता हूं बचे हुए लोगों के लिए हमारा डी-एडिक्शन कैम्प जारी रहेगा। हम दिल्ली की सरकार से बात करने की कोशिश करेंगे कि जब तक टोटल डी-एडिक्शन हम यहां पर नहीं कर दें, तब तक हमें परमिट किया जाए कि हम डोडा-पोस्त का सेवन करने वालों को कानूनी रूप से डोडा-पोस्त दे सकें, लेकिन यह राज्य सरकार के हाथ में नहीं है और दिल्ली की सरकार भी कई कन्वेंशंस से बंधी है। इसका हवाला मैंने अभी आपको दिया है। उन कन्वेंशंस की डिटेल के बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है; उन कन्वेंशंस के आधार पर दिल्ली की सरकार पर किस प्रकार मोरल रेस्पोंसिबिलिटी, लीगल बाइंडिंग है, इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन कर सकता हूं कि राजस्थान की सरकार ने पूरी गम्भीरता के साथ 198 कैम्प तो पहले लगाये और 398 कैम्प इस 2015-16 में लगाये हैं। कैम्प लगातार जारी हैं। हम जल्दी ही राजस्थान के लोगों को डिएडिक्ट कर देंगे।

मैं एक चीज निवेदन करना चाहूंगा, केवल बार-बार यह पैदा करके कि हमारे यहां पर ग्रे-मार्केट से लोग परचेज कर लेंगे, ग्रे-मार्केट में परचेज कर लेंगे, स्मगलिंग बढ़ जाएगी; इसलिए क्या करो, इसलिए यह तरीका छोड़ दो, डिएडिक्ट करने वाले को डोडा-पोस्त देते रहो। अगर डोडा-पोस्त इस डर से लगातार लोगों को हम देते रहेंगे कि स्मगलिंग बढ़ सकती है, ग्रे-मार्केट से लोग परचेज कर सकते हैं, या कानून-व्यवस्था की हालत खराब हो सकती है, इसके आधार पर लगातार अनवरत रूप से अगर हम बढ़ाते रहेंगे, तो भी हम इस आब्जेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। यह बात भी माननीय सदस्यों के दिमाग में रहनी चाहिए।

डिएडिक्ट इसलिए कर रहे हैं, इस प्रक्रिया के अन्दर हम समाज के सभी लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे और इसके लिए मन नहीं बनाएंगे, तब तक इस समस्या का समाधान केवल कानून के आधार पर नहीं हो सकता। कानून के आधार पर इसका समाधान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कानून के आधार पर समाधान के साथ, समाज का समर्थन जब तक नहीं मिलेगा, उन लोगों का भी समर्थन भी नहीं मिलेगा जो एडिक्टेड हैं, तब तक हम इसको इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैं उम्मीद करता हूं, बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने कैम्प लगाकर 60-70 हजार लोगों का डिएडिक्शन कराया, यह बहुत बड़ी संख्या है, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ×××

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी बात सही है। आपको ध्यान होगा, राजस्थान का शिक्षा का स्तर जब बहुत कम था, लोग स्कूलों में जाते थे, ड्राप-आउट की समस्या आज भी है; आज भी स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी लगातार सरकार प्रयास करती रही, समाज प्रयास करता, तो यह ड्राप-आउट की संख्या के बावजूद राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, हिन्दुस्तान में शिक्षा का स्तर बढ़ा है।

यह बात सही है कि नशा छोड़ने के बाद नशा दुबारा नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एडिक्ट रिएडिक्ट हो जाए और उस प्रक्रिया के डर से हम डिएडिक्शन की तरफ हमारे बढ़ते हुए कदम हैं, उनको रोक दें, यह प्रोगेसिव स्टेप नहीं होगा। इसलिए मैं यह कहूं कि बार-बार यह कहना कि ग्रे-मार्केट बढ़ जाएगा, स्मगलिंग बढ़ जाएगी, sine-die, अनिश्चितकाल तक के लिए हम लगातार परमिटधारियों को डोडा-पोस्त देते रहें; मैं समझता हूं कि सिमिलर एटिट्यूड हम सबका जब तक नहीं होगा, हम उस समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे। सबने मिलकर इस समस्या का निदान करने की कोशिश की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह बात सही है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बिना अनुमति से जो बोला गया है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इसका सवाल उठाया, तो मुझे भी चिंता हुई कि माननीय मंत्री महोदय केवल नशे के खिलाफ हैं, या नारकोटिक्स के खिलाफ हैं। मुझे बल्कि यह शांति हुई कि छोटा-मोटा नशा है। राज में रहने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

वालों को तो अक्सर इससे ज्यादा बड़ा रहता है। उसके सामने मेरा नशा तो बहुत छोटा है, जो नारकोटिक्स की डेफिनेशन में नहीं आता। इसलिए छोड़ें या नहीं छोड़ें, हल्का-हल्का नशा सुरूर मेरे रहे, तो आपको क्या तकलीफ है?

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, जल्दी ही राजस्थान को इस नशे से मुक्त कर पाएंगे। धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टिट्यूएंसी में .....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, originally, he's the one who will see it. Let him finish.

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो मंत्री महोदय से यही निवेदन रहेगा कि नशा मुक्ति के जो कैम्प लगाये, मैं जहां तक समझता हूं, पूरे राजस्थान में लोग इन कैम्प के माध्यम से डोडा-पोस्त नहीं छोड़ पाये। कल 31 तारीख को पूरे राजस्थान में डोडा-पोस्त बिक्री की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। चिकित्सा मंत्रीजी सामने विराजे हैं, डोडा-पोस्त लेने वाले व्यक्ति को यदि सुबह-सुबह डोडा-पोस्त नहीं मिलता है, तो उसके लिए पूरा दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। परसों एक तारीख को यदि दुकानें नहीं खुलेंगी, तो निश्चित रूप से ऐसे लाखों लोग हैं, बिना परमिट वाले और परमिट वाले, मंत्रीजी ने खुद स्वीकार किया है कि बिना परमिट के भी बड़ी संख्या में लोग हैं। मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन रहेगा कि कृपा करके जो बुजुर्ग लोग हैं, इसके आदी हैं, जिनका इसके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अप्रैल से की जाए। चाहे अस्पतालों के माध्यम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर ही दिया जाए; अस्पताल के माध्यम से डाक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर दें, लेकिन जो आदी हैं, जो वर्षों से ले रहे हैं, जो इसके बिना जी नहीं सकते, कम से कम ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करें। मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: एक बात आप बताएं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था, हल्का-हल्का सुरूर है। अब यह आपकी नजर का कसूर है, या उनकी नजर का कसूर है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस नजर के कसूर के लिए तो शोध ही करना पड़ेगा कि किसकी नजर का कसूर है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ने जो सवाल खड़ा किया डोडा-पोस्त बंद होने का, डोडा-पोस्त केवल राजस्थान में बंद नहीं हो रहा। ट्रीट्री, ट्रीट्रीजोन 1988 को हुई, जिसके अनुसार पहले तारीख तय की, 2012 के अन्दर आदेश निकला कि 31 मार्च 2015 को डोडा-पोस्त पूरे हिन्दुस्तान में बंद होगा। यह पूरे हिन्दुस्तान की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर माननीय मंत्री महोदय ने सारी बातों का उल्लेख कर दिया है। हम 2014-15 से लगातार शिविर लगा रहे हैं। 2014-15 में 20 हजार 225 लोग हमारे आउटडोर में आये और 2 हजार 976 लोग भर्ती हुए, जिनको हमने डिएडिक्ट किया। 2015-16 के अन्दर 431 कैम्प लगे और 40 हजार 137 लोग ओ पी डी में आये व 3 हजार 217 लोग इसमें डिएडिक्ट हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार भी, हमें मालूम है, मैं आज विशेषज्ञ चिकित्सों की एक टीम भी बना रहा हूं, क्योंकि जब कल यह नहीं मिलेगा, उसके बाद इसके विथड्राअल सिम्प्टम्स वास्तव में बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें शक नहीं है कि 19 हजार 296 लाइसेंसधारी हैं। इनके अलावा लगभग 2 लाख लोग ऐसे भी हैं जो किसी न किसी तरह डोडा-पोस्त का सेवन कर रहे हैं। हमारे जितने आउटडोर हैं, उसके अन्दर इसके तत्काल उपचार के लिए विथड्राअल सिम्प्टम्स आने के बाद, तत्काल उपचार के लिए जिस प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता होगी, हम पूरे राजस्थान में वे मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे।

अभी हमने 250 कैम्प, इस काम को हमने आगे बढ़ाया है। 250 कैम्प से भी अगर आगे जरूरत पड़ेगी, अभी हमने 2 करोड़ 99 लाख रुपये इसके लिए स्वीकृत किये हैं। क्योंकि हमें मालूम है, विथड्राअल है, हम तत्काल सारा प्रबंध करेंगे। मुझे किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोई मेडिसिन देनी प्रारम्भ की है इन एडिक्ट, डिएडिक्ट को। हम पूरे देश के अन्दर, जिस प्रकार पूरे देश में बंद हो रहा है, हम इसके लिए लाइन-आफ-ट्रीटमेंट, ड्रग रिजीम तय करके सबको उपलब्ध कराएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, आप इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाह रहे थे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने मामला रखा है। इनके कोलायत, बीकानेर जिले के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

साथ-साथ, नागौर जिला, मेरी कांस्टिट्यूएंसी और फिर बाड़मेर-सांचौर का इलाका है, यहां सबसे ज्यादा डोडा पोस्त लेने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से सरकार ने नशा मुक्ति के कैम्प लगाये होंगे, लेकिन आज भी जो व्यक्ति 40-40 साल से पोस्त का सेवन कर रहा है, या जिनको 50-50 साल हो गये, ऐसे बुजुर्ग आदमी हैं। आप कल 31 तारीख को बंद कर देंगे। पूरे राजस्थान के अन्दर, देश के अन्दर, यह बंद हो जाएगा। उनके सामने जीने का संकट पैदा हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, टीम गठित करा देंगे; स्वास्थ्य मंत्रीजी, अपने से स्वाइन फ्लू तो रुका ही नहीं।...

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय तक आप रखें। Swine Flu is a virus. That's a different thing altogether.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, हजारों ऐसे लोग हैं जिनके सामने दो नम्बर का तस्करी का डोडा खरीदने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा और तस्करों की मौज राजस्थान के अन्दर हो जाएगी । वैसे भी राजस्थान के अन्दर तस्करी हरियाणा के माध्यम से सबसे ज्यादा आपके इन इलाके, सारे गंगानगर, पंजाब तक यह होती है। तस्करों को एक और नया काम आप राजस्थान में दे दोगे।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसका स्थायी समाधान आप कुछ करें, चाहे दिल्ली की सरकार से बात करें। जो डोडा-पोस्त लेने वाले लोग हैं, डोडा-पोस्त के अभाव में वे दम नहीं तोड़ दें, इस चीज का सरकार ध्यान रखे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत। श्री जोगाराम पटेल

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर विकास प्राधिकरण में हुए घोटाले की जांच नहीं कर दोषियों का बचाव

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में सरकार एवं उसके मुखिया की मेहरबानी से न केवल प्राधिकरण को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, बल्कि मिलीभगत से 25 लाख के टेंडर 2 करोड़ रुपयों तक में अथवा उससे अधिक राशि में तब्दील कर दिये गये।

(श्री जोगाराम पटेल)

उल्लेखनीय है कि गत विधान सभा चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले 13 अगस्त व 24 सितम्बर, 2013 को जे.डी.ए. की बैठक में 850 कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयीं, जो मूल रूप से 459.29 करोड़ रुपयों की ही थीं, उन्हें बदलकर व बढ़ाकर बिना किसी कारण 758.20 करोड़ का कर दिया गया। इतना ही नहीं, अनेक कार्यादेशों में मूल स्वीकृतियों से सौ फीसदी से ज्यादा अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गईं व जे.डी.ए. के पूर्व चेयरमैन अथवा पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के चहेते ठेकेदारों को उक्त कार्य दे दिये गये, जिनमें ज्यादातर कार्य निजी सम्पत्तियों पर हुए हैं। वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में बने शिड्यूल-आफ-पावर भी बदल दिये गये, जबकि सभी विभागों में शिड्यूल-आफ-पावर के मुताबिक मूल स्वीकृति से 20 प्रतिशत से ज्यादा अतिरिक्त स्वीकृतियां जारी नहीं की जा सकती थीं।

तत्कालीन समय में करीब 55 करोड़ रुपयों के 25-30 कार्य ऐसे थे, जिनकी दोहरी स्वीकृतियां जारी कर दी गई थीं, जिसकी शिकायत होने पर ए.सी.बी. की टीम ने जांच तो प्रारम्भ कर दी, परन्तु जान-बूझकर इस जांच को दो वर्षों से लटकाए रखा जा रहा है, जिससे दोषियों को फायदा हो रहा है व भविष्य में इसे साबित करने में भारी कठिनाई होगी। विधि का सिद्धान्त है कि कार्यवाही त्वरित गति से होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है व मिलीभगत से टाली जा रही है। इसमें न केवल जनता के करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, बल्कि भविष्य के विकास कार्य भी रुके हुए हैं एवं दोषी बेखौफ जांच को लटकाए हुए हैं व प्रभावित कर रहे हैं।

यह अत्यन्त ही गम्भीर व सार्वजनिक हित का विषय है, जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। जांच को एक निश्चित समयावधि में पूरा करने के आदेश पारित करने के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश पारित करना भी आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में इस गम्भीर व अति आवश्यकता के विषय को, तुरन्त आवश्यकता वाले इस मुद्दे को आपके मार्फत सदन में रखा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धीरजजी गुर्जर।

राजस्व न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों से न्याय में विलम्ब

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजस्व

(श्री धीरज गुर्जर)

न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के लगभग 30-35 प्रतिशत पद रिक्त चल रहे हैं। सेटलमेंट विभाग एवं उपनिवेशन विभाग की प्रदेश स्तर पर कोई वेबसाइट ही नहीं है। सैकड़ों सेटलमेंट कर्मियों को बिना किसी काम के वेतन-भत्तों का भुगतान हो रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार अधीनस्थ न्यायालयों में सप्ताह में न्यूनतम 3 दिन कोर्ट लगाने के निर्देशों के बावजूद उक्त निर्देशों की पालना नहीं हो रही है।

राजस्व न्यायालयों की तामील व्यवस्था अत्यन्त चरमराई हुई है। न्यायालयों के पास दक्ष एवं प्रशिक्षित तामील-कुनिन्दे उपलब्ध ही नहीं हैं। इसके चलते 80 प्रतिशत तामीलें एवं उनकी रिपोर्टिंग विधिवत नहीं हो रही हैं। इन तामील रिपोर्टों को देखने का समय न तो तामील एजेन्सी तहसीलदार के पास है, न ही पीठासीन अधिकारियों द्वारा इनकी प्रोपर जांच की जाती है। तामील के बिन्दु पर प्रति वर्ष हजारों फाइलें पुनः रिमाण्ड होकर विचारण-न्यायालयों को पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त हो जाती हैं।

करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी सभी राजस्व न्यायालयों के अधिकांश पीठासीन अधिकारियों को न तो आर्डर शीट लिखना आता है और न ही आदेश लिखना आता है। कानून के सामान्य सिद्धान्तों की जानकारी भी उन्हें नहीं होना, अनेक प्रकरणों तथा अपील अथोरिटियों के निर्णयों में देखने को मिलता है।

प्रशासनिक अहंकार के चलते न्यायिक सिद्धान्तों की घोर अवज्ञा के कई मामले प्रतिदिन देखने में आ रहे हैं। एक जैसे मामलों में पक्षकारान के लालच में आकर भिन्न-भिन्न आदेश एवं फैसले भी दे दिये जाते हैं। अनेक प्रकरणों में सरकार के विरुद्ध भी मनमाने निर्णय एवं आदेश कर देते हैं, जिनके सम्बन्ध में कोई नियंत्रण एवं चैकिंग की व्यवस्था ही नहीं है। वर्षों तक मुकदमे चलते हैं और पुनः रिमाण्ड होकर आ जाते हैं।

वकील समुदाय सदैव राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों पर हावी रहता है। कारण बहुत स्पष्ट है कि अधिकांश राजस्व अधिकारी भ्रष्ट आचरण में संलिप्त पाये जाते हैं तथा स्वयं को जवाबदेही से मुक्त समझते हैं।

राजस्व मामलों में की गई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में शिकायतें करने पर मामला अपील अथवा न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचाराधीन होना बताते हुए कोई जांच एवं कार्यवाही नहीं होती है। ज्यादा कहें, तो जजेज प्रोटेक्शन

(श्री धीरज गुर्जर)

एक्ट का हवाला दे देते हैं। लोकायुक्त महोदय भी सामान्यतः न्यायिक प्रकरणों सम्बन्धी शिकायतें नहीं सुनते हैं। कोई जवाबदेही कानून भी प्रदेश में नहीं बना हुआ है।

सीलिंग एक्ट के तहत लाखों बीघा भूमियां आज भी न तो जागीरदारों के कब्जे में, न ही सरकार के कब्जे में हैं। सीलिंग एक्ट में व्याप्त जटिलताओं को समझकर उनका निराकरण करने के बजाय उक्त प्रकरणों में वर्षों से तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं।

अधिकांश राजस्व न्यायालयों में न तो काज-लिस्ट जारी की जाती है, न ही पेशी डायरियां संधारित हैं। प्रकरण सुनवाई हेतु किस स्टेज पर नियत है, इसकी पूर्ण जानकारी न तो रीडर को होती है और न ही पीठासीन अधिकारी को।

फैसले लिखाने के लिए 75 प्रतिशत से अधिक पीठासीन अधिकारियों के पास स्टेनो ही नहीं हैं। विचाराधीन पत्रावलियों के रखरखाव तथा संधारण हेतु न तो सेक्शन क्लर्क और न रिकार्ड-कीपर के पद ही स्वीकृत हैं। न्याय-आपके-द्वार, 2015 में घोषित फैसले, अभिलेख, रिकार्ड कीपर तथा रिकार्ड रूमों के अभाव में अभी भी 80 प्रतिशत रिकार्ड खुले में धूल चाट रहे हैं। भूमाफियाओं की आसान पहुंच के चलते भारी गड़बड़ियां हो रही हैं।

करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी राजस्व कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल से अभी भी अधीनस्थ न्यायालय वंचित चल रहे हैं।

तहसील के राजस्व रिकार्डों के सेटलमेंट की अवधि 20 वर्ष नियत है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक तहसीलों में सेटलमेंट कार्यवाहियां ड्यू हो चुकी हैं और अनुपयोगी राजस्व रेकार्ड के आधार पर सरकार पत्थरगढ़ी व गिरदावरियां करवा रही है, जो कि एक्सपायरी डेट की दवाइयों के समान है। जनता के मध्य दिनों-दिन राजस्व विवाद बढ़ रहे हैं।

NLRMP प्रोजेक्ट के अभी तक टेण्डर ही नहीं हुए हैं। इस गति से भू-अभिलेख के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में वर्षों लग जायेंगे।

फील्ड स्टाफ की भारी कमी है। राजस्व अधिकारियों पर अनेक प्रकार के प्रशासनिक दायित्व भी होते हैं, जिनके चलते राजस्व अधिकारीगण बढ़ते अतिरिक्त कार्यभार से दिनों-दिन कमजोर होते जा रहे हैं।

राजस्व अधिकारी लैण्ड रिकार्डस रूल्स में वर्णित प्रावधानों की पालना

(श्री धीरज गुर्जर)

में अपनी दैनिक डायरियां सम्बन्धित पदस्थापन कार्यालयों में जमा नहीं करा रहे हैं, न ही दैनिक कार्यों की डिटेल दैनिक डायरियों में प्रविष्ट करते हैं। मासिक सारांश रिपोर्ट के फोरमेट को बदलकर सूचनाएं भेज रहे हैं।

ए.सी.एम. कोर्ट तो खोले हुए वर्षों हो चुके हैं, लेकिन लम्बे समय से इनके क्षेत्राधिकार बाबत नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं। पी.ओ. के अवकाश तथा पद रिक्तता की स्थिति में लिंक कोर्ट बाबत भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है।

60 प्रतिशत से अधिक मामले उपखण्ड न्यायालयों में, तो 15 प्रतिशत से अधिक मामले राजस्व मण्डल में विचाराधीन हैं, जिनमें पेशियां 4-4, 5-5 महीनों की मिलती हैं। छोटी-छोटी अपीलों के निस्तारण में 5-5 साल तक का समय लगना चिंताजनक है।

कलेक्टर, आई.ए.एस. के फैसलों की अपीलें आर.ए.ए., आर.ए.एस. सुन रहे हैं, जिनमें कलेक्टरों के फैसलों को बदलने का साहस नहीं है। न राजस्व न्यायिक अधिकारियों का कोई पृथक से सेवा काडर है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राजस्व न्यायालयों की चरमराती व्यवस्थाओं, बढ़ती मनमानी पर अंकुश हेतु जवाबदेही का निर्धारण एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश के प्रभावी नियंत्रण हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी/अध्ययन दल का गठन किया जावे, जिसके माध्यम से प्राप्त सुझावों पर अमल किया जाकर, राजस्व न्यायालयों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किये जाने का श्रम करावें। विकल्प में अनुरोध है कि सभी राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता को समाप्त करके विवादों के निस्तारण हेतु सिविल न्यायालयों को सौंपा जाकर विवादों का सफल निस्तारण कराने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर के रियासतकालीन विद्यालयों के भवनों का संरक्षण

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि जोधपुर में कई सरकारी विद्यालय बहुत ही गौरवशाली इतिहास रखते हैं और प्राचीन जोधपुर स्थापत्य कलायुक्त रियासतकालीन भवनों में संचालित हो रहे हैं। विद्याशाला, राजमहल, फतेहपोल, कोतवाली, मण्डी, न्यू गवर्नमेंट, नाथजी के मंदिर का महामन्दिर विद्यालय, आदि के भवन बहुत ही विशाल आकार और अद्‌भुत स्थापत्य

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कलायुक्त रियासतकाल में बने हुए हैं। ये विद्यालय बहुत ही लम्बे समय तक जोधपुर में स्कूली शिक्षा के बहुत प्रतिष्ठित केन्द्र रहे हैं। यहां से पढ़े हुए विद्यार्थी देश-विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। आज यदि हम करोड़ों रुपये भी व्यय करें, तो ऐसे सुन्दर, भव्य एवं विशाल भवन नहीं बना सकते हैं। परन्तु खेद का विषय है कि इन गौरवशाली विद्यालयों और इनके भवनों के संरक्षण की जमकर उपेक्षा की गई है। हालात ये बने हैं कि इन विद्यालयों के भवन और इनके शैक्षणिक स्तर की प्रतिष्ठा को गम्भीर क्षति पहुंची है।

मेरा निवेदन है कि :-

1. सरकार कृत संकल्पित होकर इन विद्यालय भवनों की दशा सुधारने के लिए कार्य करे। मैंने अपने विधायक कोष से विद्याशाला स्कूल के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत कर शुरुआत की है। एक सुविस्तृत प्रोजेक्ट 'रमसा' के माध्यम से भिजवाया है, जो उच्च स्तर पर लम्बित है, जिसे आप स्वीकृत करवाएं। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इस कार्य के लिए समग्र दृढ़ प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार मिशन मोड पर कार्य करे। मंत्री महोदय, आप स्वयं आकर जोधपुर में इस विषय पर जन-प्रतिनिधियों, प्रशासनिक एवं शिक्षा अधिकारियों, भामाशाह समाजसेवियों के साथ बैठक कीजिये। सरकार अपने हिस्से से बजट दे, हम सांसद और विधायक कोष से बजट दें और सरकार के दृढ़ संकल्प के अनुसार भामाशाह भी सहयोग दें और हम आने वाले दो वर्षों में इन सभी रियासतकालीन भवनों का पूर्णतया जीर्णोद्धार करें।
2. साथ ही मेरा निवेदन है कि इन विद्यालयों के गौरवशाली शैक्षणिक अतीत के वैभव को लौटा लाने के लिए भी कार्य योजना बनाकर ठोस प्रयास किये जावें।

धन्यवाद।

(समय 13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

कोटा में नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउण्ड को अन्यत्र शिफ्ट कर बायोलोजिकल पार्क का निर्माण

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निम्न सूचना देता हूं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में वर्ष 1988 में वन मंडल, सकतपुरा, कोटा की 126 हेक्टेयर भूमि पर बायोलोजिकल पार्क प्रस्तावित किया गया था, जिसे सेंट्रल जू अथोरिटी (सी.जे.ई.ए.) द्वारा मंजूरी प्रदान कर जमीन चिह्नित करके योजना का नक्शा भी तैयार कर लिया गया था। प्रस्तावित नक्शे के अनुसार पार्क क्षेत्र में प्रशासनिक व सफारी, प्रशासनिक भवन, पशु चिकित्सालय, आपरेशन थियेटर, पोस्टमार्टम रूम, संक्रामक पशुओं हेतु पृथक सुविधा, प्रजनन केन्द्र, फूड स्टोर, स्लाटर हाउस, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया, टॉयलेट, जनरेटर रूम, वॉक टावर, रेस्ट हाउस, कचरा निस्तारण ब्लाक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बोरवेल, सोलर लाइट पैनल, वायरलेस स्टेशन, स्टाफ कालोनी, गैराज, रिसेप्शन काउंटर, बुकिंग आफिस सहित पर्यटकों के लिए भ्रमण वाहन व कैन्टीन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी।

उक्त पार्क के निर्माण का मूल उद्देश्य वन्य जीवों को बेहतर प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाना था। वर्तमान में 110 वर्ष पुराने कोटा के जंतुआलय में लगभग 180 जीवन-जंतु विकट स्थिति में जी रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व यहां एक साथ 16 कृष्ण मृगों की मृत्यु भी हो गयी थी। वर्ष 2012 में सी.जे.ई.ए. के अधिकारियों ने इस पार्क के लिए चिह्नित स्थान का अवलोकन कर पार्क के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही कंसल्टेंट एजेंसी को वन्य जीवों के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाने व सी.जे.ई.ए. के नियमानुसार वन्य जीवों के लिए पृथक-पृथक बाड़ों के निर्माण का सुझाव दिया, जिसे बाद में पार्क निर्माण की प्रस्तावित योजना में सम्मिलित कर लिया गया।

इस पार्क को अब तक लगभग 2.5 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया जिससे इसकी 2,500 मीटर चारदीवारी का निर्माण कर दिया गया, परन्तु शेष चारदीवारी का निर्माण कार्य नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड के कारण नहीं हो पाने से रुक गया व पार्क की स्वीकृत राशि भी लेप्स हो गयी।

अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क योजना को प्रारम्भ करने हेतु सी.जे.ई.ए. की अनुमति आवश्यक है, जिसके लिए वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी, जिस पर सी.जे.ई.ए. द्वारा सर्वे कर प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा कि उक्त चिह्नित स्थान के पास नगर निगम कोटा का ट्रेंचिंग ग्राउंड होने के कारण, ट्रेंचिंग ग्राउंड के अन्यत्र स्थानांतरित होने पर ही अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क को अनुमति प्रदान की जायेगी।

चूंकि अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क के निर्माण का मुख्य उद्देश्य वन्य

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जीवों को प्राकृतिक व पर्यावरण के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है, ऐसे में नगर निगम कोटा का ट्रेंचिंग ग्राउंड, जहां सम्पूर्ण कोटा शहर का कचरा एकत्रित किया जाता है, जिस कारण इस क्षेत्र के आसपास की लगभग 3 से 4 किलोमीटर परिधि का वातावरण पूर्णतः दुर्गंध-युक्त व अनेकों संक्रामक रोगों को फैलाने वाला हो गया है। इससे बायोलोजिकल पार्क के जंतुओं एवं जंतुआलय के जीवन व अनुकूल पर्यावरण पर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। बावजूद इसके आज तक भी नगर निगम कोटा द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड को अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया गया है, जिस कारण लगभग 27 साल बाद भी यह अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क योजना कागजी योजना मात्र बनकर रह गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर निगम, कोटा के ट्रेंचिंग ग्राउंड को अन्यत्र शिफ्ट करवाकर 27 वर्ष पुरानी बायोलोजिकल पार्क योजना को शीघ्र प्रारंभ करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ में कालेज आफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलोजी की स्थापना

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कालेज आफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलोजी, ग्राम भीटेड़ा में खोलने के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कालेज आफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलोजी अंडर एस.के.एन. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोबनेर को ग्राम भीटेड़ा में खोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन है व इस क्षेत्र में पशुधन बहुतायत मात्रा में रखते हैं एवं यहां पर भैंस, गाय व बकरी की अच्छी नस्ल के पशु किसान रखते हैं व डेयरी का व्यवसाय भी प्रचुर मात्रा में करते हैं। यहां पर औद्योगिक क्षेत्र भी काफी बड़ा है। यहां के किसानों व पशुधन रखने वाले व्यवसायियों के हितार्थ यहां पर कालेज आफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलोजी अंडर एस.के.एन. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोबनेर ग्राम-भीटेड़ा, तहसील-बहरोड़, जिला-अलवर में खोलने से लोगों को बहुत फायदा होगा।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता व विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु राहत पहुंचाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री पूरणमल सैनी।

मंदिर-माफी की जमीनों पर विद्युत कनेक्शन व रास्ता नहीं देने से उत्पन्न कठिनाइयां

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों पर विद्युत कनेक्शन, आने-जाने हेतु रास्ता तथा बैंक लोन आदि नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत प्रदेश के किसानों को मंदिर माफी की रिकार्ड दर्ज जमीनों पर विद्युत कृषि कनेक्शन व रास्तों का कटान और किस्म परिवर्तन, आदि के लिए माननीय राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश के विभिन्न जिलों में मंदिर माफी की जमीनें हैं। उनका उपयोग प्रदेश के कृषक वर्ग के द्वारा कृषि उपयोग कार्यों में किया जाता है, जो आज से नहीं, आजादी के बाद सरकार के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के समय से ही किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह कृषि भूमि जिसका रेवेन्यू एक्ट के अनुसार नामकरण विभिन्न लोक देवताओं के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होता है, जबकि मौके पर उसका रख-रखाव व उसका उपयोग वहां पर निवास करने वाला किसान कर रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कृषक उसका उपयोग करते हुए वहीं कच्चा-पक्का घर बनाकर अपने परिवार सहित उसी स्थान पर बस गया, तो उसको आने-जाने के लिए रास्ता चाहिए, भवन निर्माण हेतु उसका संपरिवर्तन चाहिए और जब भवन का निर्माण किया जाता है, तो उसके लिए कृषक बैंकों से ऋण लेना चाहे तो बैंकों के द्वारा यह कहकर मना कर दिया जाता है कि आप लैंड-होल्डर नहीं हैं। इस कारण, जो किसान वर्षों से उस स्थान पर रह रहा है, उसे बैंकों द्वारा लोन देने से मना कर दिया जाता है। यही

(श्री पूरणमल सैनी)

नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है। यहां तक कि कृषि विद्युत कनेक्शन भी नहीं दिया जाता है, जो कि कृषि प्रयोजनार्थ ही आवश्यक होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब रेवेन्यू एक्ट राजस्थान की सरकार द्वारा तैयार किया गया है, जब कानून बना, उस समय, पता नहीं, क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आज जब दुनिया बैलगाड़ी से हवाई जहाज व ट्रंक-कॉल से स्मार्ट फोन पर आ गयी है, तो उन मंदिर माफी की जमीन पर काश्त करने वाले कृषकों को कटानी रास्तों के अभाव में घर से बाहर नहीं निकलने देने वाला यह काला कानून क्यों बनाया गया? और ऐसा काला कानून जो उस कृषक को कहीं भी रजिस्टर्ड होने से रोकता है, तो क्यों नहीं राजस्थान की सरकार के राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैसे काले कानून में परिवर्तन करने का विधेयक सदन में पारित करवाते?

माननीय राजस्व मंत्री महोदय को खेतड़ी की जनता की ओर से सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरह आम खातेदार का अपनी भूमि पर अधिकार होता है, उसी प्रकार मंदिर माफी की जमीन पर वर्षों से कृषि कार्य कर अपने परिवार के भरण पोषण में लगे कृषक को भी उस जमीन पर अधिकार दिये जाएं तथा सरकार आवश्यक समझे, तो जिस मूर्ति के नाम से खातेदारी हो, उसको उस कृषक के नाम परिवर्तन कर प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर लगान निर्धारित कर कृषक को मंदिर माफी की जमीन पर सरकार द्वारा चलाई जा रही पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, राजस्व मंत्री महोदय स्वयं कृषक परिवार से हैं और कृषकों की समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं, अतः मांग करना चाहूंगा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में परिवर्तन करने के लिए क्या राजस्व मंत्री विधेयक लाएंगे? और लाएंगे तो कब तक? धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें आखरी यह भी था, 'नहीं तो क्यों नहीं'?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): आप जुड़वा दो न, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आपका जुड़ा हुआ है, मैंने नहीं जोड़ा। मैंने तो उसी से पढ़ा है।

श्री हमीरसिंह भायल।

बाड़मेर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी किनारे में स्थित रेगिस्तान का क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जिले के बाद बाड़मेर दूसरे स्थान का जिला है। पर्यटन की दृष्टि से जैसलमेर जिले से यह जिला कोई कम नहीं है, पर पर्यटकों का आंकड़ा देखा जावे, तो 2009 से 2015 तक जैसलमेर में राजकीय आंकड़ों के आधार पर 19 लाख 80 हजार 326 पर्यटक आये हैं, जबकि बाड़मेर का आंकड़ा शून्य है। एक जैसा रेगिस्तान, एक जैसे कलाकार हैं। वहां पर मरुमेला लगता है, तो यहां पर थार महोत्सव होता है। स्थापत्य कला में बराबरी; जैसलमेर में सम के धोरे, तो यहां पर महाबार के मखमली धोरे हैं, जो विश्वविख्यात हैं। जैसलमेर में गड़ीसर तालाब हैं, तो बाड़मेर में रमणीक तालाब जसदेर है। जैसलमेर में सोनार का किला, तो बाड़मेर में सिवाना का प्रसिद्ध दुर्ग पहाड़ी पर अभेद्य स्थित है। बाड़मेर में पर्यटन की असीम संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, जिससे राजस्व आय के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

बाड़मेर में महाबार के मखमली धोरों पर आयोजित होने वाला थार महोत्सव, किराडू के बारहवीं सदी के प्रसिद्ध मंदिर, सात समुन्दर पार अपनी कला की ख्याति से प्रसिद्ध होने वाले मांगणियार गायक कलाकार, पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग, जिसकी स्थापना वीर नारायण परमार ने की थी। इसके साथ अभेद्य दुर्ग सिवाना, शीतला माता के अनेकों मेले, विश्व प्रसिद्ध गैर मेले कनाना, सनावड़ा, कोटड़ी आदि, लकड़ी की कारीगरी, जिस पर खूबसूरत नक्काशी की हुई है। विश्वविख्यात नाकोड़ा जैन मंदिर, जहां लाखों लोगों का आना-जाना होता है। मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है, उनका गांव भांडियावास; हजारों बीघा में फैला हुआ मरु उद्यान, पचपदरा में नमक के पिरामिड, इनके अलावा दर्जनों खासियत अपने में समेटे हुआ बाड़मेर जिला है।

पर्यटन विभाग की अनदेखी के कारण मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर जैसलमेर में पर्यटक यू-टर्न लेकर चले जाते हैं। आने वाले पर्यटकों के हाथों में बाड़मेर की पर्यटक पर्यटन बुक हो, तो पर्यटक जरूर बाड़मेर आएंगे। इसी तरह से पर्यटन विभाग अगर सक्रिय हो, तो बाड़मेर जिले का नाम भी पर्यटन के नक्शे में चार चांद लगा सकता है।

(श्री हमीरसिंह भायल)

सात समुन्दर पार अपनी कला की ख्याति से देश-प्रदेश को प्रसिद्धि देने वाले मांगणियार जाति के लोग, जिनके पास विदेश यात्राएं कर-करके पूरे पासपोर्ट भर गये हैं, लेकिन अभी तक इनका गांव, जो राजस्थान के अंतिम किनारे में स्थित है, वहां पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जो लोग राष्ट्र व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर सुविधाएं दी जानी चाहिये।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बाड़मेर में स्थायी कार्यालय हो; बाड़मेर महोत्सव का प्रचार-प्रसार किया जावे; शिल्पग्राम को विकसित किया जावे। बाड़मेर शहर जिस पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है, उस पहाड़ी का सौन्दर्यीकरण किया जावे। 1965 व 1971 के पाक-भारत युद्ध को लेकर बाड़मेर की क्या पृष्ठभूमि रही, इसका एक म्यूजियम तैयार हो। राष्ट्रीय मरु उद्यान का पर्यटन की दृष्टि से विकास हो; जसदेह्र तालाब पर नौकायान शुरू किया जावे; धार्मिक स्थलों की मैपिंग; गुजरात से रामदेवरा, जैसलमेर जाने वाले देशी पर्यटकों का ठहराव सुनिश्चित किया जावे; जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को थार महोत्सव, बाड़मेर में आने का न्योता दिया जावे। बाड़मेर शहर का विकास जैसलमेर की तर्ज पर हो और सभी चौराहों पर राष्ट्र भक्तों, महान् व्यक्तियों की मूर्ति लगे तथा सड़कों का सौन्दर्यीकरण किया जाए। इस तरह से धीरे-धीरे कदम बढ़ाने से बाड़मेर भी पर्यटन के पटल पर विकसित हो सकेगा।

जिला अधिकारियों की बैठकें आयोजित हों; जन-प्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी सहयोग करें; पर्यटन विभाग बाड़मेर जिले की पर्यटन के अनुसार मैपिंग करें। जिला परिषद से लेकर राज्य सरकार तक बाड़मेर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु एक खाका तैयार किया जावे।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन रहेगा कि बाड़मेर जिले में पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं और संभावनाएं तलाशने हेतु उपरोक्त को आधार मानकर राज्य सरकार एवं विभाग कदम बढ़ावे, तो जैसलमेर के बराबर थार नगरी बाड़मेर भी विकसित हो सकेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह।

चित्तौड़गढ़ में शंभुपुरा से नाहरगढ़ चौराहे तक सड़क की स्वीकृति

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में शम्भुपुरा से नाहरगढ़ रोड के खस्ता हाल होने से ग्रामीणों को हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में शम्भुपुरा से नाहरगढ़ चौराहे तक की मुख्य सड़क, जो लगभग 21.5 किलोमीटर लम्बी है और चित्तौड़गढ़ एवं भदेसर ब्लाकों को आपस में जोड़ती है, उक्त सड़क काफी समय से जीर्ण-शीर्ण हालत में है, जिसके विषय में मेरे द्वारा माननीय मंत्री महोदय को पूर्व में भी अवगत कराया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की यह मुख्य सड़क काफी महत्वपूर्ण एवं व्यस्त सड़क है, जो संकरी भी है। उक्त सड़क मार्ग पर शम्भुपुरा स्थित सीमेंट फैक्टरी एवं अन्य फैक्टरियों से जुड़े हुए अन्य कई भारी वाहन गुजरते हैं, जिससे सड़क काफी जर्जर अवस्था में आ चुकी है। इसका नवीनीकरण किया जाना अति-आवश्यक है। उक्त सड़क मार्ग के नवीनीकरण कार्य में एक चौड़ी एवं मजबूत सड़क का तखमीना विभागीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। उक्त तखमीने के अनुसार उक्त सड़क में प्रति किलोमीटर 126.63 लाख रुपये के अनुसार, सम्पूर्ण सड़क में 30.39 लाख रुपये की स्वीकृति की आवश्यकता है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि उक्त सड़क की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, शीघ्रातिशीघ्र तखमीना-अनुसार नवीनीकरण को स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

सरकार द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं (विद्युत) की भर्ती सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी नहीं किया जाना

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि पिछले तीन साल से विद्युत विभाग द्वारा जूनियर व सीनियर इंजीनियरों की कोई भर्ती नहीं की जा रही है। राजस्थान राज्य के लाखों इंजीनियर्स बेरोजगार बैठे हैं। राज्य की तीनों इकाइयां प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रिब्यूशन में जूनियर व असिसटेंट इंजीनियर के कितने पद खाली हैं और कब तक राजस्थान गवर्नमेंट भरने की मंशा रखती है? इसका इंतजार लाखों बेरोजगार इंजीनियरों को है। राजस्थान

(श्री सुखराम विश्नोई)

गवर्नमेंट कौशल प्राप्त युवा इंजीनियरों को रोजगार देना चाहती है, या यूं ही वाहवाही के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी व कौशल डवलपमेंट प्रोग्राम खोल रही है? लोक हित के महत्व के विषय पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्षः श्री कैलाश चौधरी।

बाड़मेर में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रकिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां की जनता को अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बाड़मेर जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में होने के कारण यहां की जनता पेयजल, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, आदि मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। राज्य के अन्य जिलों की बसावट छोटे-बड़े कस्बों की तरह है, जबकि बाड़मेर जिले की अधिकांश आबादी दूर-दूर ढाणियों में बसी होने के कारण राज्य स्तर पर बनने वाली योजनाओं को बाड़मेर में संचालित करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

यहां के अधिकतर लोग अपनी इच्छानुसार भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जिले के विद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्यापकों, प्राध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों व प्राचार्यों के अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं। जिले में अध्यापकों, प्राध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों व प्राचार्यों सहित सभी रिक्त पदों को तुरन्त भरवाने की आवश्यकता है, जिससे छात्रों का भविष्य उज्ज्वल बन सके। दूरदराज स्थानों के विद्यालय तो कम से कम ही खोले जाते हैं। अध्यापक अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करते हैं। महीने में कभी-कभार आकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं।

बाड़मेर जिला स्थानान्तरण की दृष्टि से प्रतिबन्धित जिलों की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद अध्यापकों का स्थानान्तरण बाड़मेर जिले से अन्य जिलों में कर दिया जाता है, जो कि एक विचारणीय बिन्दु है। जिले के संस्कृत विद्यालयों में 80 प्रतिशत तक पद रिक्त चल रहे हैं, इसके बावजूद जिले से बाहर स्थानान्तरण किये गये हैं।

(श्री कैलाश चौधरी)

कांग्रेस सरकार की हमेशा से यही मंशा रही है कि गांवों के लोगों को शिक्षित कर दिया तो वे हमें वोट नहीं देंगे। इसी धारणा को लेकर तो वे कभी आठवीं पास को अध्यापन का कार्य सौंप देते हैं, तो कभी विद्यालय में पोषाहार शुरू कर देते हैं, तो कभी आठवीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जायेगा, जैसे कानून बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अवनति की राह बनाई है। इसमें काफी हद तक वे सफल भी रहे हैं। अपनी सरकार द्वारा आठवीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था करने के लिए और आठवीं कक्षा में भी जिला स्तरीय समान परीक्षा का आयोजन करने की भूमिका बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं।

बाड़मेर जिले में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के रिक्त पदों और राजकीय महाविद्यालय, बायतू, बाड़मेर में व्याख्याताओं सहित सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरवाने की आशा करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

धौलपुर व भरतपुर जिलों के जाटों को आरक्षण

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के द्वारा धौलपुर व भरतपुर के जाटों को आरक्षण देने तथा विभाग के मंत्री द्वारा हाल ही में हुए आन्दोलन के समझौते को लागू करने बाबत निवेदन।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जाटों को राज्यवार ओ.बी.सी. की केन्द्रीय सूची में संशोधन कर केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक फा.स.20012/129/2009-बीसी-2 दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा मार्च से अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित किया गया था। इसके उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त अधिसूचना के आरक्षण रोक पर, केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किस तरह सहयोग किया जा रहा है? चूंकि भरतपुर व धौलपुर जिले के जाट भी राजस्थान में घोषित अति पिछड़ी जातियों के मुकाबले उनसे भी ज्यादा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अतः न्यायिक नैसर्गिक सिद्धांतों को देखते हुए उक्त जिले के जाटों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर अति पिछड़ा घोषित किया जाना न्याय-संगत होगा।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हाल के जाट आरक्षण आन्दोलन के सम्बन्ध में विभाग के मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी जी द्वारा आन्दोलन कर रही संघर्ष समिति के साथ लिखित समझौते को लागू कर, सभी स्तर व न्यायालयों में सरकार द्वारा भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण की प्रतिबद्धता को लागू करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के तहत प्रस्तुत है।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर धौलपुर व भरतपुर के जाटों को राहत पहुंचाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगसी राम।

(अनुपस्थित)

पर्ची के माध्यम से, श्री कैलाश जी भंसाली।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर शहर में राजबाग, आखलिया चौराहे क्षेत्र में एलीवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सौभाग्यशाली हूं, पहली बार इस सत्र में पर्ची खुली है, इसलिए।

जोधपुर की एक बड़ी भारी समस्या है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, 15 लाख से अधिक की आबादी है तथा स्मार्ट सिटी में जोधपुर को नहीं लिया गया, अन्यथा यह कार्य उसमें हो जाता।

जाम व भीड़ से निजात पाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि एक एलीवेटेड फ्लाई-ओवर बनाया जाए, वह आखलिया चौराहे से शुरू होकर महामंदिर चौराहे तक चले। क्योंकि पास ही रूट सहित झूमरलाल आसोपा चौराहे से शनिश्चर मंदिर तक तीन-तरफा रास्ते आते हैं और इतनी भीड़ होती है कि हमेशा कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा क्रोस करने में लग जाता है, जिससे आम आदमी का बहुत समय लगता है। इसमें उम्मेद अस्पताल है, इंदिरा गांधी अस्पताल है, इधर मुख्य बाजार बी रोड, सी रोड, सरदारपुरा जाने का रास्ता है और शिवांची गेट धानमंडी भी वहीं से जाया जाता है।

सोजती गेट पर भीड़ में जाम में आधा घंटे से एक घंटे तक भीड़ को रोके रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें शहर की आधी आबादी, जो पुराने शहर में

(श्री कैलाश भंसाली)

है, वह सभी इस रास्ते से गुजरती है और कचहरी जाने का, हाई कोर्ट जाने का, रेलवे स्टेशन जाने का, बस स्टैंड जाने के लिए यही एक मात्र रास्ता है।

टाउन हाल से पावटा चौराहे तक भी भीड़ रहती है। बस स्टैंड, राइकाबाग़ स्टेशन, सैटेलाइट हास्पिटल, जयपुर-रसाला रोड, अस्पताल है, आये दिन धरने के कारण, सत्याग्रह के कारण डाइवर्जन होता है, जिसमें आदमी को कम से कम दो किलोमीटर अधिक मुड़ कर जाना पड़ता है। भदासिया फ्लाईओवर जरूर इस बार शुरू हो गया, मुख्य मंत्रीजी पधारी थीं, उससे कुछ राहत जरूर मिली है।

(13.25 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

महामंदिर चौराहे में एन.एल.यू., आई.आई.टी., आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, फैशन डिजाइन इंस्टिट्यूट और पुलिस एकेडमी, इन सब के रास्ते वहां से जाते हैं। इसलिए इस स्थान पर इतने जाम होते हैं और जाने में बड़ी दिक्कत होती है।

13 जनवरी को जोधपुर शहर व ग्रामीण जिले ने एक मत से माननीया मुख्य मंत्री से निवेदन किया था, यह फ्लाईओवर अवश्य हमारे जोधपुर को इस बजट में दिया जाए। इसका कारण यह है कि पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने इसकी डी.पी.आर. बनायी थी, जिसमें 850 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार, लोकप्रिय सरकार इस पर तवज्जोह दे और जोधपुर को एलीवेटेड फ्लाईओवर देने का कष्ट करे।

मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, इस कार्य को थोड़ी महत्ता दें। धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आखलिया चौराहे से राजबाग वाया कायलाना चौराहा राष्ट्रीय राजमार्ग 114 का हिस्सा है, जो जोधपुर-जैसलमेर जाने वाली रोड पर है, माननीय सभापति महोदय, जिसमें वर्तमान में कुछ इलाके में छह लेन की रोड है, कुछ इलाके में चार लेन की रोड है।

यह सही हो सकता है कि ट्रैफिक का वोल्यूम, जैसी चर्चा माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं उसको नकारता नहीं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ट्रैफिक के वोल्यूम से सड़कों पर किस-किस प्रकार की चौड़ाई बढ़ाना, फ्लाई-ओवर बनाना, एलीवेटेड रोड बनाना, आम तौर पर इसकी अनुशंसा या इसकी मांग ट्रैफिक पुलिस करती है। जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी को जोधपुर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐसी कभी कोई संस्तुति नहीं आयी, कभी कोई मांग नहीं आयी। (व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): ऐसी मांग दी है हमने और हमने कहा है, यह नितान्त आवश्यक है कि इस चौराहे पर फ्लाईओवर बनाया जाए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मांग की बात नहीं कर रहा; मैं कह रहा हूं कि ट्रैफिक पुलिस, जोधपुर की तरफ से ऐसी कोई डिमांड, ऐसी कोई संस्तुति जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी को अभी तक कोई नहीं मिली है।

मैं साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 2010 के अन्दर विल्बर एण्ड स्मिथ एसोशिएट्स, बैंगलोर के द्वारा जोधपुर का एक काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किया गया। राजस्थान में केवल दो शहर थे जहां कॉम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किये गये थे, जयपुर शहर था और जोधपुर शहर था। विल्बर एण्ड स्मिथ एक रेप्यूटेड आर्गेनाइजेशन है। उस काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान में भी इस रोड पर फ्लाईओवर बनाने की या एलीवेटेड रोड बनाने की कोई संस्तुति नहीं है। वहां पावटा चौराहे पर और जालोरी गेट चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने की संस्तुति जरूर उस काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान में थी, लेकिन उस काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान में इस जगह के लिए कोई एलीवेटेड रोड या फ्लाईओवर बनाने की कोई संस्तुति, माननीय सभापति महोदय, वहां पर नहीं थी।

ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जोधपुर में इस स्थान के मुकाबले कई ऐसे स्थान हैं जहां फ्लाईओवर की जरूरत हो सकती है, जहां एलीवेटेड रोड की जरूरत हो सकती है। हालांकि काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान में कहीं भी किसी प्रकार की किसी एलीवेटेड रोड की चर्चा नहीं की गयी।

फिर भी माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। तो यह काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान जो जोधपुर का बना हुआ है, इस काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान को इस एंगल से तो थोड़ा रिव्यू करा लेंगे और रिव्यू करने के बाद में अगर एलीवेटेड रोड बनाने की वहां पर संस्तुति आती है, तो वित्तीय

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

संसाधनों के साथ, आप जानते हैं, अभी आप कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी में जोधपुर का नम्बर नहीं आया; नहीं आया; जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद स्मार्ट सिटी की दौड़ में पिछड़ गया। स्मार्ट सिटी की दौड़ में इसलिए पिछड़ गया कि स्मार्ट सिटी का सलेक्शन आर्बिट्रेरी नहीं था, स्मार्ट सिटी का सलेक्शन सर्टेन पैरामीटर्स पर था। उन पैरामीटर्स पर अगर कोई शहर खरा नहीं उतरे, तो स्मार्ट सिटी की दौड़ में वह लगातार रह नहीं सकता। इसलिए जोधपुर पिछड़ गया। जोधपुर के पिछड़ने के कारण उसके संसाधनों में कमी आई है। जोधपुर डवलपमेंट अथॉरिटी की आर्थिक स्थिति के बारे में मैंने बार-बार सदन के सदस्यों को अवगत कराया है कि जिस प्रकार की फाइनेंशियल कंडिशन जोधपुर डवलपमेंट अथॉरिटी की गई सरकार के जाने के वक्त थी, उसमें सुधार लाकर के एट-पार तो लाये हैं, ढाई साल में। 1,850 करोड़ की लायेबिलिटी थी, यह कोई छोटी लायेबिलिटी नहीं होती है एक सिटी की डवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर, इस लायेबिलिटी को हमने पूरा किया; लगभग-लगभग उसको बराबर किया है।

अब मैं समझता हूं कि वित्तीय संसाधन आने वाले समय में हम अनुकूल कर लेंगे और इस काम्प्रीहेन्सिव मोबेलिटी प्लान को रिव्यू करने के बाद, जिस जगह की आपने चर्चा की है, वहां एलीवेटेड रोड की या फ्लाईओवर बनाने की कोई संतुस्ति आती है, तो उसको निश्चित रूप से एग्जामिन करेंगे। उसके बाद यथोचित कार्यवाही करेंगे।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि तीन जगह के लिए एलीवेटेड फ्लाईओवर बनाने की अनुशंसा थी, जालौर गेट और सोजती गेट पर। आप वह तो करवा दीजिये, इसका प्रोविजन करवा दीजिये। बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर में पानेरिया की मादड़ी के किसानों की अवाप्त भूमि के बदले भूमि की प्रदायगी

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, यह किसानों की समस्या है और मैंने गये वर्ष विधान सभा में यह मुद्दा उठाया था, मगर किसानों की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। अब मंत्री महोदय बैठे हैं। किसान हित की सरकार में किसानों की अनदेखी क्यों? मैं मेरे क्षेत्र में

(श्री फूलसिंह मीणा)

बसने वाले व खेती पर निर्भर पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर के करीब 1,500 से अधिक लोगों की ओर सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

उक्त गांव के किसानों की करीब 200 बीघा भूमि को राजस्थान आवासन मंडल की अवाप्ति में सन् 1983 में डाला गया। सन् 2000 में उक्त भूमि का अवार्ड 30 हजार रुपये प्रति बीघा से पास किया गया है एवं किसानों के लेने से मना करने पर मुआवजा राशि कोर्ट में जमा कराकर, चुपचाप उनके खाते में काटकर, समस्त भूमि आवासन मंडल के नाम दर्ज कर दी गयी।

इस पर किसानों ने विरोध करते हुए, भूमि समर्पण के एवज में उनके पास के ही गांव भूवाणा में उनकी ही समान परिस्थिति वाली भू-अवाप्ति के मुआवजे के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि की मांग की, जिसको मानते हुए आवासन मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष जी ने भूवाणा की तर्ज पर पानेरियों की मादड़ी के किसानों को नि:शुल्क समर्पण के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिलाये जाने की राज्य सरकार से सिफारिश की। बाद में आवासन मंडल इससे मुकर गया, जिस पर किसानों ने 22 से 28 अगस्त, 2008 तक धरना, प्रदर्शन एवं आमरण अनशन किया, जिसे माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया और माननीया किरण जी माहेश्वरी की मध्यस्थता से माननीया वर्तमान मुख्य मंत्री जी के भूवाणा की तर्ज पर 25 प्रतिशत दिलाये जाने के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त करवाया गया।

किसानों की उक्त मांग के पूरी होने से पूर्व ही सरकार बदल गयी एवं नई सरकार द्वारा, किसानों की उक्त भूमि में से कुछ भाग पर विधायकों एवं सांसदों के लिए आवासीय वी आई पी कालोनी बनानी थी; इस पर किसानों को पुचकारते हुए आवासन मंडल की तत्कालीन अध्यक्ष रुक्मणी हल्दिया ने 15 प्रतिशत विकसित भूमि के साथ अन्य लाभ जिससे कुंए, स्ट्रक्चर, आदि का वर्तमान बी एस आर दर से नकद भुगतान के साथ लीज, रजिस्ट्री, आदि में रियायत देते हुए, उदयपुर में कैम्प लगाकर सभी किसानों को एक साथ पट्टे देते हुए, 25 प्रतिशत के बराबर लाभ देने का वादा कर किसानों को राज़ी करते हुए, वी आई पी कालोनी का निर्माण किया गया। इसका लिखित समझौता आवासन मंडल के उप आवासन आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर करते हुए दिनांक 21.12.2009 को किया एवं किसानों से उनकी भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि की लिखित सहमति ले ली।

(श्री फूलसिंह मीणा)

वर्ष 2009 के बाद किसान बराबर आवासन मंडल के अधिकारियों से उदयपुर में कैम्प लगाकर पट्टे देने के साथ, समझौते के अनुसार उनके कुएं, स्ट्रक्चर, आदि अन्य लाभों को भी हाथों-हाथ देकर भूमि का कब्जा लेने की गुहार लगाते रहे, लेकिन इसके विपरीत आवासन मंडल ने किसानों में तोड़-फोड़ की नीति अपनाते हुए, इरादतन 16 पट्टे जारी कर करीब 8 छोटे-छोटे काश्तकारों को एवं एक भू-व्यवसायी को करीब 6-7 बीघा भूमि के पट्टे वितरित व पंजीयन कराकर, बाकी किसानों का मनोबल तोड़ दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इस बारे में गये विधान सभा सत्र में मेरी पर्ची खुली थी और यही मुद्दा उठाया था और आपने मुझे आश्वासन दिया था कि इनका समझौता करके हम राहत देंगे, मगर इसके बावजूद भी नहीं हो पाया। उसके बाद मैं फिर मिला, तो आपने यह कहा था कि जिन्होंने सरकार का कहना मान लिया उनको तो हम सज़ा दें और इन्होंने हमारे खिलाफ धरना, प्रदर्शन किया, उनको हम नहीं दे सकते हैं। 15 प्रतिशत अगर लेंगे, तो हम देने को तैयार हैं।

जब हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया साहब और हमने उन किसानों को समझाने की कोशिश की तो वे समझ भी गये। ऐसी परिस्थिति में किसानों को 15 प्रतिशत के पट्टे लेने को राज़ी किया एवं जो बाकी रहे 8 किसान आवासन मंडल के पट्टे लेने गये, तो उनके पट्टों की समयावधि निकल जाने से उनका पंजीयन नहीं हो पाया। इस पर किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ मैंने व प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से बात करके, आवासन मंडल के अधिकारियों से वार्ता कर समझौता किया और इन 8 लोगों को नये पट्टे जारी करने के साथ-साथ, बाकी के सभी किसानों को भी जल्दी ही पट्टे दिये जाने का आश्वासन दिया।

उसके उपरांत भी मंडल की ओर से छोटी-छोटी बातों को लेकर फाइलों में आपत्ति लगाकर मामले को उलझाकर किसानों को परेशान कर रखा है। एक भी पट्टा समझौते के बाद गत 3 माह में जारी नहीं हुआ। सरकार की किसानों के प्रति पूर्ण सहानुभूति के बावजूद भी आवासन मंडल के उच्च अधिकारी भूमि व्यवसायियों एवं सेठों पर ही अधिक मेहरबान हैं।

एक सेठ ने आवासन मंडल से हतोत्साहित किसान से उसकी भूमि

(श्री फूलसिंह मीणा)

वसीयतनामे के आधार पर औने-पौने दामों में खरीदी। बाद में उक्त किसान को अपनी गलती का अहसास होने पर, दुःखी रहते हुए ह्रदयाघात से उसकी मौत हो गयी। उसकी भूमि वसीयतनामे के आधार पर उस किसान के दो पुत्र एवं पुत्रियां, विधवा पत्नी के होने के उपरांत भी सेठ जी के खाते चली गयी।

उक्त किसान की भूमि की एल एन सी पूर्व में राजस्थान विद्युत निगम के लिए आरक्षित जिसके पास वाले पट्टे की बजाय, सेठ जी को आवासन मंडल की वी आई पी कालोनी, पानेरियों की मादड़ी योजना में 80 फीट रोड का बेशकीमती कार्नर प्लाट दिया गया। समझौता समिति की बैठक आहूत कर मात्र सेठ जी को उक्त कार्नर प्लाट का आवंटन कर उपकृत किया। आवासन मंडल के इतिहास में यह संभवतया पहला उदाहरण होगा कि एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की नीयत से समझौता समिति की अलग से बैठक आहूत कर उपकृत किया गया एवं उसका तत्काल पंजीयन करवाकर मौके पर कब्जा भी सौंप दिया गया।

यह जांच का विषय है कि राजस्थान विद्युत निगम को 10 साल बाद अधिक भूमि की आवश्यकता सेठ जी को उसके पास का पट्टा आवंटित होने के बाद ही क्यों पड़ी? आश्चर्य यह है कि पानेरियों की मादड़ी के अपने खेत पर बने मकान की भूमि पर ही भूखंड दिये जाने की जब किसान मांग करता है, तो उसकी एल एन सी करने को नकार दिया जाता है।

यह उदाहरण पर्याप्त होगा कि आज के आवासन मंडल में किसानों को तवज्जोह नहीं दी जाती है, बल्कि यह मात्र धन कुबेरों एवं ऊंची पहुंच वालों का पोषण करने वाला बनता जा रहा है। जन हित में इसे रोका जाना अपरिहार्य हो गया है।

उक्त अवाप्ति में बाकी रहे किसान दर-दर भटक रहे हैं, पर उनको न तो पट्टा दिया जा रहा है और न समझौता अनुसार मुआवजा। पिछले 7 वर्ष से दसों बार जयपुर में मेरे साथ में चक्कर लगाते हुए निराशा में डूबे हुए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे हताशा से व्यथित होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो सकते हैं।

मैं सदन से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आवासन मंडल के अधिकारियों को सुधारा जाए एवं किसानों के प्रति पूरी संवेदनशीलता अपनाते हुए, उदयपुर में शिविर लगाकर मौके पर ही हाथोंहाथ पट्टे एवं अन्य लाभ

(श्री फूलसिंह मीणा)

दिए जाएं। जो पट्टे दिये गये हैं, उन पट्टों में भी खामियां रही हैं। दो पट्टों का मैं बताना चाहता हूं, उदाहरण के लिए, औंकार लाल, खूबी लाल ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपना थोड़ा सीमित करें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, एक सेकंड। दो पट्टे दिये हैं, उनमें खामियां हैं, औंकार लाल खूबीलाल की जगह 'खूबी राम' लगा दिया। दूसरा है, नन्दलाल दीपलाल की जगह 'दीपक लाल' कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने इसके प्रति बहुत ही सहानुभूति अपनाई थी और मुझे कहा भी था, पर अधिकारियों ने इनको, पता नहीं, मंत्री महोदय को क्या कहा और क्यों देरी हुई। मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, सरकार हमारी किसानों की सुनती आई है, सुनती रहेगी और मंत्रीजी इन किसानों का ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी इनको समस्या से निजात दिलाएंगे। धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि माननीय सदस्य ने कई बार सदन में यह मामला उठाया। यह मामला 25-30 साल पुराना है, 1983 से लेकर शुरू हुआ मामला; अवाप्ति की कार्यवाही शुरू हुई, वह 2001 तक चलती रही और यह 300 बीघा जमीन का मामला नहीं था, 687 बीघा जमीन का मामला है। 2001 से 2008 के बीच अलग-अलग आदेश से इसका अवार्ड पास हुआ। इसके अवार्ड के पैसे को न्यायालय में जमा करवा दिया गया। कुछ ने पैसा नहीं लिया; कुछ काश्तकार ऐसे थे जिन्होंने नकद मुआवजा ले लिया; कुछ काश्तकार ऐसे थे जिन्होंने नकद मुआवजा नहीं लिया लेकिन 15 प्रतिशत भूमि ले ली; और कुछ काश्तकार ऐसे थे जिन्होंने 15 प्रतिशत भूमि भी नहीं ली, न्यायालय में जमा करवाया हुआ मुआवजा भी नहीं लिया और मांग करते रहे कि उन्हें 25 प्रतिशत भूमि मिलनी चाहिए। वे यह भी मांग करते रहे कि 25 प्रतिशत भूमि भी बड़ी सड़क पर मिलनी चाहिए; वे यह भी मांग करते रहे कि उनको मुआवजे के रूप में जो 25 प्रतिशत का भूखंड दिया जाए, वह भूखंड पर मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने यह भी कहा कि जिसका नाम हम दें, उसके नाम से पट्टा जारी किया जाए।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं, जिन भू-माफियाओं की चर्चा माननीय सदस्य अभी कर रहे थे, काश्तकार की जमीन जो अवाप्त हो गई है, उस पर पट्टा किसी और को मिले, काश्तकार को नहीं मिले; काश्तकार पावर-आफ-अटार्नी लिख दे, और पता नहीं, किसको पट्टा मिले। इसके द्वारा बहुत बड़ी धांधलियों के आरोप इस सदन में लगते रहे हैं। यह आरोप लगातार लगते रहे।

इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि खातेदार, जिसकी जमीन की अवाप्ति हुई है, उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया जाए। इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने राजपाल सिंह शेखावत की जमीन को अवाप्त किया है, तो राजपाल सिंह शेखावत के परिवार के लोगों को जमीन का पट्टा मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजपाल सिंह शेखावत किसी और को नामित करे, तो यह संदेह पैदा होता है कि जिसको नामित किया गया है उसको बिक्री कर दी गई है और जिसको नामित किया गया है, उसको लोग कहते हैं कि वह भू-माफिया है।

ऐसी स्थिति में, गई बार आपको आश्वासन दिया था कि इसकी तीन कैटेगिरी हो गईं, कुछ लोग जिन्होंने नकद मुआवजा ले लिया; कुछ लोग जिन्होंने नकद मुआवजा नहीं लिया लेकिन उन्होंने 15 प्रतिशत जमीन ले ली; और कुछ लोगों ने न नकद मुआवजा लिया, न न्यायालय में जमा मुआवजे को लिया और न 15 प्रतिशत जमीन ली। अब उनको 25 प्रतिशत जमीन दे दें, तो जिन्होंने सरकार का कानून माना, उसने तो पाप कर दिया और जो लगातार सरकार के कानून की धज्जियां उड़ाता गया, उसको 25 प्रतिशत जमीन दे दें; कानून में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। कानून में कट-आफ-डेट है, उस कट-आफ-डेट के पहले जो अवाप्ति हुई है उन्हें 15 प्रतिशत जमीन मिलेगी और उस कट-आफ-डेट के बाद जो अवाप्ति हुई हैं उनको 25 प्रतिशत जमीन मिलेगी। मैंने उनको कहा कि आपको 15 प्रतिशत जमीन दे रहे हैं, आप चाहें तो जमीन देने की बड़ी सड़क पर, तो वह बात कर सकते हैं। आपने स्वीकार कर लिया, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सदस्य ने काश्तकारों से बात की, काश्तकारों को राज़ी किया। राज़ी करने के बाद मंडल के अधिकारियों की उनसे चर्चा हुई, 3.12.2015 को, और वार्ता में यह सहमति बन गई कि 15 प्रतिशत जमीन दी जाएगी, नम्बर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एक; और जिन काश्तकारों ने 15 प्रतिशत का जमीन का पट्टा लिया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उनकी रजिस्ट्री की डेट निकल गई, उनकी रजिस्ट्री की डेट को या तो आगे बढ़ा देंगे, या नया पट्टा जारी कर देंगे। इस पर सहमति हो गई।

इसी के आधार पर मंडल ने सरकार को पत्र लिखा, सरकार को पत्र लिखा 27.1.2016 को। यह पत्र की प्रति माननीय सदस्य को भी भेज दी गई। इसमें सरकार की तरफ से क्वेरी केवल एक आई है कि चूंकि नामित व्यक्ति को पट्टा देने का काम बंद हो गया है, निर्णय ले लिया गया है, फिर भी यदि कहते हैं कि नामित व्यक्ति को पट्टा दिया जाए, तो सरकार ने पूछा कि जिसका नाम नामित है, उससे कोई सम्बन्ध है क्या? वह सम्बन्ध बता दो। कुल कितने प्रकरण हैं जिनमें नामित व्यक्तियों के नाम पट्टा लेना चाहते हैं? क्योंकि हम यह निर्णय लें भी, तो हम केवल इस पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर के इलाके को सुलटाने तक ही सीमित रखना चाहते हैं; एक पैंडोरा बाक्स नहीं खोलना चाहते। क्योंकि पूरे राजस्थान में जहां-जहां जमीन की अवाप्ति हुई है, जहां पर जमीन की अवाप्ति के पेटे लोगों को जमीन के पट्टे मिलेंगे, उन सबको फिर वही पैंडोरा बाक्स खोल दें, जहां पर भू-माफिया चाहे जिसकी जमीन को पर्चेज करे, पट्टा ले, पावर-आफ-अटार्नी कराए, इस स्थिति को हम शुरू नहीं करना चाहते। इसलिए यह क्वेरी पूछी गई कि जिन लोगों का नोमिनेशन के नाम पर आप पट्टा लेना चाहते हैं, उनसे आपका क्या सम्बन्ध है? और कितने लोग हैं जो नोमिनीज के लिए पट्टा लेना चाहते हैं?

ये दो क्वेरी हैं। इन दो क्वेरी के आने के बाद, जिन 16 लोगों ने पट्टे ले लिये, जिनका समय निकल गया रजिस्ट्रेशन का, उसके समय के अन्दर हम या तो वृद्धि कर देंगे, माननीय सभापति महोदय, या उन्हें पुनः आवंटन पत्र जारी कर देंगे।

साथ में, जिस 15 प्रतिशत जमीन के लिए आपकी सहमति हो गई है, जिसके लिए मंडल की मीटिंग है, उस सारी जमीन को लेने के प्रकरण को जल्दी लेने के लिए...; यह मैं ही था, माननीय सभापति महोदय, यह प्रकरण 30 साल से चल रहा है, कई सरकारें आईं और कई सरकारें चली गईं; आज कह रहे हैं, हम तो हितैषी हैं काश्तकारों के और हितैषी है, इसीलिए आपके सवाल उठाने के बाद आज की स्थिति में परिवर्तन आया है। आपसे वार्ता हुई

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

है, आपसे चर्चा हुई है और आपसे चर्चा होने के बाद क्या निर्णय लिये जाने थे, वे निर्णय फोर्म्यूलेट हुए हैं और उस निर्णय के पूरे होने की प्रक्रिया में, यह मामला 30 साल पुराना है, कई सरकारें आईं, कई सरकारें चली गईं, काश्तकारों ने आंदोलन भी किया, जमीन भी नहीं दी, कुछ लोगों ने जमीन दे दी; हम इसका सुलटारा करना चाहते हैं, लेकिन सुलटारा करने की प्रक्रिया में कोई ऐसी नजीर नहीं बन जाए, जिस नजीर के आधार पर कुछ ऐसे लोगों को फायदा पहुंच जाए जिनको फायदा नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता केवल पानेरियों की मादड़ी की हो सकती है। पानेरियों की मादड़ी में किसानों के हित की रक्षा करने की प्रक्रिया में कोई ऐसा निर्णय नहीं हो जाए, जिस निर्णय की आड़ में राजस्थान में भू-माफियाओं को फायदा हो जाए। इसकी चर्चा, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य ने की है।

इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने विधान सभा के फ्लोर पर आपको आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के आधार पर, और आपकी चर्चा के आधार पर, निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान दो -तीन महीने में कर दिया जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री सभापतिः श्री रामलाल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका पूरा जवाब आ गया। श्री रामलाल शर्मा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): धन्यवाद, मंत्री महोदय, आपने जो आश्वासन दिया। मुझे विश्वास है। उन गरीबों को हक मिले, यही मेरी मांग है।

चौमूं में पानी प्रदायगी का कार्य पी एच ई डी से लेकर नगरपालिका को हस्तांतरण से उत्पन्न स्थिति

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक ऐसा निर्णय किया, 74वें संविधान संशोधन के नाम पर राजस्थान की 8 नगरपालिकाओं को पेयजल आपूर्ति का काम सौंपा गया और जो पहले इन नगरपालिकाओं को वाटर सप्लाई का काम पी एच ई डी कर रहा था, अब पी एच ई डी ने इनको पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था नगरपालिकाओं को हैंडओवर कर दी। माननीय सभापति महोदय, यदि इस हस्तांतरण में बजट भी हैंडओवर

(श्री रामलाल शर्मा)

किया जाता तो मेरे ख्याल से उन नगरपालिकाओं के अन्दर कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मात्र कागजी कार्यवाही की गई और कागजी कार्यवाही के आधार पर, आज हम पी एच ई डी में जाकर अगर यह कहें कि हमारी नगरपालिकाओं के इतने बोरिंग फेल हो गये या ड्राई हो गये, आप दूसरे बोरिंग दो, तो पी एच ई डी डिपार्टमेंट एक भी बोरिंग देने की स्थिति में नहीं है और उनका उत्तर यह होता है कि हमारे यहां से योजना हैंडओवर हो गई, आप यू डी एच से या अपने बजट को स्वपोषित करके इस पेयजल योजना को चलाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, आज ऐसी दयनीय स्थिति पैदा हो गई, उन नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और अच्छी वित्तीय स्थिति नहीं होने की वजह से पेयजल आपूर्ति करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। आज नगरपालिकाओं की वास्तविक स्थिति देखें, तो कर्मचारियों को तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती। आज इन पेयजल आपूर्ति वाली नगरपालिकाएं हैं, यहां बिजली के बिल इतने ड्यू हो गये कि बिजली विभाग के कर्मचारी प्लास लेकर उन पोलों के पास बैठे हुए हैं कनेक्शन काटने के लिए। आज भी सुबह मेरे पास ए ईएन का फोन आया कि साहब, या तो पैसा जमा कराओ, नहीं तो हमें मजबूरी के अन्दर कनेक्शन काटने पड़ेंगे।

एक तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार को आप निर्देशित करें कि ऐसी स्थितियों में कनेक्शन काटने का कोई प्रयास नहीं करें; नहीं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में, चौमूं नगरपालिका में लगभग 70 हजार की आबादी है, 110 ट्यूबवेल हैं, अगर 110 ट्यूबवेल के कनेक्शन काटे गये तो ऐसी भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी जिसको संभाल पाना भी मुश्किल है।

सभापति महोदय, दूसरी दिक्कत इस व्यवस्था के अन्दर आयी। आज हम नगरपालिका क्षेत्र में यदि पाइपलाइन डालना चाहें, तो पी एच ई डी हमें पाइपलाइन उपलब्ध नहीं कराती है; यदि कोई बोरिंग खराब हो जाय, उसका सामान हम लेने का प्रयास करें, वह सामान भी हमें उपलब्ध नहीं होता।

इसलिए ऐसी स्थिति के अन्दर मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के अन्दर जो 8 नगरपालिकाएं हैं राजस्थान की, इन पूरी 8 नगरपालिकाओं को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सौंपी गयी थी, क्या पूर्ववर्ती सरकार का जो गलत निर्णय था, वर्तमान सरकार

(श्री रामलाल शर्मा)

उस पूर्ववर्ती सरकार के गलत निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम करेगी? आज राजस्थान के अन्दर करौली, चौमूं, नाथद्वारा, गंगानगर, नागौर, नोखा, जैसलमेर, बूंदी हैं, मेरे ख्याल से जितनी भी 8 नगरपालिकाएं हैं, इनके माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी नगरपालिकाएं इस पेयजल आपूर्ति को चला पाने में असमर्थ हैं। अब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है और इस ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी हमें करने की आवश्यकता है।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय जलदाय मंत्रीजी।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): सभापति महोदय, मेरे नागौर में भी है।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): मेरे भी है।

श्री सभापति: आप सबका विषय एक जैसा ही है।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): एक ही विषय है और बिलकुल वाजिब है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदया अपने जवाब में सारा स्पष्ट कर देंगी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमें भी अनुमति दें। साथ में मंत्री महोदया जवाब दे देंगी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, पानी की कमी नहीं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार का जो अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय है, उसके कारण आज करौली की जनता जिस प्रकार से भुगत रही है और जिस प्रकार के हालात वहां पर हो रहे हैं, माननीया मंत्रीजी वहां देखकर आयी हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। पर्ची पर उसी माननीय सदस्य को अनुमति मिलेगी, जिसकी पर्ची है। बैठिये आप। बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री मान सिंह (गंगापुर): हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाय।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदया।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं जैसलमेर जिले का निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पर्ची पर... (व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): वहां पानी की भयंकर स्थिति हो रही है। मंत्रीजी स्वयं उस जिले की हैं। कम से कम आज घोषणा करें कि विभाग पुनः इसको संचालित करेगा।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): जिस शहर के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार में जलदाय विभाग में था, आज उसको नगर परिषद के अन्दर मर्ज कर दिया है, जिससे पेयजल की व्यवस्था बहुत डांवाडोल हो गई है। न तो स्टाफ है और न ही वर्कचार्ज स्टाफ है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूर्ववर्ती जलदाय विभाग में था, वापस उसी को दिया जाय।

श्री सभापति: मंत्री महोदया का जवाब आने दो। बैठो आप।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): कहां नल की फिटिंग है, कहां क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसलमेर की समस्या है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप बोलना चाह रहे हैं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, 74वां अमेंडमेंट 1992 में हुआ। हम लम्बे समय से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि लोकल बाडीज को एम्पावर्ड कैसे किया जाय, उनको रेस्पोंसिबिलिटीज कैसे दी जायं और सेवाओं के अन्दर पब्लिक पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाय। इसीलिए 74वां अमेंडमेंट, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, 74वां अमेंडमेंट आया और न केवल 74वें अमेंडमेंट के जरिये हमने लोकल बाडीज को एम्पावर्ड करने के प्रोविजंस किये, बल्कि पूरी दुनिया भर में जहां अरबन रिफार्म्स की बात होती है, दुनिया के कई बड़े-बड़े शहर हैं जहां पर सरटेन सर्विसेज अरबन बाडीज ही डिलिवर करती हैं।

आज आर यू आई डी पी के लिए लोग जगह-जगह से आते हैं, लोग मांग करते हैं कि हमारे यहां सीवरेज की लाइन डालो, हमारे यहां पानी की लाइन डालो। अब सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन लाएं और उसके लिए सरकार के संसाधन कम पड़ें और सरकार के संसाधन कम पड़ने के कारण वित्तीय सहायता लेने के लिए बाहर की एजेंसीज के पास जाएं, तो कहते हैं कि आपकी गवर्नेंस कमजोर है; आप जब तक अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव नहीं करोगे, जब तक अरबन रिफार्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, हम आपकी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सहायता नहीं कर सकते। अगर इस मांग को पूरा करना है, आम जनता की पेयजल की मांग को पूरा करना है, अगर आम जनता की सीवरेज की मांग को पूरा करना है, उसके लिए संसाधन की व्यवस्था करनी है, तो अपने गवर्नेंस के लेवल को ऊंचा करना है। लोकल बाडीज को एम्पावर्ड करना है, तो हमें इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। वह भी खास तौर से तब, जब पानी का स्ट्रक्चर, पानी का आपरेशनल स्ट्रक्चर पैदा करके, देने के बाद, चलाने की हालत नहीं हो। क्योंकि हम रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करने का मन नहीं रखते।

जहां चौमूं का सवाल उठाया गया, चौमूं के अन्दर 5 एम एल डी पानी का, 111 ट्यूबवेल और 33 सिंगल पाइंट हैं, अभी 5 एम एल डी पानी का प्रोडक्शन जनरेट होता है। यह सही है कि 2012 में 8 अन्य शहरों के साथ में चौमूं भी शामिल था, आपको ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पानी के स्ट्रक्चर को ट्रांसफर करने के साथ उसकी मेंटीनेंस के लिए सरकार ने कुछ पैसे भी दिये हैं। 2014-15 के अन्दर 2.94 करोड़ रुपया चौमूं नगरपालिका को over and above the regular transfer of maintenance of Nagar-palika; 2015-16 में 4.14 करोड़ रुपया over and above the regular transfer इनको मिला, केवल इसकी मेंटीनेंस के लिए।

माननीय सभापति महोदय, जब हम मेंटीनेंस करने की हालत में नहीं हैं, मन भी नहीं है और हम चाहते हैं कि योजना हमारे लिए जे डी ए बना दे। जे डी ए आपके लिए योजना बना रहा है 36 करोड़ रुपये की, आपके पानी की; नगरपालिका अलग है, लेकिन चूंकि हमारे जोन में आती है। कल 36 करोड़ की योजना बनाकर आपको ट्रांसफर करेंगे, आप लेने से मना कर देंगे। नहीं लगवाएं? क्योंकि बिजली का बिल तो आप दे नहीं पाएंगे। अब जे डी ए 36 करोड़ रुपये पानी की योजना के लिए लगाये भी, क्योंकि 36 करोड़ आपके पास नहीं हैं और बाद में बिजली का बिल भी जमा कराये, मेंटीनेंस भी कराये, यह कैसे सम्भव है?

जिस चीज की डिमाण्ड आप जनरेट कर रहे हैं, जिस चीज की डिमाण्ड आप कर रहे हैं, जिस डिमाण्ड के लिए मैं रिसोर्सेज आपको दे रहा हूं, आपका उसकी मेंटीनेंस करने का ही मन नहीं है। तो ऐसी स्थिति कोई शुभ नहीं है। कोई लोकल बाडीज को एम्पावर्ड करने की, अपने पांवों पर खड़ा करने की स्थिति नहीं है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हमको यह सोचना पड़ेगा कि जिन अरबन रिफार्म्स की रिक्वायरमेंट हमको है, फोरैन फण्डिंग एजेंसीज भी हमें कह रही हैं, 13वें व 14वें वित्त आयोग, जिनका मेजर ट्रांसफर्स आपको रहता है, फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर्स की प्रिरिक्विजिशन है यह। जब फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर की प्रिरिक्विजिशन है, फण्डिंग एजेंसीज की यह प्रिरिक्विजिशन है, 74वें अमेंडमेंट की यह डिजायर है और हम सबकी इच्छा है कि पंचायती राज संस्थान और स्थानीय नगर निकाय जनता की आकांक्षा के अनुरूप सेवा देते हुए अपने पांवों पर खड़े हो जाएं, यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन रास्ता यही सही है। यदि रास्ता सही है, तो उसमें पड़ने वाली छोटी-मोटी मुश्किल को कंबेट करने का यदि मन नहीं होगा, तब तक हम परिवर्तन नहीं ला सकते, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते।

इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यह सही है कि 8 शहरों में पेयजल की व्यवस्था को ट्रांसफर करने के बाद फाइनेंशल प्रोब्लम्स हैं, जिसके कारण से वहां तकलीफें हैं, लेकिन इन फाइनेंशल प्रोब्लम्स के कारण, तकलीफें सहने के कारण, सर्विस की जो पावर आपको मिली है, जो सेवा आपको मिली है, उसको छोड़ दें? हर अधिकार कुछ ड्यूटीज के साथ आता है। हम अधिकार तो लेना चाहते हैं, केवल ड्यूटीज को परफोर्म नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं, पानी की जिम्मेदारी हमको मिल जाय, पानी भी हम बांटें, लोग हमको पूछें; हम चाहते हैं, शिक्षा की जिम्मेदारी भी हमको मिल जाय, स्कूल हम चलाएं, मास्टर हमारी बात मानें, लेकिन रेस्पोंसिबिलिटी हम लेना नहीं चाहते। रेस्पोंसिबिलिटी लेना ही नहीं, रेस्पोंसिबिलिटी शेयर भी नहीं करना चाहते। यह स्थिति कोई शुभ नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन कठिन परिस्थितियों में हम सब मिलकर, किस प्रकार से एम्पावर्ड करते हुए, इस चीज को और मजबूत बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, इसकी चर्चा करेंगे। बाकी कोई तकलीफ है, तो मैं सोचता हूं, पी एच ई डी मंत्रीजी के साथ बैठकर हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, कोई छोटी-छोटी दिक्कत आती है उन दिक्कतों का निराकरण करेंगे, लेकिन यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। उन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, मन में रखना पड़ेगा कि जिन रिफोर्म्स के बिना सस्टेन नहीं कर सकते, जिन रिफार्म्स के बिना हम इन सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते; आज पानी नहीं पहुंचता, तो लोग कहते

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हैं, पानी नहीं आता। अब कल ही पानी पर डिमाण्ड चल रही थी, तो लोग कह रहे थे, पानी की लाइन लग गई, लेकिन पानी की बूंद नहीं आती। ऐसी लाइन का मतलब क्या है? जहां सर्विस की डिलिवरी और क्वालिटी सर्विस की डिलिवरी, जब हम क्वालिटी सर्विस की डिलिवरी नहीं देंगे, तब तक जनता की क्वालिटी आफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, जो हमारी जिम्मेदारी है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह रिफोर्म का रास्ता थोड़ा तकलीफदेह जरूर हो, थोड़ा हम में परिवर्तन की मांग भले ही करता हो, लेकिन

(14.00 बजे)

यह परिवर्तन की मांग, जनता को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए हमारी जिम्मेदारी है और इसी को दृरष्टिगत रखते हुए, हम सब मिलकर इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक पूर्ण रूप से ये निकाय समर्थ नहीं हो जाएं, तब तक माननीया पी एच ई डी मंत्री भी थोड़ा बहुत सोफ्ट रूख रखकर इनकी हेल्प करेंगी। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति: माननीय पी एच ई डी मंत्रीजी जवाब दे रही हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): नहीं, नहीं, इनको बोलने दो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, 2012 से लेकर 2016, चार साल तक आपने करके देख लिया और एक भी नगरपालिका अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। तो फिर ऐसी योजना का आधार ही क्या है?

श्री सभापति: माननीया पी एच ई डी मंत्रीजी जवाब दे रही हैं न। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप भी बोल लो पहले।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, सबका एक ही मुद्दा है। आप बताओ न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): एक सेकण्ड बोल लेने दीजिये इनको भी।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): सभापति महोदय, नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है और वहां पर हजारों वैष्णव आते हैं। वहां पर लाइनें 40-45 साल पुरानी हैं और पानी की दयनीय स्थिति है। इसको देखते हुए, माननीय राजपाल सिंह जी ने कहा और इनके अच्छे सुझाव थे, हम उनको मानते हैं कि

(श्री कल्याणसिंह चौहान)
हमारे को पावर दिये हैं और हम चलायें, लेकिन सौंपने से पहले उस स्कीम को अगर सही कम्प्लीट करके दे देते, तो हम चलाने में सक्षम हैं। कपड़े में जूं पड़ जाती है तो वह कपड़ा नहीं फेंकते हैं, जूं मारने का इलाज करते हैं। उस स्कीम को आप कम्प्लीट करके हमें हैंडओवर करते, तो आज हम यह सदन में मांग ही नहीं रखते।

वास्तव में रामलाल जी ने जो मामला उठाया है, वह वाजिब है और सब जगह दयनीय स्थिति बनी हुई है। नाथद्वारा की तो, माननीया मंत्रीजी स्वयं उस जिले राजसमन्द से आती हैं और खुद भुक्तभोगी हैं। कितने ही वैष्णव और वहां की जनता इनसे मिल चुकी है। बहुत दयनीय स्थिति है नाथद्वारा नगरपालिका की। वहां कर्मचारियों को तनख्वाह चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं; उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति है।

इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदया, इस स्कीम को कम्प्लीट करके रिवाइज करके, इसको कम्प्लीट बनाकर नगरपालिकाओं को हैंडओवर करते, तो हम लेने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है और हम कपड़े नहीं फेंकेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीया जलदाय मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति जी, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो विषय उठाया है, बहुत ही गम्भीर विषय है। 2012 के अन्दर 8 नगरपालिकाओं को ट्रांसफर कर दिया और पी एच ई डी की पेयजल की जो भी व्यवस्थाएं हैं वे नगरपालिकाएं स्वयं अपने लेवल पर देखेंगी। उन 8 शहरों के अन्दर श्रीगंगानगर, नागौर, नाथद्वारा, करौली, जैसलमेर, बूंदी, नोखा और चौमूं हैं। श्रीगंगानगर का अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है और 1.4.2016 को यह भी नगरपालिका को हस्तांतरित हो जाएगी।

उसके पहले जो 7 नगरपालिकाओं को ट्रांसफर हो गई हैं, उनके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि इन सातों के अन्दर मेरा जाना हुआ है। जब भी हमारी पी एच ई डी की मीटिंग हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं, तो संयोगवश इन सातों शहरों के अन्दर मेरा जाना हुआ। मैंने इस चीज को महसूस किया है कि वास्तव में जो नगरपालिका की अपनी प्राब्लम्स हैं, वे प्राब्लम्स उनकी जगह पर, जो हमारे माननीय सदस्यों ने कहीं, वे सही हैं। उन्हें लगता है कि हम लोगों को जिम्मेदारी तो मिल गई है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में, जिस तरीके से पानी एक ऐसा मैटर है कि पानी की सप्लाई में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जरा भी प्रोब्लम आ जाती है तो लोग-बाग़ सीधे नगरपालिका के आफिस में आ जाते हैं और वहीं पर हाहाकार करने लग जाते हैं। उस समय पी एच ई डी डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यह पूरी हस्तांतरित उनको की गई है। इसलिए पूरा मेंटीनेंस उन्हीं को करना है।

जहां तक इनका सवाल है, तो 2012 में निर्णय हुआ था और कैबिनेट डिसिजन है यह। इस निर्णय के अन्दर यह कहा गया था कि जो टेक्निकल सपोर्ट है, वह पी एच ई डी कर देगा। जहां तक चौमूं का सवाल है, चौमूं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने एक ए.ईएन., दो जे.ईएन., 5 फिटर और 12 हेल्पर्स का चौमूं नगरपालिका को टेक्निकली सपोर्ट किया है। उनकी जो तनख्वाह है साढ़े तीन लाख रुपये प्रति माह, वह तनख्वाह भी पी एच ई डी दे रहा है। इसी तरीके से इन आठों शहरों के अन्दर जो भी नगरपालिका के अन्दर कर्मचारी हमने पी एच ई डी से ट्रांसफर किये हैं, उन सारे कर्मचारियों की तनख्वाह पी एच ई डी दे रहा है और यह तनख्वाह हम लोगों ने नहीं डाली है, हम ही दे रहे हैं। इसके बावजूद भी, मैं एक-एक कर सभी का बता देती हूं, लेकिन चौमूं का अगर मैं बताऊं तो 01.04.2013 को इनको दी गई थी और उसके बाद में, जैसा अभी माननीय यू डी एच मिनिस्टर साहब ने बताया कि ढाई करोड़, तीन करोड़ रुपये भी उसके साथ-साथ उन्हें हस्तांतरित किये गये थे। उसके बाद भी वहां पर 2013-14 में ही हमारे विभाग के द्वारा 10 नये नलकूप लगाये गये, जिनकी अनुमानित लागत 42 लाख रुपये थी, जिनका निर्माण हम लोगों ने करवाया। अभी जो वहां पर लेवल है, वह 59 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन का है, 59 एल पी सी डी के ऊपर पानी उपलब्ध है शहर के अन्दर, जबकि हम लोगों के नार्म्स कहते हैं कि 135 एल पी सी डी का लेवल होना चाहिए और उसके बाद भी 59 का ही है। वहां पर 117 नलकूप हैं और 4.25 एम एल डी वहां पर दिया जा रहा है। वहां एकल बिन्दु भी हैं 35; वहां पर 150 टैंकर्स प्रतिदिन डाले जा रहे हैं। वहां पर और भी सारी जो व्यवस्था है, उन सब व्यवस्थाओं के अन्दर जो वाटर रेवेन्यू कलेक्शन है, वह नगरपालिका करती है। मेंटीनेंस नगरपालिका को करना होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वह नगरपालिका को देना होता है। पी एच ई डी टेक्निकल सपोर्ट उन्हें देती है, लेकिन जो बिजली का बिल है, वह; पानी के बिल का कलेक्शन भी वे करते हैं और बिजली का बिल भी नगरपालिकाओं को देना है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसी तरीके से अगर हम और नगरपालिकाएं देखते हैं, तो नागौर की नगरपालिका है जहां पर मेरा जाना हुआ था और वहां पर भी उनकी प्राब्लम थी, तो हम लोगों ने 42 लाख रुपये, जब हम गये थे, तभी देकर आये थे।

इसी तरीके से जैसलमेर में जब वहां गये थे, तो छोटू सिंह जी ने कहा था और वहां पर भी हम लोगों ने पी एच ई डी से जो भी हेल्प कर सकते थे, वह की थी, क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि लोगों को पानी की प्राब्लम हो।

लेकिन इश्यू अभी यह है, बूंदी हो, चाहे करौली हो, यहां पर भी; अगर मैं एक-एक बताऊंगी, तो जो-जो भी पी एच ई डी ने दिया है, वह समय-समय पर करते रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि डिपार्टमेंट कोई कमी रखता है। यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी का अच्छी तरीके से निर्वहन कर रही है।

विषय यह है कि हमें उन्हें स्ट्रांग करना है। संविधान के अन्दर जो 74वां अमेंडमेंट हुआ है, उसके तहत यह बात आई थी कि हमें नगरपालिकाओं को अपने आप में, अपने पैरों पर वे खड़ी हो सकें, स्ट्रांग बन सके, वे लोग अपना खुद का संचालन खुद कर सकें, इसके लिए सब करना है, लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी है। आप भी नगरपालिका के चेयरमैन रहे, मैं भी नगरपालिका की चेयरमैन रही। तो हम इन सारी चीजों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि नगरपालिकाओं के अन्दर जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वह रेवेन्यू कलेक्शन इतना मिनिमलज होता है और इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को जब हम लोग पूरा करते हैं तो वह रेवेन्यू बहुत कम हो जाता है।

इसलिए इस सारी स्थिति के अन्दर अभी जो इनको फाइनेंशल प्राब्लम इन्हें आ रही है कि आग्मेंटेशन, जैसा नाथद्वारा से माननीय विधायक जी ने कहा कि हमें आग्मेंटेशन की जरूरत है, हमारी पाइपलाइन टूटी है, जर्जर हो गई है, उसे ठीक करना है; तो उस आग्मेंटेशन का पैसा है, वह नगरपालिका के माध्यम से नहीं करवा सकते, क्योंकि उनकी और सारी जो रेस्पोंसिबिलिटीज हैं उन्हें वे पूरा करते हैं।

माननीय मंत्रीजी ने जो कहा, वह बहुत सही कहा कि हमें 74वें अमेंडमेंट के बाद में अब इन्हें स्ट्रांग करना पड़ेगा। पंचायती राज को भी 2011 में, यह भी कांग्रेस सरकार का ही डिसिजन था कि हमने पंचायती राज को जे जे वाई हस्तांतरित की थी और उन जे जे वाई का सारा संचालन उन्हें करना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है, टेक्निकल सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए अभी माननीया मुख्य मंत्री जी ने जे जे वाई के लिए 140 करोड़ रुपये दिये, जिसके तहत हम उसका आग्मेंटेशन कर रहे हैं। वह आग्मेंटेशन करके, वन-टाइम-आग्मेंट करके हम उन्हें वापस से सौंप रहे हैं कि आप इसको चलाइये। ठीक इसी प्रकार से अगर ये नगरपालिकाओं को हम आग्मेंट करके इन्हें हम लोग दें और इनका जो बिजली का बिल है, उस बिजली के बिल का किस तरीके से भुगतान होगा। उसके बारे में, उनके डे-टू-डे खर्चे में से तो वे बिजली नहीं निकाल पायेंगे, लेकिन उसके लिए भी कितनी राशि यू डी एच डिपार्टमेंट अपने लेवल पर इन नगरपालिकाओं को दे सकता है, इसका कुछ संधारण होना चाहिए, ताकि पानी की प्रोब्लम वहां पर क्षेत्र में लोगों को न आये। इसके लिए फर्स्ट इज आग्मेंटेशन, सेकण्ड इज इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये दो इश्यूज ऐसे इश्यूज हैं जिनको कि नगरपालिका के अन्दर उन्हें फेस करना होता है।

बाकी जहां तक टेक्निकल सपोर्ट की बात है, पूरा टेक्निकल सपोर्ट दिया है। इन सातों ही नगरपालिकाओं के अन्दर हमने उन लोगों को, जो भी टेक्निकल सपोर्ट में ए.ईएन., जे.ईएन., फिटर्स, हेल्पर्स चाहिए, ये सारे हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं और इनकी तनख्वाह हमने उनके ऊपर नहीं डाली, जबकि अगर वे उन्हें मेंटेन करें तो तनख्वाह भी नगरपालिकाओं को ही देनी है; लेकिन यह सपोर्ट पूरी तरीके से दिया गया है।

मैं समझती हूं कि हम और यू डी एच मिनिस्टर साहब बैठकर इन आठों नगरपालिकाओं की प्राब्लम्स को लेकर, कैसे हम इसे साल्व कर सकते हैं, वह हम लोग बैठकर इसे साल्व करेंगे। इसमें वन-टाइम-आग्मेंटेशन करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस तरीके से इनका पे होगा, इन दोनों चीजों को हम लोग दिखवायेंगे। सरकार इसके बारे में पूरी तरीके से गम्भीर है। हम चाहते हैं कि 74वें अमेंडमेंट के अन्दर नगरपालिकाएं स्ट्रांग होनी चाहिए, वे अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से वे काम का संचालन करें, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की जो अपनी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को, क्योंकि वह जिम्मेदारी ड्रिंकिंग वाटर से सम्बन्धित है, निभानी चाहिए। आज अगर एक सड़क है और अगर वह सड़क नहीं भी बनी, देर से बनी, तो भी चल जाएगा, लेकिन पीने के पानी के लिए व्यक्ति इंतजार नहीं कर सकता। जिस समय उसे चाहिए, उस समय उसे पानी चाहिए ही चाहिए। इसलिए यह एक ऐसी चीज है कि पानी के लिए डिले नहीं हो सकता।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसलिए कैसे उसकी व्यवस्था की जा सकती है, माननीय सभापति महोदय, इस पर निश्चित रूप से विचार करके ठोस निर्णय करेंगे।

श्री सभापति: डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

जयपुर ग्रामीण में खाद्य आपूर्ति में निरन्तर कारित अनियमितताएं

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा एक हमारा राष्ट्रीय अभियान है और राशन के अन्तर्गत जो राशन मिलता है, वह गरीब के लिए एक तरह से निवाला है। मैं जिस जिले से आता हूं जयपुर ग्रामीण जिला, उसका जो डी एस ओ है, उसने इस गरीबों के निवाले को अपनी जेब भरने का जरिया बना लिया और लगातार बनाया हुआ है। वह रोज निलम्बन करता है, रोज बहाली करता है। दुकान बदलने का खेल रोज करता है। पहले सस्पेंड करता है, फिर जब पैसा आ जाता है तो बहाल कर देता है। दो दिन में पैसा आ जाता है तो दो दिन में कर देता है, 10 दिन में पैसा आता है तो 10 दिन में कर देता है। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं। कुछ प्रकरणों के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं।

भांकरी में जब इंसपेक्टर नहीं गया, तो मैंने तहसीलदार को, एस डी एम को फोन किया, तहसीलदार को भेजा, 350 बोरी पकड़ी गईं और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कलेक्टर की मीटिंग में जन अभाव अभियोग में यह मामला उठा; कोई कुछ नहीं हुआ। उलटा एक महीने बाद उस डी एस ओ ने एक दुकान और अटैच कर दी। मतलब, पुरस्कृत किया। इसी प्रकार से, एफ आई आर और निलम्बन होने के बाद भी बहाल करना, उसके बायें हाथ का खेल है। अधिकार है कि नहीं है?

मुझे तो यह भी समझ में नहीं आता कि इस विधान सभा में 2009 और 2010 में गृह मंत्रीजी ने लगी हुई एफ आई आर को खोला; निष्कासन का आदेश यहां प्रसारित हुआ तत्कालीन खाद्य मंत्रीजी के द्वारा। उस व्यक्ति को भी बहाल कर दिया गया। तो विधान सभा की सैंक्टिटी पर भी प्रश्नचिह्न लग गया कि यहां से कोई आश्वासन हुआ, तो उसको भी वह उड़ा सकता है। डी एस ओ इतना पावरफुल है।

इतना ही नहीं, सभापतिजी, वह व्यक्ति उस कैडर का भी नहीं है; वह जूनियर कैडर का आदमी है, जो डी एस ओ बना हुआ है।

यह तो जयपुर में, कैपिटल के नीचे की बात मैं आपसे कर रहा हूं,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कुछ ऐसे स्थान हैं; अभी फरवरी माह में मैंने शिकायत की, तो माननीय मंत्रीजी ने तुरन्त एक टीम बनाई और शाहपुरा और विराटनगर की कुछ दुकानों को चैक करवाया। उसकी रिपोर्ट में गड़बड़ियां आईं, लेकिन आज तक कार्रवाही नहीं हुई। डेढ़ महीने में कोई कार्रवाही नहीं हुई।

छापड़ाकलां में एक शहीद के उद्‌घाटन में मैं अध्यक्षता कर रहा था, माननीय मंत्रीजी खुद उसमें मौजूद थे, वहां जनता ने शिकायत की, तो मंत्रीजी ने तत्काल, बिना एक मिनट लगाये, कहा कि इसकी एफ आई आर भी लॉज कराओ और इसको सस्पेंड करो। उलटा एक महीने बाद वहां एक दुकान और उसको दे दी।

ऐसे ही जोधपुरा में छह दिन में ही दो बार डीलर बदल गया; मंडा में चार दिन में दो बार डीलर बदल गया; पांचूढाला में तीन दिन में दो बार डीलर बदल गया; द्वारपुरा में तीस किलोमीटर दूर के आदमी को डीलरशिप वहां दे दी; सुजातनगर में 29 दिन में दो बार डीलर बदल गया; कंवरपुरा में दो माह में चार बार डीलर बदल गया; टसकोला में पांच माह में तीन बार डीलर बदल गया। पावटा में एफ आई आर लॉज हुई, उसके बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। एक गांव में कई वर्षों तक लाइसेंस निलम्बित पड़ा था, उसको हटाना तो दूर की बात है, उसको अपने स्तर पर ही, जिसको पावर ही नहीं है इस बात का। सरकार तो कुछ भी करे।

ऐसी ही कोटपूतली नगरपालिका की स्थिति है। वहां भी दो दुकान थीं। उनको इस प्रकार से कर दिया गया।

एक और स्थिति है। एक पेट्रोल पम्प जो हरियाणा का तेल लाकर हाईवे पर बेचता था, टीम गई, पकड़ा। पकड़ने पर, मौके पर लाइसेंस था ही नहीं। वहां पर उनका जो आदमी था, मालिक का, दोनों ने ही पन्ने पर दस्तखत किये हैं कि साहब, हम हरियाणा से लाकर बेचते हैं और पांच रुपये कम लेकर बांटते हैं; 48 रुपये में सरकार बेचती है, हम तो 43 रुपये में ही बेचते हैं। यह रिकार्ड पर है, इन्क्वायरी में है। वह एस.आर. पेट्रोल पम्प था। जो पेट्रोल जब्त हुआ, 4,729 लीटर पेट्रोल और 6,541 लीटर डीजल। उसके बाद में बोली लगाकर छह लाख रुपये सरकार में जमा हो गये। एफ आई आर दर्ज हुई थी। इतना ही नहीं, उसका सैम्पल भी भेजा गया, लैबोरेटटी में सैम्पल फेल हो गया, मिलावट पाई गई। उसको भी, जिसको अधिकार ही नहीं था,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

लाइसेंस नहीं था, उसको लाइसेंस दे दिया गया। अब उसकी एफ आई आर का और सारा प्रकरण है।

इतना ही नहीं, खुद डी एस ओ मेरे को जवाब देता है जिले की जन अभाव अभियोग समिति में, ये सारी चीजें 'हां' करता है और यह भी कहता है कि फर्म के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई गई थी। उसके सम्बन्ध में 23.12.2011 को माननीय न्यायालय, सी जे एम, जयपुर में चालान पेश किया जा चुका है, लेकिन मैंने उसको अस्थायी लाइसेंस दे दिया है। यह उसने लिखा है। अब उसको पावर था, कि नहीं था। यह विधान सभा में एक तरह से घोषणा हो गई कि निलम्बित कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, उसको भी बहाल करने का उसको अधिकार है! पेट्रोल पम्प, जो हरियाणा का डीजल राजस्थान में बिकता है, उसमें कितनी टैक्स की चोरी हो रही थी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया मंत्रीजी की जानकारी में।

माननीय मंत्री महोदय।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, उसमें दो-तीन बातें और हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। विधान सभा के माध्यम से मैं यह चाहता हूं कि पहले तो उस डी एस ओ को हटाया जाये। जांच क्या करवायेंगे उसकी? मंत्रीजी मुझे कल भी मिले थे तो उन्होंने आश्वस्त किया है, कल दूसरे प्रकरण में भी आश्वस्त किया, लेकिन जब तक वह पद पर है...। तो मैं यह आपके माध्यम से चाहता हूं कि विधान सभा की अवमानना हुई है। तत्कालीन गृह मंत्रीजी ने एफ आई आर खुलवाई। उस प्रकरण को भी उसने पैसे देकर कर दिया। पेट्रोल पम्प में सब कुछ पाया गया, हाईवे पर पेट्रोल पम्प है, उसको बहाल कर दिया गया।

इतना ही नहीं, इन दोनों प्रकरणों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जिस इंस्पेक्टर ने पकड़ा, रिपोर्ट की, उसको परसों ए पी ओ करवा दिया, इस कारण से कि तुम बयान बदलते हो। तो इतना खेल चल रहा है। मैं उसकी भी बात बताऊं, जिसकी इन्क्वायरी माननीय मंत्रीजी ने दो बार करवा ली, तुरन्त करवाई। वह यही चाहता था। उसकी रिपोर्ट की दो लाइन पढ़ रहा हूं ''जिसमें लगभग तीस डीलरों को माह नवम्बर-दिसम्बर, 2014 में गेहूं आपूर्ति की जांच बिल्टियों का मिलान डीलरों के स्टाक रजिस्टर्स से करके की गई और सही

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पाया गया।''... ''समिति के रिकार्ड के उक्त डीलरों को माह नवम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 तक गेहूं आपूर्ति के विवरण-पत्र तैयार कर डीलरों के स्टाक रजिस्टर से और पर्चियों से मिलान किया गया। सही पाया गया।'' फिर भी उसको सस्पेंड किया जा रहा है!...

श्री सभापति: बैठें, माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं एक पंक्ति और पढ़ दूं। ''उक्त मात्राओं का मिलान समिति के वितरण रजिस्टर से किया गया। सही मिला।'' अब क्या स्थिति है इस प्रकार की? इतना दुस्साहस है...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं ना आपकी बात का।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप निश्चित रहो। मैं जो जवाब देता हूं, वह जवाब ही होता है। फिर उसका कोई जवाब नहीं आता। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है। इसका कल कोटपूतली से आने वाले माननीय विधायक ने स्थगन प्रस्ताव भी लगाया था। उसी के पूरक में आज इन्होंने पर्ची के माध्यम से उठाया है। निश्चित रूप से पारदर्शिता सम्पूर्ण विभाग में रहे, इसलिए डी एस ओ, ई ओ, ई आई, समय-समय पर पी डी एस सिस्टम जांचने की समय सीमा भी है। इनके रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है, ई ओ और ई ए का। डी एस ओ भी अधिकृत है। जिन दुकानों को ये सस्पेंड करते हैं, उनको सम्बन्धित किसी दूसरे पी डी एस से अटैच की जाती है, यह व्यवस्था है, और 90 दिन में उसके डिस्पोजल की व्यवस्था है। या तो सस्पेंड से बहाल हो जाता है, सही है तो; और वह गलत है, तो निश्चित रूप से टर्मिनेट होता है और कहीं ऐसा लगता है कि इसमें संगीन मामला है, तो ई सी एक्ट के अन्दर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाता है।

माननीय सदस्य विराटनगर से आने वालों ने जो रिपोर्ट वहां की की है, मैं बताना चाहूंगा कि शाहपुरा, कोटपूतली, विराटनगर क्षेत्र की आठ उचित मूल्य दुकानों की जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) द्वारा निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसके सम्बन्ध में

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

सभी उचित मूल्य के दुकानदारों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। दिनांक 12.3.2016 को प्रवर्तन निरीक्षक, विराटनगर द्वारा तीन उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा उन्हें नोटिस जारी किया गया है। एक दुकान तेवड़ी, जो आपके विधान सभा क्षेत्र में है, के सम्बन्ध में पुलिस में एफ आई आर दर्ज है।

माननीय सभापति महोदय, जो आठ दुकानें सस्पेंड हैं, जो सम्बन्धित अटैच लगाई गई हैं, रामजीलाल शर्मा है गोविन्दपुरा का; एक रामजीलाल शर्मा है जो दूसरे गांव का है; एक महेन्द्र कुमार शर्मा है; गणपतराम बुनकर है; कैलाश चन्द्र बीलवाड़ी का है; देवकरण गुर्जर छितौली का है; घनश्याम शर्मा बड़नगर का है; सुरेश कुमार मीणा, प्रागपुरा का है वार्ड नं. 1 से 7, तहसील कोटपूतली।

जो 12.3.2016 को तीन निरीक्षण किये गये, उचित मूल्य दुकानों की सूची, जिनमें अनियमितता पाये जाने पर नोटिस जारी किये गये- नानूराम यादव, उचित मूल्य दुकानदार, भामोद अटैच दुकान नवरंगपुरा, तहसील विराटनगर; मातादीन स्वामी, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत नवरंगपुरा, तहसील विराटनगर; एवं उमराव गुर्जर, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम तेवड़ी, तहसील विराटनगर।

इसके अलावा, जब-जब भी विभाग में कोई जानकारी मिलती है, और विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, चिंता इनकी वाजिब है कि निश्चित रूप से इस तरह की कहीं अनियमितता मिली है, जो उन्होंने एक बताई कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में ही उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ था और उसका 3/7 में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जो पेट्रोल पंप का बता रहे हैं और कलेक्टर ने 6-ए की कार्यवाही के तहत उसका माल साथ में जब्त किया है और उसके बाद सुपुर्दगी की है। आपने कल मेरे को सारे तथ्यों को पेश किया है। मैंने डी एस ओ से उच्च अधिकारी से उसकी जांच के आदेश कर दिये हैं।

दूसरा, इन्होंने जो तीन दुकानों का अटैचमेंट होना बताया है कि इन्होंने पांच, दो, और सात दिन के अन्दर सस्पेंड किया और उसको बहाल कर दिया; किन कारणों से किया, किन परिस्थितियों में किया और कैसे किया, इन सबकी विस्तृत जानकारी के लिए मैंने उस पर डी एस ओ से ऊपर के अधिकारी से जांच के आदेश कर दिये हैं।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

रहा सवाल डी एस ओ का, या चाहे ई ओ, ई आई हो, कोई भी विभाग का अधिकारी हो, मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहूंगा, अगर उसके खिलाफ कार्रवाही करनी है और अगर कार्रवाही बनती है, तो उनके खिलाफ 3/7 में मुकदमा भी दर्ज होगा। कार्यवाही होगी, चाहे अधिकारी हो, चाहे ई ओ, ई आई हो। जो बात बता रहे हैं कोटपूतली प्रकरण की, जिसके अन्दर हमने दो बार जांच की है, अभी मैं तथ्यों का अवलोकन करूंगा और माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा। इस तरह से जहां भी अनियमितता पाई जा रही थी, उस अधिकारी के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापति जी, मैं तो यह चाहता हूं कि डी एस ओ नहीं रहे उस पर पद पर। वरना जांच क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। क्योंकि उसके नीचे न तो डीलर कह पाएगा कि मेरे से पैसे लिये हैं। इसलिए उसको ए पी ओ करके, हटाकर के, सरकार करे। यह तो सरकार की इज्जत का सवाल है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, डी एस ओ गलत है, तो उसके खिलाफ भी हम कार्यवाही करेंगे। यह मैं आश्वस्त करता हूं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: इसके बाद दे देना आप। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, जन लेखा समिति 2015-2016, समिति के बीस प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (वर्ष 2015-16) के प्रतिवेदन

(क्र.सं. 91 से 110)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2015-2016 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. जन लेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 50वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2015-16 का 91वां प्रतिवेदन;

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4.4, (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 2.5 तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.4.6, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 92वां प्रतिवेदन;

3. जन लेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2015-16 का 93वां प्रतिवेदन;

4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 3.4.4, वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4.2 एवं 2.4.5 तथा वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.2.2, चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 94वां प्रतिवेदन;

5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4.5 एवं 2.4.7, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 95वां प्रतिवेदन;

6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.1.1 एवं 2.2.1, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.4.4, चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 96वां प्रतिवेदन;

7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 2.6, वित्त विभाग; वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.8, वित्त, विधि एवं श्रम विभाग; अनुच्छेद संख्या 3.6, वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 97वां प्रतिवेदन;

8. जन लेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के भू-राजस्व एवं विद्युत कर विभाग से सम्बन्धित 139वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2015-16 का 98वां प्रतिवेदन;

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 1.5.1, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वन, विधि, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण एवं जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 99वां प्रतिवेदन;

10. जन लेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 42वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2015-16 का 100वां प्रतिवेदन;

11. जन लेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 47वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2015-16 का 101वां प्रतिवेदन;

12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट परिवहन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 102वां प्रतिवेदन;

13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.8.3, भू-राजस्व विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 6.5 एवं 6.8, उपनिवेशन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 103वां प्रतिवेदन;

14. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 6.10, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 104वां प्रतिवेदन;

15. जन लेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के भू-राजस्व एवं विद्युत कर विभाग से सम्बन्धित 214वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2015-16 का 105वां प्रतिवेदन;

16. जन लेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित 222वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2015-16 का 106वां प्रतिवेदन;

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

17. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.3 एवं 3.4.4, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 107वां प्रतिवेदन;

18. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4.8, महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 108वां प्रतिवेदन;

19. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 2.1, वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2015-16 का 109वां प्रतिवेदन; एवं

20. जन लेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 52वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2015-16 का 110वां प्रतिवेदन।

श्री सभापति: श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा), सभापति, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति, 2015-2016, समिति के तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम् प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे ।

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति (वर्ष 2015-16) के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 3 से 6)

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति, 2015-2016 के तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम् प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कुछ कहने वाले थे?

सूचना

हाड़ौती में गेहूं की बम्पर आवक

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हाड़ौती में गेहूं की बम्पर आवक हुई है और कोटा भामाशाह मण्डी में पिछले तीन दिन से 2 लाख बोरी प्रतिदिन गेहूं की आ रही हैं और इतनी भारी मात्रा में गेहूं आने से

(श्री भवानी सिंह राजावत)

पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। आज भी 2 लाख बोरी आई हैं। हजारों ट्रैक्टर ट्रोलियां, कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। किसान ट्रोलियों के नीचे तपती धूप में वहीं पड़े हुए हैं। वहीं सड़क पर बाटियां सेक रहे हैं और खा रहे हैं। प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ है और कृषि विपणन विभाग जो है, वह हाथ पर हाथ धरा हुआ बैठा हुआ है।

सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि गेहूं पूरे राजस्थान में पिछले 15 दिन से मंडियों से आ रहा है, न केवल कोटा की मंडी में आ रहा है, लेकिन सरकार ने घोषणा की है कि एक अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद होगी। माननीय सभापति महोदय, कोटा में दो दिन में जो गेहूं 1,525 रुपये क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर तुलना चाहिए था, वह 1,400 रुपये से भी कम में किसान को औने-पौने दामों में अपनी खून-पसीने की कमाई को बेचना पड़ रहा है। दो दिन में चार करोड़ रुपये की चपत लगी है किसान के और यह केवल कोटा की भामाशाह मंडी में लगी है। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब पंजाब पूरे गेहूं को समर्थन मूल्य पर लेता है, राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में किसान के पूरे गेहूं को लेते हैं, तो राजस्थान में भी...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के जरिये आपको अपनी बात कहनी है, आपने कह दी। सरकार की जानकारी में आपका विषय आ गया है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मेरा सरकार से निवेदन है कि कोटा में अन्य किसी स्थान पर कांटे लगवाये जाएं, ताकि किसान जो तीन दिन से भूखा प्यासा पड़ा है उस किसान का गेहूं तुल जाए। यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री सभापतिः याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा, दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) स्थित राजकीय स्नातकोत्मर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय का खोला जाना

1- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय खोलने की स्वीकृति बाबत; एवं

छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़) में स्वामी विवेकानन्द माडल विद्यालय की स्वीकृति

2- छोटी सादड़ी, जिला-प्रतापगढ़ में स्वामी विवेकानन्द माडल विद्यालय खोलने की स्वीकृति बाबत ।

श्री सभापतिः श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, विधान सभा, एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) में शुगर मिल द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों से पूरी खरीद के अभाव में कारित नुकसान

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में तहसील श्रीकरणपुर में नई शुगर मिल स्थापित करने के बावजूद गन्ना उत्पादक किसानों से पूरी खरीद मिल द्वारा न किये जाने से किसानों को पंजाब गन्ना भेजने की स्थिति में 120 रुपये प्रति क्विटंल नुकसान होने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापतिः श्री गोरधन, सदस्य, विधान सभा, एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

लोसल नगरपालिका में श्री बद्रीनारायण सोढानी हास्पिटल का सिटी डिस्पेंसरी में क्रमोन्नयन

श्री गोरधन (धोद): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार नगरपालिका लोसल में श्री बद्रीनारायण सोढानी हास्पिटल को सिटी डिस्पेंसरी बनाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापतिः श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य, विधान सभा, एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(श्री सभापति)

रानीवाड़ा-भीनमाल राजमार्ग पर कागमाला चौराहा से श्री सुन्धामाताजी मंदिर तक सड़क निर्माण व चौड़ाईकरण

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रानीवाड़ा-भीनमाल राजमार्ग के कागमाला चौराहा से श्री सुन्धामाताजी मंदिर तक 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण व सड़क चौड़ी करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: विधेयकों का पुर:स्थापन। डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 । श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, निरसन ही करोगे, या कोई नया भी खोलेंगे?

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 । श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और

(श्री सभापति)
मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, नया खोलो। किसी को निरस्त कर रहे हैं, किसी का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, किसी का नाम परिवर्तन कर रहे हैं। जनता की आवाज को सुनो। आपको इतना बड़ा बहुमत मिला हुआ है। निरस्त कर रहे हैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय को और इसका नाम परिवर्तन कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं! नया खोलो। कौन मना कर रहा है आपको?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

(14.28 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल को विचार के लिए लिया जाए और हम लोगों को इस पर सुना जाए।

श्री उपाध्यक्ष: जब आएगा, तब आप बोल देना इस पर।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर कोटा के हालातों से सदन को अवगत कराया था।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें। पुर:स्थापित हो गया क्या? प्रभारी मंत्री, आप पुर:स्थापित भी करें।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप फरमायें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में पांच लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई है और गेहूं की पैदावार हुई 25 लाख मैट्रिक टन। अब इन हालातों से, ऐसा नहीं है कि सरकार को जानकारी नहीं थी, सरकार को जानकारी थी कि बहुत अच्छी पैदावार हुई है, प्रकृति की कृपा से, और गेहूं इतनी भारी मात्रा में आएगा, तो तुलाई की व्यवस्था करें; लेकिन तुलाई की व्यवस्था नहीं होने से, आज तीन दिन हो गये, किसान भूखा-प्यासा बैठा हुआ है, हज़ारों ट्रोलियों का जाम लगा हुआ है। सरकार तक बात आ गई है। माननीय कृषि मंत्री महोदय को कहीं न कहीं कार्यवाही करनी चाहिए थी, प्रशासन को निर्देश देना चाहिए था। गेहूं वहां भामाशाह मंडी से, जो देश की सबसे बड़ी मंडी है, कोटा की, लेकिन इतनी आवक आने से जो व्यवस्था चरमरायी है; मुझे याद है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंह जी शेखावत के कार्यकाल में एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, तब भैरोंसिंह जी ने आदेश दिया था कि कोटा के दशहरा मैदान में सरकार कांटे लगाकर गेहूं को तोले, और ऐसा हुआ था। अब भी दशहरा मैदान में या कहीं स्टेडियम में गेहूं की तुलाई शुरू करा कर किसानों को राहत देना बहुत आवश्यक है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पन्द्रह दिन से गेहूं आ रहा है, लेकिन समर्थन मूल्य पर नहीं तुल रहा है। 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर तुलेगा। तब तक किसान की जेब कटेगी। किसान को औने-पौने दामों में, चौदह सौ-पौने चौदह सौ रुपये में अपनी खून-पसीने की कमाई को बेचना पड़ेगा।

सरकार स्पष्ट करे, कृषि मंत्रीजी स्पष्ट करें कि पहले तो कोटा में जो ट्रोलियां की जाम लगी हुई हैं वह गेहूं कब तुलेगा और समर्थन मूल्य पर गेहूं कल से ही लेने की सरकार घोषणा करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 । श्री राजपाल सिंह जी।

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यवस्था का प्रश्न

वित्त विधेयक व विनियोग विधेयक पर संशोधन नहीं दिये जा सकते

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के अन्तर्गत एप्रोप्रिएशन बिल पर और फाइनेंस बिल पर विचार कर रहे हैं। इनकी कार्य सूची हमारे पास आयी है। इन्हीं आर्टिकल्स के आधार पर राजस्थान की विधान सभा ने दो अपने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत नियम बनाये हैं। एक नियम बनाया है नियम 154, 154 का और 155, इनके अन्तर्गत हम वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों पर चर्चा करते हैं। बाकी विधेयकों के लिए अलग से नियम दिये हुए हैं, जो उनमें चर्चा के लिए निर्धारित हैं। 66, 67, सब नियम इस प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं।

इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ये वित्त से सम्बन्धित जो अपने प्रक्रिया के नियम दिये हैं, उन नियमों में कहीं भी इन विधेयकों में संशोधन देने का प्रावधान नहीं है। पहले माननीय अध्यक्षों ने इसमें बहुत प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था की है कि वित्त विधेयक में और विनियोग विधेयक में किसी प्रकार के संशोधन नहीं दिये जा सकते और संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते और संशोधन पर चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए आज की जो कार्य सूची मैंने देखी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो वित्त विधेयक में बहुत से संशोधन दिये गये हैं और संशोधन स्वीकार किये गये हैं। मैं समझता हूं कि सारी प्रक्रिया, आज तक जो निर्धारित मापदंड हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, यहां तक कि कौल एवं शकधर ने और मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में, इन सबमें भी स्पष्ट कहा गया है, और अपना जो आर्टिकल 266, जिसमें वर्णन किया गया है, उसमें भी साफ है कि इसमें किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं दिये जा सकते। तो हमने ये संशोधन स्वीकार किये हैं, जो असंवैधानिक भी हैं, कार्य पद्धति के खिलाफ भी हैं और नियम और परम्पराओं के खिलाफ भी हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि इन संशोधनों को अस्वीकार किया जाना चाहिए, अग्राह्य किया जाना चाहिए और उनको इस सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एक बात।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, let me complete. अंग्रेजी बोल लेता हूं थोड़ी-थोड़ी, कभी-कभी।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं कर रहे थे?

श्री उपाध्यक्ष: मैं मेरी किताब ही रख रहा हूं।

विधेयक पर संशोधन प्रस्तावित किये बिना माननीय सदस्यों का बोलने का अधिकार

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दूसरा मैं आग्रह करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्वोच्च है और इस सदन में हम स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात कहने के लिए आसन की आज्ञा से हम स्वतंत्र हैं। आसन इसमें असीमित अधिकार रखते हैं। कटौती प्रस्ताव थे, इनके बारे में सदन में एक व्यवस्था हो गयी लम्बे समय से कि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और कटौती प्रस्ताव को फिर अस्वीकार या स्वीकार मान लिया जाता है और लिखित में उनका जवाब चला जाता है। कटौती प्रस्ताव पर बोलने की माननीय सदस्यों की सीमा अवधि समाप्त हो गयी।

उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको विधायी कार्यों में बोलने का अधिकार प्राप्त है और वह हम संशोधन के माध्यम से, विधेयक को जन मत जानने के लिए, हम उसको सलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए, या विधेयक के खंडों में हम अपना संशोधन देकर उसको कर सकते हैं। थर्ड स्टेज जब पारण की आती है, तो कोई भी माननीय सदस्य अपने उपाध्यक्ष महोदय की अगर आई को कैच कर लेता है, उनसे आंख से आंख मिला लेता है, तो उसको उपाध्यक्ष महोदय बोलने की अनुमति दे देते हैं।

लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब संशोधन अपन एप्रोप्रिएशन बिल में नहीं दे सकते, वित्त विधेयक में संशोधन नहीं दे सकते, उस समय माननीय सदस्यों का बोलने का अधिकार केवल आसन के पास सीमित हो जाता है। आसन जिसको अनुमति दे, आसन की आई जो कैच कर ले, वह माननीय सदस्य इस पर बोल सकता है। इसमें भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम प्रस्तावित कर दिया कि पार्टियों के सचेतक जिनके नाम लेंगे, उनको ही आसन पुकारेगा। यह बहुत वर्षों से परम्परा चली आ रही है। तो जब हमको संशोधन का अधिकार नहीं है और पार्टियों के सचेतकों को यह अधिकार दे दिया, तो इसका प्रवधान इस किताब में तो नहीं है, यह हमने अपनी सुविधा के हिसाब से दे दिया। तो जिसको प्रतिपक्ष का नेता, सदन का नेता चाहेगा कि वह सदस्य नहीं बोले, उस सदस्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कौनसी स्टेज है जिस पर उसको अधिकार प्राप्त होगा? और क्या विधेयकों में भी हम सदस्यों की बोलने की आवाज को दबाने का प्रयत्न करेंगे? हम अभिभाषण या बजट पर तय कर देते हैं कि एक बार बोलें। हम अब इस पर भी अगर तय कर देंगे, तो विनियोग विधेयक पर, राज्य के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में जिसको थोड़ी-बहुत जानकारी होगी, वह माननीय सदस्य अपनी बात कैसे रख सकेगा? ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

मैं समझता हूं कि आप विद्वान हैं, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझते हैं और ये व्यवस्थाएं अगर एक बार गड़बड़ हो गयीं, तो हमेशा के लिए परम्परा बन जाती है, और आप जैसे व्यक्ति के नाम से इस प्रकार की परम्पराएं नहीं बनें, यह मैं चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों विषयों पर आप अपनी व्यवस्था फरमायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक में संशोधन देने और नहीं देने की बात कही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अगर हम कौल और शकधर को देखें और हमारे आर्टिकल 204(1) और 266 को देखें, तो इनमें वित्त विधेयक में संशोधन का मतलब है, एक तरह से सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु यह चर्चा तब होती, जब माननीय सदस्य अपने इस वित्त विधेयक में दिये गये संशोधन, विनियोग विधेयक में दिये गये संशोधन पर अपनी बात को कहते या प्रेस करते। जब वह मूव ही नहीं हुआ अभी तक, तो उस पर किसी तरह की चर्चा अब हुई नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि उस पर जो आशंका आपने उठाई, वह बेमानी है।

दूसरी बात आपने एक कही कि विधेयकों पर बोलने की परम्परा, मैं समझता हूं कि अब से नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद साक्षी रहे हैं कई विधान सभाओं के सत्र के, हमेशा परम्परा यह बनी रही है कि वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर, जिस तरह राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के लिए अभी आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी के सचेतक महोदय ने कहा कि हमारी तरफ से अमुक-अमुक बोलेंगे, यह एक तरह से परम्परा रही है। मैं समझता हूं कि परम्परा रही है और बड़ी समृद्धशाली पुरानी परम्परा है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो आपने कहा कि आपके माननीय सदस्यों ने और विशेष तौर पर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने जो अमेंडमेंट मूव किये हैं, ये अमेंडमेंट वे प्रेस नहीं कर रहे हैं; वे मूव ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए सदन की सम्पत्ति बनी नहीं और कोई ऐसी असंवैधानिक बात हुई नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो परम्पराओं की बात करते हैं, ये परम्पराएं बदल भी जाती हैं। यह आसन पर है। ये परम्पराएं परमानेंट नहीं हैं। सदन में हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। कोई किसी से नाराज हो जाए और कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहे, तो वह किसी सदस्य की आवाज को नहीं दबा सकता।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं, और मैं यह भी कहना चाहता हूं साथ-साथ कि मैं आज बोलूंगा नहीं। मुझे अध्यक्ष जी ने कहा था कि एप्रोप्रिएशन बिल पर मैं आपको बोलने का समय दूंगा, बजट पर नहीं दिया गया। अध्यक्ष की बात फाइनल होती है, लेकिन मैं फिर भी पार्टी की बात मानूंगा कि उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। कोई बात नहीं है, मुझे समय नहीं दिया। यह बात ही राजस्थान की जनता तक पर्याप्त है। इसलिए मैं उस पर आज बोलूंगा नहीं, लेकिन ये दो विषय जो मैंने रखे हैं, इन पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो हम स्वागत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। यहां आकर यह कहना कि मुझे बोलने का समय नहीं दिया। आप अगर बोलना चाहते हैं, तो बोलें न। क्योंकि स्कोप निर्धारित है, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के अन्दर एक लिमिटेशन भी है। आप बोलें, अगर आप बोलना चाहें, तो। यह परम्परा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य इधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इधर भी बैठ गये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और मैं समझता हूं कि इनसे ज्यादा जानकारी संसदीय ज्ञान की कुछ होगी नहीं। यह परम्परा आपने खुद ने देखी है, माननीय सदस्य। आपके सामने रही हैं परम्पराएं और एक दिन में सारी परम्पराओं को खंडित करने की बात हम कहें! हां, अगर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आवश्यकता पड़े, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठकर हम विचार-विमर्श कर सकते हैं।

अगर आप आर्टिकल्स की बात करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो नियम और प्रक्रियाएं बनी हैं, ये नियम और प्रक्रियाएं भी आर्टिकल 208 के तहत बनी हैं। आज कौल और शकधर के अन्दर और अध्यक्षीय व्यवस्था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुलहिजा फरमायेंगे, तो इस विषय में भी अध्यक्षीय व्यवस्थाएं मिल जाएंगी आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं कि अध्यक्ष जिसको चाहे बुला सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम कब कह रहे हैं? अध्यक्षीय व्यवस्था है। हम आपका स्वागत करते हैं, अगर आप बोलना चाहें, तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, मेरा स्वागत आपने बहुत कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया; और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अब अपनी बातों को आंतरिक ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतना स्वागत भगवान किसी का ही नहीं करें, जितना आपने स्वागत कर दिया। मैं चाहूंगा कि यह स्वागत आपका हो, जैसा मेरा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, इसको मैं आशीर्वाद मानूं, स्नेह मानूं, या आपकी कटुता मानूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरी कटुता किसी के प्रति है ही नहीं। हर्ष और विषाद दोनों साथ-साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं दोनों माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं; आदरणीय सदस्य, मैं दोनों माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, एक तो ये हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और दूसरे हमारे संसदीय कार्य मंत्री, आप दोनों ने ही आसन की बगैर अनुमति से वाद-विवाद चालू कर दिया। जब सारी कुछ चीज ही आसन में निहित है, तो आसन को भी अपना कार्य करने का कम से कम उतना समय तो आप प्रदान करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नैनों से नैन मिले थे, नैनों से नैन मिलकर ही आगे बात बढ़ाई थी, वरना तो मैं बढ़ाता ही नहीं। आपके नैन मिले, आपके अधर मुस्कुराये, उसके बाद मैंने आगे बात बढ़ाई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक इजाजत हो, तो। यह नैनों से नैन की जो बात की है, इसके लिए इनके लिए मैं कह रहा हूं-

'दृग उरझत टूटत कुटम जुरत चतुर चित प्रीत परति

गांठ दुर्जन हिये दयी नई ये रीत।

जब आसन से किसी माननीय सदस्य की आंख मिल जाती है, तो दुर्जन आदमी की आंख में गांठ पड़ जाती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, या तो ये मेरी तरफ इंगित करके कह रहे हैं। यह बरसों तक रिकार्ड रहेगा। मेरे पोते, सढ़ पोते कोई पढ़ेगा कि यह उनके लिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसे डिलीट कराओ।

श्री उपाध्यक्ष: आपके इस अंकन में कहीं भी; माननीय सदस्य, आपके अंकन में कहीं भी इस प्रकार विस्तृत में नहीं आता कि किसने किसको इंगित करके क्या कहा। जिसने कहा, बस वहां तक ही सीमित रहता है ना?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, वहां तक ही सीमित है।

श्री उपाध्यक्ष: इसलिए यह जब अंकित नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे निवेदन करूं कि-

यह सिला मिला है आपको इनकी दोस्ती के पीछे

कि हजारों गम लगे हैं तुम्हारी जिंदगी के पीछे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): **ऐसा सिला दिया मेरे प्यार का**

कि यार ने ही लूट लिया घर यार का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):

आज जहां मैं हूं, कल कोई और था।

यह भी एक दौर है और वह भी एक दौर था।।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ...(व्यवधान) शेर-शायरी अपन को आती ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान वित्त विधेयक, 2016 ...(व्यवधान) You are on what?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन यह है कि इन्होंने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है, श्रीमान् ने उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: I will come to that. When the situation comes, I will give you. It is hypothetical at the moment. When it will come, the Chair will give the decision accordingly. Just keep that in mind.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ठीक है, साहब। हमारे चूंकि संशोधन हैं, तो हमें भी आप उस पर आदेश फरमाने से पहले, हमको फांसी पर लटकाने से पहले हमको भी सुनने की कृपा करें। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान वित्त विधेयक, 2016। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जा रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बोलना चाहें, तो फिर कह रहा हूं और सदन में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, माननीय सदस्य बोलना चाहें, तो बोलें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह अकेले नहीं जा रहे, साहब। यह पूरा राजस्थान देख रहा है, और चले जायेंगे लोग।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की इस विधान सभा के इतिहास में एक वरिष्ठ विधायक का इस तरह से अपमान करके, सत्ता पक्ष सत्ता के बल पर कर रहा है। यह घोर निंदनीय है। इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिये था। (व्यवधान) आप ही ने तो किया है अपमान। लिस्ट देने वाले आप ही हों।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप कितने संवेदनशील हैं, यह आसन भी जानता है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज वित्त विधेयक, 2016 और राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 पर चर्चा प्रारम्भ हुई है। मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 8 मार्च को 2016-17 का राज्य का बजट इस सदन में रखा और बजट के साथ कर प्रस्ताव रखे। 8 मार्च को ही सदन में जब बजट रखा, तो उस बजट की लाइट में, कर प्रस्तावों की लाइट में 73 अधिसूचनाएं भी उस रोज जारी हुईं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर प्रस्तावों के मुताबिक फाइनेंस एक्ट के अन्तर्गत 6 अन्य कर अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित किये गये। आज जो यह वित्त विधेयक पारित होगा, इसके साथ ही वे संशोधन प्रभावी हो जायेंगे, जो आगामी एक साल के लिए राज्य के वित्त संग्रहण के कार्यक्रम को सुनिश्चित करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के बाद अनुदान की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई। कुछ महत्वपूर्ण विभागों की अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा हुई, कुछ मांगें मुखबंद से पारित कर दी गईं और आज जो यह विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016-17 पारित हो रहा है, सदन में जो अनुदान की मांगों के निमित्त राशि राज्यपाल महोदय को दिये जाने की मांगें पारित हुईं, यह विनियोग विधेयक आज पारित होने के बाद उस मद का प्रयोग करने के लिए राजस्थान सरकार को अधिकृत करता है।

(14.47 बजे)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, सदन की एक परम्परा है, हर साल हम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बजट पारित करते हैं; बजट पर चर्चा होती है, अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है और जब फाइनेंस बिल और विनियोग विधेयक पारित होते हैं, माननीय सभापति महोदय, बजट सरकार के हाथों में चला जाता है। सदन का काम खतम हो जाता है। फिर अगले साल बजट आता है, तब सदन का काम प्रारम्भ हो जाता है।

मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, पिछले 60-70 सालों में जितनी भी सरकारों ने इस सदन में बजट पेश किया, कोई अवसर नहीं होगा जब उस बजट को सरकार के लोक कल्याणकारी काम का आईना नहीं बताया; केवल आईना नहीं बताया, उस बजट को सुरक्षा की गारंटी बताया, हम इस राज्य की आर्थिक, सामाजिक, तमाम प्रकार की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। सामान्यतः जब हम बजट पेश करते हैं, करों का निर्धारण करते हैं। यह जरूरी है। किसी भी राज्य को अपनी आर्थिक और सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने पड़ते हैं और आर्थिक संसाधन इस रूप में, जिसका आम आदमी पर विपरीत प्रभाव न पड़े, और केवल राज्य की आय ही नहीं बढ़े, वह बजट आम आदमी के विकास में सहभागी बने।

इस लिहाज से आज मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सदन के सदस्यों ने कर प्रस्तावों को पढ़ा होगा। राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में जितने कर प्रस्तावों में करों की छूट दी है, उससे अधिक अनुपात में राजस्थान की जनता पर करों का भार नहीं डाला। यह संतुलित बजट है; राजस्थान के लिए लोक कल्याण की भावना से पेश किया बजट है।

माननीय सभापति महोदय, तकलीफ तब आती है जब हम व्यय और संसाधन जुटाने में जो प्राथमिकताएं तय करते हैं, उनमें राजनीतिक पक्ष प्रभावी हो जाता है और जब व्यय और संसाधन जुटाने में राजनीतिक पक्ष प्रभावी हो जाता है, तो सरकारों का नजरिया लोगों के प्रति दुर्भावनापूर्ण हो जाता है और यह परम्परा पिछले सालों में जो सरकारें रहीं, उन्होंने की हैं। फिर जब इस प्रकार की परम्पराएं शासन में स्थापित हो जाती हैं, तो लोक कल्याणकारी भावना समाप्त हो जाती है।

मैं अगर ईमानदारी से कहूं, बजट का पहला काम क्या है? चाहे

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दुनिया के किसी देश का बजट हो, हिन्दुस्तान की केन्द्र की सरकार का बजट हो, चाहे देश के किसी राज्य की सरकार का बजट हो, सरकार का पहला दायित्व बनता है कि वहां के नागरिकों को सम्पूर्ण प्रकार की सुरक्षा प्रदान करे, भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, और हम जब आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, तो, फिर हमको यह विचार करना पड़ेगा कि आखिर 60 साल, 65 साल, 68 साल के इस बजट में गरीब के पक्ष को कितना ठीक किया, बेरोजगारी और कुपोषण के पक्ष को कितना ठीक किया। जब इन हालात पर हम चर्चा करते हैं, तो, माननीय सभापति महोदय, एक भयानक स्थिति राजस्थान के सामने उपस्थित होती है। जब मैं आज इस सदन में यह बात कर रहा हूं, तो इसके लिए जिम्मेदार वर्तमान की सरकार नहीं है। देश में अब तक 67-68 बजट पेश हुए हैं, 40-50 के लगभग बजट कांग्रेस ने पेश किये हैं, 18-20 बजट का अवसर भारतीय जनता पार्टी को इस राजस्थान में पेश करने का मौका मिला, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने बजट पेश करते समय इस बात का सामाजिक मूल्यांकन नहीं किया कि राजस्थान की जनता पर हमारे बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से हम राजस्थान के लिए लोक कल्याण की भावना से काम करेंगे। और ये करते भी कैसे?

माननीय सभापति महोदय, अब तक जो राजस्थान का बजट बनता रहा, वह बजट बंद कमरों में बैठकर अधिकारी बनाते रहे। ईमानदारी के साथ, सदन में सभी माननीय सदस्य बैठे हैं; सभापति महोदय, अधिकारी बंद कमरों में बैठकर जिस क्लिष्ट भाषा में और गहरे आंकड़ों में बजट इस राजस्थान की विधान सभा में पेश करते हैं, मुझे पता नहीं, सदन के 200 सदस्यों में से कितने लोग इस विषय में जानकारी रखते होंगे। गहन अध्ययन के बाद, मेरा जैसा साधारण-सा सदस्य उस बजट की क्लिष्ट भाषा और गहन आंकड़ों के बारे में ठीक से समझ पाने में समर्थ नहीं हो पाता है।

आखिर यह परम्परा कब से चल रही है? कब इस हिन्दुस्तान की लोक सभा और राजस्थान की विधान सभा में यह आत्मचिंतन करने का प्रयास रहेगा कि हम एक ऐसा बजट पेश करें जिसकी पब्लिक आडिटिंग हो सके, राजस्थान की जनता उस पर अपना सामाजिक मूल्यांकन और अंकेक्षण दे सके? राजस्थान की सरकार जो बजट ला रही है, उसकी निर्धारित आय के स्रोत और जिलेवार, संभागवार खर्च का डायग्राम निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता, तो बंद कमरों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में बैठे हुए अधिकारी, जो आज के बाद, इस वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद, उस बजट को किस रूप में इस्तेमाल करेंगे, यह परम्परा टूट जाती; राजस्थान का चेहरा बदल जाता; राजस्थान में नये हालात खड़े हो जाते।

पहली बार राजस्थान में प्रयोग हुआ, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सम्भाग-वाइज बैठक ली, आम आदमी तक जाने का प्रयास किया, राजस्थान के विधायकों के साथ चर्चा की, राजस्थान के पार्षदों के साथ चर्चा की, राजस्थान के व्यापारियों और किसान संघों के साथ चर्चा की कि आखिर राजस्थान के कल्याण के लिए किस प्रकार का बजट पेश किया जा सकता है, जो न केवल राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाए, राजस्थान के आम नागरिक की समस्या के समाधान के रास्ते को सुलभ कर दे।

माननीय सभापति महोदय, हम कितना ही यहां भाषण दे लें, आपकी सरकार का बजट ऐसा है, आपकी सरकार का बजट ऐसा है; बजट की सार्थकता तब होती है जब उसका सामाजिक मूल्यांकन करके हम यह बता दें कि हमने गरीबी को कितना कम कर दिया, यह राजस्थान के आम आदमी की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरने वाला बजट रहा, हमने बेरोजगारी को कितना दूर किया। आजादी के 69 वर्षों में सरकार ने इस आकलन और आत्मविवेचन की आवश्यकता महसूस नहीं की। महसूस करती, तो गरीबी की अंतिम सीमा पर बैठे हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर, माथे पर, जो आज भी चिंता की लकीरें पड़ी हुई हैं, वे लकीरें दूर हो जातीं। माननीय सभापति महोदय, यह परिणाम आज किसका है, हमारी इस व्यवस्था का है। गरीब और अमीर की खाई हमारी नीतियों के कारण बढ़ी। गरीब, गरीब होता गया। गरीब को किस तरीके से हम बजट का लाभ, अंतिम जगह पर बैठे हुए व्यक्ति को पहुंचाएं, इस बारे में चिंता राजस्थान में 40-50 साल राज करने वाली कांग्रेस ने कभी नहीं की। जब वसुंधरा जी का पहला राज था, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि तब इस बारे में चर्चा हुई। राजस्थान को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में ले जाकर खड़ा कर दिया।

इस सदन में चर्चा होती है, मैं तो दूसरी बार एम.एल.ए. हूं, आपकी सरकार ने तीस प्रतिशत बजट खतम नहीं किया; बजट अनुमानों में से पूरा पैसा नहीं लगा। माननीय सभापति महोदय, इस पर भी कोई मेकेनिज्म

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्थापित करना चाहिए। एक लेखक बजट विश्लेषक पाल, ए.पी.एल.बी. ने इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है, ''सभी मंत्रालय जानते हैं ...'' आज के बाद वित्त मंत्रालय को चला जाएगा। यहां सदन में बैठे हुए तमाम मंत्रियों को अपने विभागों की फाइलों को सैंक्शन कराना है तो वित्त सचिव के पास जाना है और वित्त सचिव उसमें पचास प्रकार के आब्जर्वेशंस और किस प्रकार की व्यवस्थाएं कायम करती हैं, इस परम्परा को पचासों सालों से सब जानते हैं; आप भी जानते हैं, सदन जानता है और मंत्री और अधिकारी ज्यादा जानते हैं। इसलिए उस आर्थिक विश्लेषक ने लिखा है कि ''सभी मंत्रालय यह जानते हैं, वित्त मंत्रालय उनके द्वारा मांगी जाने वाली राशि में कमी कर देगा। अतः वे अनुमान प्रारम्भ से ही बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किये जाते हैं''।

यह आर्थिक विश्लेषकों का मत है और यह मत अचानक नहीं बना है। वसुंधरा जी का आज राज आया और 2015-16 के बजट में उसके अनुमान के अनुसार खर्च करने में कोई कमी-खामी रह गई। यह परम्परा 60 सालों से बन रही है और, माननीय सभापति महोदय, उस परम्परा का परिणाम यह हुआ है कि जिस बजट का उपयोग हम राजस्थान के कायाकल्प के लिए करना चाहते थे, जिस बजट का उपयोग राजस्थान के किसान के जीवन को सुधारने के लिए, राजस्थान में कुपोषण, बेरोजगारी खतम करके एक आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर इस राजस्थान के गरीब को और गरीबी की अंतिम सीमा पर बैठे हुए व्यक्ति को पहुंचाना चाहते थे, वह नहीं पहुंचा पाए। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस में तो कभी यह सोच भी पैदा नहीं हुई; भैरोंसिंह जी का राज आया, तो यह सोच पैदा हुई। कांग्रेस की सोच तो, आपने देखी होगी।

अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया, बजट में आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया। मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। शायद राजस्थान के इतिहास में यह साहस करने का प्रयास मुख्य मंत्रीजी ने किया कि राजस्थान के आर्थिक हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच हम राजस्थान के भरोसे को कायम करने का प्रयास करेंगे। ऐसा राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने नहीं किया। 1998 में जब गहलोत जी का राज आया, तो पूरे पांच साल 156 के जनादेश का सम्मान करने के बजाय, केवल एक रट लगाते रहे, 'खजाना खाली', 'खजाना खाली है, मैं क्या करूं? मैं राजस्थान का विकास नहीं कर सकता।' आज राजस्थान पर सवा दो लाख करोड़ का कर्जा होने के बाद, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के विश्वास को बांधकर चलने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया है कि हम इन परिस्थितियों में से राजस्थान को बाहर निकालेंगे। आज जो बजट पेश किया, उसमें राजस्व घाटा, राजकोषीय वित्तीय प्रबंधन एवं उत्तरदायित्व विधेयक के मुताबिक जो तीन प्रतिशत से बढ़कर साढ़े नौ प्रतिशत के आसपास हो गया, लेकिन एक संकल्प है कि हम जब 2018 का बजट पेश करेंगे तो हम इस राजस्थान के घाटे के बजट को समाप्त कर देंगे। जो कुछ भी चुनौतियां इस राजस्थान में आज इस सरकार के सामने आई हैं, वे पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण आई हैं। ये गलत नीतियां आज से नहीं हुईं।

माननीय सभापति महोदय, ये सारे माननीय सदस्य जब भाषण देते हैं, गरीब हमारे केन्द्र में है; गरीब को गणेश मानकर हम आते हैं। अगर यह डेमोक्रेसी का मंदिर है, तो इस मंदिर का देवता कोई राजस्थान का मुख्य मंत्री, एम.पी. एम.एल.ए. नहीं, इस मंदिर का देवता अगर कोई है, तो इस राजस्थान का गरीब आदमी है जिसके कल्याण की भावना को लेकर हम आते हैं, लेकिन उस गरीब के बारे में जो सोच आज तक इस राजस्थान की राजनीति और हिन्दुस्तान में पनपनी चाहिए थी, वह केवल नारों, मुहावरों, शब्दों में रही; संवेदनाओं में और यथार्थ की धरती पर नहीं आयी। इसके लिए कोई दोषी है, तो केवल, और केवल, कांग्रेस, जिसने बरसों तक इस राजस्थान में और देश में काम किया।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, पहली बार गरीबी के बारे में आत्मचिंतन प्रारम्भ किया कांग्रेस ने 70 से 72 में। हम लोग तो पैदा हुए थे। कैसे किया, गरीबी का आधार क्या होगा, राजाखेड़ा से आने वाले सम्माननीय सदस्य शायद जानते होंगे कि 47 के बाद 70-72 में गरीबी का मूल्यांकन भारत सरकार, तत्समय की, ने किया। तो उसका आधार क्या माना, गांव का आदमी 2,400 कैलोरी खाना खाता है, शहर का आदमी कम मेहनत करता है वह 2,100 कैलोरी खाना खाता है। जो गांव में 2,400 कैलोरी से कम खाना खाता है, वह गरीब है; 2,400 खाता है, वह गरीब नहीं। शहरों में जो 2,100 कैलोरी से कम खाना खाता है, वह गरीब है; जो 2,100 कैलोरी खाता है, वह गरीब नहीं। माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ी तकलीफ की बात, उस कैलोरी का आधार किसको माना, बाजरे को। कैलोरी का आधार बाजरे को मानने के पीछे जो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

धारणा रही कि 100 ग्राम बाजरे में 370 कैलोरी होती है, 365 दिन में हिन्दुस्तान का गरीब आदमी केवल 3 टाइम बाजरा खाए और मस्त रहे। अगर उसको 2,400 कैलोरी मिल गई, तो भारत की उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार उसको गरीब नहीं मानती। गरीब के प्रति इस नज़रिये का उस समय भी जनसंघ ने विरोध किया। यह हिन्दुस्तान के इतिहास का पहला दुर्भाग्य का दिन था, जब भारत की उस समय की सरकार ने गरीबी का मूल्यांकन करते समय हिन्दुस्तान के गरीब आदमी को केवल खाना खाकर जीवनयापन करने वाला एक आदमी मान लिया, कि यह केवल खाना खाकर जीवनयापन करने वाला एक जीव जन्तु है। खाने के अलावा भी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी भी ज़रूरतें होती हैं। यह दुर्भाग्य प्रारम्भ हुआ।

भैरोंसिंह जी के राज में फिर 77 में अन्त्योदय योजना प्रारम्भ हुई, जिसका अंत हो गया हम उसका उदय करेंगे। हमने जब यह गम्भीर प्रयास किया, तो चंद समय बाद सरकार हाथ से चली गई।

माननीय सभापति महोदय, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, 67 में पहली बार यह हुआ, 72-67 में। दुर्भाग्य से, मैं उसे भी हिन्दुस्तान के गरीब आदमी का दुर्भाग्य कहूंगा कि फिर से उसको उपहास का पात्र बनना पड़ा, जब यू पी ए की सरकार ने, प्लानिंग कमीशनर ने गरीबी का विश्लेषण करने के लिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई। सभापति महोदय, शायद आप उस समय केन्द्र में सदन के सदस्य होंगे। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने अपनी क्या रिपोर्ट दी? मैं आज बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, तेंदुलकर कमेटी ने पहली रिपोर्ट 2009 में दी, 578.08 रुपये पर-मंथ कमाने वाला शहरी और 446.67 रुपये कमाने वाला ग्रामीण व्यक्ति, इससे कम वाला ही गरीबी के दायरे में आएगा! इससे बड़ा उपहास हिन्दुस्तान और राजस्थान के गरीब का क्या हो सकता है?

जब योजना आयोग ने परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण एन एस एस 66 में चक्र 2009-10 डैटा का इस्तेमाल करते हुए, तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 के सम्बन्ध में गरीबी अनुपात और गरीबी की रेखा को अद्यतन बनाया और 19 मार्च, 2012 को 2009-10 के सम्बन्ध में गरीबी का अनुमान जारी हुआ, 672 रुपये गांव में और 859 रुपये शहर में। इसके बाद वाले सब अमीर हो गये! मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गरीब का मजाक कोई दूसरा हो नहीं सकता।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इसके बाद जब लोगों ने विरोध किया, तत्समय के पार्लियामेंट के आप जैसे माननीय, सम्माननीय सदस्यों ने विरोध किया, तो फिर एस. तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पर पर्दा डालने के लिए प्लानिंग कमीशन ने सी. रंगराजन कमेटी बना दी। सी. रंगराजन कमेटी ने भी तय कर दिया, प्रति व्यक्ति आय सीमा गरीबी शहरों में 47 और ग्रामीण इलाकों में 32 ।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने मान लिया कि रोटी खाने के अलावा हिन्दुस्तान के गरीब के पास कोई काम नहीं है। उसको कपड़ा नहीं खरीदना है, उसको साबुन खरीदना नहीं, जूते उसको पहनने नहीं, वह बीमार नहीं होगा, उसको दवाई की जरूरत नहीं, गांव से शहर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जेब में पैसे की आवश्यकता नहीं। हिन्दुस्तान के प्रति कांग्रेस का जो नजरिया रहा, इस नज़रिये ने पूरे हिन्दुस्तान का सत्यानाश कर दिया।

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, कि तेंदुलकर समिति की सिफारिशों ने 33-27 माना। आंकड़ों का खेल, गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाली संख्या को 36 से घटाकर 24 करोड़ कर दिया। जब आपने आवाज उठाई, रंगराजन समिति ने 37-32 कर दिया। यह भी दुर्भाग्य है इस हिन्दुस्तान का कि भारत की जनसंख्या का 30 प्रतिशत व्यक्ति आजादी के 61 साल बाद, 36 करोड़ लोग गरीबी की जीवन रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। लेकिन उसके जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इस बारे में कभी कोई गम्भीर चर्चा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान ने अखबारों में पढ़ा, आखिर में हिन्दुस्तान में जब यह कहा गया कि 33 रुपये शहरों में और 27 रुपये गांव में कमाने वाला व्यक्ति, इस सीमा के बाहर का बी पी एल के दायरे में नहीं आएगा, देश के अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी और तमाम लोगों ने जब इसकी निंदा की, तो और मजाक किया गया। कांग्रेस के दो सांसदों ने हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट और बाहर सड़क पर बयान दिया। जब यह सवाल किया गया कि 27 रुपये एक व्यक्ति की इन्कम लिमिट है जीवन चलाने की, तो 27 रुपये में दो टाइम इज्जत के साथ एक व्यक्ति खाना खा लें, परिवार चलाने की बात छोड़िए; तब कांग्रेस के दो सांसदों ने बयान दिया, दिल्ली आ जाइये, हम पांच रुपये में खाना खिलाएंगे; मुम्बई आ जाइये, हम दस रुपये में खाना खिलाएंगे सभापति महोदय, मुझे लगता नहीं कि कोई व्यक्ति पांच रुपये में दिल्ली या मुम्बई खाना खाने के लिए जाएगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गरीब व्यक्ति जो भिखारी का जीवन जी रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं के उस बयान को पढ़कर रात को वह अपनी मुट्ठी में पांच-दस रुपये का कलदार रखकर एक दिन चैन की नींद जरूर सोया होगा कि अब तक तो मुझे ठीक तरीके से खाना नहीं मिला, लेकिन सपने में जाकर उसने राहुल गांधी के घर को जरूर तलाशा होगा कि मुझे कहीं पांच रुपये में भरपेट भोजन मिल जाए। यह तमाशा! उसी समय शर्मिन्दगी की बात, समाचार पत्रों में यह समाचार हमको पढ़ने को मिला कि भारत के प्रधान मंत्रीजी ने, मुख्य मंत्री और कैबिनेट की एक फाइव स्टार होटल में बैठक। पूरे देश के समाचार पत्रों में छपा कि भारत की सरकार ने फाइव स्टार होटल में कार्यक्रम रखकर भोजन किया, उसका सात हजार रुपये पर-प्लेट का खर्चा आया।

माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के आम आदमी और खास आदमी के बीच में 70 से लेकर 150 गुणा का जो अंतर पैदा कर दिया, कौन जिम्मेदार है? इस अंतर को हम पाटना चाहते है। इस अंतर को पाटने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं, कोई चारा नहीं। हमारे शासन की नीतियां पारदर्शी हों, हमारा बजट लोक कल्याणकारी हो और हमारे बजट का इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो। माननीय सभापति महोदय, ये विरूपताएं जब देखीं, ऐसा भयानक दृश्य, तो भारत के प्रधान मंत्रीजी ने नीति आयोग गठित कर दिया; योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को, कि भारत के गरीब का अपमान करता है ...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): प्रधान मंत्रीजी का सूट कितने का है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलें नहीं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन करके तय किया कि इस हिन्दुस्तान में वास्तविक रूप से गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीने वाले आदमी कितने हैं...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): प्रधान मंत्री के कपड़े पेरिस से मिलते थे ... (व्यवधान) और बकवास बंद कर। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें प्लीज। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से कोऑपरेशन चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, यह

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सदन है; गम्भीर चर्चा चल रही है। कांग्रेस के सदस्य इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं! कम से कम एक गरिमा में रहें। (व्यवधान) ऐसा इनको सबक सिखाओ, साहब।

श्री सभापति: विराज जाएं। सभी माननीय सदस्य गरिमा में रहें और माननीय सदस्य को बोलने दें। बोलिये आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया।

श्री सभापति: शब्द तो कोई बोले ही नहीं, 'अअअSSS' कर रहे हों। अच्छी बात नहीं है। हमारे राजस्थान की विधान सभा की परम्पराएं हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग का गठन करने के पीछे प्रधान मंत्रीजी की मंशा, कि अगर हम भारत को सर्वोच्च शिखर पर देखना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें उस वास्तविकता का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि भारत का गरीब व्यक्ति आज किस दौर से गुजर रहा है, भारत में गरीबी का स्तर क्या है। जब नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, इस राजस्थान के सपूत पनगड़ियाजी, और तीव्र गति से काम करते हुए पनगड़िया ने अपने प्रारम्भिक आंकड़ों में बता दिया कि आजादी के 68-69 साल बाद इस भारत की आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा, 50 करोड़ लोग, आज भी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जी रहे हैं, आज भी। तब भारत के प्रधान मंत्रीजी ने कहा, गरीबी को लेकर, कि यह जो पूरे देश में गरीबी की जड़ें गहरा गई हैं, यह जो गरीबी का एक नया अर्थशास्त्र खड़ा हो गया, जिसे सरल शब्दों में उन्होंने दुष्चक्र किया, यह दुष्चक्र शासन की एक लम्बी व्यवस्था में फंस गया। उस शासन की लम्बी व्यवस्था के लिए केवल, और केवल, कांग्रेस जिम्मेदार रही है।

उन्होंने जिन शब्दों का, एक अर्थशास्त्री ने यहां पर उपयोग किया है, गरीबी पर अध्ययन करते हुए, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने स्पष्ट लिखा, आपने देखा होगा, पिछली बार प्रतिपक्ष सत्ता में था, शासन की कोई नीतियां नहीं थीं, जब शासन लाने के लिए अंतिम समय में जिस प्रकार से साड़ियां बांटी गईं, घी बांटा गया, बल्ब बांटे गये, वोटों को खरीदने के लिए, माननीय सभापति महोदय, भारत की गरीबी पर अध्ययन हुए और आखिरी में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जो गरीबी पर धारणा केन्द्रित हुई, उसके पीछे यह बताया गया कि सरकारों का एक काम रह गया कि पूंजी मांगों, पूंजी उधार लाओ और पूंजी बांटों। प्रचलित राजनीतिक व्याकरण में कांग्रेस ने ऐसी ही परम्परा स्थापित कर दी कि इससे राज्य और समाजवाद की अवधारणा के अनुरूप मान लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक उन्नयन का जो हमारा पक्ष था, गरीबी का आर्थिक उन्नयन का जो पक्ष था, वह नजरअंदाज हो गया।

माननीय सभापति महोदय, गरीबी के इस आंकड़े ने भारत के प्रधान मंत्रीजी तक को चिंतित कर दिया। उन्होंने कहा, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो फिर हमें भारत में कौशल विकास के कार्यक्रम चालू करने पड़ेंगे। भारत के आम आदमी को 'पूंजी लाओ, पूंजी खाओ, पूंजी बांटों', इस वृत्ति से बाहर निकालकर आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने के लिए उसके हाथ को हुनर देना पड़ेगा, और कदम बढ़ा दिये कौशल विकास की तरफ।

इसी दिशा में राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने भी राजस्थान में कौशल विकास के कार्यक्रम प्रारम्भ किये। मुझे आज यह कहते हए फख्र है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार से कौशल विकास के कार्यक्रम हमारी सरकार ने पिछले दो सालों में किये, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर कौशल विकास के बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम संचालन करने के लिए भारत में हमारा पहला स्थान था। पहला स्थान! सराहा भारत सरकार ने। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

इतना ही नहीं, यह नहीं कहा, खजाना खाली है, मैं क्या करूं? उन्होंने जब बजट पेश किया, तो इस राजस्थान को आंकड़ों के भ्रमजाल में डालने का प्रयास नहीं किया; चुनौतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। उन्होंने अपने बजट भाषण के पैरा नम्बर 7 और 8 में जिसका उल्लेख किया, माननीय सभापति महोदय, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं- ''वर्तमान वर्ष वितीय प्रबंधन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।'' राजस्थान की जनता में भ्रम नहीं रहे, सरकार की संवेदनाएं पूर्ण राजस्थान के प्रति जाग्रत हैं, लेकिन हालात से राजस्थान का साक्षात्कार होना चाहिये। इसीलिये अपनी बजट घोषणा में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, ...''कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण गत सरकार के समय विद्युत कम्पनियों का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कुप्रबन्धन, उनका 80 हजार करोड़ रुपये का विशाल ऋण, अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते हुए मूल्य के कारण राजस्व में आई कमी एवं वेतन-पेंशन पर बढ़ता हुआ व्यय रहा है। मैंने समय-समय पर सदन के अन्दर तथा विभिन्न सार्वजनिक मंचों के माध्यम से प्रदेश की चरमराई अर्थव्यवस्था, वित्तीय कुप्रबन्धन और विशाल कर्ज के बोझ का उल्लेख आमजन, जन-प्रतिनिधियों और मीडिया के समक्ष विस्तार से किया है। गहन अध्ययन और ठोस आंकड़ों के आधार पर हमने आने वाले जिस मुश्किल दौर का उल्लेख किया था और जिस बात की मुझे पूर्ण आशंका थी, वह अब सच साबित हुई है।'' राजस्थान के सामने विकट आर्थिक हालात, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा, ''इन सभी वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद हमने इस बजट में पूंजीगत कार्यों एवं सामाजिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किये हैं। हमने यह बजट लोगों की उम्मीदों के अनुसार ही बनाने का प्रयास किया है। उनके सपनों को साकार करने का प्रयास किया है। यह बजट सरकार का नहीं, बल्कि प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं का प्रतिबिम्ब है। इस बजट के माध्यम से हमने आगामी तीन वर्षों के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने की कोशिश की है, जो तीन साल में हमारे प्रदेश को एक ऐसे 'स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान' की ओर ले जायेगी, जहां मजबूत आर्थिक आधारभूत ढांचे के साथ-साथ आमजन के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच होगा, जो किसी परिवार के जीवन में आने वाली आपदाओं के समय उसे सम्बल प्रदान कर सके, उसकी जिंदगी में खुशहाली ला सके और राजस्थान को सशक्त, समृद्ध, स्वाभिमानी और खुशहाल बना सके। तीन वर्षों के अंत में, मैं एक ऐसे प्रदेश की परिकल्पना कर रही हूं, जहां के नागिरक स्किल्ड एवं डिजिटली एजुकेटेड हों तथा सरकार की कार्यप्रणाली सरल, पारदर्शी एवं एफिशिएंट हो और जो विजन 2020 को हासिल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो।''

मानीय सभापति महोदय, कोई तथ्य नहीं छुपाये हैं, कोई आंकड़ों के भ्रमजाल में राजस्थान को नहीं रखा और जो राजस्व घाटा हुआ, स्पष्ट तौर पर इस बजट में पेश किया। माननीय सभापति महोदय, चुनौतियों से भागना हमारा काम नहीं है। चुनौतियों से लड़ना हमारा संस्कार है, हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का विचार है, संस्कार।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

यह केवल आज नहीं। माननीय सभापति महोदय, जब 1970 के दौर में इस हिन्दुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने लोगों को बाजरा खाकर जीवन जीने वाली वस्तु समझ लिया और तय कर दिया, उसको इसके अलावा कोई कपड़े की, पीने के पानी की, साबुन की, ट्रांसपोर्टेशन की, घर की, परिवार की कोई चीज की जरूरत नहीं। वह बाजरा खावे, 2,400 कैलोरी पावे, मस्त रहे। उस समय जब 1977 में हिन्दुस्तान का राजनीतिक भूगोल बदला, कांग्रेस की इमरजेंसी के अत्याचारों के बाद, और जब हिन्दुस्तान का राजनीतिक भूगोल बदला, तो हिन्दुस्तान का राजनीतिक भूगोल बदलने के बाद जब भैरोंसिंहजी शेखावत इस राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, माननीय सभापति महोदय, पहले दिन तय किया कि जो आजादी के तीस साल बाद इस शासन की व्यवस्था के कारण, इसकी विरूपताओं के कारण, वह राजस्थान का आम गरीब आदमी जो अपना अस्तित्व खो चुका है, जो गरीबी की अंतिम सीमा रेखा पर बैठा हुआ है, जिसके जीवन का अंत हो गया है, उस अंत के, और जिसको 30 सालों में..., माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा। मंत्री महोदय।

श्री सभापति: माननीय सैनीजी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य को शांति से सुनें। अच्छा बोल रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आजादी के 30 साल बाद जिस व्यक्ति को खाना खाकर जानवरों की तरह जीवन जीने वाला प्राणी बना दिया था, जिसका अंत हो गया था, हमने उसके उदय की योजना बनाई, अंत्योदय योजना। इस अंत्योदय योजना का जब मैं आज जिक्र करता हूं, तो इस राजस्थान का एक-एक व्यक्ति जानता है कि भैरोंसिंहजी शेखावत ने, जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, अंत्योदय अन्न योजना में जनता के लिए सरकार के खजाने के दरवाजे खोल दिये। सहकारी समितियों के अध्यक्ष और ग्राम पंचायतों के सरपंच गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज के खजाने से अन्न के भण्डार ले जाकर थक गये, राज के खजाने के दरवाजे बंद नहीं हुए। यह मिसाल कायम की। यह हमारा क्रांतिकारी सोच था। यह समाज में परिवर्तन लाने का एक हमारा क्रांतिकारी कदम था और उस कदम को केवल राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में उसकी प्रशंसा हुई और, माननीय सभापति महोदय, यहां तक कि ब्रिटेन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में अंत्योदय अन्न योजना पर अध्ययन हुआ। इतनी लोकप्रिय हमारी अंत्योदय अन्न योजना हुई।

और, केवल इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, आप तो अटलजी की गवर्नमेंट में सांसद रहे हैं, हमारे विकास का विजन टेम्परेरी नहीं है, चंद समय के लिए नहीं होता है; हमारा विकास का नजरिया आम आदमी से लेकर इस देश के चहुंमुखी विकास का होता है, और जब अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार आई, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कौन नहीं जानता और प्रधानमंत्री सड़क योजना लाने के पीछे विजन क्या था, माननीय सभापति महोदय? सारा का सारा सदन जानता है कि आजादी के 69 साल बाद आज हम हिन्दुस्तान के गांवों में पानी, बिजली, सड़क जैसी पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा पाये। इससे राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति हिन्दुस्तान के आम आदमी का विश्वास टूट रहा है। पहला प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान की राजनीति में वाजपेयीजी पैदा हुए जिन्होंने कहा कि हम लोगों को टूटते हुए विश्वास को, जो परम्पराएं 50 सालों की वादों और झांसों के आधार पर बांध कर रखने की है, वह नहीं रखा जा सकता। वादों और झांसों से लोगों के विश्वास को और अधिक बांधने का अगर दुष्प्रयास किया गया, लोगों का भरोसा टूट गया, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लड़खड़ा जाएगा, यह व्यवस्था चरमरा जाएगी। अब इस विश्वास को, जो रेशम के बारीक धागे से भी बारीक है, इसको बांध कर रखने के लिए कल्याणकारी योजनाएं लानी पड़ेंगी, उनका भरोसा जीतने की नीतियां लानी पड़ेंगी, विकास की चकाचौंध उनको दिखानी पड़ेगी।

प्रधानमंत्री सड़क योजना; नदियां जोड़ो। बिहार में बाढ़ से लोग मर रहे हैं और हम दुर्भाग्यशाली कि हर तीसरे साल अकाल पड़ता है। अकाल से किसान बरबाद होता है। बाढ़ और अकाल दोनों को अवसर में बदल देंगे। ऐसा क्रांतिकारी विजन लेकर नदी जोड़ने की योजना प्रस्तावित की और इतना ही नहीं, ईस्ट-वेस्ट व नोर्थ-साउथ कोरिडोर, ऐसी सैकड़ों महत्वकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम बनाये। दुर्भाग्य था इस हिन्दुस्तान का कि सत्ता बदल गयी। कार्यक्रम बनाया कि जो गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, उस पलायन का एक मुख्य कारण, गांव का व्यक्ति अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन चाहता है, अच्छी चिकित्सा चाहता है और एक सोच भारत को देने का प्रयास किया कि अगर 2004 के बाद सत्ता रिपीट हुई, तो हिन्दुस्तान की प्रत्येक पंचायत समिति पर एक जिले के रैफरल अस्पताल के बराबर का अस्पताल खोलेंगे;

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय के बराबर के पांच हजार बच्चों की क्षमता का विद्यालय प्रत्येक पंचायत समिति के मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम का खोला जाएगा। यह नजरिया है हिन्दुस्तान के प्रति और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, माननीय सभापति महोदय, भारत में यह नजरिया यदि आजादी के बाद आया होता, तो आज भारत के ये हालात नहीं होते। भारत के इन हालातों के प्रति जो जिम्मेदार है, तो आजादी के बाद जिन्होंने शासन की बागडोर संभाली। शासन की चकाचौंध में इस प्रकार खो गये कि 'दीया तले अंधेरा', इस हिन्दुस्तान की गरीबी का मूल्यांकन नहीं किया। वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त हिन्दुस्तान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के बारे में कल्पना नहीं हुई कि कैसे उस गरीब को उठाया जाए। जब-जब भी हमारी सरकार आई, तो अटलजी की योजनाओं ने इस देश की, भारत के विकास के पंख लगा दिये।

माननीय सभापति महोदय, आज सारी दुनिया में अमरीका, जापान से लेकर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और आर्थिक मंदी में लोगों के भरोसे को जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी दोनों की चिंता है कि इस आर्थिक मंदी के दौर में, इन विषम हालातों में कैसे देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे राजस्थान के नौजवानों के सामने रोजगार के अवसर पैदा किये जाएं, कैसे गरीब आदमी के लिए उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा किये जाएं? यह अवसर पैदा करने के लिए पिछले दिनों राजस्थान की सरकार का प्रयास पूरे हिन्दुस्तान ने देखा। 'रिसर्जेंट राजस्थान', लोग आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं कि 'रिसर्जेंट राजस्थान' केवल पूंजीपतियों की मेहमाननवाजी बन गया। 'रिसर्जेंट राजस्थान' मेहमाननवाजी नहीं, साढ़े तीन लाख करोड़ के एम.ओ.यू. और केवल वे एम.ओ.यू. ही नहीं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मानिटरिंग सैल भी मुख्य मंत्रीजी ने बना दिया। लगे रहे इसके पीछे, निवेश को खींचकर लाए और निवेशक और राजस्थान दोनों की जरूरत को पूरा करें, यह जो कल्याणकारी सोच बनी है, माननीय सभापति महोदय, यह अपने आप में राजस्थान के सुनहरे सपने को पूरा करने वाली सोच होगी।

पर मैं बहुत गम्भीरता के साथ, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के सम्माननीय सदस्य कई बार खड़े होते हैं, जब कभी भी किसी भी डिमांड पर खड़े होते हैं, तो कहते हैं कि क्या किया आपने ढाई साल में? मैं जब अभिभाषण पर बोल रहा था, तब भी, माननीय सभापति

(श्री प्रहलाद गुंजल)

महोदय, इसका जिक्र किया था, हमने ढाई साल में क्या किया? 2013 में जब आप राज छोड़कर जा रहे थे, भगवान के लिए, अपने पांच साल के राज की आर्थिक स्थिति का श्वेत पत्र अगर उस चुनाव में राजस्थान की जनता के सामने रख देते, तो आज आप जिस 24 की स्थिति में बैठे हुए हैं, उस स्थिति में भी नहीं होते।

आप इस राजस्थान के वे हालात करके चले गये, नया काम करना आसान होता है पर बिगड़े काम को बनाना आसान नहीं होता। अगर आज राजस्थान में नया काम करने का अवसर होता, आप बिगाड़ कर चले गये, उस बिगड़े काम को बनाने के लिए दिन-रात राजस्थान की सरकार, राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी लगातार चिंता कर रही हैं। जो ढर्रा पिछले 60 साल में बिगाड़ दिया, आपकी जो दोषपूर्ण नीतियां रहीं 60 साल राज करने की, उन दोषपूर्ण नीतियों ने, स्वार्थपरक शासन की स्वार्थपरक नीतियों ने चारों तरफ अंधकार का वातावरण खड़ा कर दिया। गरीबी पसरती जा रही है; लोगों में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। सब सम्माननीय सदस्य जानते हैं कि राजनीति और राजनेता दोनों के प्रति लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। उसके सामने गम्भीर चुनौतियां हैं।

ऐसे हालात, अभी पिछले दिनों जो देश के राजनीतिक वातावरण में देखने को मिला कि न केवल इनके आचरणों से देश में चारों तरफ घोर अंधेरा छाया, देश के अन्दर और बाहर, देश-द्रोही और दुश्मनों के बीच सांठ-गांठ की बू आ रही है। भारत के खिलाफ नारे लगाये। हम उनको प्रोटेक्ट करें! राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है; देशद्रोह की परिभाषा क्या है; आजादी के 69 साल, 67 साल बाद हम बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याओं से लड़ने के बाद इस प्रकार के मुद्दों में देश को उलझाकर रखें। साम्प्रदायिकता क्या है; देशद्रोह क्या है; किस तरीके से उसने राष्ट्रवाद का अपमान कर दिया; यह एक एजेंडे के तहत इस देश को बरबाद करने के ढर्रे के लिए जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं।

मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, 60 साल में से कम से कम 55, 58 साल कांग्रेस के राज से उकताये हुए लोगों ने, जिस पार्टी ने दशकों तक, जिसका आजादी में अपना योगदान है, हिन्दुस्तान में राज किया और आज उस पार्टी की हालत इस लोक सभा में यह हो जाए कि वह नेता, प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए, और जिस उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

न जाने कितने प्रधान मंत्री दे दिये, उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिलीं, लोक सभा में अकेले उसके बराबर कांग्रेस पूरे देश से सीटें नहीं ला पाई। ये हालात यूं ही नहीं बने। लोगों के जख्म, उसका आत्म-सम्मान जाग गया, उसका स्वाभिमान जाग गया। आजादी के 60 साल बाद वह स्वयं गरीब भी आत्म-चिंतन करना चाहता है कि आखिर मेरे साथ राजनीतिक व्यवस्था कितना न्याय कर पा रही है, कितना दोषपूर्ण तरीके से इस शासन को चलाकर मेरे हक और अधिकार का कत्ल करती हुई चली जा रही है।

लोगों की तह तो यहां तक आ गयी, माननीय सभापति महोदय, अगर हमने भरोसा नहीं जीता, जिसके लिए मोदीजी प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वसुन्धराजी प्रयास कर रही हैं; इस कांग्रेस पार्टी ने लोगों के मन को इतना घायल करके वहां तक पहुंचा दिया कि हर पांच साल में लोग अपने कल्याण के लिए सरकारें नहीं बदलते; एक सरकार के दुष्कर्मों से पीछा छुड़ाने के लिए सरकारें बदलने के लिए वोट डालने लग गये। यह मानसिकता अगर हिन्दुस्तान के मतदाता में घर गयी कि मुझे एक लोककल्याणकारी सरकार चुनने के बजाय, जो पिछली जुल्मी सरकार थी, जिसने मेरे आर्थिक हितों की उपेक्षा की, जिसने मुझे सामाजिक, राजनीतिक और भौतिक सुरक्षा की गारंटी देकर आर्थिक बरबादी के ढांचे पर ले जाकर खड़ा कर दिया, मुझे इससे छुटकारा पाना है; अगर भारत के, राजस्थान के मतदाता का यह सोच बन गया, तो लोकतंत्र का इससे बड़ा काला अध्याय कोई दूसरा नहीं हो सकता। और यह केवल एक पक्ष के लिए चुनौती बन जाता है, यह हिन्दुस्तान की सारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए चुनौती है, यह सारी की सारी व्यवस्था में काम करने वाले उन तमाम लोगों के लिए चुनौती है कि हिन्दुस्तान के आम जन मानस को किस तरीके से ठीक करें, किस तरीके से उस भरोसे को जीतें, किस तरीके से उसके टूटते हुए भरोसे को जीतकर, फिर से एक व्यवस्था में उसकी बहाली को, विश्वास की बहाली को लेने के लिए हम काम करें। अगर हमने इस दिशा में, माननीय सभापति महोदय, प्रयास नहीं किया, तो हिन्दुस्तान की इस व्यवस्था को पैदा करने के लिए जिम्मेदार पार्टी का जो हश्र किया है, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, अभी तो 40 आये हैं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, इन हालातों के चलते हुए 4 रह जाएंगे। आप कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, अभी राहुल गांधी की नेता के रूप में स्वीकार्यता नहीं बन रही। यह सच नहीं है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह आपको किसने कह दिया? राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, हमारे सबके नेता हैं और सांसद हैं। यह बात कैसे कह सकते हो आप? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। बोलने दें इनको।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): डोटासरा जी, आप बोलते हो, तब मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह इस फाइनेंस बिल में लिखा हुआ है क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: डोटासरा जी, आप अपना नेता मानो, लेकिन जनता नहीं मान रही है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आप बोलते हो, तब डिस्टर्ब नहीं करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह कैसे बोल सकते हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं आप जब बोलते हो तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आपका निजी...(व्यवधान) यह कैसे बोल सकते हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। आपका कोई भी सम्मानित सदस्य बोलता है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं और यह परम्परा डाली, तो मेरी आवाज इस सदन में किसी सदस्य से कमजोर नहीं है। (व्यवधान)... गलत परम्परा मत डालिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, अगर हमारे नेता के लिए आप बात करोगे और हम नहीं बोलेंगे!

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उनको अपनी बात रखने दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम मोदीजी के लिए बोलें, तो आप नहीं बोलोगे?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इस बात को बोलना है, बोल लेना। आपको बोलना है, तब आप बोल लीजियेगा। मैं आज उस सच्चाई से आपको

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रूबरू कराना चाहता हूं। आपके नेता की स्वीकार्यता नहीं; इस हिन्दुस्तान में से आपकी स्वीकार्यता खतम हो गयी है, आपके दल की स्वीकार्यता खतम हो गयी है। अब हिन्दुस्तान में सरकार बनाना आपके लिए सपना और कल्पना से बड़ी चीज नहीं है। आप यह मानकर चलिये। देखा है हिन्दुस्तान ने 2004 से लेकर 2013 तक का यू पी ए शासन। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह फाइनेंस बिल है क्या?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पढ़कर बता दूंगा, माननीय डोटासरा जी, फाइनेंस बिल पर देश और समाज की सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करने का प्रिविलेज माननीय सदस्यों को होता है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पढ़कर बता दूंगा मैं। आप इस पर टिप्पणी मत करिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो, अभी प्रधान मंत्रीजी ने पार्लियामेंट में भाषण किया। माना, इस व्यवस्था के लिए राजनीतिक व्यवस्था भी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन हम एक दूसरे पर छींटाकशी करके, विरोध करके, केवल राजनीतिक व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार बनाएं, यह पर्याप्त नहीं होगा। यह जो ब्यूरोक्रेसी का कॉकस बन गया, इस कॉकस को सुधारने की आवश्यकता है। आज इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अकेली राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है।

अंग्रेजों के शासन से चली आ रही ब्यूरोक्रेसी की शासन की व्यवस्था, जो अंग्रेजों के समय कायम थी, आजादी के बाद अपनी मानसिकता को नहीं बदल पायी। नहीं बदल पायी मानसिकता को। जो आजादी के पहले से आई.ए.एस. लोग चले आ रहे थे, सर्विस सेवाएं चली आ रही थीं और नौकरशाही के उस आचरण और व्यवहार को देखकर, कार्ल मार्क्स के शब्दों में, लेखक प्रभात कुमार दत्त ने लिखा है, ''भारत की नौकरशाही मनुष्य को सामान्य प्रचालन की वस्तु मात्र समझती है और इसलिए उसकी संवेदनाएं कभी भी गरीब आदमी के साथ जुड़ नहीं पायीं।'' इसीलिए आज भी नौकरशाही, अंग्रेजी काल की उस मानसिकता का असर दिख रहा है और दिख नहीं रहा, यह भी उन्होंने उल्लेख किया है कि नौकरशाही साधारण गरीब आदमी की मानवीय क्षमताओं को बहुत कम करके आंकती है। जो इंसान की क्षमताओं को, इंसान की बुद्धि को, योग्यता को, कम करके आंकने का प्रयास करे... मैं बहुत बड़े दुष्चक्र और चक्रव्यूह से निकलकर दूसरे, तीसरे से पहले

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्थान पर आया हूं। बहुत बड़ा चक्रव्यूह तोड़ा। जो नौकरशाही इस हिन्दुस्तान के आम आदमी की क्षमताओं को औसत से नीचा मानती हो और उस पर सदैव शासन चलाने की मानसिकता रखती हो, उसको प्रशासन के डंडे से हांकने की मानसिकता रखती हो, और यह भी शाश्वत सत्य है, माननीय सभापति महोदय, उस नौकरशाही का आचरण, चाहे सरकार आपकी कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बी जे पी की हो, सरकार का चेहरा-मोहरा जो बनता है, उस नौकरशाही के आचरण और उसकी कार्य पद्धति के आधार पर बनता है। उनका आचरण खराब है, उनकी कार्य क्षमता खराब है, आम आदमी के प्रति उनका नजरिया ठीक नहीं हो, और पांच साल बाद उसका दण्ड भुगतना पड़े; सरकारों में काम करने वाले लोगों से जनता नाराज होकर व्यवस्था में तब्दीली कर दे।

इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं, हमें आपस की राजनीतिक व्यवस्थाओं को दोष देने के बजाय, एक मेकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा। मेकेनिज्म किस प्रकार का? हम ब्यूरोक्रेसी को कैसे डेमोक्रेटिक बनावें; ब्यूरोक्रेसी लोगों के प्रति उत्तरदायी कैसे बने।

माननीय सभापति महोदय, राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल गयीं। कोई सच नहीं कहना चाहता। पहले हम जब राजनीति में आये थे, तब कहते थे, सच कहना अगर बगावत है तो समझो, हम भी बागी हैं। आजकल नारा ही बदल गया। 'सत्यम् ब्रूयात, प्रियं ब्रूयात, मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम'; सत्य बोलो, प्रिय लगने वाला। आज अगर मैं ब्यूरोक्रेसी के आचरण के बारे में जब चर्चा कर रहा हूं, तो मंत्री और प्रमुख शासन सचिव के बीच के सम्बन्ध और समन्वय की चर्चाओं के आधार पर आज फैसला कर लें कि आज डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार की सुप्रीमेसी बची है क्या? अगर डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार की और मंत्रिमण्डल की सुप्रीमेसी नहीं बचेगी, तो यह व्यवस्था लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और यूं तो फिर थोड़ा बोलते ही पर्ची भी आ जाएगी। मैंने राहुल जी का नाम लिया, तो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हो गये और अगर वे मोदीजी का नाम लेंगे, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। हम व्यवस्थाओं के दोष को नहीं ढूंढेंगे, हम एक-दूसरे के चरित्र पर आक्षेप लगाते रहेंगे। हम व्यवस्था की कमी और खामियों को ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। इस व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी और कौन जिम्मेदार है? आज समय आ गया है, जब इस सदन को सामाजिक सामूहिक जिम्मेदारी के भाव से काम करना पड़ेगा। राजस्थान में निरंकुश होती ब्यूरोक्रेसी...

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं आज जिक्र करना चाहता हूं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे आज इर्रेलेवेंट बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हिन्दुस्तान में जो ताजा उदाहरण हुआ, हमने पिछले सैशन के अन्दर, माननीय मंत्रीजी, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: शांति से सुनें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूं, डेमोक्रेसी कहां जा रही है। इस सदन में कुछ माननीय सदस्य वकील हैं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, लूणकरणसर से आने वाले, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, चले गये; सदन की परम्पराओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को हमसे ज्यादा जानते हैं। हम इनको देखकर सीख रहे हैं। पिछले सदन में बिल पारित हुआ, मैं एग्जेक्टली उस बिल को स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या हश्र हुआ? भारत के संविधान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है, और भारत के संविधान का कोई अनुच्छेद कालेजियम की व्यवस्था को जन्म देने का उल्लेख नहीं करता। चार सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर भारत के संविधान का वायलेशन करते हैं और वायलेशन करके, अपने अनुकूल एक व्यवस्था कायम कर दें, राजनीति की लचर व्यवस्था आत्मसमर्पण कर दे और कोई भारत का एक प्रधान मंत्री संविधान का वायलेशन समझकर, भारत का संविधान संशोधन करके, दोनों सदनों ने शत-प्रतिशत बहुमत और इस हिन्दुस्तान की 20 विधान सभाओं ने जिसको पारित किया हो, फिर वही पांच लोगों का पैनल भारत की डेमोक्रेसी के इतने बड़े फैसले को क्वेश कर दे।

यह आचरण ब्यूरोक्रेसी में पनप रहा है, आपके आदेशों को भंग कर रहा है, जन-प्रतिनिधियों की मर्यादा को भंग करने वाला है और इन परम्पराओं पर हमको आत्म-चिंतन करना पड़ेगा। अगर हमने आत्म-चिंतन नहीं किया, तो, माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, हम एल एल ए ही बनकर आएंगे, हम एम.पी. ही बनकर आयेंगे, सरकारें ही बनेंगी, लेकिन सरकारें इस विश्वास के साथ नहीं, लोक कल्याण करेंगी; सरकारें इस भाव से, मेरे को चुनाव में जो सपना दिखाया था, वह कल्पना बनकर रह गया; मुझे इस व्यवस्था को बदलना है, पांच साल में इसकी तब्दीली करनी है, उस तब्दीली का लाभ हमको भी मिलेगा।

मैं बहुत ईमानदारी के साथ आज कहना चाहता हूं, सदन की नेता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

संवेदनशील हैं, भारत के प्रधान मंत्रीजी संवेदनशील हैं, गम्भीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं और प्रयास ही नहीं कर रहे हैं...।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट। जिस प्रकार से डेमोक्रेसी के एक बहुत बड़े फैसले का अनादर हुआ, चुनौती है पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए। हम किसी की सुप्रीमेसी को चुनौती नहीं देते, लेकिन संविधान अपने आपमें संशोधन करने का अधिकार भारत की चुनी हुई व्यवस्था को देता है। उसको भी चुनौती मिल जाए, क्वैश कर दिया जाए! और इसी प्रकार के ढर्रे पर चलते हुए, हमने कोई कोड आफ कंडक्ट नहीं बनाया, कोई मेकेनिज्म नहीं बनाया। आखिर आज के बाद बजट का इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किस का है, ब्यूरोक्रेसी का। किसी एम.एल.ए. को पता है कि बजट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, बजट किस तरीके से खर्च होगा? इस पर प्रभावी नियंत्रण करने का काम करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापतिः नहीं। माननीय प्रहलाद जी, मुख्य मंत्रीजी को पांच बजे जवाब देना है। इसलिए संक्षिप्त में।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): दो-तीन मिनट में बात खतम कर रहा हूं; दो-तीन मिनट में।

हमको नियंत्रण की व्यवस्था सुदृढ़ करनी पड़ेगी, बजट इम्प्लीमेंटेशन पर ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं रामगंजमंडी से पहले एम.एल.ए. था, आप सांसद थे, एक छोटी-सी योजना का उदाहरण दे रहा हूं, अगर इम्प्लीमेंटेशन के यही तौर-तरीके रहे तो सरकारों के बजट के क्या हाल होंगे। ताकली डैम आपके प्रयासों से सैंक्शन हुआ, बनाते समय उसको 2010 तक पूरा करने का टारगेट 70 करोड़ रुपये था, आज वह योजना लम्बित होकर पौने दो सौ करोड़ की हो गयी; दुगने से भी ज्यादा की हो गयी। यह तो मैं सौ करोड़ से कम के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। हजारों करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट ब्यूरोक्रेसी की नेग्लिजेंसी और कार्य उदासीनता के कारण लम्बे समय तक खिंचते चले जाते हैं, जिसमें सरकार के हजारों करोड़ रुपये व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, इस पर निश्चित रूप से कोई न कोई बात कायम होनी चाहिए।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं एक जी.एस.टी. पर छोटी-सी चर्चा करना चाहता हूं। कोटा के विकास को लेकर मुख्य मंत्रीजी संवेदनशील हैं। हमारे यहां पानी की पाइपलाइनें नई कालोनी और पुराने शहर में बदले जाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा, मुख्य मंत्रीजी यह आशीर्वाद जरूर कोटा को देंगी।

जी.एस.टी. के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जी.एस.टी. को थोड़ा-सा पढ़ा है, लोग समझ रहे हैं, जी.एस.टी. लग जायेगी, राजस्थान की जनता पर एक ही टैक्स लगेगा। माननीय सभापति महोदय, जो आज हमारी व्यवस्था है, सेल्स टैक्स, वैट और सेंट्रल एक्साइज टैक्स; सेंट्रल टैक्स; जी.एस.टी. लगने के बाद भी कांग्रेस ने जो ड्राफ्ट किया है, उसमें ड्यूअल जी.एस.टी. की व्यवस्था की है, डबल जी.एस.टी.; स्टेट भी अपना टैक्स लेगा, सेन्टर भी अपना टैक्स लेगा, और उसका जो दुष्परिणाम आयेगा, आज जो कुछ वैट की अनुसूची में छूट प्राप्त है, कुछ सेन्टर की अनुसूची में छूट प्राप्त है, दोनों की समान सूची बनेगी और सेन्ट्रल की जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें डेढ़ करोड़ के मिनिमम टर्न-ओवर के ऊपर जाकर टैक्स लगता है, हमारे यहां पर पांच लाख, दस लाख पर टैक्स लगता है; जब यह जोइंट सूची अलग-अलग स्लैब की बनते समय छोटे व्यापारी पर इस जी.एस.टी. का इतना बड़ा भार पड़ने वाला है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके पैरामीटर्स बदलेंगे। फिर क्या अन्तर है वैट एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज टैक्स में? जी.एस.टी. में स्टेट भी वसूलेगा, सेन्टर भी वसूलेगा। इतना ही नहीं, जब हर व्यापारी जी.एस.टी. के अधीन आ जायेगा, तो उसके ऊपर सर्वे करने का अधिकार स्टेट सेल्स टैक्स के साथ-साथ ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हां, दो मिनट में।

सेन्टर के एक्साइज डिपार्टमेंट को भी होगा। कहीं मेकेनिज्म बने, मुख्य मंत्रीजी बात करें, कि उस पर कहीं सर्वे हो, तो एक विभाग कार्यवाही करे। दोनों सर्वे करने का राइट सेक्शन 69 के अन्तर्गत रखते हैं, दोनों उसको अरेस्ट कर सकते हैं, दोनों उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।

फिर आई.जी.एस.टी., अगर राजस्थान का मार्बल दिल्ली में जायेगा, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला; केन्द्र में जायेगा, केन्द्र धनवान हो जायेगा। हमारे यहां से जो मार्बल, धनिया और पत्थर एक्सपोर्ट होता है, उस पर जो आई.जी.एस.टी. लगेगा, जी.एस.टी. में जो स्टेट का टैक्स और सेन्टर के टैक्स

(श्री प्रहलाद गुंजल)
के अलावा तीसरा है आई.जी.एस.टी., इन्टर-स्टेट सर्विस एण्ड सेल्स टैक्स, जो भी है उसके ऊपर, वह इन्टर-स्टेट जब लगेगा, तो पैसा केन्द्र में जायेगा। उस पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): एक आदेश अभी निकला है, अंतिम बात कर रहा हूं...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना है, उसके पहले कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): लोक अभियोजकों के बारे में अयोग्यताओं को लेकर के एक आदेश निकाला है गृह मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः एक मिनट में अपनी बात आप कह दें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): एक आखिरी।

उन्होंने तय कर दिया कि जो लोक अभियोजक 25 परसेंट कंविक्शन नहीं करा पायेंगे सेवाएं देते हुए, स्वतः ही उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, कंविक्शन का काम किस का है? आप एफ.आई.आर. दर्ज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, केस आफिसर स्कीम आपने लागू कर रखी है और सारा का सारा कंविक्शन एविडेंस के ऊपर निर्भर करता है। एविडेंस को लाने की जिम्मेदारी पुलिस की है। इन सारी चीजों के बीच में अगर 25 प्रतिशत कंविक्शन नहीं हुआ, अधिकारियों ने आदेश दे दिया, ए.पी.पी., सहायक लोक अभियोजक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त कर दी जायेंगी। पिछले राज में तो कंविक्शन आधा परसेंट रहा होगा, तो भी जो कांग्रेस के वकील, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक बने होंगे, कभी अयोग्य नहीं हुए। हमारे चार दिन बाद अयोग्य हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान के गृह मंत्री को इस पर विचार करके और इस आदेश को विथड्रा किया जाना चाहिए।

आज, मैं समझता हूं, माननीया मुख्य मंत्रीजी जब बोलेंगी, तो कोटा के कृषि विद्यालय, अदालत विस्तार और कोटा के डवलपमेंट, पानी जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं पर निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद देंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत बात उठाना चाहता हूं।

श्री सभापति: हां, बोलिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, मैंने आपसे अनुमति चाही है।

श्री सभापति: संदीप जी ने पर्ची भेजी है पहले।

सूचना

सुल्तानपुर के कस्बे में मृत बाघिन

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत आपको अवगत कराना चाहता हूं, बड़ा ही गम्भीर विषय है, कोटा में सुल्तानपुर के कस्बे में एक बाघिन मृत रूप से पायी गई है। माननीय सभापति महोदय, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और बाघिन का इस तरीके से मृत मिलना, हमारे लिए बड़ी पीड़ा का विषय है। यह बाघिन कई शावकों को जन्म देती। बाघ हमारे यहां वैसे ही कम होते जा रहे हैं। अतः इसकी जांच कराई जाए कि किस प्रकार से...

श्री सभापति: ठीक है, सरकार को जानकारी मिल गयी। आप विराजिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हां, साहब, इसमें जांच करायी जाए। या तो वह कुदरती मरी है, तो वह कैसे सुल्तानपुर पहुंची? और यदि उसको शिकारियों ने मारा है, तो इसमें कुछ गम्भीरता से जांच की आवश्यकता है।

श्री सभापति: आपके पाइंट आफ इन्फोर्मेशन की जानकारी सरकार को हो गयी। आप विराजिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): धन्यवाद।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2016 व

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, 29 तारीख को महामहिम राज्यपाल का भाषण हुआ, आठ तारीख को माननीया मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया, और मांग पारित करनी हैं; आज बजट का बिल पास हो रहा है।

(श्री श्रवण कुमार)

मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, 20 दिन में, 25 दिन में जो बातें सुनीं, केवल बी.जे.पी. के भाषण बहुत बढ़िया, योजनाएं खूब, पर इम्प्लीमेंटेशन जीरो। अब जहां इम्प्लीमेंटेशन जीरो हो जाता है, वहां भाषण में कोई मतलब नहीं है।

मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि सड़कों की बात करें, तो सड़कों की दुर्दशा। कल पानी की बात की, यहां एक बजे तक सदन चला, तो पानी में आज यह हालत होती जा रही है, लातूर में जो दशा हो रही है वह हालत राजस्थान की होने जा रही है। पानी की दशा देखकर के हर व्यक्ति चिंतित है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दो साल और चार माह में, सवा दो साल में कहीं भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं हुई है और आज जो दशा गर्मियों में होने जा रही है, उससे लगता है कि सरकार चिंतित भी नहीं है। कंटिंजेंसी के पैसे गर्मियों में दिये जाते थे, कोई कंटिंजेंसी नहीं; बिलों के पैसे एस.जी.आर.वाई. के बाकी पड़े हैं; जगह-जगह कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कहीं भी हम गांवों में जाते हैं, तो पानी के लिए बुरी दशा है।

रोडवेज की हालत यह है कि गांवों में हर व्यक्ति इस बात के लिए तरस रहा है कि मेरे गांव में रोडवेज आयेगी। सरकार ने एक नीति बनायी 60-40 की और किसानों से गाड़ियां खरीदवा दीं और आज स्थिति यह है कि एक भी परमिट इश्यू नहीं किया और जो परमिट इश्यू किये, उनको प्राइवेट गाड़ी वाले चलने नहीं दे रहे हैं। माननीय परिवहन मंत्रीजी यहां हैं नहीं। आप सब जानते हों कि पूरे राजस्थान में प्राइवेट बसें चल रही हैं, उसके दौरान ही सरकार ने यह फैसला कर दिया कि 60-40 का रेशो कर के चलायेंगे। आप मुझे बताओ, 60-40 का चलायेंगे, बीकानेर का परमिट दिया, बीकानेर में गाड़ियां को चलने नहीं दिया और रोड़ पर गाड़ियां खड़ी हैं; मालिक रो रहे हैं।

सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, सरकार का कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं और सरकार के जो मंत्री हैं उनकी कोई मानता नहीं। मंत्र का मतलब है, मंत्र, और वह लगे तंत्र पर। मंत्र का जब सही उपयोग नहीं होगा, तो तंत्र में जाकर के लगेगा ही नहीं और तंत्र फड़फड़ायेगा नहीं। मंत्र की हालत यह है कि ये मंत्री लोग खुद ही बेलगाम हैं, बेसहारा हैं। तंत्र उनकी कोई बात मानता नहीं।

राजस्थान की जो आज दशा है, वह शोचनीय है। आज शिक्षा की हालत, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। साइंस के सब्जेक्ट खोलते जा रहे हैं, कोई

(श्री श्रवण कुमार)

लेबोरेटरी नहीं है, सब्जेक्ट का अध्यापक नहीं है। डेपुटेशन करके लगा दिया, संस्कृत का अध्यापक गणित में लगा दिया, गणित का अध्यापक अंग्रेजी में लगा दिया। उसका यूज क्या है? आज शिक्षा की दशा देखें, आप गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, मजरे में आप जाओगे, तो प्रत्येक व्यक्ति इस बात की चर्चा करता है कि सरकार है या तौफान है। लास्ट में यही कहना पड़ता है कि तौफान है।

सभापति महोदय, 15-20 दिन से मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, दुनिया भर के पुलिंदे बना रहे हैं। ये नये-नये आ गये 110 आदमी, 110; 110 तो आये हैं ना; इनकी यह हालत है कि ये वसुंधरा जी को राज़ी करने के लिए जो कुछ भी बोल सकते हैं, जितनी बार नाम लिया जायेगा वसुंधरा जी का, वह नोट होगा और उसी का ऊपर सिक्का होगा। हमारे लोग भी यहां 156 आये थे, जो अशोक जी का ही नाम लेते थे, लेकिन दुबारा घूमकर आये ही नहीं। ज्यादा नाम लोगे, तो जनता दुबारा कम नाम लेगी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपके नेता नहीं हैं क्या अशोक जी?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या हो गया?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपके नेता नहीं हैं अशोक जी? आप नहीं लेते हों नाम उनका?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप पीड़ित हो गये क्या?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): नहीं, मैं पीड़ित नहीं हूं, मैं तो आपकी भावनाएं बता रहा हूं। आपकी भावनाएं किसके प्रति हैं, यह तो बतायें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आलू की सब्जी खा ली क्या आपने?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): डोटासरा जी में हैं, या किसमें हैं, यह तो बताओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आलू की सब्जी खा ली क्या?

सरकार कह रही है कि हमने किसानों को बहुत बड़ा फायदा दे दिया, 'मेरे इस प्रस्ताव का लगभग 300 करोड़ रुपये का भार आज संभावित है। सवा-300 करोड़ रुपये से अधिक राहत दी है।' सवा-300 करोड़ की राहत दी है और 300 का नुकसान किया है।

(श्री श्रवण कुमार)

सरकार ने एक सबसे बड़ा तोहफा किसान को क्या दिया है, मालूम है? जो किसी भी भाई की बहन के नाम जमीन चढ़ जाती थी, तो वह 100 रुपये के बांड पर, ये हमारे डोटासरा जी और कई वकील हैं, इनको मालूम भी है, 100 रुपये के बांड पर वह जाकर के भाइयों के नाम जमीन करवा सकती थी, आज डेढ़ प्रतिशत डी एल सी लगा दी। एक जमीन को ट्रांसफर करने के लिए 4 से 20 लाख रुपये लगते हैं, क्योंकि डी एल सी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने 500 करोड़ का तो एक ही ले लिया। यह सबसे बड़ा घाटा हमको दे दिया। वसुंधरा जी को इस बात के लिए हम कहना चाहते हैं कि सवा-300 का घाटा, यह सवा-300 का घाटा नहीं है, 5000 करोड़ रुपये का घाटा यह कर दिया। कितनी जमीन किसान लोग चढ़वायेंगे और कितने लोग बरबाद हो जायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा, सभी लोग किसान के बेटे हैं, कटारिया जी किसान के प्रति बड़ी उदार बातें करते थे, आज उधर बैठकर के भूल गये हों, तो मुझे मालूम नहीं; बड़े उदार दिल से यहां बैठते थे और बातें इतनी अच्छी करते थे; आज अगर किसान पर आपने यह टैक्स नहीं हटवाया, तो सारे राजस्थान के लिए यह पीड़ा का विषय बना हुआ है। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि सबसे बड़ा पाइंट यही है कि डेढ़ प्रतिशत जो स्टाम्प डयूटी लगाई है, यह हटाई जाये।

हमारा मंत्री स्कूलों के अन्दर ध्यान नहीं देता है, दिन भर हंसता रहता है। पता नहीं, क्यों हंसता है। हंसता ही रहता है। काम की कोई चिंता नहीं है कि स्कूलें डूब गईं। राजस्थान की हालत यह है कि गांव की स्कूलों में 5 बच्चे नहीं हैं। कौन जायेगा? अध्यापक स्कूल में नहीं आ रहा है। शहरों के अन्दर अध्यापकों की संख्या बढ़ा रखी है, गांव में साइंस के अध्यापक नहीं हैं। एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हर पंचायत हैड क्वार्टर पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोल दिया, कहां खोल दिया?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपके शिक्षा मंत्रीजी के कारनामे पढ़े थे आपने अखबारों में? क्या बात करते हों आप, श्रवण जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारे शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ की, तो हम 21 पर आ गये। आप भी आना चाहते हों क्या? क्या बात कर रहे हों।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कितना अखबारों में रोज पढ़ते थे। क्या बात करते हैं यह!

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह कोई बात है क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ऐसा शिक्षा मंत्री कोई मिलेगा नहीं आपको। इतनी मेहनत करते हैं ये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अगर कांग्रेस के लोगों ने गड़बड़ की, तो 21 पर आ गये। आप उसी ट्रैक पर चल रहे हो क्या? उसी ट्रैक पर हो क्या?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक सुई की नोक के बराबर दाग तो बताओ इनके ऊपर आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बता तो रहा हूं ना।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या बात करते हो आप!

श्री सभापति: विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): स्कूल में अध्यापक नहीं; लैबोरेटरी में लैब का सामान नहीं। स्कूलों की दुर्दशा हो रही है। गांव के अन्दर आप जाकर के देखें। यह क्या बतायें। वह ट्रांसफर करना ही जीवन के लिए सबसे बड़ा उपयोगी हो गया क्या? प्रिंसिपल बना दिया, हैडमास्टर से प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल से डी ई ओ बना दिया; बनाने से क्या होगा?

आज भी हालत यह है कि आपकी सरकार में कोर्टों में एस डी एम नहीं, तहसीलदार नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं। क्या है? जब स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, तो क्या काम करेगा? एक पी टी आई पढ़ा रहा है, वही प्रिंसिपल है। हालत तो देखिये आप। उसके बाद कह रहे हैं कि हम अध्यापकों की नियुक्ति कर रहे हैं। कब करोगे नियुक्ति? सवा-2 साल तो हो गये आपको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): श्रवण जी, यही का यही भाषण आपका श्रीमान् अशोक गहलोत शासन में था; यही का यही भाषण।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जवाब ये देंगे क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपने अपने राज में भी यही भाषण दिया था। मुझे ध्यान है, बाद में बाहर हाथ मिलाया था। आपने उस समय यही भाषण दिया था कि स्कूल में मास्टर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। स्कूलों में सारी व्यवस्था खराब है। उस समय आपका भाषण यही था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमने गलत काम किया ना, तो हम 21 पर आ गये। अब आप क्या आना चाहते हो? मेरा विषय यह नहीं है कि बी जे

(श्री श्रवण कुमार)

पी क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है, मेरा विषय है कि राजस्थान की गरीब जनता के लिए आप क्या कर रहे हों।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन गहलोत साहब के समय आपका भाषण यही था। आप उस समय बहुत उखड़े हुए थे, गहलोत साहब के समय। उस समय आपका भाषण यही था।

श्री सभापति: समय कम है, माननीय सदस्य, विराजें। जारी रखो, श्रवण जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तभी तो जीतकर आ गये। भाषण ऐसा था, तभी तो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारे राजस्थान में सबसे अधिक सैनिकों की संख्या सीकर और झुंझुनूं में है। हम जब गांव में जाकर के बैठते हैं, तो सबसे पहले जब सूर्य उगता है तो हम देखते हैं कि हमारी लड़की बाड़मेर में पढ़ा रही है, हमारी लड़की जैसलमेर में सुई लगा रही है। हम जब गांव में जाते हैं, तो हमारी बहन, बेटियां शहीद को चिता पर जलाती हुई नजर आती हैं। झुंझुनूं जिले को छोटी-सी चीज भी बजट में इन्होंने नहीं दी। हमारे सैनिक स्कूल नहीं खोली; हमारी स्पोर्टस यूनिवर्सिटी है, उसको एक रुपया दिया नहीं; शेखावाटी यूनिवर्सिटी को एक रुपया दिया नहीं। आप झुंझुनूं और सीकर से क्या चाहते हों? जब सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या, शहीदों की सबसे बड़ी संख्या, शिक्षकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे है। हमारी बेटी, झुंझुनूं की लड़की बाड़मेर में पढ़ाती है; हमारी बेटी जैसलमेर में सुई लगाती है; हमारा बेटा पाकिस्तान के बार्डर पर लड़ रहा है। उसके बाद जब बजट की बात आती है, तो या तो कोई भीलवाड़ा की, या कोई जोधपुर की, या उदयपुर की, या झालावाड़ की, या फिर चूरू की। सीकर वाले कहां जायेंगे? झुंझुनूं वाले कहां जायेंगे? आप लोगों को इस बात की लज्जा होनी चाहिए कि हम लोग सैनिकों में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, शिक्षा में अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, उन लोगों के लिए कोई ध्यान नहीं है।

आज आप सबसे बड़ी बात देखिये कि 70 साल के बाद भी कोई डाक्टर का ठहराव नहीं सुनिश्चित कर पाये। डाक्टर गांव में नहीं हैं, कम्पाउंडर गांव में नहीं हैं, पटवारी गांव में नहीं हैं, नर्स गांव में नहीं हैं। आप लोग क्या कहते हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रात को 11 बजे अगर किसी गरीब का बेटा बीमार हो जाये, तो उसके बाद गाड़ी लेकर के वह शहर में जायेगा। रात को 12 बजे तक बुढ़िया बैठी रहेगी, उसका बटन दबाती रहेगी, वह उठेगा नहीं। डाक्टर 4 बजे उठकर के बात करेगा कि क्या बात है? आप देखिये, 50 साल के बाद थैले वाले डाक्टर घूम रहे हैं!

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 3 साल पहले जो भाषण दिया था, भूल से वह आज दे रहे हैं। कोई पुरानी कापी हाथ में लग गयी इनके। इनको देना था 3 साल पहले का, वह पेपर इनके हाथ में आज लग गया।

श्री सभापति: इनकी कापी परमानेंट है, तो आपको क्या तकलीफ है? परमानेंट कापी है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नये वाला पेपर लो, नये वाला।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम लोग नहीं कर पाये, यह लोग मानते हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): इनकी वजह से ही तो हुआ है सारा। सभापति महोदय, विपक्ष वालों ने ही तो यह हाल किया है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मुझे +++ आ रही है कि सभापति के पद पर बैठने वाला व्यक्ति ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): बरसों तक आपने राज किया और आपने ही यह हाल किया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): +++ बैठ जाओ। (व्यवधान) +++ (व्यवधान) इतने सीनियर सदस्य हों, +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नया पेपर तैयार करो आप। आपको तैयारी का समय मिला नहीं। भाषण पड़ा था ना, उठाकर के लेकर के आ गये। यहां पढ़ लिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): +++

श्री सभापति: अब एक मिनट में समाप्त कर दो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या बात करते हैं आप?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो सभापति के पद पर बैठकर बात करता है ...(व्यवधान) वह टोक रहा है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यहां सभापति नहीं हूं, यहां सदस्य हूं, आपके बराबर का।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करो अब आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यहां आपके बराबर का सदस्य हूं। मैं तो आपकी गलती को सुधार रहा हूं। आपके पास भूल से पुराना पेपर आ गया। आप नया लेकर के आ जाओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारी गलती सुधर गयी। बैठिये आप। (व्यवधान) बकवास कर रहे हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय प्रद्युम्न सिंह जी का बोलने का समय होने वाला है। जल्दी-जल्दी 5-5 मिनट में बुला लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करो, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे झुंझुनूं जिले में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी है, उसके लिए बजट नहीं दिया; शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए बजट नहीं दिया। आप कृपा करके, मेहरबानी करके, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और सड़क, ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यह हमारी जिस प्रकार की दुर्दशा झुंझुनूं जिले और सीकर जिले की हैं, उसको सुधारने की कोशिश करें।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप थोड़ा होश में आइये। झुंझुनूं जिले की हालत यह है...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं तो होश में हूं। अपना होश संभालो कि अशोक गहलोत के समय में क्या स्थिति थी और आज क्या है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अशोक गहलोत ने जो काम कर दिये, वह तो आप 7 जिंदगी में नहीं कर पाओगे। अशोक गहलोत ने जो योजनाएं लागू कर दीं, उनको पूरी कर नहीं पा रहे हो आप लोग। वह आदमी काम करके चला गया। (व्यवधान)...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): तभी तो 24 रह गये।

(16.00 बजे)

श्री सभापति: श्री मान सिंह। (व्यवधान) श्रीमान सिंह।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान में जो दशा आप लोगों ने की है ढाई साल में, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग....

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक संख्या-2 पर बहस चल रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पीर पर्वत से भारी हो गई है,

गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए।

मेरा मकसद हंगामा मचाना नहीं था,

मेरा मतलब आपको समझ देने से है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूर्णतया असफल है, फेल है; कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सदस्य, बहुत हो गया। यह कोई गली का भाषण नहीं है। बहुत हो गया। अब आप बैठें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जनता क्या चाहती है, जो जनता के काम नहीं करे, उसको लोग बरदाश्त नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार होश में आए और ढाई साल में जनता का भला करे। यही मैं कहता हूं।

श्री सभापति: श्री मानसिंहजी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक संख्या-2 और वित्त विधेयक पर बहस चल रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, बजट, बजट के बाद में डिमांड और डिमांड के मुखबंद के बाद में, जिस एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस होनी चाहिए और जिस प्रकार से उसमें बहस का प्रावधान नहीं है, लेकिन वित्त विधेयक उसके साथ में होने से वित्त विधेयक पर अपने विचार, सलाह और सुझाव हैं, उनके माध्यम से इसका दायरा बढ़ जाता है। उसी दायरे के तहत मैं आज यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने, प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार का एक बजट राजस्थान में दिया, वह राजस्थान के इतिहास का पहला बजट है, जिसके अन्दर राजस्थान की एक तरफ हकीकत तस्वीर, राजस्थान के आने वाले

(श्री मानसिंह)

समय को परिलक्षित करते हुए, किस प्रकार से राजस्थान का हम विकास करेंगे। चिंता इस बात की नहीं है कि आज किसको क्या मिला, लेकिन कल किसको किस प्रकार से मिलेगा, राजस्थान कल कहां किस पायदान पर होगा, उस नजरिये से मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से बजट दिया और जो वर्तमान हालात, जिसको पिछली कांग्रेस सरकार के कुकृत्यों के कारण जिस प्रकार का आर्थिक ढांचा दिया, उसको माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बखूबी तरीके से इस प्रकार का बजट दिया कि आज विपक्ष के पास में ठोस आधार विरोध का नहीं है। केवल मात्र अगर गाल बजाने के लिए भाषण दे लें, वह बात अलग हो सकती है, लेकिन राजस्थान के विजन को, राजस्थान को किस प्रकार से ऊंचे पायदान पर हम लेकर जा सकते हैं, वह माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में हमको देने का काम किया।

जिस प्रकार से वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के माध्यम से आज जो चर्चा हो रही है, माननीय सभापति महोदय, विधायिका में एक ट्रस्टी के रूप में हमारा यह अधिकार है कि जो विनियोग विधेयक, जिसके माध्यम से हम हमारे कंसोलिडेट फंड से सरकार को पैसा लेने का जो अधिकार देते हैं, उसको केवल ब्यूरोक्रेसी पर नहीं छोड़ सकते। उसमें विधायिका के सदस्य के नाते हम हमारी भूमिका, और जिस प्रकार से डिमांड पर हमने अपनी बातों को रखा, और उस कंसोलिडेट फंड में से सरकार को यह अधिकार देना कि वह इतने पैसे का अधिकार दे रहे हैं; चूंकि डिमांड में स्पेसिफाइड फंड नहीं होता है कि किस मद के लिए कितना पैसा है, केवल पैसे का जिक्र होता है; इसलिए कंसोलिडेट फंड के लिए यह विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार को जिस प्रकार की जो आवश्यकता है, वह इसके माध्यम से हम सरकार को इसकी जो इजाजत दे रहे हैं और उसकी जो संख्या है, उसका जो कंसोलिडेटेड फंड है, उस अधिकार को देने के लिए इस डिमांड को स्पेसिफाई करने के लिए कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय में जिस प्रकार से जो राजस्थान के हालात किये गये और राजस्थान में विकास के नाम पर आज हमने एक रुपया कर्ज नहीं लिया, लेकिन 60 हजार करोड़ रुपये का कर्जा एक मिनट में हमको लेना पड़ा। वह कर्जा इसलिए लेना पड़ा है कि कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से विद्युत कम्पनियों के घाटे को बढ़ाने का काम किया गया, वह 60 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हमारे ऊपर आ गया। हमने कोई कर्जा विकास के लिए नहीं लिया है, लेकिन हमको इनका कर्जा इसलिए ओढ़ना

(श्री मानसिंह)

पड़ा, वह गलती इन्होंने की, लेकिन राजस्थान हमारा है और राजस्थान को किस प्रकार से ऊंचे पायदान पर ले जाना है, माननीया मुख्य मंत्रीजी का विजन इसमें झलकता है। माननीय सभापति महोदय, आज माननीया मुख्य मंत्रीजी का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में अगर हम 'उदय'-रहित, 'उदय'-रहित हमारे राजस्थान के दृष्टिकोण को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि राजस्थान विकास कर रहा है, राजस्थान ऊंचे पायदान पर जा रहा है, पर जब 'उदय'-सहित हम राजस्थान के दृष्टिकोण को देखते हैं, तो हमको लगता है कि आर्थिक संकट और आर्थिक जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं, उस चिंता को इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बखूबी तरीके से प्रकट करने का काम किया है; राजस्थान की सात करोड़ जनता से कोई छिपाने का काम नहीं किया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से हमारा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक नियंत्रित रखा गया है; राज्य का कुल कर्ज भी सकल घरेलू उत्पाद से चौबीस प्रतिशत तक नियंत्रित रखा गया है। इसके साथ ही आयोजना खर्च में 11 हजार करोड़ की जो वृद्धि की गई है, वह वृद्धि गत दो वर्षों के दौरान राज्य के आयोजना खर्च में से 45 प्रतिशत की वृद्धि है। इस आयोजना खर्च को जब हम देखते हैं, तो सरकार ने 45 प्रतिशत आयोजना खर्च में जो बढ़ोतरी की, वह किस प्रकार से राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान की सरकार का दृष्टिकोण है कि हम आयोजना खर्च को बढ़ोतरी नहीं देंगे और किस प्रकार से उस बात का हमारा दृष्टिकोण आता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से आयोजना खर्च 'उदय'-पूर्व 67,339.47 करोड़ रुपये रहा है और वर्ष 2016-17 के दौरान, गत वर्ष जो 56,288 करोड़ रुपये था; अर्थात् 1,100 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जो 20 प्रतिशत में बराबर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्षिक योजना वर्ष 2016-17 में 99,693 करोड़ रुपये और पूर्व वर्ष 2015-16 में 71,400 करोड़ रुपये, अर्थात् 40 प्रतिशत की वृद्धि हमारे दृष्टिकोण को दर्शाती है कि हम राजस्थान को अगले...

(16.07 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

आज छह बजे राजस्थान दिवस समारोह भी है। मैंने इसीलिए सवेरे यह कहा था कि चार से पांच माननीय प्रद्युम्नजी बोलेंगे, पांच से छह मुख्य मंत्रीजी बोलेंगी। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, इसके आगे-आगे।

माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं मेरी बात खतम करता हूं।

श्री अध्यक्ष: नो। नो। नो। (व्यवधान) बैठिए। (व्यवधान) बैठाइए इनको। (व्यवधान) आप बोल चुके। पहले श्रवणजी बोल चुके। (व्यवधान) नो। नो। नो। आदरणीय प्रद्युम्न जी। आदरणीय प्रद्युम्नजी। (व्यवधान) इन्होंने कहा कि इधर से दो बोलेंगे, दो बोल चुके। (व्यवधान) माननीय प्रद्युम्न सिंहजी। (व्यवधान) नो, बैठिये। प्रद्युम्नजी, आप चालू कीजिए, कृपया। (व्यवधान) माननीय प्रद्युम्नजी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर मैं पोजिटिव मूड से अपनी बात कहना शुरू करना चाहता हूं। क्योंकि यहां पर सत्ता पक्ष के लोगों ने पुरानी कांग्रेस सरकार को विभिन्न पहलुओं पर क्रिटिसाइज किया, उसके विपरीत मैं कुछ बातें पोजिटिव मूड में और कुछ बातें सुझाव के रूप में देना चाहूंगा।

सर्वप्रथम, राजस्थान के अन्दर जल स्वावलम्बन योजना जो शुरू की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। अच्छी योजना है। राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से पानी की कमी हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यह अच्छा कार्य हुआ है। पूर्व में भी कांग्रेस सरकारों ने पानी के महत्व को समझा था, लेकिन इसको व्यापक रूप में इस सरकार ने जल स्वावलम्बन योजना को शुरू किया है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर भी लोगों को प्रोत्साहित किया था कि हमको पानी बचाना पड़ेगा। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बी जे पी की सरकार वर्तमान में है, इसके महत्व को समझते हुए हमको कार्य करना पड़ेगा।

मैं दूसरी सराहना करता हूं एफर्टस की; यहां सिर्फ एफर्टस की बात कर रहा हूं 'रिसर्जेंट राजस्थान' की, लेकिन मैंने जब इसके अन्दर देखा, मुझे यह काफी खोखलापन इसके अन्दर नजर आता है। मैं किस पृष्ठभूमि में बात कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की जो इकोनोमी है, उसके मद्देनजर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यहां पर जो एम ओ यूज किये गये हैं, उनके कोई अच्छे परिणाम सामने नहीं आएंगे। ऐसा मुझे अभी से आभास हो रहा है। क्योंकि आज जो देश की अर्थव्यवस्था है, आज बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस के अन्दर है, करीब 5 लाख करोड़ के एन पी ए हो चुके हैं और 4 लाख करोड़ के बैंकों के रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स हैं। एक तरह से वे भी बैड लोन्स की परिभाषा में आते हैं। वे स्ट्रेस के अन्दर हैं।

दूसरी बात, आपका मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर स्ट्रेस के अन्दर है; एक्सपोर्टस गिर रहे हैं; हिन्दुस्तान के उद्योगपति अपना पैसा नहीं लगा रहे। तभी बार-बार एफ डी आई की बात चल रही है, फोरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री के अन्दर आना चाहिए। उसके अन्दर भी कोई ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है, क्योंकि एक्सपोर्ट गिर रहा है।

कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्ट्रेस के अन्दर है। आज लाखों की तादाद के अन्दर, right from Delhi to Rajasthan, कहीं चले जाइये पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर, फ्लैट्स बने हुए तैयार पड़े हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है।

उस सूरत के अन्दर, इन तीन हालात के अन्दर आपने 'रिसर्जेंट राजस्थान' के तहत जो एम ओ यूज किये हैं, उनको मैंने गौर से देखा है। अगर आपकी इजाजत हो, तो 5 मिनट, 10 मिनट मैं इसके ऊपर कह दूं? MOUs at-a-glance, I don't want to go into details. जो आपने शुरू में कहा है, मैं एफर्टस, किसी की बुराई के बतौर नहीं कह रहा हूं, लेकिन आंख मींचकर मुख्य मंत्रीजी को खुश करने के लिए यहां पर बहुत से लोग कमिटमेंट कर गये। मैं तो शुरू में एक बात कहता हूं, आने से पहले, आप अपने मंत्रिमण्डल, आपके ये इकोनोमिस्ट मंत्री बैठे हुए हैं, आप इनकी सिंगल आदमी की कमेटी बना दीजिए, राजपालसिंह जी की, ये देख लेंगे कि कितने खोखले, आपको भ्रमित करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, हिन्दुस्तान के पूंजीपति हैं। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर, हर प्रान्त के अन्दर इस प्रकार के आयोजन हुए, विभिन्न नामों से। वहां कमिटमेंट करके आये, हर प्रान्त में कमिटमेंट किया, राजस्थान में भी कमिटमेंट कर गये आकर। व्यवसायी ही 8-10 हैं हिन्दुस्तान के अन्दर; बड़े हैं, चाहे टाटा हो, अंबानी हो, अडाणी हो। एनीवे, वे ही नाम हैं सबके सब।

माननीया मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके अन्दर जो सबसे मेन सेक्टर है, 1 लाख 90 हजार करोड़ के तो, आपके आउट आफ 3 लाख 21 हजार करोड़ में से 1 लाख 90 हजार करोड़ के तो एनर्जी के एम ओ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यूज हैं, मेनली सोलर पावर। दूसरे, पेट्रोलियम एण्ड माइन्स के 77,657 करोड़ के। Apart from other things, मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे ट्यूरिज्म है... एक और इंट्रेस्टिंग है, रोड्स एण्ड हाईवेज, इसके अन्दर एक-एक आदमी ने... सोलर एनर्जी के लिए 60 हजार करोड़, 40 हजार करोड़। मैं आपके सामने नाम पेश कर देता हूं, Reliance Power-twenty five thousand crores; Adani Enterprises. Forty thousand crores; Aircel Info-thirty five thousand crores, six thousand crores, thirty thousand crores.. एक साहब ने, एस बी सोलर सर्विस ने 60 हजार करोड़ का अकेले ने कमिटमेंट कर दिया यहां पर। Where is the money? पैसा कहां से आएगा उनके पास? बैंक्स देंगी नहीं, बैंक्स की बुरी हालत हो रही है। इनमें बहुत -सी कंपनीज तो ऐसी हैं जो पहले ही बैंकों का कर्जा नहीं चुका पा रही हैं। तो उस सूरत के अन्दर आपको कहां से इन्वेस्टमेंट आएगा? I have my own...

आपने जो फिगर्स, आपकी इंटेंशन अच्छी है, you want investment in the state for creation of jobs. आज बहुत बड़ी संख्या के अन्दर राज्य के अन्दर बेरोजगारों की संख्या है, लाखों की संख्या के अन्दर पढ़े-लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको आप रोजगार देना चाहती हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन आपको इन्होंने एक तरह से धोखा दिया है, खुश करने के लिए।

फिर आपने होशियारी क्या बरती इसके अन्दर, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की कंपनीज, जो इन्वेस्टमेंट करेंगी या नहीं करेंगी, उनका भी आपने नाम जोड़ दिया। पेट्रोलियम सेक्टर में मैं देख रहा था, इण्डियन आयल कारपोटेशन, गेल इण्डिया लिमिटेड, आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन, स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। क्या इनसे आपका कोई एम ओ यू हुआ? आप सदन में बता दें, मुझे करेक्ट कर दें, मैंने गलती की हो। गवर्नमेंट आफ इण्डिया की नेशनल हाईवे अथोरिटी सड़क बनाएगी, वह भी इन्वेस्टमेंट के अन्दर आपने डाल दिया। पूर्व में भी नेशनल हाईवे अथोरिटी ने यहां पर सड़कें नहीं बनायीं राजस्थान में? किस प्रान्त में नहीं बनायीं?

माननीय जेटली साहब यहां कह गये थे, there should be healthy competition among the States. मैंने पढ़ा था उस वक्त। मैं, उद्योग मंत्रीजी, आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपने आंख मींचकर ये एम ओ यूज किये हैं और 50 परसेंट आ जायं, तो बहुत अच्छा। मैं कहता हूं, इसमें 20 परसेंट आ जायं, तो आपकी बहुत बड़ी सक्सेस रहेगी। यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं यहां पर। आपने एक जवाब देते हुए कहा...

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): 60 परसेंट लोगों ने तो जमीनें ढूंढ लीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वे आपकी जमीनें खाकर बैठ जाएंगे, श्रीमान्। वे आपकी जमीनें खाकर, ये होटल सेक्टर वाले, एजुकेशन सेक्टर वाले, मेडिकल सेक्टर वाले, आपने चूंकि कस्टमाइज्ड पैकेज दिया है कि डी एल सी रेट की कीमत के आधार पर हम 10 परसेंट में जमीनें अलॉट करेंगे, ये आपकी जमीनें ले-लेकर बैठ जाएंगे। आपको इनको टाइमफ्रेम देना पड़ेगा कि कितने टाइम के अन्दर आप अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे; कितने टाइम में आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। हुआ यह कि लोग जमीनें ले-लेकर बैठ गये और 10-10 साल तक लोगों ने काम नहीं किया। यह मेरा खुद का अनुभव है यहां पर। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, यहां पर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर फाइनेंसेज को लेकर कोई चर्चा की, जिसमें उन्होंने फरमाया, पेज 4 के ऊपर, 2016-17 के बजट भाषण के मैं अंश पढ़ रहा हूं, ''वर्तमान वर्ष वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहा है।'' यह आपका पैरा नम्बर 71, आगे आपने कहा है, ''मैंने समय-समय पर सदन के अन्दर तथा विभिन्न सार्वजनिक मंचों के माध्यम से प्रदेश की चरमराई अर्थव्यवस्था, वित्तीय कुप्रबंधन और विशाल कर्ज के बोझ का उल्लेख आमजन, जन-प्रतिनिधियों और मीडिया के समक्ष विस्तार से किया है।''

अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ...

श्री अध्यक्ष: पानी मंगवा दूं क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): थैंक यू। हैं? थैंक यू। बूढ़ा आदमी हूं, पानी तो पीऊंगा ही। कोस नहीं रहा हूं, एक सजेशन दे रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: मसाला कहां है आपका?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मसाला तो बंद कर दिया इस वक्त।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय कुप्रबंधन की बात, जब से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बागडोर राज्य के शासन की संभाली है, उसी दिन से ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, परम्परा को तोड़ते हुए, उनसे यह बात कहलवायी।

मैं, आपकी इजाजत हो, उस बैकग्राउण्ड से चल रहा हूं। The I will come.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

राजकोषीय घाटा 13,020 करोड़ से बढ़कर 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। राज्यपाल कभी नहीं कहते। लेकिन पहले दिन से ही। फिर उसके बाद मुख्य मंत्रीजी ने अपना जो स्टेटमेंट वोट-आन अकाउंट के वक्त दिया, उसमें वह फिगर और कम आ गया। उसको उन्होंने कह दिया, वह भी मैं आपके सामने अभी पेश कर देता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट 18,301 करोड़ रुपये रहेगा। ठीक?

तो पहले दिन से ही माननीया मुख्य मंत्रीजी की यह स्ट्रेटेजी थी कि जनता के सामने इस प्रकार की तस्वीर पेश की जाए कि कांग्रेस की सरकार राज्य की वित्तीय व्यवस्था को मटियामेट करके गई है, मैं नये सिरे से इसको एस्टेब्लिश करूंगी, सुधारूंगी। I think, that was the strategy. आज ढाई साल के बाद, दो साल तीन महीने के करीब-करीब होने जा रहे हैं, आज दो साल तीन महीने के बाद, सत्ता संभालने के उपरांत, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह कहा; मैं सोचता हूं कि अगर यह नहीं कहा होता तो शायद मैं बोलता भी नहीं; बहुत लोग हैं हमारी पार्टी में, वे बोलते, लेकिन चूंकि यह कहा है, तो to set the record straight, I am coming to the point. 'इस पृष्ठभूमि के अन्दर', यह बात लगातार, पिछले साल कही, इस साल कही और शुरू के साल कही।

अब हकीकत क्या है? अध्यक्ष महोदय, जब हमने राज छोड़ा था, माननीया मुख्य मंत्रीजी दिसम्बर, 2013 के अन्दर आ गई थीं, राज संभाल लिया था, उस वक्त राज्य के हालात क्या थे? फार्च्यूनेटली मुझे दिसम्बर, 2013 तक के आंकड़े सी ए जी के मिल गये। आजकल तो सब वेबसाइट के ऊपर मिल जाते हैं। तो उस वक्त क्या स्थिति थी, उस वक्त, fiscal deficit on 31st December was only 6,468 crore – CAG, December, 2013. कैश रिजर्व जो था 12,886 करोड़ का था। सॉरी, यह 12,886 करोड़ का कैश रिजर्व था। दिसम्बर की पोजिशन बता रहा हूं। चलिये, अब आप कहेंगे कि साहब, दिसम्बर को आप किसलिए बार-बार कोट करते हैं? क्योंकि बहुत से कमिटमेंट होंगे, कमिटेड लाइबिलिटीज होंगी, जो आपके बुक्स में जनवरी तक आई होंगी। बहुत स्वाभाविक है, आप कह सकते हैं कि आप उतने पीरियड का क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि Congress Government was a lame duck government. कोई नई योजनाएं शुरू नहीं कीं। जो भी की होंगी, तो चुनाव की घोषणा से पहले ही योजनाएं शुरू की होंगी। उसके बाद तो कोई नई योजनाएं लागू कर नहीं सकते थे।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फिर भी, चलिये, अब हम 31 मार्च, 2014 को पकड़ लेते हैं। 31 मार्च, 2014 की ब्रीफ हिस्टरी मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने पेश करता हूं। यह है, राजस्थान सरकार के 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का सारभूत संग्रह। I have not coined all these things. It's a CAG report. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, "Finances of the State Government..", शॉर्ट के अन्दर है, "... at the end of 2013-14, the fiscal deficit was 2.9 per cent of the Gross State Domestic Product (GSDP), which was marginally within the limit of 3 per cent." वह पैरामीटर्स भी हमने पूरे किये। न कोई ओवरड्राफ्ट था, न कोई वेज एण्ड मींस का हमने यूज किया था। इसका सेकण्ड पैरा, "Revenue surplus of 3,451 crore of 2012-13.." 2012-13 के बजट के अन्दर 3,400 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था। "... which turned into a revenue deficit of 1,039 crore." यह मार्च की है। उस वक्त का कर्ज जो छोड़कर गये थे, टोटल, पुरानी सरकार का, क्योंकि यह तो कंटिन्यूएशन के अन्दर है, और पांच साल उस सरकार के मिलाकर 1 लाख 29 हजार करोड़ रुपये का फिस्कल डेफिसिट था।

एक चीज और बड़े शॉर्ट में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 2008-09 में स्टेट की टैक्स रेवेन्यू, own tax revenue was 14,943 crore; 2013-14 के अन्दर यह हो गई 33 हजार 477 करोड़ रुपये; इन्क्रीज आफ 224 परसेंट। उस पांच साल के अन्दर, आपके पुराने कार्यकाल के बाद, जो स्टेट की आन टैक्स रेवेन्यू बढ़ी, उसमें 224 परसेंट का 5 साल के अन्दर इजाफा हुआ।

इसी प्रकार, नॉन-टैक्स रेवेन्यू 2008-09 में थी 3 हजार 888 करोड़ रुपया और 2013-14 के अन्दर 13 हजार 575 करोड़ रुपया हो गई; इन्क्रीज आफ 349 परसेंट। यह मार्च तक की स्थिति है, श्रीमान्।

तो मेरा आपसे निवेदन है, यह बार-बार कहना कि आप स्टेट की हालत को खराब करके गये, बरबाद करके गये, यह आपका कहना उचित नहीं है।

हां, हालात हुए। मैं आपकी भी दिक्कत जानता हूं। आप यह नहीं कहतीं, क्योंकि आपकी आयल की आमदनी 6 हजार करोड़ से 2 हजार करोड़ रह गई। गवर्नमेंट आफ इण्डिया का डिवोल्यूशन 800 करोड़ रुपया कम मिला आपको। हालांकि 32 परसेंट से आपका 42 परसेंट डिवोल्यूशन कर दिया, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि आपकी सरकार में जो पहले हमारा परसेंटेज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

था, वह घटा। क्योंकि इस सरकार ने फाइनेंस कमीशन के सामने स्टेट के हितों की पैरोकारी अच्छी तरह से नहीं की। डिवोल्यूशन एक्चुअल टर्म्स में तो बढ़ा, लेकिन परसेंटेज-वाइज जो पहले था, उसके मुकाबले में आपका परसेंटेज-वाइज डिवोल्यूशन गिरा है।

तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हमको बार-बार, दो साल बाद आप यह कहें कि कांग्रेस मटियामेट करके गई, यह आपका कहना उचित नहीं है।

अब मैं आपको आगे के हालात बताता हूं। आपने तीन साल के अन्दर कितना कर्जा ले लिया। दो साल तो आपके निकल गये। उदय के बिना, उदय के भार को तो आपने लिया है, वह आपने खुद स्वीकार किया है आपके बजट भाषण में और मैंने तो उसमें से ही निकालकर देखा है। आपने 2014-15 में 20 हजार 185 करोड़ रुपया, 2015-16 में 20 हजार 609 करोड़ रुपया और 2016-17 के अन्दर उदय के प्रभाव के बिना 23 हजार करोड़ रुपया आपने एस्टिमेट किया है। तो करीब 63 हजार करोड़ रुपया तो आप 3 साल के अन्दर कर्ज ले लेंगी, जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं लिया।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप हमारे ऊपर आरोप लगाना कृपया बन्द करें। आप अपने हाउस को संभालें।

हां, क्योंकि आपने उसका एक कारण बताया कि बिजली कम्पनियों की खस्ता हालत हो गई, बिजली कम्पनियों पर कर्ज अनाप-शनाप बढ़ा। हकीकत है, बढ़ा। आपके राज में दो साल में, आप परसेंटेज-वाइज निकाल लीजिये कि आपके राज में दो साल में कितना बढ़ा। क्योंकि जब तक हम बिजली कम्पनियों की छीजत, पिलफरेज, थेफ्ट को नहीं रोकेंगे, तो यह कर्ज तो बढ़ता ही रहेगा। फिर किसान की बिजली के दाम हमने नहीं बढ़ाये पांच साल तक। ये 15-16 लाख कनेक्शन हैं। आपने भी नहीं बढ़ाया। आपने बढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन प्रेशर के आगे आकर आपने वह भी विथड्रा की है। अच्छा किया, आपने विथड्रा की, नहीं तो हम आपसे मांग करते कि आप इसको कृपया विथड्रा करें। क्योंकि किसान को हम दे क्या रहे हैं? किसान की जो आज हालत खराब हो रही है, this is an indirect help to the farmers. एक इन्डाइरेक्ट हेल्प है किसान की, जो हमें करनी चाहिए।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने फाइनेंसेज के बारे में

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपको बताया। अब मैं कुछ और दो-तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अभी आपके ऊपर पे-कमीशन का भार आएगा। पे-कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, पार्लियामेंट में टेबल हो गई। गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने कमेटी बना दी, आप भी कमेटी बनायेंगी। तो यह कमेटी कब तक रिपोर्ट को डिले करेगी? पेंशन का प्रोविजन, फाइनेंस मिनिस्टर ने दिल्ली के अन्दर सेन्ट्रल बजट में 40,000 करोड़ रुपये का प्रोविजन कर दिया। आपने बजट के अन्दर एक पैसे का प्रोविजन नहीं किया पे-कमीशन के पेटे। अल्टिमेटली देना तो पड़ेगा ही आपको। इस भार से आप बचने वाली नहीं हैं। यह स्ट्रेस तो आपके बजट के ऊपर आनी ही आनी है।

क्योंकि आपने 'उदय' का लोन लिया है, 'उदय' के लोन के पेटे आपके इंटरेस्ट के सर्विसिंग चार्जेज बढ़ेंगे। कम से कम 5,000 करोड़ रुपया इसमें जायेगा। पे-कमीशन की रिपोर्ट में 8 से 10,000 करोड़ रुपया जाने वाला है। आपकी आयल की रायल्टी कम हो ही गई। तो हालात ऐसे हो रहे हैं, उन हालात से आपको निपटना पड़ेगा। आप हमारे ऊपर ब्लेम करें, वह उचित नहीं रहेगा।

फिर दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, आज इंटरनेशनल आयल की प्राइसेस कम जा रही हैं और उसी का नतीजा है कि आपका 6,000 से 4,000 करोड़ रुपया ही रह गया। अभी कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है कि आयल के प्राइसेस बढ़ेंगे ही। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले के अन्दर गौर करें, क्योंकि अभी यह भार आएगा।

एक भार आपके ऊपर और आने वाला है अभी। आपने प्रोबेशन के ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लोयीज को रखा हुआ है। आपके उस आर्डर को हाई कोर्ट ने अनकांस्टिट्यूशनल मानते हुए रद्द कर दिया। लोग मांग कर रहे हैं कि भाई, हम फिक्स पे के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया। जो नये लगे हैं, वे भी कहना चाह रहे हैं कि हम तो काम्पीटिशन से आये हैं, हमको भी पूरी तनख्वाह दीजिये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, there is every possibility, the Government of Rajasthan is going to lose the Appeal in the Supreme Court. वह आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सारा पैसा देना पड़ेगा। यह भार आएगा आपके ऊपर।

इस प्रकार के अनफोरसीन सर्कम्स्टांसेज के अन्दर आपके ऊपर जो भार आ रहे हैं, उसकी भी आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। हम आपका साथ देंगे।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आप हमको गाली देना बंद कर दीजिये। आलोचना कर दी, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं। आप कह गईं कि तब तो यह था नहीं।

अब आपने तो एफ आर बी एम एक्ट का ही वायोलेशन कर दिया, 2015 आते-आते। पढ़कर सुनाऊं आपको सी ए जी की रिपोर्ट? This is the State Finances of the year ended 31st March 2015, "Fiscal deficit as percentage of GSDP increased from 2.93 per cent … 2013-14…" It was well within the limit. Which was higher than the target of 2.93 per cent …2013-14 to 3.31 per cent… 2014-15., which was higher than the target of 3 per cent, as prescribed under the FRBM Act 2005. आपने तो एक साल के अन्दर ही एफ आर बी एम एक्ट का उल्लंघन कर दिया, जो कि सीमा तय की हुई है।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपका टाइम कठिन आने वाला है। आपने खुद स्वीकार किया है अपने बजट भाषण के अन्दर। तो अब ये परिस्थितियां हैं, आपको उनको फेस करना पड़ेगा।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जी एस टी की चर्चा हुई। मैंने पिछले साल भी कहा था कि मैं इस जी एस टी बिल के खिलाफ हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं पुनः दोहराता हूं कि स्टेट्स को अपनी पावर को एब्डिकेट नहीं करना चाहिए। आप एब्डिकेट कर-करके...; सेंट्रल का कानून बनेगा, पूरे देश के अन्दर लागू होकर। हमारे पास टैक्सेशन का एक ही मेन सोर्स तो है, जिससे कि स्टेट की आमदनी आती है। उसके लिए किसी ने कहा था, शायद तिवाड़ीजी ही थे, कहा कि आपकी पार्टी लाती थी। मैंने कहा, लाये पार्टी; पार्टी से अलग मेरे विचार हैं। मैं इसका आज भी विरोध करता हूं। फिर इसमें सबसे बड़ी आफत क्या है, कोई कैप नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज मांग कर रही है कि जी एस टी की रेट को आप 18 परसेंट पर फिक्स कर दीजिये। वे कहते हैं कि नहीं, क्योंकि बार-बार कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, अगर उस पर कहीं बढ़ाने की बात हो। कोई कम रेट नहीं है जी एस टी की। अब हालत क्या है, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, 15 परसेंट कर दिया, सर्विस टैक्स बढ़ा करके।

पोस्ट आफिस, बैंक्स, पी पी एफ, सारे के ऊपर ब्याज कम कर दिया भारत सरकार ने। बूढ़े का क्या होगा, पेंशनर्स का क्या होगा, जो अपना गुजारा उससे करते हैं वृद्धावस्था के अन्दर? विधवाओं का क्या होगा? किसान का क्या होगा, जो स्माल सेविंग्स के अन्दर पैसा डालता है? एक तरफ तो वह मार पड़ने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको इनके ऊपर ध्यान देना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पड़ेगा। मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं। आज पेंशनर्स, वे अपनी सेविंग्स का, खास तौर से जो छोटे पेंशनर्स हैं; ईवन बड़े पेंशनर्स, ये आई ए एस अधिकारी बैठे हैं, ये भी अपना पैसा डालते हैं अपने बैंकों के अन्दर ओल्ड-एज के हिसाब से; जो ग्रेच्यूटी, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, कम्यूट करा लेते हो, उस पैसे से करते हैं, लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम है। बहुत लोगों का स्माल सेविंग्स के अन्दर पैसा है। देखिये, कहां साढ़े-10 परसेंट से आते-आते ब्याज दर साढ़े-7 परसेंट रह गई, और उसका फायदा किसका हुआ? मैं एक लेख पढ़ रहा था कि आप बाजार के अन्दर ज्यादा बैंकों के फंड्स हिन्दुस्तान के कारपोरेट वर्ल्ड के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। गरीब की कॉस्ट पर अमीर का फायदा, यह नीति है। बहुत लोगों में विरोध है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें।

एक्साइज ड्यूटी ज्वैलरी की बढ़ गई; फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स एक साथ ले लेता हूं; राजस्थान के अन्दर जयपुर का ज्वेलरी उद्योग मशहूर है और फोर्च्युनेटली इसमें बहुत आदमी काम करते हैं, हजारों मजदूर काम करते हैं; बीकानेर के अन्दर हजारों मजदूर काम करते हैं। आपको मामला टेक-अप करना चाहिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया से राज्य के हित के अन्दर, वे मानें, नहीं मानें। कम से कम यहां के कारीगरों को, ज्वेलर्स को यह तो मालूम पड़ेगा कि राज्य के मुख्य मंत्री ने हमारे केस की पैरोकारी की है। आपने अभी तक कुछ नहीं किया, नहीं तो अख़बार में आ जाता। किस बात का डर है? राज्य का हित पहले है। अपने लोगों का हित भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जयललिता फिशरमेन के इश्यू पर रोज पंगा लेती हैं, करुणानिधि रोज पंगा लेते हैं भारत सरकार से। राज्य के हित में आपको लिखना चाहिए, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है, माननीया मुख्य मंत्रीजी।

पिछले साल भी मैंने रिफाइनरी के बारे में कहा। आज हालात बदले हुए हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, यहां है। मैं सहमत नहीं हूं। रिफाइनरी लगनी चाहिए। या तो आप टर्म्स एण्ड कंडिशंस बदलवा लें दिल्ली के अन्दर। अगर आप उसमें असमर्थ हैं, वह कम्पनी आपकी बात नहीं माने, तो मैं हिम्मत करके कहता हूं कि आप प्राइवेट सेक्टर में रिफाइनरी को दे दीजिये। क्या डरने की जरूरत है? टेण्डर बिडिंग से आप करिये। लोग कहेंगे, तो कहने दीजिये; लोगों का काम है कहना; कहते रहेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर को दीजिये, लेकिन रिफाइनरी लगनी चाहिए। एंसिलियरी इण्डस्ट्री बहुत आयेंगी इसके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

साथ। रोजगार के लिए आपको लोग ये झूठे-सच्चे वादे कर रहे हैं। ये रिफाइनरी आपकी लग गई, तो अच्छा होगा। यह बात सही है, आप बार-बार दोहराती हैं, सात-आठ सौ, हजार आदमियों को काम मिलेगा; चलिए, आपकी बात सही है, लेकिन जो बाई-प्रोडक्ट्स उसमें से निकलेंगे, उस पर जो एक्स्ट्रा इण्डस्ट्रीज लगेंगी, उसमें क्या हजारों आदमी नहीं लगेगा? सर्विस सेक्टर्स से फायदा नहीं होगा क्या वहां पर? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि रिफाइनरी के मामले में आप कहें और हिम्मत से काम लें। या तो टर्म्स एण्ड कंडिशंस बदलवा लें वहां पर, वह बेहतर है। अपने को प्रयत्न तो करने चाहिए।

ब्लड प्रैशर की दवा खाता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए गला सूखता है।

श्री अध्यक्षः डाक्टर को बुला लूं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं। मेरा ब्लड प्रैशर अभी नहीं बढ़ा है और ना बढ़ने की उम्मीद है।

आपने बिजली की एक बात कही कि हम आत्मनिर्भर हो गये हैं; 4 हजार मेगावाट का जनरेशन आपके कार्यकाल में आकर बढ़ गया, यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन डिटेल तो दे दीजिए कि कौन-कौनसे प्रोजेक्ट लगे, कहां-कहां जनरेशन किस पावर स्टेशन से कितना आया, तो हम भी उससे लाभान्वित होंगे। जब आप आत्मनिर्भर हैं, तो ये साढ़े तीन-चार लाख कृषि कनेक्शन लम्बित पड़े हुए हैं, फिर चालीस हजार को ही आपने क्यों दिया? इसकी सीमा बढ़ाइए। किसान मांग रहा है कनेक्शन। आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा।

फिर बिजली तंत्र के अन्दर छीजत। बिजली तंत्र के अन्दर छीजत की बात, आपका प्लान क्या है? आपने 'उदय' का लोन तो अपने 'उदय' के मार्फत अपने सिर पर ले लिया, लेकिन आगे सुधार की क्या संभावना है? आपका प्रोग्राम तो आप इस पर लागू करें कि उसमें सुधार कैसे होगा। जब तक सुधार नहीं होगा, तो यह स्थिति से एक दफा निकलेंगे, फिर दुबारा जाएंगे। इसका तो एक दफा आपको आपरेशन करना ही पड़ेगा; कुछ सुधार के लिए तो आपको कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब सुधार के नाम पर तो गांवों में अंधेरा हो रहा है, गांवों की बिजली काटी जा रही है, लोगों को सिक्योरिटी के नाम पर नोटिस दिये जा रहे हैं कि आप तो सिक्योरिटी जमा कराओ, हम आपको ब्याज देंगे।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ये चार्जेज आपके समय भी आते थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं मान रहा हूं आपकी बात। I can't. मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं। मैं तो सुधार की बात कर रहा हूं कि आप सुधार कैसे करेंगे?

आज लोड फैक्टर के नाम पर लोगों को नोटिस दिये जा रहे हैं। सब जानते हैं, यहां पर बैठे हुए, लेकिन मजबूरी है, कह नहीं सकते हैं। आपसे अकेले में कहते होंगे। किसी गांव के अन्दर बिल है, तो उस गांव की पूरे की बिजली काट दी। उस गांव में दोनों तरह के लोग हैं; कुछ लोग तो बिजली का पेमेंट कर ही रहे होंगे, अध्यक्ष महोदय, लेकिन सारी बिजली काट दी। यह हो रहा है। मेरे यहां हुआ है ना, दो पंचायतों की पूरी बिजली काट दी। बाकी है पैसा उनके ऊपर। वे तो गधे, घोड़े एक साथ हांके जा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें सुधार जरूरी हैं।

कृषि कनेक्शन आप चालीस हजार से बढ़ाइए।

मैं आपसे दो तीन बातें और कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। आप जे डी ए की और हाउसिंग बोर्ड की ऑडिट क्यों नहीं करा रहे हैं? यह मांग उठी थी। जे डी ए की आडिट में कहां दिक्कत है? हिन्दुस्तान के अन्दर पचासों डवलपमेंट अथोरिटीज का सी ए जी का आडिट हो रहा है। आप क्यों नहीं करा रहे हैं? हाउसिंग बोर्ड का नहीं हो रहा है। यह मैंने, आपने जो मीटिंग बुलाई थी, अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अधिकारियों की, उस वक्त भी यह बात कही थी। आपको कराना चाहिए। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मत कराइए, लेकिन फ्यूचर में तो आप करा लीजिए। इसका दो हजार करोड़ का बजट हो गया है। आप इसकी आडिट कराइए, आपको फायदा होगा; जो मनमानी चल रही है वहां पर, गवर्नमेंट के सामने वे सारी बातें आएंगी; मंत्रीजी के हाथ स्ट्रेंथन होंगे उसके अन्दर सुधार करने के लिए। आडिट से हमेशा सुधार होता है। जब कोई गड़बड़ ही नहीं है, तो आडिट कराने में दिक्कत कहां आ रही है? हाउसिंग बोर्ड का नहीं हो रहा है। आपने खुद नाराजगी जाहिर की है। हाउसिंग बोर्ड की क्वालिटी आफ वर्क के बारे में आपने तो यहां तक कह दिया कि इसको बंद करा दिया जाए। तो आप इसकी आडिट कराइए, जे डी ए की और हाउसिंग बोर्ड की। मेरा निवेदन है, इस पर आप गम्भीरता से विचार करेंगी।

अब रहा मेट्रो का सवाल, आप कहती हैं, घाटे का सौदा है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोडवेज घाटे का सौदा; इंडियन रेलवे में पैसेंजर ट्रैफिक से घाटे का सौदा। तो माननीय वित्त मंत्री, केन्द्रीय सरकार ने पिछले साल बजट में दो शहरों में मेट्रो चलाने की बात कही। फिर जयपुर की आबादी देखिए,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

क्या आबादी होगी आज के दस साल बाद? जब 2021 में सैंसस आएगी, तब क्या होगा? ट्रैफिक कंजेप्शन, पोल्यूशन, जो दिल्ली का हाल हो गया है पोल्यूशन में, वह जयपुर का भी हाल हो जाएगा। क्या स्थिति बनेगी? तो आपको मेट्रो चलानी चाहिए। आप नफा-नुकसान, घाटे का सौदा मत करिए। इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। मेट्रो चलाइए आप।

आपने पी पी पी माडल पर बीस हजार किलोमीटर सड़क बनाने का कहा। आपने पहले भाषण में कहा था, सड़कें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। Your model has failed. मैंने पिछले साल भी कहा था। आपने वर्ल्ड बैंक से, एशियन डवलपमेंट बैंक से, आपने वह जापान की कौनसी कंपनी है, वहां भी नहीं मिला आपको। आपकी खुद की सड़कों की, आप यह कह दें, गोद के बच्चे की हालत खराब है, आप नई सड़कें क्यों बना रहे हैं? आपकी जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इनकी हालत खराब है, आप इन पर ज्यादा बजट दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, चाहे 'नाबार्ड' से लीजिए, गवर्नमेंट आफ इंडिया की कोई स्कीम है वहां से लीजिए। मैं यहां पर इसके बारे में चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपकी खुद की सड़कों की हालत खराब है। आप बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं। उससे तो अच्छा है, अपनी सड़कों को ही ठीक कर लीजिए। यहां हर बार मांग आती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन बातों की तरफ गौर करेंगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2016 के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं पांच-दस मिनट में खतम कर दूंगा, अध्यक्ष महोदय। पहले ही प्यास के मारे बेहाल हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने इसीलिए गिलास और भिजवा दिया है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2016 व

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने गारमेंट्स के ऊपर वैट की रेट 5 परसेंट कर दी। राजस्थान की इण्डस्ट्री है, राजस्थान में गारमेंटस बहुत बनते हैं, माननीया मुख्य मंत्रीजी। मुझे लोगों ने बताया, उस आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं।

दूसरी, आपने तो हद कर दी, रिलीज डीड के ऊपर आपने डेढ़ परसेंट का टैक्स लगा दिया; स्टाम्प ड्यूटी लगेगी डेढ़ परसेंट की। बाप मरा; भाई, बहनों के हिस्से का बंटवारा; बहन ने भाई के नाम रिलीज डीड लिख दी। अब कीमत, आज के जमाने में जमीनों की कीमत इतनी बढ़ गई है, अध्यक्ष जी, कोई जमीन तीन लाख, चार लाख, पांच लाख रुपये बीघा से हमारी तरफ कम नहीं है। मुझे इधर का अंदाज नहीं है। हां, बाड़मेर में तो और ज्यादा बढ़ गई होगी, रिफाइनरी के चक्कर की वजह से। अब बहन भाई के पक्ष में दें, कहां से इतना पैसा आएगा? पहले तो सौ रुपये की लगती थी, या दो सौ रुपये की लगती थी, आपने डेढ़ परसेंट का टैक्स लगा दिया! गिफ्ट डीड के ऊपर आपने ढाई परसेंट कर दिया। जो गिफ्ट होती थी, गिफ्ट ज्यादातर ब्लड रिलेशंस में दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह आपके लिए बहुत ही घातक साबित होने वाली है, आपकी रिलीज डीड। आपको बहुत नुकसान देगी। हम तो इसकी मांग करेंगे, क्योंकि लोग हमसे पूछेंगे, आपने क्या किया। हमने तो मांग की; सरकार मानें, न मानें, सरकार की मर्जी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस रिलीज डीड वाले मामले के अन्दर आप इसके ऊपर गौर करेंगी।

एक बात मैं आखिर में और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। कालेज के लिए आपको बहुत धन्यवाद। I am grateful. So I must thank you for that.

अब आपसे एक चीज और कहूंगा कि कल मुझसे प्रोबेशनर कर्मचारी मिले थे, मैंने पूर्व में भी कह दिया, लेकिन उनकी मांग है। काफी लोग घूम रहे हैं। यों तो मांगें हैं कि आपके पैरा टीचर्स, ये आपके शिक्षक शिक्षा मित्र नहीं लगे हैं 25 हजार, वे घूम रहे हैं। अनएंप्लायमेंट की समस्या है, लाखों अनएंप्लायड लड़के घूम रहे हैं। आपने पन्द्रह लाख रोजगार की बात की,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लेकिन आपके मंत्री ले उड़े कि पन्द्रह लाख नौकरियां मिलेंगी। अब गले की हड्डी बन गयी। मोदी जी ने कह दिया कि पन्द्रह करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। चुनाव में वादे बहुत सोच-समझकर करने चाहिए, मेरा यह मत है। मैं अपनी इलेक्शन मेनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था, मैंने कहा कि देखो, वादे जो इसमें करो, बहुत सोच-समझकर करो; नहीं तो गले की हड्डी बन जाएंगे ये। क्योंकि आपके राज में आते ही आपसे कहेंगे। अब गिनाते हैं न आपको हमारे लोग कि आपने सुराज संकल्प यात्रा में जो वादे किये थे, उनका क्या होगा? बड़ा अच्छा जवाब देते हैं हमारे, कहां गये वे शिक्षा मंत्री महोदय, कि अभी पांच साल पूरे हो गये हैं क्या? करेंगे। तो यह तो कोई जवाब नहीं है। आप पन्द्रह लाख लोगों को नहीं, जहां आपकी स्ट्रेन्थ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की 6-7 लाख है, 15 लाख आप कहां से दे देंगे? रिटायरमेंट के हिसाब से तो आप देंगे। Where is the money? आपके पास पैसा नहीं है। आज आपके हजारों सैंक्शंड पोस्टें विभिन्न विभागों में खाली पड़ी हैं। कौनसा विभाग है...; I can't quote here, मैं पी ए सी का चेयरमैन हूं, सामने सब बातें आती हैं वहां पर।

अब चूंकि आप मितव्ययता कर रही हैं, हमने जब पोस्टें समाप्त की थीं, तो आपने कहा कि ये तो पोस्टें ही खतम कर रहे हैं; बेरोजगारों को बढ़ायेंगे। और कटारिया जी के भाषण तो मैं बड़े अच्छे तरह से याद करता हूं; वे क्या कहते थे, कि आप कर्ज का घी लेओ, पिओ। बड़े-बड़े बोर्ड लगवाये थे आपने, जब 72 हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान सरकार पर हो गया, राजस्थान की जनता को कर्ज में डुबो दिया। बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे थे यहां पर। अब तो भगवान जाने, 'when your term end, यह जाकर करीबन तिगुना हो जाएगा; दो लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। बोर्ड लगाये थे। कटारिया जी, वह संस्कृत में क्या कहते हैं, आप बड़े जोरों से कहते थे हर भाषण में; मैं बदकिस्मती से वित्त मंत्री था, आप यहीं कहा करते थे बैठे हुए। अब आप मुस्करा रहे हों, वे शब्द आप दोहरायेंगे नहीं।

तो मेरा आपसे निवेदन है, माननीया मुख्य मंत्रीजी, अपनी बात समाप्त करता हूं, कि आप इन प्रोबेशनर्स के बारे में विचार करें। हो सके, भार तो आने वाला है, in the meanwhile, आप ग्रेसफुलनेस दिखाते हुए, इनको जो मिनिमम मिल रहा है, उसमें 4-5 हजार रुपये महीने की वृद्धि कर दें, तो इनकी आंख के आंसू बुझ जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया; कुछ बातें और कहनी थीं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय मानिकचंद जी सुराना। आप वरिष्ठ हैं। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, पहले वक्ताओं ने बहुत ज्यादा समय लिया, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, लेकिन समराइज्ड वक्तव्य के लिए मैं आपको दस मिनट का समय देता हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान) सदन की नेता, माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब भी कोई प्रश्न आता है तो मंत्री से जवाब नहीं दिया जाता, और जब कहीं भी बोलने का नम्बर आये, तो इस विधान सभा में हम आते किसलिए हैं? तो ये इस तरह की +++ तो यह मेरा आपसे निवेदन है, और मैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्षः श्री मानिक जी, दस मिनट। कृपा मेरे पर भी कीजिये, क्योंकि आज फंक्शन भी है मुख्य मंत्रीजी का। 6 बजे तक हो जाए। 6.05 पर चालू कर देंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मुझे आपने तो फरमा दिया था कि तीन बजे ही बुलवायेंगे आपको।

श्री अध्यक्षः हां, तो आप उधर आये थे और मैंने देखा...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं तो यहीं था, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः पहले लोगों ने बहुत समय ले लिया। अब आप दस मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कोई बात नहीं, समय लिया। तो अब मुझे बीस-पच्चीस मिनट का समय तो चाहिए।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, वह मैं नहीं दे सकूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप कहेंगे कि...

श्री अध्यक्षः मैं नहीं दे सकूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं कोई इर्रेलेवेंट बोल रहा हूं, तो आप रोक देना।

श्री अध्यक्षः सवाल इर्रेलेवेंट का नहीं है, सारा रेलेवेंस है। आप एक रात भर रेलेवेंट बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दस मिनट निवेदन कर रहा हूं। वह आप चालू करो; दस मिनट के बाद समाप्त करना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मुझे अर्ज तो करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान दिवस के कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल आएंगे और 6 बजे वे पधारेंगे। इससे पहले मुख्य मंत्री महोदया को और सब लोगों को पहुंचना है। इतना बड़ा फंक्शन, आज राजस्थान का स्थापना दिवस है...

श्री अध्यक्ष: मैंने इसीलिए निवेदन किया है, आपके सामने ही निवेदन किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और माननीय सदस्य की बातें तो हम करते रहते हैं, सुनते रहेंगे। आपके सुझाव हों, तो मुख्य मंत्रीजी को वैसे ही आप दें। आपके तो सीधे रिश्ते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं सुझाव ही दे रहा हूं। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मैं सुझाव ही दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, दस मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं राज्य सरकार और इस सदन का ध्यान और नेता विपक्ष का और विपक्ष में विराजे हुए लोगों का भी, माननीय सदस्यों का इस बात की ओर सबसे पहले आकर्षित करता हूं कि 2013-14 में राजस्थान की कुल राजस्व आय 74,470 करोड़ थी और इस बजट में वह आय 1 लाख 23 हजार करोड़, यानी 74 हजार से 49 हजार करोड़ अधिक ढाई साल में जो राजस्व आय में बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 74 हजार से हम 1 लाख 23 हजार पर आये हैं। मुझे ध्यान है, कई बार हमारे बजट एस्टिमेट्स में 4-5 हजार की कमी भी हो जाती है, तो भी यह आंकड़ा 1 लाख बीस हजार से कम नहीं होने वाला है। पर साथ में ही मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि सेन्ट्रल टैक्सेज जो 18,673 थे 2013-14 में, वे सेन्ट्रल टैक्सेज आज 31 हजार करोड़ पर हैं। यानी, 13 हजार करोड़ का, मैं राउंड फिगर में ही बोल रहा हूं; अध्यक्ष जी, 13 हजार करोड़ का इजाफा तो हमारा सेन्ट्रल टैक्सेज में है। तो हमारी जो 49 हजार करोड़ की आमदनी है, चूंकि सेन्ट्रल टैक्सेज भी राजस्व का अब हिस्सा है, तो हमारी राजस्थान की जो स्टेट इन्कम है, उसमें 49-13 = 36 हजार करोड़ का इजाफा नेट हुआ है, और सेन्ट्रल टैक्सेज जोड़ेंगे, तो 49 हजार।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सबके बावजूद जो हमारा पब्लिक डैट बढ़ा है, वह डैट, मेरे आंकड़े मध्यमकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण से हैं और मैं इसकी तालिका 1.8, पेज-11 को कोट कर रहा हूं; जो पब्लिक डैट 31.3.2014 को 87 हजार करोड़ था, वह 31.3.2015 को 1 लाख 5 हजार करोड़ हो गया और वह ही 31.3.2016 को 1 लाख 61 हजार 80 करोड़ हो गया। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि इसमें चालीस हजार करोड़ तो निकाल दीजिये पिछले साल के और बीस हजार करोड़ इस साल के, जो बिजली कंपनियों के घाटे के तौर पर राज्य सरकार को अपने माथे लेना पड़ा है। मैं निवेदन करता हूं कि साठ हजार करोड़ को घटाने के बावजूद, हमारी आमदनी, राज्य की आमदनी बढ़ रही है, सेन्ट्रल टैक्सेज बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई पूंजीगत बचत हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान खास तौर से इस बात की ओर आकर्षित करता हूं।

मेरा निवेदन है कि आपने बजट में 300 करोड़ के तो टैक्स लगाये हैं और 325 करोड़ की माफी की है और माननीया मुख्य मंत्रीजी साठ हजार करोड़ का कर्जा भी अपने ऊपर लिया है। तो यह सिर्फ तीन सौ करोड़ का जो आपने फरमाया है कि तीन सौ करोड़ के टैक्स लगाये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो स्टाम्प ड्यूटी में आपने बढ़ोतरी की है, उस स्टाम्प ड्यूटी का मेजर हैड स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन है। मैं अर्ज करता हूं कि स्टाम्प ड्यूटी में 2015-16 में बजट एस्टिमेट 4,200 करोड़ का था, 2014-15 में एक्चुअल रिसीट्स हमारी 3,188 करोड़ थी और रिवाइज्ड एस्टिमेट 2015-16 का मात्र 3,450 करोड़ है, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में। 3,450 करोड़ से आप 4,200 करोड़ की आमदनी जो सोच रही हैं, आपने तो 2015-16 में भी 4,200 करोड़ बजट एस्टिमेट दिया था, लेकिन आमदनी 3,450 करोड़ हुई। मेरा निवेदन है कि ये साढ़े सात सौ करोड़, जो दिखता हुआ है; जो रेवेन्यू बढ़ेगी, आपने इसको तीन सौ करोड़ कैसे बता दिया? 2013-14, 2014-15 में ट्रेंड इंक्रीज बहुत मामूली है, तीन सौ करोड़ की है; तो तीन सौ करोड़ की ट्रेंड इंक्रीज मानें, तो भी पांच सौ करोड़ नये टैक्सेज आपके द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं।

(17.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की मर्जी है कि कोई टैक्स लगाये। अध्यक्ष महोदय, हमने एक संशोधन दिया है, जिसमें जो यह रिलीज डीड है, भाइयों और बहनों के बीच जब बहनों के द्वारा भाइयों के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पक्ष में हक त्याग किया जाता है; इस भारतीय संस्कृति में कोई भी बाप अपनी बेटी को अधिक से अधिक देना चाहता है, देता भी है; दहेज भी देता है, चाहे कानून में मना होगा, फिर भी दहेज देता है। मेरा निवेदन है कि रिलीज डीड पर यदि आपने डेढ़ परसेंट ड्यूटी लगा दी, आज गंगानगर की जमीनों में जिसके पास एक मुरब्बा जमीन है, 25 बीघा, और 25 बीघे में मिनिमम वेल्यू इर्रिगेटेड लैण्ड की 10 लाख, तो उसकी ढाई करोड़ की सम्पत्ति हो गई और ढाई करोड़ पर डेढ़ करोड का टैक्स 4 लाख रुपये हो गये। यदि एक-एक आदमी को 4 लाख, और बारानी में 2-2 लाख रुपये फैमिली सेटलमेंट के लिए देने पड़े, माननीया मुख्य मंत्रीजी, तो आपके जितने भी शानदार काम हैं, वे एक तरफ और यह फैमिली सेटलमेंट और रिलीज डीड में आपके द्वारा जो स्टांप ड्यूटी डेढ़ परसेंट लगाई जा रही है, वह बिलकुल एक तरफ हो जायेगा। जिस आदमी को रिलीज डीड पर डेढ़ लाख, लाख रुपया...। मैडम, एक सौ रुपये का स्टांप था और हमने संशोधन दिया है कि 100 नहीं, आप 200 लीजिए। मैं आज निवेदन कर रहा हूं कि आप 200 नहीं, 500 लीजिए; 100 को 500 बढ़ाना कोई उचित कहा जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में, पर 100 की जगह लाख, पचास हजार, डेढ़ लाख, दो लाख, किसी भी प्रकार से उचित और न्यायसंगत नहीं है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है।

मैं यह भी अर्ज करुंगा, मैडम, राज की फंक्शनिंग को आप कभी-कभी थोड़ा देखें। आज बीकानेर की कलेक्टर ने एक एस डी एम का तबादला कर दिया, माननीया मुख्य मंत्रीजी, जो सिर्फ आपका अधिकार है; किसी मंत्री का नहीं है एस डी एम को बदलने का। एक कलेक्टर की हिम्मत और जुर्रत कैसे हो गई कि एस डी एम को बदल दिया और एक नये प्रशिक्षु आई ए एस को वहां लगा दिया? मेरा निवेदन है कि इसमें स्थगन प्रस्तावों की आवश्यकता नहीं है। मैडम, इसमें आपको अपने आप संज्ञान लेना चाहिये और ऐसी हरकतों को, आई ए एस लॉबी की ऐसी हरकतों पर तत्काल प्रभावी रोक लगानी चाहिये जिससे उनको सबक हो जाये कि हम नौकरी कर रहे हैं, या मिल्कियत कर रहे हैं।

माननीया मुख्य मंत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा, आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है नदियों को जोड़ने का। हम सब, नदियों को जोडने के प्रबल हम ही हैं। नदियों को जोड़ने की जो बात है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के राज से जुडी हुई है, उनके नाम से जुडी हुई है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बात की ओर आकर्षित करूंगा कि राजस्थान में नदियों को जोड़ने के लिए हो क्या रहा है; माननीया मुख्य मंत्रीजी, नदियों को जोड़ने के लिए आपने एक नदी बेसिन का बोर्ड बनाया है और नदी बेसिन के बोर्ड में, जो खर्चा निष्पादन आय-व्ययक सिंचाई वाले में है, मैं निष्पादन आय-व्ययक पेज 40 आपके सामने कोट कर रहा हूं; 2015-16 में कुल खर्चा 148 लाख है और 2016-17 में कुल खर्चा प्रस्तावित 3 करोड़ 73 लाख है। माननीया मुख्य मंत्रीजी, यह सारा खर्चा अधिकतर संवेतन में है और कुछ गैर-संवेतन में जो है, वह 1 करोड़ की सीमा में है। कौनसी नदी जुड़ जायेगी 3 करोड़ में? कहां है डी पी आर? मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जब आप राज में आये, तभी यह नारा दिया था। अपने राज को 2 साल 4 महीने हो चुके हैं, मैडम, आपको रिजल्ट दो साल में देना है नदियों को जोड़ने का। कालीसिंध और चंबल तो जुड़ने वाली थीं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई इर्रेलेवेंट बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जिससे राजस्थान की नदियां जुड़ें और राजस्थान के लाखों-लाखों किसानों को पानी मिले।

श्री अध्यक्ष: आप चिट्ठी से...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मुझे कन्क्लूड तो करने देंगे।

श्री अध्यक्ष: हां, आप कन्क्लूड कर दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कनक्लूड करूंगा तो कोई ढंग से तो करूंगा ना।

श्री अध्यक्ष: आप बहुत ढंग से करना जानते हैं, एक लाइन में। आप तो एक लाइन में ही कन्क्लूड करना जानते हैं। अपन साथ ही रहे हुए हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं आपके आदेश की पालना करूंगा। मुझे कन्क्लूड करने दें।

श्री अध्यक्ष: कन्क्लूड कर लीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आपके आदेश की पालना तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं और अध्यक्ष की पालना करना तो हमारा धर्म भी है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में मैंने बार-बार मांग की है कि यह 60 हजार करोड़ का जो बिजली का घाटा है, माननीया मुख्य मंत्रीजी इस पर एक कमीशन बनायें। कांग्रेस के राज में जो 67 हजार करोड़ का घाटा हुआ, जो रिस्ट्रक्चरिंग इनको करनी थी, उन्होंने आज तक कभी भी नहीं की, कांग्रेस सरकार ने, और हमारी सरकार ने भी दो साल में कोई रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की। हमारे जिम्मे भी कोई 15 हजार करोड़ आता है; 80 हजार करोड़ का तो कोई हर्ज नहीं है, मैडम, लेकिन इसका व्हाइट पेपर छपे और उसके पहले एक बड़ा कमीशन आप बनायें, ताकि व्हाइट पेपर जारी करने के लिए वह कमीशन सर्वे करे और व्हाइट पेपर बनाया जाये।

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण कीजिये।

माननीया मुख्य मंत्रीजी, सदन की नेता, अब अपना वक्तव्य देंगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा इतना ही निवेदन है कि मैंने जो भी सकारात्मक सुझाव दिये हैं उनको आप कंसिडर करें।

श्री अध्यक्षः माननीया मुख्य मंत्रीजी। (व्यवधान) इसके बाद दे दूंगा मैं टाइम।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी से कि मेरे विधान सभा में एक दलित लड़की के साथ में बलात्कार हुआ...

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, सवेरे आ गया यह। अंकित नहीं करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं करें। अंकित नहीं करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा। आप विराजिए। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप वैसे भी कह सकते हैं अपनी बात। माननीया मुख्य मंत्रीजी। आप विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्षः कौन कहता है कि गम्भीर नहीं हैं? आप विराजिए। आप विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं मुख्य मंत्रीजी को पुकार चुका हूं। इनका अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) सरकार ने संज्ञान ले लिया है, सूचना प्राप्त हो गई, विराजो आप। संज्ञान ले लिया आपकी बात का, अब आप विराजो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री):... (व्यवधान) आप पहले भी कह चुके यह बात। बार-बार कह रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) मैंने आपको सदन में आश्वस्त किया कि एडिशनल एस पी और उसकी टीम बनाकर, इस सारे प्रकरण की जांच करके, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करुंगा। यह मैंने सवेरे ही बता दिया।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, गृह मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): सुबह बता दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान एप्रोप्रिएशन बिल 2016 एण्ड राजस्थान फाइनेंस बिल पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहां कई दिन से उपस्थित हैं, आज उपस्थित हैं। सत्ता और प्रतिपक्ष के सब सदस्यों ने बजट पर अपने विचार रखे हैं; बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आये हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष और सब माननीय सदस्यों की बहुत-बहुत आभारी हूं।

16 मांगें हाउस के सामने आई हैं, इनके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई है। कंसर्न्ड मिनिस्टर्स ने अपने-अपने विभाग का पूरा अच्छा लेखा-जोखा सबके सामने रखा है। मैं समझती हूं कि इसके अन्दर भी बहुत अच्छी बहस हुई है।

Constitution of India, Article 204 के अन्तर्गत सभी Demands-for-Grants के पास होने के बाद ही कंसोलिडेटेड फंड के अन्दर से हम राशि विथड्रा कर सकते हैं। इसके लिए ही यह एप्रोप्रिएशन बिल लाया गया है। कांस्टिट्यूशन बनाने वालों ने कुछ सोच-समझकर ऐसे प्रावधान रखे हैं। इसीलिए इस बिल के ऊपर बहस करना बहुत ही आवश्यक है।

मैं मानती हूं कि यही बिल वह बिल है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को आथोराइज्ड करेगा और बजट की जो हमारी कल्पना है उसको जमीन पर लाने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, उसी को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश को एक विकसित और सशक्त राजस्थान बनाने का जो सपना हम सब साकार करना चाहते हैं, वह तभी साकार होगा; जब हम जो यहां बैठे हैं, सब मिलकर अपने आपको जनता के ट्रस्टी मानें। जनता का जो पैसा हो, उसको ट्रस्टी के रूप में, राजकोष से पाई-पाई जो निकलती है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम, ताकि उसके अच्छे, सुंदर और सुनहरे भविष्य का हम लोग आगे चलकर निर्माण कर सकें। ऐसी परिस्थिति को लाने की कोशिश हम तभी कर सकेंगे, जब हम अपने आप को उनके पैसे का और पब्लिक एक्सपेंडिचर के ट्रस्टी माने जाएंगे।

पब्लिक मनी के खर्च के लिए अलग-अलग नियम और कानून बनाये गये हैं और ये समय-समय पर बनाये जाते हैं, जब जरूरत उनकी पड़ती है। अभी हमने यह भी देखा है कि प्री-आडिट, कॉन्करेंट आडिट, सोशल आडिट, लोकल फंड आडिट, सी.ए.जी. आडिट, ऐसी कई वॉच-डॉग एजेंसीज हैं, जो इन चीजों को वॉच करती हैं। पैसा का सदुपयोग तभी होता है जब अच्छी तरह से ये ओवरसी करती हैं और हम उनके उस पर काम करते हैं। इसलिए सरकारी पैसा हमें अपना खुद का पैसा मानकर और उसकी अच्छी तरह से उपयोगिता सुनिश्चित करें, ताकि निश्चित रूप से कोई टिकाऊ और अच्छी क्वालिटी के काम हों और जो परिसम्पत्तियां हैं वे बनाई जाएं। हमने पहले भी देखा था कि इसको किस तरीके से, पिछले 2003 से लेकर 2008 तक हमने इसकी क्रियान्विति की थी और हम अभी भी मानते हैं कि अगर ट्रस्टी के रूप में हम इसको आगे ले जाएंगे, तो आने वाले समय के अन्दर उसी तरीके से, उसी समझ के साथ हम इन परिसम्पत्तियों का सृजन कर सकेंगे; जिसका फायदा हमारी राजस्थान की जनता को होगा।

इसकी एवज में, मैं समझती हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे चलकर जनता का भला हो। चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, सब इसी एक ही मन के हैं, यह मैं मानती हूं। इससे जनता का आभार भी, उसका स्नेह भी, उसका आशीर्वाद भी, उसका साथ भी, हम सबको मिलेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए, एक परिवार के रूप में राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हमने यह काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चाहूंगी पब्लिक एक्सपेंडिचर के सम्बन्ध में। पब्लिक एक्सपेंडिचर से सम्बन्धित एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, सबसे सटीक एक सिद्धांत है वह, जो कहता है कि "Every Officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public moneys as a person of ordinary prudence would exercise in respect of the expenditure of his own money."

हाल ही में सदन के पटल पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट on State Finances के सम्बन्ध में अभी रखी गई है और उसमें यह कहा गया है कि राज्य में जो बेहतर social and physical infrastructure, this is the reflection of the quality of the State expenditure. व्यय की जो गुणवत्ता है, उसमें सुधार के तीन व्यूज हैं- first, adequacy in the provision of the funds, फंड्स के प्रोविजन में पर्याप्तता; efficiency in expenditure; and effectiveness of expenditure. मानव विकास के स्तर को अगर हमें बढ़ाना है, तो इसके लिए यह आवश्यक है और राज्य की जो मुख्य सामाजिक सेवाएं हैं, चाहे वह शिक्षा है, चाहे वो हैल्थ है, उसमें अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने की हम सब लोगों को कोशिश करनी है, तभी यह सुधार आएगा।

2014-15 के दौरान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सोशल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन तीनों एक्सपेंडिचर्स के ऊपर सी.ए.जी. ने एक विस्तृत स्टडी की। इन तीनों कैटेगरीज की स्टडी से बहुत उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये। इसलिए, माननीय सदस्य, मैं भी उन्हीं से कोट करना चाहूंगी; सी.ए.जी. के रेफरेंस में वहां से लेना चाहूंगी।

मुझे तो बड़ी खुशी हुई, जब मैंने उसमें पढ़ा कि उन्होंने कंट्रीवाइज स्टेट गवर्नमेंट के बजट का एनालाइसिस किया और स्टेट गवर्नमेंट के फिस्कल प्रायोरिटीज की उन्होंने स्टडी की और उसके बाद उसको सात कैटेगरीज में बांट दिया। वे सात कैटेगरीज हैं- total expenses vs G.S.D.P.; development expenditure vs total expenditure; social sector expenditure vs total expenditure, economic sector vs total expenditure; capital expenditure vs total expenditure; education vs total expenditure, and health vs total expenditure. These are seven categories जिनके अन्दर उन्होंने इसको बांटा है और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि राजस्थान का एक्सपेंडिचर इन सात कैटेगरीज में नेशनल एवरेज से ज्यादा है। यह एक बहुत बड़ी बात है और हम सबके लिए एक बहुत गौरव की बात है। हम सबको इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए। पूअर फिस्कल

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सिचुएशन, जो मैं बार-बार कहती हूं, विरासत में हम सबको मिली है; उसके बावजूद भी हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट किया, उनको सही लाइन पर रखा, जबकि हम इधर से उधर भी हो सकते थे और अपने विजन के मुताबिक हमने जाकर पैसा खर्च किया और इसका नतीजा यह हुआ।

मैं अगेन माननीय सदस्यों का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगी और कैटेगरीवाइज मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगी, छोटा-सा टेबल है, जिसमें national average versus Rajasthan to G.S.D.P.; 16.49. परसेंट है नेशनल एवरेज और राजस्थान के अन्दर औसत अनुपात जो है, वह 19.38 । तो उसका डिफरेंस अपने को देखने को मिल गया।

डवलपमेंट एक्सपेंडिचर, आपने भी वहां से कोट किया, तो मैंने भी यह सोचा कि भई, निकालकर मैं भी करूंगी। तो डवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अन्दर वरसेज टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें, तो नेशनल एवरेज 69.12 परसेंट है और राजस्थान का 74.49 परसेंट। यह अपने आप में कितना अच्छा है। Social sector expenditure vs total expenditure के अन्दर नेशनल एवरेज 36.5 परसेंट and Rajasthan is 39.4%; economic sector expenditure vs total expenditure, that is 32.61%. Rajasthan is 35.09%; capital expenditure vs total expenditure is 14.01% and Rajasthan actuals are 14.46%; education vs total expenditure 16.23% and ours 17.44%; and health vs total expenditure is 5.04% and 5.8%. इन कैटेगरीज से और इनकी रिपोर्ट से अपने को यह मालूम हो जाता है, बहुत सारी आडिट रिपोर्ट जो हम सबने देखी हैं, इससे यह अच्छे-अच्छे काम तो हमारे सामने आ ही जाते हैं। Then we depend on such learned Hon'able Members specially; हम उनको अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेम्बर भी बनाते है नहीं तो वे हमारे मेम्बर हैं ही। इनके इसलिए जब भी कोई सुझाव आते हैं, कोई अच्छी बात होती है, तो वह तो हम आन-बोर्ड तुरन्त ही लेंगे। क्योंकि मैं समझती हूं कि यह कोई इधर और उधर की बात नहीं है; 'बेनिफिट आफ राजस्थान', यही हमको सामने रखकर उसको लेकर चलना है।

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी, माननीय सदस्य, अच्छे कार्य का तो पता चल जाता है, जब हम सब इन विभिन्न रिपोर्ट को पढ़ते हैं और इनके मायाजाल को आप भी बहुत समझते हों और हम भी पढ़ने लगे हैं। थोड़ा-थोड़ा सा ज्ञान हम में भी आ गया है।

मैं यह समझती हूं कि अच्छे कार्यों की बात तो पता चल ही जाती

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है, परन्तु कमी भी दिखाई देती है। ठीक है, कई बार हम आंकड़ों में लोगों को उलझा सकते हैं, परन्तु अगर कमियों के कारण उसकी गहराई में हम नहीं जाते, और जब तक गहराई में नहीं जाएंगे, तो हम उन कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि कमी भी पाइंट आउट हो और हमारी सही सोच और सही नीति तभी बन पाएगी, जब गहराई में जाकर, उन कमियों को समझकर, उन कमियों को अड्रेस करने का हम लोग काम करेंगे। नेचुरली प्रदेश की जनता तक विभिन्न योजना का लाभ हम नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए इसको भी देखना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, हमने अपने बजट के रिप्लाई में यह कहा था कि every Budget is a step towards to a better future. This is something that every Government wants to make happen. विजन 20-20 की सोच के तहत न केवल पूर्व के बजट में, बल्कि इस बजट के अन्दर भी हम लोगों ने कुछ अच्छे निर्णय और कुछ नवाचार भी किये हैं।

मैं इसमें आगे जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि 3 लाख 21 हजार करोड़ के 295 एम.ओ.यूज. 19 व 20 नवम्बर को 'रिसर्जेंट राजस्थान' के दौरान हमने किये। अगर Ease of Doing Business नहीं होता, तो मैं समझती हूं कि तीन माह के बाद 11,351 करोड़ के 51 एम.ओ.यूज. फिर से साइन नहीं होते। और वे कोई बड़े आदमी हैं नहीं; ordinary people who believe in Rajasthan, जो आप भी चाहते हों और हम भी चाहते हैं और हमें खुशी है कि ऐसे लोग आगे निकलकर आये, जिनको लगा कि राजस्थान डिलिवर कर सकता है, और इसीलिए आगे चलकर कुछ ही महीनों बाद 11,351 करोड़ के एम.ओ.यूज. फिर से साइन हुए।

बजट के फर्स्ट पेज पर ही यह लिखा है और एम.ओ.यूज. साइन होने के तीन महीने बाद 12 प्रकरण जो हैं, 4,658 के कस्टमाइज्ड पैकेज, जो आपने भी अपने समय में दिये हैं, हमने भी अपने समय में दिये हैं क्योंकि इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना तो जरूरी है ही। आप बिलकुल सही कह रहे हों कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, तो नेचुरली जॉब इम्प्रूवमेंट पर भी होगा। हमारी प्रोब्लम तो सिर्फ यह है कि there are two types of jobs. government jobs as well as private jobs. All jobs cannot be government jobs. So we have to make the efforts to see that other jobs are also produced in the government in the State so that आगे चलकर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें इन्वाल्व कर सकें।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमने कहा है कि 15 लाख बच्चों को हम नौकरी देना चाहेंगे और हमने यह भी कहा कि टू-थ्री यीअर्स के अन्दर गवर्नमेंट एज वैल एज प्राइवेट, पब्लिक-प्राइवेट एरियाज के अन्दर हम लोग ये नौकरियां दिलाने की कोशिश करेंगे। I am very happy to tell you, मैंने पहले भी आपको कहा कि 6 लाख को हमने आलरैडी दे दी हैं and these are documented माननीय सदस्यों को डाक्यूमेंट का काफी शौक है, वे डाक्यूमेंट मैं पहुंचा भी दूंगी, ताकि उन डाक्यूमेंट्स को आप अच्छी तरह से देख भी सकोगे और उनको एक दूसरे से मिला भी सकोगे। 6 lakhs in two years is not bad. मैं यह होप कर रही हूं कि आने वाले समय में 15 लाख को मैं आराम से, हमारे गवर्नमेंट के सब, पूरे डिपार्टमेंट मिलकर, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।

हमारी कोशिश है कि माहौल बने। इस माहौल को बनाने के लिए, सिर्फ हम ही नहीं, हम सबको उसके लिए काम करने की जरूरत है। अगर माहौल बनता है, तो निवेश होगा और लोग आएंगे। अभी जो यह स्थिति हो रही है, जो मंदी की स्थिति है, everything is on downturn. यह स्थिति को फिर से टर्न अराउण्ड करने की कोशिश हम दोनों को मिलकर करनी है। बिकोज राजस्थान अगर किसी भी तरीके से इकोनोमिकली कमजोर होता है, वह किसी को भी सूट नहीं करता है। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, आपने उस कोशिश को रिकोग्नाइज किया; उस कोशिश को प्रोत्साहित करने की बात भी आपने कही। I appreciate that. Thank you very very much. मैं इसीलिए उसको थोड़ा करेक्ट करना चाह रही थी।

निवेश के माहौल के अन्दर आपने यह भी कह दिया कि सोलर प्लांट पर-यूनिट रेट, क्या हो रहा है, कोई 60 हजार के आ रहा है, कोई 6 हजार के आ रहा है, कोई 5 हजार के आ रहा है। माननीय सदस्य, मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूं कि अभी तो उस सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने की हमारी पूरी कोशिश हो रही है, परन्तु खुशी की बात तो यह है कि सोलर प्लांट के पर-यूनिट रेट अब कम आ गये हैं। जहां एक जमाने में 6.45 रुपये पर-यूनिट था, आज वह 4.34 पर-यूनिट का रेट आ गया है। वह ही अपने आप में बहुत अच्छी बात है। धीरे-धीरे यह, एक दिन के अन्दर, दो महीने के अन्दर, एक साल के अन्दर आपको जमीन पर दिखाई नहीं देगी, परन्तु मैं समझती हूं कि अगर हमने एक हैल्थी प्रथा अभी बना दी, तो आगे चलकर इसका फायदा राजस्थान को देखने को मिलेगा। इसी चीज के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगी कि जो निर्णय और नवाचार हैं, आप लोगों को फिर से रिमाइंड करूंगी, सबसे पहले डिसेंट्रेलाइज प्लानिंग पर ध्यान दिया है, online service delivery through IT, without intermediaries. So you can go direct. इसके ऊपर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कहीं-कहीं लोग दुःखी भी होंगे, लेकिन मैं समझती हूं कि इसको अगर डायरेक्ट जनता को पहुंचा देंगे तो इसका फायदा बहुत कुछ हम लोगों को भी देखने को मिलेगा और राजस्थान को भी देखने को मिलेगा।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो, एक्चुअल सिंगल विंडो हमने तय कर दिया है।

Ease of Doing Business, we have done very well. देश के अन्दर हमारा नम्बर है 6th, now in the country.

भामाशाह एक्ट और अथोरिटी का गठन हो चुका है।

वैट रिलेटेड इश्यू जो हमारे हैं, उनका रेशनलाइजेशन, उनका सिम्पलिफिकेशन, उनका कम्प्यूटराइजेशन, यह सब काम हम लोगों ने कर दिया है।

बैकवर्ड एरिया; आपने राजस्थान के अन्दर देखा हुआ है, ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स आगे चलते आये हैं वे आगे आज भी हैं। जो पीछे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम समझते हैं कि 60 साल का किसी ने राज किया होगा, तो कोशिश यह करेंगे कि उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऐसी स्थिति में ला दें कि वे बड़े डिस्ट्रिक्ट के साथ कम्पीट कर सकें; परन्तु छोटे डिस्ट्रिक्ट तो और छोटे हो गये और जो आगे चलने वाले डिस्ट्रिक्ट थे वे आगे चले गये। उनके और उनके बीच में इतना गैप हो गया है कि उसको कवर करने के लिए बहुत मुश्किल है। हमारी कोशिश यह है कि राजस्थान के अन्दर इवन हैंडेडली सब डिस्ट्रिक्ट को एक लाइन पर लाने की हम कोशिश करें; बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस को फिर से लिफ्ट करके उनको उस लाइन पर लाने की हम कोशिश करें। इसलिए कुछ इन्सेंटिव बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड एरियाज के लिए भी हमने दिये हैं ताकि वे एरियाज भी कम्पीट करने के लेवल पर आने की तैयारी कर लें।

गवर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग, जिसके तहत पुराने कानून और नियम का हमने वीडिंगआउट कर दिया है।

फाइनेंशल पावर्स का डेलीगेशन हमने करने का काम किया है। वह मैंने कहा कि जो सिंगल विंडो और उसके अन्दर जिन लोगों को हम लोग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बिठाएंगे, उन लोगों को हम पावर्स भी देंगे, ताकि वापस आना-जाना उनका नहीं होगा। वे वहीं बैठकर, सिंगल विंडो के अन्दर जितने दिन उनको दिये गये हैं, उसके अन्दर अपना डिसिजन ले सकेंगे।

युवाओं के लिए विशेष प्रावधान हमने तैयार किये हैं। जैसे स्किल डवलपमेंट लोन है, जॉब मेले हैं, स्किल डवलपमेंट सेंटर्स हैं; अभी-अभी निप्रो का सेंटर कल झालावाड़ के अन्दर ही हमने खोला है। उसके अन्दर एक पी पी पी के दौरान हम लोगों ने यह कोशिश की है कि स्किल ट्रेनिंग भी की जाए, टेक्निशियंस की ट्रेनिंग भी की जाए; एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट भी किया जाय, डायलेसिस मशीन भी रख दी जाय। यह इतना सक्सेसफुल हुआ है, अभी 12 मशीन से शुरू किया है, पर मैं समझती हूं कि इसको आगे बढ़ाने के भी हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि किडनी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे आज बहुत सारे लोग, चाहे दिल्ली में हों, चाहे अपने स्टेट में हों, ग्रस्त हैं।

महिलाओं के लिए भी सोश्यो इकोनोमिक that is भामाशाह, एस्क्ट्रा इम्पावरमेंट करने की हमने कोशिश की है।

ऐसे कई अनेक कदम हमने उठाये हैं। यह हमारा बजट इन्क्लूसिव बजट, ऐसा बजट करने की हमने कोशिश की है। सब स्टेकहोल्डर्स को हमने कंसल्ट किया है। यहां बैठे हुए, उससे नीचे के लेवल के बिलकुल डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर बैठे हुए लोग, आपके अथोरिटी के लोग हैं, उन लोगों के साथ, सब लोगों के साथ बैठकर; इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन है; उन लोगों के साथ बैठकर हम लोगों ने कोशिश की है, सब स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन हो, जिससे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट राजस्थान के हम ला सकें।

मुझे तो विश्वास है कि जनता के साथ-साथ सभी माननीय सदस्य इस बजट से खुश हैं; कइयों ने इसको सराहा भी है। मैं तो यह मानती हूं, मैं देख रही थी कि माननीय सदस्य ने बहुत कोशिश करके जो इंडिफेंसिबिल था, उसको डिफेंड करने की पूरी तरह से कोशिश की है। उसके लिए मैं समझती हूं कि अच्छी कोशिश रही, बहुत अच्छी कोशिश रही।

सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि वर्तमान वर्ष, I will repeat it, वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि बैकलॉग था, जो प्रोब्लम थीं, उसके साथ आप अच्छी तरह से अवगत हों। उससे हम जूझ रहे हैं। हो सकता है, जो हमने किया है, उसके अन्दर आप

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कुछ-कुछ गलतियां भी निकाल सकते हों, परन्तु जैसा आपने कहा, कोशिश में कोई कमी नहीं रही। मैंने यह भी कहा था कि आगामी वर्ष के अन्दर और भी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। यह है, आज की स्थिति है, चाहे आप दिल्ली में बैठे हों, चाहे यहां बैठे हों, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, round the world this is the situation, which is happening. मैंने इसके अन्दर मुख्य काम भी बताये, जो आपने भी इंगित किये।

मैं यह कहना चाहती हूं, रिपीट करना चाहूंगी, गत सरकार के समय जो विद्युत वितरण कम्पनियां थीं, उनका बहुत जोरदार कुप्रबंधन था। उसकी वजह से आज हमको दुःखी होना पड़ रहा है। 80 हजार करोड़ रुपये, आपने भी माना कि विशाल ऋण है, और इस ऋण को बहुत मुश्किल से हम झेलेंगे। यस, हमको अभी 'उदय' के थ्रू अपनी कम स्पेस के अन्दर 60 हजार करोड़ को दो साल के अन्दर बजट के ऊपर लेना पड़ रहा है। वह कोई कम नहीं है।

इंटरनेशनल मार्केट के अन्दर, it is true, आयल की प्राइसेस गिर गई हैं और मूल्य के कारण हमारे यहां राजस्व के अन्दर भी कमी हुई है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि वेतन और पेंशन पर जो बढ़ता हुआ व्यय है, यह भी हमारे लिए एक प्रोब्लम है। Balancing the budget with all these things, इन सब चुनौतियों के बाद भी विकास कार्यों में बजट आबंटन के अन्दर हमने कमी नहीं की है। मैं बार-बार हमारे सब माननीय सदस्यों को बोलती हूं, हमारी कोशिश रहेगी, उसमें मैंने सबको यह भी कह रखा है कि स्कूल्स खुलेंगे तो दूर खुलेंगे; मैंने यह भी कहा है, रोड्स बनेंगे, तो जहां-जहां खराब हैं वहां रोड्स बनेंगे; आपके सी एच सी और पी एच सी 132, 33 हम यह देखकर नहीं करेंगे कि हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट है कि नहीं है, हम यह देखकर करेंगे कि कहां जनता की जरूरत है। इसको देखकर हम करेंगे। यह मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं।

अब यह बजट आबंटन में कोई कमी नहीं है। मैं इसके बारे में थोड़ा-सा फिगर्स के ऊपर, कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। 2015-16 का आर.ई. था, रिवाइज्ड एस्टिमेट था, 2016-17 के अन्दर हमारा बजट एस्टिमेट है, nowhere we have come down. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्दर 2,200 करोड़ से 3,634 करोड़ पर अपन चले गये हैं; पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, I am just giving round-figures, from 4,600 crores we have gone to 5,700

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

crores; एजुकेशन डिपार्टमेंट के अन्दर 20,248, we have gone to 23,177 crores; मेडिकल ऐड हैल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में, we have gone from 7,500 to 8,800 crores; Labour and Employment, including ITI, we have gone from 716 to 975 crores; Public Health & Engineering 7,000 to almost 8000 crores. Information Technology 674 to 725 crores; Water Resources 2,200 to 2,900 crores; Panchayati Raj and Rural Development Department in TSP 15,264 to 16,000 crores. So every where, हम लोगों ने यह कोशिश की है कि आपको बजट आबंटन में कहीं भी विकास कार्यों के लिए कमी नहीं हो और एक्सपेंडिचर सब मेजर डिपार्टमेंट्स के अन्दर बढ़ा ही है; कम नहीं हुआ है। गरीबों की कोस्ट पर अमीर का फायदा, यह बड़ा आयरोनिक मामला है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसे शब्द मेरे को यहां सुनने को मिलेंगे। क्योंकि 60 साल जो हमने देखा है, गरीबी हटाओ ...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): नहीं, I am not yielding.

'गरीबी हटाओ', 'गरीबी हटाओ', 'गरीबी हटाओ' के ऊपर अपन ने 60 साल 'गरीबी हटाओ' में ही निकाल दिये। कोई तो, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब बिचारों का तो क्या हुआ, और पूरी तरह से इसका फायदा उठाया किन्हीं-किन्हीं लोगों ने। मैं यह समझती हूं कि इन सब स्लोगंस से अगर हम लोग अलग हो जायं और जैसे आपने पहले कहा था कि हम लोग सब मिलकर कोशिश करें, तो राजस्थान को, भले ही धीरे-धीरे हो, हम आगे बढ़ा सकते हैं।

जैसे मैंने कहा, every budget must be in a step the right direction, which is forward but not backward. तो हमारा बजट जो है, वह प्रदेश के विकास और आम आदमी के कल्याण की भावना से प्रेरित बजट है; not because of 'Rajniti', राजनीतिक लाभ की वजह से नहीं है।

हमने कोशिश की है, अध्यक्ष महोदय, जन भावना और जो स्थानीय मांग है, उसके अनुरूप हम प्रस्ताव बजट के अन्दर लाने की कोशिश करें। फिर भी, चाहते हुए भी, पूरी मांगें जो मेरे पास आई हैं, वे हम शामिल तो नहीं कर पाये हैं, परन्तु बजट के अन्दर ज्यादा से ज्यादा मांगों को हमने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, और बजट प्रस्तुत करने के बाद भी जो कुछ-कुछ मांगें मेरे पास आई हैं, उनको सकारात्मक रूप से मैं देखती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अध्यक्ष महोदय, बजट के बाद प्राप्त मांगों में से कुछ मांगों के सम्बन्ध में कुछ घोषणाएं मैं आपके सामने करना चाहूंगी। यह है, शहरी विकास के अन्दर, महुवा, जिला दौसा में नगरपालिका बनाये जाने की मांग को देखते हुए मैं इसे नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा करती हूं।

मांगरोल, जिला बारां में बाढ़ और वर्षा के पानी की निकासी के लिए लगभग 18 करोड़ के विकास कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाने की मैं घोषणा करती हूं।

कोटा शहर अब एन.सी.आर. दिल्ली के काउंटर-मेग्नेटिक सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। शहरी क्षेत्र में निम्न विकास कार्य करवाये जाएंगे :

रंगपुर रोड पर आर.ओ.बी. का निर्माण :

नयापुरा क्षेत्र में मौजूदा आधारभूत खेल सुविधाओं को एकीकृत करके एक स्पोर्टस काम्पलेक्स का विकास और निजी-जन-सहभागिता के आधार पर खिलाड़ियों के लिए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्पोर्टस गेस्ट हाउस और भूतल पर कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए निर्माण;

दशहरा मैदान के विकास कार्य; एन.एच.-76 अण्डरपास;

कोटा कलेक्टर कार्यालय और जिला और सत्र न्यायाधीश परिसर को एक भूमिगत मार्ग से जोड़ने का काम और भूमिगत पार्किंग का निर्माण।

इस बजट में शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु 4,200 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की थी। उसमें मैं आंशिक संशोधन करते हुए, जिला अलवर के स्थान पर जिला चूरू पढ़ा जाए। इसी क्रम में 670 करोड़ रुपये के निम्न कार्य करवाये जाने की मैं घोषणा करती हूं। सौ करोड़ रुपये की लागत से माउण्ट आबू में पेयजल और सीवरेज के विकास कार्य; झालावाड़ और झालरापाटन में सौ करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज कार्य; आयड़ नदी के सौंदर्यीकरण एवं उसमें आने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए 120 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य; सवाई माधोपुर शहर की सीवरेज समस्या के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य; कोटा शहर की सीवरेज और पेयजल व्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में ढाई सौ करोड़ रुपये के विकास कार्य। अंता, जिला बारां में पुराने खेमजी महाराज तालाब की सफाई, संवर्धन और सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 4 करोड़ 45 लाख रुपये के विकास कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाये जाएंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैंने अपने बजट भाषण में ऐसे शहर, जहां पर नेशनल हाई-वे द्वारा बाई-पास बना दिया गया है, वहां शहर से गुजर रहे पुराने नेशनल हाई-वे की सड़क की मरम्मत 300 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने की घोषणा की थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये करने की घोषणा करती हूं।

राज्य में 80 करोड़ रुपये की लागत से जिला चूरू में 10, जिला हनुमानगढ़ में 8, जिला नागौर में 6, जिला बाड़मेर में 4, जिला चित्तौड़, जिला सीकर, जिला करौली और जिला भरतपुर में एक-एक आर.यू.बी. सहित कुल 32 आर.यू.बी. का निर्माण करवाया जायेगा।

काफी लम्बे समय से देवारी पावर हाउस से गुडली-खेमी-घासा-पलाना-कला-मावली सम्पर्क सड़क की मांग की जा रही है। अत: मैं 54 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से इस सड़क के निर्माण की घोषणा करती हूं।

बीकानेर में 135 करोड़ रुपये की लागत से एलीवेटेड सड़क बनाये जाने की घोषणा करती हूं।

उदयपुर में 136 करोड़ रुपये की लागत से एलीवेटेड सड़क बनाये जाने की घोषणा करती हूं।

गड़ी और घाटोल के बीच चाप नदी पर 6 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण करवाया जायेगा। वे कहां गये?

माही-अनास नदी पर समेश्वर चिकली पुल का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

मांगणियार राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है। वंशानुगत पेशेवर संगीतकारों का यह समुदाय अपने शास्त्रीय लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इस समुदाय के विकास के लिए 37 गांव-ढाणियों को सड़क से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण चरणबद्ध रूप से 23 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से करवाये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि केन्द्र सरकार ने लगभग 625 किलोमीटर लम्बाई की निम्न तीन सड़कों को नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है: झिरका-फिरोजपुर (हरियाणा)-पहाड़ी-नगर-खेड़ली-महुवा-हिण्डौन-करौली-मण्डरायल-मुहाना, यह एक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सड़क; दूसरी, सिरसा-नोहर-तारानगर-चूरू; तीसरी जालौर-रमसिन-भीनमाल-करड़ा-सांचौर ये तीन सड़कें। साथ ही, जोधपुर बाई-पास को भी नेशनल हाई-वे बनाने की सैद्धांतिक सहमति केन्द्र सरकार द्वारा हमको दी गई।

इसमें यह कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसी भी वर्ष में 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एन.एच.ए.आई. के प्रोजेक्ट्स स्वीकृत नहीं हुए हैं। एन.एच.ए.आई. अभी तक प्रोजेक्ट एक्जीक्यूट करता रहा है। परन्तु मैं तो यह पूछना चाहती हूं कि ऐसा कब हुआ, इतने विजन-लेड प्लान के तहत केन्द्रीय मंत्री खुद आयें और 25 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को देकर, उसकी घोषणा करके यहां से गये? यह तो मैंने कभी पहले तो सुना नहीं। ऐसा कब हुआ है, जब मात्र दो वर्षों के अन्दर 2,016 किलोमीटर नेशनल हाई-वेज एड हुए हैं और राजस्थान के रोड नेटवर्क को बढ़ाया गया है?

क्या यह मैं नहीं समझती हूं? यह तो इन्वेस्टमेंट ही है और इसलिए इन इन्वेस्टमेंट्स को भी, मैं समझती हूं, अपने को अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में डाल लेना चाहिये, ताकि सब लोगों को यह मालूम तो हो कि इन्वेस्टमेंट आयेगा तो इनकी वजह से आयेगा, कि अच्छे रोड्स बन रहे हैं, अच्छी बिजली की स्थिति है, अच्छी पानी की स्थिति है, यह कमी हमें नहीं होगी। इसलिए तो इण्डस्ट्री अपने स्टेट को चुनकर अपने यहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए आयेगी।

सूचना और प्रौद्योगिकी के अन्दर राज्य, सम्भाग और जिला स्तर की तरह, पंचायत स्तर तक के समस्त सरकारी कर्मियों को सरकारी कार्य हेतु सूचना के सुगम आदान-प्रदान के लिए राजकीय ई-मेल और अटल सेवा केन्द्रों पर आई.पी. फोन्स की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की मैं घोषणा करती हूं। विभिन्न विकास योजनाओं में प्रदेश के नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्लाउडसोर्सिंग पोर्टल बनाने की घोषणा करती हूं, जिसके माध्यम से हमारी किसी भी परियोजना में सभी इच्छुक व्यक्ति, प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से, अपनी पसंदीदा योजना में अपनी सामर्थ्य अनुसार योगदान कर सकें।

डिजिटल राजस्थान का सपना तभी साकार होगा जब शहर के साथ-साथ ग्रामीण प्रदेशवासी भी आई.टी. में साक्षर होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि घर-घर में आई.टी. लिटरेट व्यक्ति हों। मैं आगामी वर्ष में दो लाख प्रदेश-वासियों को आई.टी. ट्रेनिंग प्रदान किये जाने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम प्रदेश-वासियों को सरलता और सुगमता से सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। इसीलिए 200 से अधिक सेवाएं आनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आनलाइन होने के बाद भी कई बार प्रक्रियात्मक जटिलता, जैसे आवेदन पर हस्ताक्षर करना और दस्तावेज की प्रति अपलोड करना, आदि से आमजन को पूर्ण सुविधा नहीं मिल पाती है। जनता की इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूं :

राजस्थान सिंगल साइन आन वन आइडेंटिटी एण्ड वन एप्लिकेशन फोर आल डिपार्टमेंट्स ई-सर्विसेज के माध्यम से केवल एक लॉग-इन के द्वारा प्रत्येक प्रदेशवासी अपने से सम्बन्धित चयनित समस्त सेवाओं को एक्सेस कर सकता है। अलग-अलग वेबसाइट पर जाने और अलग-अलग पासवर्ड याद रखने की अब आवश्यकता नहीं होगी।

राजस्थान ई-वॉल्ट, इसके अन्दर, यह राजस्थान ई-वॉल्ट, यानी, ई-लॉकर के अन्दर सेंटर एंड सिक्योर डिपोजिटरी फोर आल डाक्यूमेंट्स इंटीग्रेटेड विथ वेरिएस डिपार्टमेंटल एप्लिकेशंस; इसके माध्यम से प्रत्येक प्रदेश-वासी द्वारा अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत लॉकर, जिसमें सरकारी और निजी दस्तावेज आसानी से इलेक्ट्रोनिक फार्म में रखे जा सकेंगे और सिंगल साइन-ऑन के माध्यम से कहीं भी, कभी भी, आवश्यकतानुसार प्रिंट लिये जा सकेंगे, या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किसी भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा सकेंगे।

राजस्थान E-sign, E-signature, mechanism for residence and Govt. employees online. यह आवेदन तब ही सही मायने में काम के हैं जब उन्हें अलग से हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता न हो। इसके लिए हमने सभी को ई-साइन की सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। देश में ऐसी सुविधा देने वाला राजस्थान पहला प्रदेश होगा।

नित्य प्रतिदिन के राजकीय कार्यों का IT enablement करके राजकीय कार्यालयों को लेस-पेपर आफिस बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में meetings, appointments, leaves, transfers, postings, deputations, APRs, tours, travel managements, leave encashments, medical एवं अन्य विभिन्न प्रकार के बिलों के भुगतान, विभिन्न एन.ओ.सीज., प्रोजेक्ट एप्रूव्ल्स, सैंक्शंस, आदि कार्यों को ऑनलाइन कर इन कार्यों में मैन्यूअल फाइल्स का उपयोग समाप्त किया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

यह राज्य इंटेंट है; इंटेंट, सर। मुझे इस बात की है कि कल को कोई आफिस में पहुंच कर कहे कि आपने यह कल ही तो कहा था कि यह सब होने वाला है और अभी तक तो हुआ नहीं है। तो उसकी तो अच्छी हैडलाइन भी बन जाएगी, और पेपर पढ़ा हुआ है। तो मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि इंटेंट का मतलब यह है कि इसके लिए समय लगता है। जैसे-जैसे लोग उसको समझते हैं, जैसे-जैसे लोग उससे comfortable हो जाते हैं, वैसे-वैसे उनको आगे बढ़ाने का काम वे करते हैं। इसलिए यहां पर मैंने कहा है कि राज्य सरकार का इंटेंट है, हमने एक पहल की है, जिससे आम जन को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिलेंगी। इस बदलाव में समय तो लगेगा परन्तु इसकी निश्चित तौर पर क्रियान्विति की जाएगी।

इसके साथ ही रीको, बी.आई.पी., कमिश्नर इंडस्ट्री एवं एम.एस.एम.ई. कार्यालयों को लेस-पेपर किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक गवर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग भी किया जाएगा, ताकि निवेशकों को सुगमता से सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

आम जन को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न दस्तावेज जमा करवाने की व्यवस्था से छुटकारा दिलवाने के लिए आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से ई-मित्र के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं में दस्तावेज संलग्न करवाने की आवश्यकता को भी समाप्त किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

शिक्षा-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मांडली, चारणा, कजनऊ, बावड़ी में, जिला जोधपुर को निर्धारित मापदंड के अनुसार माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा करती हूं।

राज्य सरकार ने विद्यालय सहायक की नियुक्ति के लिए नए नियम राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 लागू किये हैं, परन्तु इससे सम्बन्धित विभिन्न प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से इनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी और इसका वास्तविक लाभ इससे सम्बन्धित अभ्यर्थियों को नहीं मिल सका है। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। उप समिति द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने पर उस पर विचार किया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2012 से सम्बन्धित शिक्षकगण के दो साल की परिवीक्षा अवधि के समापन पर स्थायी वेतन के स्थान पर नियमित वेतन का प्रकरण लम्बे समय से विचाराधीन था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पंचायती राज विभाग ने इस समस्या का विधिवत निराकरण कर लिया है।

बजट भाषण में सीकर स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर भौतिक शास्त्र विषय खोले जाने की घोषणा की थी, जिसे संशोधित करते हुए इस विषय को स्नातकोत्तर स्तर पर खोले जाने की घोषणा करती हूं। मैं इसी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राणी-शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, समाज-शास्त्र विषय प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही, इस महाविद्यालय में 50 लाख रुपये की लागत से आडिटोरियम बनाये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

मैंने इस बजट में राजकीय कन्या महाविद्यालय, सार्दुलशहर में गृह विज्ञान विषय प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की है। इसी क्रम में, अब मैं इसी महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पंजाबी विषय को प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करती हूं।

बजट भाषण में राजकीय महाविद्यालय, खंडेला-होद में भू-गर्भ शास्त्र विषय प्रारम्भ करने की घोषणा को संशोधित करते हुए, इसके स्थान पर गृह विज्ञान विषय प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं।

राजकीय धर्मचंद महाविद्यालय, बहरोड़ में छात्रों की मांग को देखते हुए स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा करती हूं।

नागौर के माडी देवी मिर्धा महाविद्यालय में विज्ञान संकाय, वनस्पति शास्त्र, प्राणी- शास्त्र और रसायन शास्त्र प्रारंभ किये जाने की घोषणा करती हूं।

स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय, चूरू में भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र और गणित में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करती हूं।

पिछले दिनों नागौर भ्रमण के दौरान नावां, कुचामन, मकराना के लोगों द्वारा राजकीय महाविद्यालय की मांग की गयी। इन क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंगलाना, तहसील परबतसर, जिला नागौर में एक राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चौमहलां, जिला झालावाड़; गोगुंदा, जिला उदयपुर; तथा मांगरौल, जिला बारां के राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करती हूं।

पेयजल में अटरू, जिला बारां की पेयजल समस्या के समाधान हेतु 15 करोड़ रुपये की लागत से अटरू-खेडलीगंज पेयजल योजना प्रारम्भ की जाएगी।

फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 2 हजार गांवों में 330 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक आधार पर जल शोधन यंत्र (आर.ओ. प्लांट) स्थापित किये जाएंगे।

जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के गम्भीर रूप से जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में, खांडु नदी जल ग्रहण क्षेत्र में, बड़लावाला नाका, खजूरा एवं बड़ला के रेल खजूरा में 907 लाख रुपये की लागत से दो माइक्रो-स्टोरेज टैंक का निर्माण किया जाएगा।

<u>चिकित्सा और स्वास्थ्य-</u> मैंने बजट में एलोपैथी के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु अप्रैल, 2016 से 60 से 62 वर्ष किये जाने की घोषणा की थी। अब मैं इसे मार्च, 2016 से ही लागू करने की घोषणा करती हूं।

<u>सीकर मेडिकल कालेज-</u> पूर्व में स्वीकृत 7 मेडिकल कालेज के अलावा सीकर में भी भारत सरकार के सहयोग से एक नवीन मेडिकल कालेज की स्थापना की जाएगी।

इसके साथ ही मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अलवर मेडिकल कालेज के लिए भी वर्तमान जेल परिसर में स्थान चिह्नित कर लिया गया है।

वर्तमान में ग्रामीण विकास में MLALAD योजना के तहत प्रत्येक विधायक के स्तर पर प्रत्येक वर्ष दो करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की जा सकती है। इस सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाते हुए, अब वार्षिक 2 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूं।

बजट में महात्मा गांधी नरेगा से convergence के माध्यम से ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं को संचालित किये जाने पर विशेष बल दिया गया था। इसी क्रम में मैं निम्न घोषणाएं करती हूं:-

राज्य में कृषि उत्पादन के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था ...(व्यवधान) आप सुन लो। नहीं, ऐसे नहीं मिलना है। राज्य में कृषि उत्पादन के भंडारण की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शांत रहें। शांत रहें। शांत रहें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण आकस्मिक वर्षा ...(व्यवधान) यह भी वापस चला जाएगा। उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण आकस्मिक वर्षा एवं अन्य प्राकृतिक कारण से कृषि उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। अतः खाद्यान्न को सुरक्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार खाद्यान्न भंडार निर्मित किये जाएंगे।

राज्य का ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि उत्पादकता एवं पशु संवर्धन पर निर्भर है। पशुओं के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए यह आवश्यक है कि पशुओं के लिए स्वच्छ वातावरण और छाया, पानी की उचित व्यवस्था की जाए। इस हेतु लगभग 50 हजार परिवारों के लिए कैटल-शेड, जिसमें पशुओं के लिए छाया, चारा और पानी की खेली का निर्माण करवाया जाएगा।

विलायती, यह वन में, विलायती बबूल से निर्मित कोयले के परिवहन को सरल बनाने के उद्देश्य से ट्रांजिट पास जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण और डी-सेंट्रलाइजेशन किये जाने की घोषणा करती हूं। नवीन व्यवस्था के तहत जिले में ट्रांजिट पास जारी करने के लिए पटवारी ऑथोराइज्ड होगा और राज्य में कहीं भी परिवहन हेतु ट्रांजिट पास जारी करने के लिए सम्बन्धित तहसीलदार तथा राज्य से बाहर का ट्रांजिट पास जारी करने के लिए सम्बन्धित उपखंड अधिकारी ऑथोराइज्ड होगा।

जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें से 10 विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित नहीं हैं। आगामी वर्ष से इन दस आवासीय विद्यालयों में भी विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

गृह विभाग में वर्तमान में विशेष शाखा के अन्तर्गत एंटी-सैबोटेज चैक टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डोग स्क्वाड कार्यरत हैं, जिनमें एकरूपता नहीं है। इन 8 विशेष शाखाओं के नार्म्स निर्धारित करते हुए, मैं घोषणा करती हूं कि 3 पुलिस निरीक्षक, 17 उप निरीक्षक, 23 हैडकांस्टेबल्स, 41 कांस्टेबल्स, 2 कांस्टेबल्स-चालक, 8 चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त पद सृजित किये जाएंगे।

पुलिस लाइन सिटी, जयपुर में बैरक निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

कौशल और श्रम- राज्य की समृद्ध लोक-कलाओं और लोक-कलाकारों के हुनर विश्व-प्रसिद्ध हैं। युवा वर्गों में हमारी इस अटूट परम्परा को अधिक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सशक्त करने के लिए राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा आगामी वित्त वर्ष में विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाएंगे। इस कड़ी में सर्वप्रथम जैसलमेर में मांगणियार और लंगा कलाकारों के लिए पारम्परिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं।

निर्माण श्रमिकों में राज मिस्त्री, पलम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, रंगकर्मी, बढ़ई, ये भी शामिल हैं। इनको अपने व्यवसाय हेतु औजारों की आवश्यकता होती है। निर्माण श्रमिकों को अपने व्यवसाय हेतु आवश्यक गुणात्मक औजार खरीदने में सहायता करने के लिए निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा न्यूनतम तीन वर्ष तक निरन्तर पंजीकृत हितधारियों को स्वयं के स्तर पर टूल किट खरीदने की स्थिति में 2 हजार रुपये का पुनर्भरण उनके बैंक खाते में किये जाने की घोषणा करती हूं।

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए वर्तमान में 2 लाख और 10 लाख रुपये की मेडिक्लेम पालिसी के विकल्प उपलब्ध हैं। अब यह विकल्प 5 लाख की मेडिक्लेम पालिसी के लिए भी उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं।

पूर्व में पत्रकारों को राजस्थान रोडवेज की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी हुई है। अब मैं इस सुविधा का विस्तार करते हुए एक्रेडिटेड पत्रकारों को रोडवेज की वोल्वो बसेज में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए घोषणा करती हूं।

कर सम्बन्धी प्रस्ताव

नागौर में निर्मित हैण्डमेड टूल न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम 80 रुपये बिक्री मूल्य तक के प्लायर्स, कटर्स, पिंसर्स, हथौड़े, टोम्स एवं सुनारी औजारों को करमुक्त किये जाने की घोषणा करती हूं।

मैंने बजट 2016-17 में फैमिली प्रोपर्टी के रिलीज डीड सेटलमेंट और पार्टिशन डीड पर 1.5 प्रतिशत की दर से समान स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित किये जाने की घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में प्राप्त सुझाव और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, पैतृक सम्पत्ति के रिलीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर, 5 लाख रुपये मूल्य तक की सम्पत्ति की रिलीज पर अधिकतम एक हजार रुपये, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये मूल्य तक की सम्पत्ति के रिलीज पर 2 हजार रुपये और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति पर 5 हजार रुपये किये जाने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाये जाने का मुद्दा उठाया था। मैं यह कहना चाहती हूं कि इससे सम्बन्धित अन्तिम नोटिफिकेशन 6 मार्च, 2013 को जारी किया गया था, जिसमें ड्यूटी 2.5 परसेंट है। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है।

राजस्थान में कपड़ा उत्पादन के उपयोग में आने वाले यार्न पर हमने बजट में 2 प्रतिशत प्रवेश शुल्क आरोपित किया था। राज्य के एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में यार्न जॉब वर्क पर जाने पर भी प्रवेश कर का दायित्व बनता है। इस समस्या के निराकरण के लिए राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में ही, अर्थात् एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिये में जॉब वर्क पर आने वाले यार्न को प्रवेश कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा वैट, एण्ट्री टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी के लिए एम्नेस्टी स्कीम 2016 जारी की गयी है। इन योजनाओं के उत्साहजनक परिणाम आये हैं तथा अभी तक लगभग 22 हजार प्रकरणों में व्यवहारियों एवं व्यक्तियों द्वारा इन योजनाओं का लाभ उठाया गया है। इन योजनाओं की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हो रही है, जिसे दिनांक 31 मार्च, 2016 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में सर्राफा और जेम्स स्टोन्स के लिए कम्पोजिशन स्कीम लागू है। ऐसे व्यवहारी जो समय पर अपनी कम्पोजिशन राशि जमा नहीं करा सके थे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे व्यवहारियों को भी उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

मैरिज हाल्स के लिए वर्तमान में कम्पोजिशन स्कीम 2015 प्रभावी है। इस योजना के साथ-साथ वर्ष 2015-16 के लिए मैरिज हाल से सम्बन्धित एग्जम्प्शन स्कीम लाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें देय एग्जम्प्शन फीस जमा कराने पर छूट का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त, मैरिज हाल के लिए नवीन कम्पोजिशन स्कीम 2016 लाया जाना प्रस्तावित है।

व्यापार जगत द्वारा ग्वार गम, ग्वार गम पाउडर और इलेक्ट्रिक स्विच गियर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहे जा रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में इन प्रविष्टियों को और स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

उद्योग जगत द्वारा ए.सी. एस.आर. कंडक्टर्स पर प्रवेश कर पुनः लगाने की मांग की गयी है। अतः उनकी इस मांग पर ए.सी. एस.आर. कंडक्टर्स पर चार प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माननीय सदस्य, आज राजस्थान दिवस है और मैं इस गौरवशाली अवसर पर टीम राजस्थान, जिसमें सभी प्रदेशवासी शामिल हैं, को शुभकामनाएं देती हूं और उन सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब मिलकर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों को अनुरोध करती हूं कि प्लीज, आप लोग राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजित हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें जरूर शामिल हों। मंजुल भार्गव जी, जो नोबल प्राइज मेथेमेटिक्स हैं, वहां होने वाले हैं। मैं विश्वास करती हूं कि पूरा हाउस वहां रहेगा, क्योंकि यह हमारे लिए भी एक गौरवशाली दिवस है।

अब अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस सकारात्मक सोच का परिचय सब लोग दिखाएं और हम लोग विकास के रास्ते पर चलें और इस विकास के अन्दर एक-दूसरे के हम सब सहभागी बनें और जो हमारा राजस्थान का नव-निर्माण है, उसका हम सब एक संकल्प लें और मिलकर उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करें।

जाते-जाते मैं एक छोटी-सी शायरी आप लोगों को समर्पित करना चाहती हूं। (व्यवधान) आप, प्लीज, मेहरबानी करके बैठें। मैं शायरी कहकर इसको समाप्त करना चाहती हूं –

'उम्मीदों के दीये बुझाया नहीं करते,
दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते।
हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का,
वह मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते।।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है राजस्थान वित्त विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 26 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 26 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 2 से 26 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन, सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन, सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन, सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 एवं 3। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन, सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक का पारण

राजस्थान वित्त विधेयक, 2016

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

श्री अध्यक्षः दूसरा भी रख दीजिये।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2016 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पारित किया गया।

कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट। श्री कालूलाल जी।

(18.00 बजे)

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम सं. 25)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 30 मार्च, 2016 को मध्याह्न पश्चात् 3.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने अपने 22वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2016 से सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 2016 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाय :-

गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2016	1- राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण; एवं 2- राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016	1- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2016; 2- सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016; 3- डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016; एवं 4- राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 -पर विचार एवं पारण
शनिवार, दिनांक 2 अप्रैल 2016 रविवार, दिनांक 3 अप्रैल 2016	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 2016	1- राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016, 2- राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016; एवं 3- राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 -पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2016 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.02 बजे गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सीकर रोड जयपुर के विजयबाड़ी पथ नं. 7 की चौड़ाई बढ़ाने की योजना

400. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में सीकर रोड स्थित विजयबाड़ी पथ नं. 7 (खेतान हास्पिटल चौराहे से भवानी निकेतन विवाह स्थल मोड़ तक) की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्धारित चौड़ाई की सड़क वर्तमान में अतिक्रमण-मुक्त है? यदि नहीं, तो कहां-कहां पर किस-किसका कितना-कितना अतिक्रमण है और उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? नाम सहित सूची एवं उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण तथा अतिक्रमियों के साइट प्लान व पट्टे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विजयबाड़ी पथ नं. 7 के मुख्य मार्ग पर वर्तमान में प्रतिदिन औसतन कितने वाहनों (चारपहिया व दुपहिया) की आवाजाही होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वाहनों की अत्यधिक आवाजाही एवं भीड़भाड़ होने के कारण उक्त सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खेतान हास्पिटल चौराहे से भवानी निकेतन विवाह स्थल मोड़ तक विजयबाड़ी पथ नं. 7 मुख्य सड़क की चौड़ाई सेक्टर प्लान में 40 फीट निर्धारित है।

(2) विजयबाड़ी पथ नं. 7 मुख्य सड़क का वर्ष 2014 में पी.टी. सर्वे करवाया गया था, जिसके आधार पर उक्त सड़क पर 55 अतिक्रमण चिह्नित किये गये थे। अतिक्रमणों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है व भूखण्डवार अतिक्रमणों का नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई आकलन नहीं किया गया है।

(4) अतिक्रमण हटाकर सड़क की चौड़ाई 40 फीट करने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परियोजनाओं के लिए केन्द्र से प्राप्त राशि

403. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) व **डा. किरोड़ी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार से राज्य को समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि प्राप्त होती है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में राज्य को किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा कई परियोजनाओं के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने के कारण केन्द्र सरकार से अग्रिम राशि प्राप्त नहीं हो पाई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किन-किन परियोजनाओं में उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया व उसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त वर्षवार राशि एवं कार्यों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय पश्चात समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

हिण्डौली (बून्दी) के आबादी क्षेत्र से 33 के.वी. लाइन को हटाने की योजना

406. श्री अशोक (हिण्डौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में आबादी बस्ती से 33 के.वी. लाइन को अन्यत्र स्थापित करने के क्या नियम हैं?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की मुख्य आबादी में से 33 के.वी. की लाइन गुजर रही है? यदि हां, तो इसकी अनेक शिकायतें प्राप्त होने के उपरान्त भी इसे अन्यत्र स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सघन आबादी भूमि में से गुजरती लाइनों को अन्यत्र स्थापित करवाने के नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यदि कोई व्यक्ति/संस्था/नगर निगम/ग्राम पंचायत 33 केवी विद्युत लाइन को स्थानान्तरण कराना चाहते हैं, तो उनके द्वारा आवेदन करने एवं स्थानान्तरण करने के सम्पूर्ण खर्च को वहन करने एवं दूसरी जगह लाइन स्थानान्तरित हेतु रास्ता उपलब्ध होने पर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना संभावित लाइनों को स्थानान्तरण करने पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत आवेदनकर्ता द्वारा एवं 50 प्रतिशत निगम द्वारा वहन किया जाता है। आदेश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) सरपंच, ग्राम पंचायत हिण्डौली ने माननीय विधायक कोष से निगम द्वारा वसूली जाने वाली राशि की सहमति के साथ दिनांक 03.12.2015 को लाइन हटाने का प्रार्थना पत्र दिया है। तदनुसार विभागीय स्वीकृति के बाद सहायक अभियन्ता हिण्डौली द्वारा दिनांक 18.03.2016 को माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा पर सरपंच, ग्राम पंचायत हिण्डौली के नाम राशि 5,29,824/- का मांग पत्र जारी कर दिया गया है। मांग पत्र की राशि जमा होने के उपरान्त लाइन स्थानान्तरित की जा सकेगी।

(3) सभी विद्युत लाइनें सुरक्षा मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार ही खींची जाती हैं। कालान्तर में आमजन द्वारा लाइनों के

(ऊर्जा मंत्री)

नजदीक/नीचे नियम के विरुद्ध निर्माण कर लिया जाता है। आबादी क्षेत्र का विस्तार भी एक सतत् प्रक्रिया है। अत: वर्तमान में आबादी क्षेत्र से गुजरती लाइनों को अन्यत्र स्थापित करने सम्बन्धी नियमों में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भीलवाड़ा में मेडिकल कालेज का निर्माण

407. **श्री विट्ठल शंकर अवस्थी** (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा भीलवाड़ा शहर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त मेडिकल कालेज के निर्माण का कार्य शुरु. कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मेडिकल कालेज के निर्माण के बाद अध्ययन का कार्य कब से शुरु होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत भीलवाड़ा जिले में मेडिकल कालेज खोला जा रहा है। जिसकी बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है निर्माण कार्य के लिये आर.एस.आर.डी.सी. से एम ओ यू किया जा चुका है। शेष निर्माण कार्य अप्रैल 2016 से प्रारम्भ किया जाना संभावित है।

(3) शैक्षणिक सत्र वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ किये जाने की योजना है

झाड़ोल के विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में कक्षा-कक्षों का निर्माण

408. **श्री हीरा लाल दरांगी** (झाड़ोल) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की पंचायत समिति झाड़ोल, फलासिया व कोटड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवनों की क्या स्थिति है?

(2) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने कमरे बने हुए हैं? क्या विद्यार्थियों के अनुपात में कमरे शिक्षण व्यवस्था के लिए पर्याप्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की पंचायत समिति झाड़ौल फलासिया व कोटड़ा में 68 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 2 विद्यालयों के भवन मरम्मत योग्य हैं। शेष भवनों की स्थिति ठीक है।

(2) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की पंचायत समिति झाड़ोल फलासिया व कोटड़ा में संचालित 68 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रानुपात में भवन पर्याप्त नहीं हैं। विद्यालयवार भवनों की स्थिति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-''क''

विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की पंचायत समिति झाड़ोल, कोटड़ा व फलासिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनों की भौतिक स्थिति का विद्यालयवार विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	उपलब्ध कक्षा-कक्ष	कक्षा कक्ष की कमी	भवन की भौतिक स्थिति
1	JADHOL	G.S.SEC.S. BADLI	373	8	5	OK
2	JADHOL	G.S.SEC.S. KHAKRIYA	182	3	10	OK
3	KOTRA	G.S.SEC.S. MAHADI	247	10	3	JARJAR
4	KOTRA	G.S.SEC.S. SHADA	343	7	6	OK
5	KOTRA	G.S.SEC.S. MEDI	310	6	7	OK
6	KOTRA	G.S.SEC.S. MAMER	466	3	10	OK
7	KOTRA	G.S.SEC.S. BUDIYA	359	4	9	OK
8	KOTRA	G.S.SEC.S. MAHAD	308	4	9	OK
9	KOTRA	G.G.S.SEC.S. KOTRA	431	8	5	OK
10	KOTRA	G.S.SEC.S. KOTRA	412	11	2	OK
11	KOTRA	G.S.SEC.S. KHAJURIYA	171	2	11	OK
12	KOTRA	G.S.SEC.S. DHADHAMTA	247	4	9	OK
13	KOTRA	G.S.SEC.S. MANDVA	312	2	11	OK
14	KOTRA	G.S.SEC.S. ZED	226	5	8	OK
15	KOTRA	G.S.SEC.S. KUKAVAS	273	3	10	OK
16	JADHOL	G.S.SEC.S. SAMOLI	156	6	7	OK
17	KOTRA	G.S.SEC.S. BIKARNI	320	6	7	OK
18	KOTRA	G.S.SEC.S. JUDA	293	5	8	OK
19	KOTRA	G.S.SEC.S. JOGIVED	328	3	10	OK
20	KOTRA	G.S.SEC.S. DHED MARIYA	225	7	6	OK
21	KOTRA	G.S.SEC.S. PLESER	254	7	6	OK
22	JADHOL	G.S.SEC.S. NAYAVAS	157	6	7	OK
23	JADHOL	G.S.SEC.S. AAMOD	272	8	5	OK
24	JADHOL	G.S.SEC.S. BAGPURA	517	7	6	OK
25	JADHOL	G.S.SEC.S. GORAN	410	3	10	OK
26	JADHOL	G.S.SEC.S. JEKDA	354	8	5	OK
27	JADHOL	G.S.SEC.S. MAKDADEV	461	9	4	OK

क्र. सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	उपलब्ध कक्षा-कक्ष	कक्षा कक्ष की कमी	भवन की भौतिक स्थिति
28	JADHOL	G.S.SEC.S. DEVAS	168	5	8	OK
29	JADHOL	G.S.SEC.S. CHANDVAS	218	7	6	OK
30	JADHOL	G.S.SEC.S. KHAKHAD	439	2	11	OK
31	JADHOL	G.S.SEC.S. BADRANA	324	12	1	OK
32	JADHOL	G.S.SEC.S. GOGLA	204	4	9	OK
33	JADHOL	G.S.SEC.S. MAGVAS	337	11	2	OK
34	JADHOL	G.S.SEC.S. JHADOL	529	9	4	OK
35	JADHOL	G.G.SEC.S. JHADOL	538	9	4	OK
36	JADHOL	G.S.SEC.S. GODANA	226	8	5	OK
37	JADHOL	G.S.SEC.S. BRAHMNO KA KHERVADA	140	8	5	OK
38	JADHOL	G.S.SEC.S. GORANA	453	6	7	OK
39	JADHOL	G.S.SEC.S. SULTAN JI KHERVADA	302	7	6	OK
40	JADHOL	G.S.SEC.S. DHIMDI	611	13	0	OK
41	JADHOL	G.S.SEC.S. KANTHARIYA	291	7	6	OK
42	JADHOL	G.S.SEC.S. ODA	424	13	0	OK
43	JADHOL	G.S.SEC.S. THOBABADA	339	8	5	OK
44	JADHOL	G.S.SEC.S. GEJVI	318	5	8	JARJAR
45	JADHOL	G.S.SEC.S. KADA	178	6	7	OK
46	JADHOL	G.S.SEC.S. OGNA	337	9	4	OK
47	JADHOL	G.S.SEC.S. ATATIYA	186	5	8	OK
48	JADHOL	G.S.SEC.S. FALASIYA	460	8	5	OK
49	JADHOL	G.S.SEC.S. GARNVAS	321	6	7	OK
50	KOTRA	G.S.SEC.S. SADA	293	9	4	OK
51	JADHOL	G.S.SEC.S. NICHLI SIGRI	383	4	9	OK
52	JADHOL	G.S.SEC.S. SOM	467	11	2	OK
53	JADHOL	G.S.SEC.S. AAMIVADA	347	6	7	OK
54	JADHOL	G.S.SEC.S. BICHIVADA	378	8	5	OK
55	JADHOL	G.S.SEC.S. KOLYARI	506	5	8	OK
56	JADHOL	G.S.SEC.S. MADRI	313	8	5	OK
57	JADHOL	G.S.SEC.S. MAADLA	310	2	11	OK
58	JADHOL	G.S.SEC.S. KHATI KAMADI	373	5	8	OK
59	JADHOL	G.S.SEC.S. PIPAL BARA	323	4	9	OK
60	JADHOL	G.S.SEC.S. JETAVADA	302	6	7	OK
61	JADHOL	G.S.SEC.S. AMBASA	364	10	3	OK
62	JADHOL	G.S.SEC.S. DAIYA	757	13	0	OK
63	JADHOL	G.S.SEC.S. AJROLIKHAS	100	5	8	OK
64	JADHOL	G.S.SEC.S. DHARAVAN	218	5	8	OK
65	JADHOL	G.S.SEC.S. NEVAJ	199	13	0	OK
66	JADHOL	G.S.SEC.S. PANRVA	373	7	6	OK
67	JADHOL	G.S.SEC.S. BIROTHI	579	5	8	OK
68	JADHOL	G.S.SEC.S. AAMLIYA	369	5	8	OK

एल.ई.डी. लाइटें लगाने की कार्ययोजना

409. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सोडियम ट्यूबलाइट के स्थान पर एल.ई.डी. रोड लाइटें लगाई गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या एल.ई.डी. रोड लाइट लगाने से सरकार को बिजली की बचत हुई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सोडियम लाइट के स्थान पर लगाई गई एल.ई.डी. लाइटों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभिन्न निकायों में एल.ई.डी. प्रोजेक्ट कार्य प्रगति पर हैं। अत: बिजली बचत का सभी निकायों में आकलन अभी नहीं किया गया है। निम्नलिखित निकायों में बिजली बचत की गणना की गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है -:

क्रम सं.	निकाय का नाम	ऊर्जा बचत
1	चूरु	53 प्रतिशत
2	धौलपुर	57 प्रतिशत
3	रतनगढ़	62 प्रतिशत
4	माउन्ट आबू	65 प्रतिशत
5	पुष्कर	56 प्रतिशत

परिशिष्ट-अ

Total Nos. of LED Street light Installed So Far

S. No.	Name of ULB	Total No. of Points	No. of points replaced by LED	Remark
1	Jhalawar	3500	2449	Al most completed
2	Churu	9493	6033	Al most completed
3	Ajmer	31450	31439	Al most completed
4	Pushkar	1965	1580	Al most completed
5	Ratannagar	820	882	Al most completed
6	Ratangarh	4216	5110	Al most completed

S. No.	Name of ULB	Total No. of Points	No. of points replaced by LED	Remark
7	Bhilwadi	3715	1270	Work under progress
8	Udaipur	28805	31848	Work under progress
9	Pali	18400	16684	Almost Completed
10	Mount Abu	1500	1930	Al most completed with CCMS system
11	Dholpur	6426	4027	Al most completed
12	Jodhpur	73497	49706	Work under progress
13	Alwar	23202	11397	Work under progress
14	Kota	36272	573	Work under progress
15	Bikaner	27924	16058	Work under progress
16	Jaipur	130000+ 70000 (EESL)+ (SMC)	NIL+21055 (EESL)+(SMC)	Site not allotted by JMC to EESL Work under progress of SMC
17	Sawai madhopur	12074	-	installation will begin shortly
18	Baran	6106	2414	Municipality is under taking phase segregation and establishing connec-tion on blank poles which accounts for around 2000-2500 lights
19	Jaisalmer	6297	947	Work under progress
20	Nagaur	6293	1429	Work under progress
21	Jhalarapatan	1738	--	installation will begin shortly
	Total	**483693**	**206831**	

4 Energy Saving

मानव तस्करी रोकने हेतु कार्ययोजना

410. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कितने व्यक्तियों की गुमशुदी के प्रकरण दर्ज किये गये? वर्षवार, जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(श्री बाबू सिंह)

(3) ऐसे गुमशुदगी के कितने प्रकरण हैं, जिनमें व्यक्तियों के नहीं मिलने पर एफ.आर. लगा दी गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त व्यक्तियों का पता लगाने हेतु विशेष टीम गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि प्रदेश में भिखारी एवं खानाबदोश व्यक्तियों के पास से लापता बच्चे बरामद हुए? यदि हां, तो कहां-कहां, कितने-कितने व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार लापता बच्चों का पता लगाने में त्वरित कार्यवाही करने एवं बच्चों की तस्करी की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में गुमशुदा पुरुष/महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, मगर लड़कों व लड़कियों की गुमशुदगी की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। विगत 5 वर्षों (वर्ष 2011 से 2015) में 54,912 व्यक्तियों की गुमशुदगी के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में विभाग द्वारा गुमशुदाओं की तलाश कार्यवाही सम्पन्न कर 45,865 बरामदगियां की गई हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) गुमशुदा व्यक्तियों के नहीं मिलने पर 456 गुमशुदगी प्रकरणों में एफ आर लगाई, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने हेतु प्रत्येक जिले में ए.एच.टी.यू. का गठन किया जा चुका है। प्रत्येक युनिट में 1 पुलिस निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक, 2 हैड कानि. 6 कानि. मय ड्राइवर के पद हैं। विवरण परिशिष्ट -स पर संलग्न है।

(5) जी हां। प्रदेश में भिखारी एवं खानाबदोश व्यक्तियों के पास से विभिन्न स्थानों पर बरामद बच्चों की संख्या एवं दोषियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(6) लापता बच्चों का पता लगाने में त्वरित कार्यवाही करने एवं बच्चों

(गृह मंत्री)

की तस्करी की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समय-समय पर आपरेशन स्माइल दिनांक 01.01.2015 से 31.01.2015 आपरेशन मुस्कान दिनांक 01.07.2015 से 31.07.2015 व आपरेशन स्माइल-2 दिनांक 01.01.2016 से 30.01.2016 तक चलाये गये हैं। सभी जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की स्थापना की जा चुकी है जिन्हे समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान विश्वविद्यालय में स्व-वित्त पोषित योजना के तहत संचालित पाठ्यक्रम

411. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में स्व-वित्त पोषित योजना के तहत संचालित विभिन्न कोर्सो के लिए किसी वरिष्ठ प्रोफेसर के संयोजन में कोई समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.एस.डब्ल्यू.) सहित कई अन्य पाठ्यक्रमों को बन्द करने की सिफारिश की है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन स्व-वित्त पोषित योजना को पुन: शुरु. करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रो. नवीन माथुर की अध्यक्षता में स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत एक कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी की मीटिंग दिनांक 23.01.2014 व 29.01.2014 की अनुशंसाओं की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त कमेटी की दिनांक 23.01.2014 की अनुशंसा के अनुसार समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.) सहित अन्य 17

(उच्च शिक्षा मंत्री)

पाठ्यक्रमों को बन्द करने की सिफारिश की गई है। कोर्सेज को बन्द करने का कारण विगत तीन वर्षों में छात्र संख्या बहुत कम रहना है।

(3) एस.एफ.एस. योजना में समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस. डब्ल्यू.) पाठ्यक्रम को पुनः शुरु. करने का निर्णय लिया जाना राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के स्तर पर विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय के सक्षम निकाय द्वारा ही गुणावणुण के आधार पर लिया जाना है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कपासन में मातृकुण्डिया बांध के पानी के वितरण की नीति

412. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में मातृकुण्डिया बांध के पानी के वितरण की नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार धार्मिक स्थल मातृकुण्डियां में महादेवजी के सामने स्थित जलकुण्ड हमेशा स्वच्छ पानी से भरने के लिए मातृकुण्डियां बांध की मेजा फीडर की 0 चेन से नई छोटी नहर निकालकर बांध के निचले हिस्से में बने कुण्ड में पानी छोड़ने व बनास नदी को रिचार्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन में मातृकुण्डिया बांध, जिसकी भराव क्षमता वर्तमान में 1188 एम.सी.एफ़.टी. है, पानी के विभिन्न उपयोग हेतु आदेश जारी किये हुए हैं, जिनके अनुसार उपलब्ध पानी में से 213 एम.सी.एफ़.टी. पानी मै. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरिबा (माइन्स), 50 एम.सी.एफ़.टी. पानी नदी के डाउनस्ट्रीम में ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज करने, 170 एम.सी.एफ़.टी. पानी गंगापुर शहर एवं रेलमगरा तहसील के गांवों में पेयजल तथा शेष पानी मेजा बांध में अपवर्तित किये जाने हेतु निर्धारित है।

(2) जी नहीं। क्योंकि मातृकुण्डिया बांध के ओवरफ्लो गेट्स से पूर्व में ही 50 एम.सी.एफ.टी. पानी नदी में छोड़े जाने का प्रावधान होने से मेजा फीडर की 0 चैन से नई छोटी नहर निकालकर अलग से कुण्ड एवं नदी में पानी छोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है।

गोगुन्दा के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास

413. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में गोगुन्दा तथा मायरा की गुफा, रानी महल, इत्यादि ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्ष 2005-06 में स्वीकृत मेवाड़ काम्पलेक्स योजनान्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा गोगुन्दा में राशि रु. 140.97 लाख व्यय कर विकास एवं संरक्षण के कार्यों के अन्तर्गत पाथवे, संग्रहालय, एम्पिथियेटर, रेस्टोरन्ट का विस्तार तथा बावड़ी का पुनरुद्धार कार्य करवाये गये हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा वर्तमान में मेवाड़ काम्प्लेक्स परियोजना फेज II के अन्तर्गत हल्दीघाटी, गोगुन्दा, दिवेर, छापली व चावण्ड के पर्यटक स्थलों के संरक्षण एवं विकास कार्यों हेतु राशि रु. 767.23 लाख के प्रोजेक्ट स्वीकृत कर, उक्त कार्य आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से करवाये जाने हेतु प्रथम किश्त के रूप में राशि रु. 200 लाख हस्तान्तरित कर दी गयी है।

मेवाड़ काम्प्लेक्स परियोजना फेज-II के अन्तर्गत स्वीकृत राशि रु. 767.23 लाख में से गोगुन्दा के विकास हेतु राशि रु. 158.98 लाख भी सम्मिलित है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में मायरा की गुफा एवं रानी महल, इत्यादि ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग में वर्तमान में कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को वितरित ड्रेस में अनियमितता

414. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 1 लाख 10 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ड्रेस हेतु दो साड़ी व एक बैग के लिए 7 करोड़ 42 हजार रुपये उनके बैंक खातों में डलवाये गये? क्या उक्त राशि की खरीद अपने स्तर पर करने के लिए परिपत्र जारी किये गये? यदि हां, तो परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुखराम विश्नोई)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जमा राशि का ठेका प्रदेश के सभी अधिकारियों ने मिलीभगत कर एक ही ठेकेदार को दिया तथा उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला व ब्लाक स्तर पर सी.डी.पी.ओ. कार्यालय पर और निर्धारित स्थलों से ही साड़ी खरीदने का दबाव बनाकर बिना तारीख के बिल दिये गये? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त घोटाले की जांच पूरे प्रदेश में न करवाई जाकर केवल मात्र बाड़ी उपखण्ड में करवाई गई? जहां अनियमितता पाये जाने पर दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है और तीन को चार्जशीट दी गई? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पूरे प्रदेश में मार्च, 2014 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बैंक खाते में जमा करवाये गये पैसे की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी। हां। वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को दो यूनिफॉर्म (साडी) एवं एक बैज क्रय करने के लिए सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के बैंक खातों में रु. 600 रु. तथा रु. 25 के अनुसार जमा कराये गये थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा उनके स्वयं के स्तर से ही यूनिफार्म एवं बैज क्रय करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं।

(3) इस सम्बन्ध में जिला झालावाड़, अलवर, जयपुर एवं धौलपुर के संदर्भ में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिस पर निदेशालय के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करवाई जाने पर झालावाड़, अलवर एवं जयपुर की शिकायतें निराधार पाई गयीं, एवं धौलपुर जिले से सम्बन्धित शिकायत जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई। दोषी लोकसेवकों में से 1 को सस्पेंड किया गया था तथा 4 लोकसेवकों को अन्तर्गत नियम-16 सी.सी.ए. में आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं तथा विभागीय जांच विचाराधीन चल रही है।

(4) जी नहीं। पूरे प्रदेश में मार्च, 2014 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बैंक खाते में जमा करवाये गये पैसे की जांच करवाये जाने की कोई

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में चार जिलों से सम्बन्धित शिकायतों में से तीन जिलों की शिकायतें निराधार पाई गईं। इनमें से केवल मात्र धौलपुर जिले की शिकायत सही पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की गई।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक-एफ.6() स्टोर/यूनिफार्म/2014-15/90825-91129

जयपुर, दिनांक : 5/11/2014

बाल विकास परियोजना अधिकारी,

समेकित बाल विकास सेवाऐं,

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को यूनिफॉर्म (साड़ी मय ब्लाउज) की राशि उपलब्ध कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को 2-2 यूनिफार्म (साड़ी मय ब्लाउज) उपलब्ध कराये जाने हैं। यूनिफार्म (साड़ी मय ब्लाउज) हेतु प्रत्येक यूनिफार्म (साड़ी मय ब्लाउज) के लिए 300/- प्रति यूनिफार्म के नार्म्स निर्धारित हैं। आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रत्येक कार्यरत आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका को 2-2 साड़ियां, यूनिफार्म के रूप में उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक यूनिफार्म (साड़ी मय ब्लाउज) हेतु 300/- (प्रति यूनिफार्म) के हिसाब से परियोजनावार बजट आबंटित किया जा रहा है।
2. यूनिफार्म (साड़ी मय ब्लाउज) हेतु आबंटित राशि को आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के खाते में जमा किया जावें। जिससे उन्हीं के द्वारा यूनिफार्म (साडी मय ब्लाउज) का क्रय किया जा सके।
3. आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की साड़ी के लिए यूनिफार्म (साड़ी मय ब्लाउज) का कलर व डिजाइन पूर्व में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिफॉर्म (साड़ी मय ब्लाउज) के अनुरूप ही होगा।

4. आपकी परियोजना में कार्यरत समस्त आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को निर्देशित करें कि वे निर्धारित कलर व डिजाइन की 2-2 यूनिफार्म (साड़ी मय ब्लाउज) के हिसाब से क्रय करें, तथा ये भी सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा यूनिफार्म में ही केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।
5. परियोजना अधिकारी समस्त आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इसे उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से दिनांक 28-02-2015 तक निदेशालय में आवश्यक रूप से प्रेषित करें। यदि आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाएं निर्धारित यूनिफार्म (साड़ी मय ब्लाउज) में केन्द्र का संचालन नहीं करती पाई जाती हैं, तो इस हेतु सम्बन्धित परियोजना अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं परियोजना अधिकारी की होगी।

ह.
(डॉ. पृथ्वी)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक-एफ.6( ) स्टोर/बैज/ICDS/2014-15/96877-97180

जयपुर, दिनांक : 24/11/2014

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं।

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज की राशि उपलब्ध कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को पूर्व में दिये डिजाइन व मैटल के अनुसार बैज उपलब्ध कराये जाने हैं। बैज हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए 25/-

प्रति बैज के नोर्म्स निर्धारित हैं। आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

1. भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रत्येक कार्यरत आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका को बैज उपलब्ध कराने हेतु प्रति बैज हेतु 25/- के हिसाब से परियोजनावार बजट आबंटित किया जा रहा है।
2. बैज क्रय हेतु आबंटित राशि को आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के खाते में जमा किया जावें। जिससे उन्हीं के द्वारा बैज का क्रय किया जा सके।
3. आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए बैज का डिजाइन व मैटल पूर्व में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बैज के अनुरुप ही होगा।
4. आपकी परियोजना में कार्यरत समस्त आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को निर्देशित करें कि वे आंगनबाड़ी केन्द्र पर केन्द्र संचालन के दौरान बैज का उपयेाग यूनिफार्म के साथ किया जाना सुनिश्चित करें।
5. परियोजना अधिकारी समस्त आंगनबाड़ी एवंमिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इसे उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से दिनांक 28-02-2015 तक निदेशालय में आवश्यक रूप से प्रेषित करें। यदि आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाएं निर्धारित यूनिफार्म बैज में केन्द्र का संचालन नहीं करती पाई जाती है, तो इस हेतु सम्बन्धित परियोजना अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं परियोजना अधिकारी की होगी।

ह.

(डा. पृथ्वी)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान, जयपुर।ध

धोद में घरेलू विद्युत कनेक्शन के लम्बित आवेदन

415. **श्री गोरधन** (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र घोद में कितने व्यक्तियों द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है तथा उनमें से पांच के समूह में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? क्या सरकार उक्त आवेदनकर्ताओं को घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में कौन-कौन सी योजनाओं के अन्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है तथा इसकी क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से माह फरवरी, 2016 तक आवेदित एवं जारी घरेलू विद्युत कनेक्शनों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। शेष आवेदकों को सतत् प्रक्रिया के तहत वरीयतानुसार कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

उक्त विधान सभा क्षेत्र धोद में "मुख्यमंत्री सबके लिये विद्युत योजना" के अन्तर्गत 5-5 के समूह में प्रथम चरण में प्राप्त आवेदन, जमा मांग पत्र व जारी विद्युत कनेक्शनों एवं लम्बित आवेदकों का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

"मुख्यमंत्री सबके लिये विद्युत योजना" में प्राप्त पात्र समूह के आवेदकों को कनेक्शन जारी करने हेतु सम्बन्धित ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाना दीनदयाल उपाध्याय गाम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुका है। योजना का क्रियान्वयन कार्यादेश जारी होने के पश्चात् आगामी 2 वर्ष की अवधि में किया जाना प्रस्तावित है।

(2) घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने हेतु योजनाओं/प्रावधानों का विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

प्रपत्र-अ

विधान सभा क्षेत्र धोद के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 2015 से फरवरी 2016 तक आवेदित एवं जारी घरेलु विद्युत कनेक्शनों का विवरण

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	मांग पत्र जमा	जारी कनेक्शन	शेष
1	लोसल	1176	1037	861	176
2	धोद	854	820	773	47
3	ग्रामीण सीकर	854	832	803	29
4	कुदन	287	252	251	1
	कुल	**3171**	**2941**	**2688**	**253**

नोट :- शेष मांग पत्र जमा 253 आवेदकों को सामान की उपलब्धता एवं प्राथमिकता अनुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

अधीक्षण अभियन्त (योजना)

अविविनिलि, अजमेर

प्रपत्र-ब

विधान सभा क्षेत्र धोद में 5 के समूह में प्राप्त आवेदन, जमा मांग पत्र व जारी विद्युत कनेक्शन एवं लम्बित आवेदकों का विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	मांग पत्र जमा	विद्युत कनेक्शन जारी	लम्बित (जमा मांग पत्र राशि)	मांग पत्र जारी करना शेष
1	लोसल	3375	535	520	15	2820
2	धोद	4675	1325	765	560	2852
3	ग्रामीण सीकर	3420	1290	1150	140	1675
4	कुदन	1430	650	645	05	670
	कुल	**12900**	**3800**	**3080**	**720**	**8015**

नोट :- शेष 720 मांग पत्र आवेदकों को सामान की उपलब्धता एवं प्राथमिकता अनुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

ह.

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

अविविनिलि, अजमेर

प्रपत्र-स

घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने हेतु योजनाओं/प्रावधानों का विवरण निम्न प्रकार है:-

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र) में शहरी क्षेत्रों के अनुरूप नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर घरेलू कनेक्शन किये जाने का प्रावधान है। गैर आबादी क्षेत्र में खेतों में रहने वाले काश्तकारों को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत घरेलू कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 5 केवीए का सिंगल फेस ट्रांसफार्मर स्थापित कर एकल अथवा ट्रांसफार्मर की क्षमतानुसार समूह में आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत लाइन एवं ट्रांसफार्मर का समस्त खर्चा आवेदक को वहन करना होता है।

इसके अतिरिक्त निगम द्वारा जारी आदेश संख्या 258 दिनांक 06.11.2015 के अन्तर्गत गैर आबादी क्षेत्र में, जहां विद्युत तंत्र उपलब्धहै एवं विद्युत तंत्र में विस्तार किये बिना और ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किये बिना ही यदि केवल सर्विस लाईन से ही कनेक्शन साध्य है (चरागाह एवं वन क्षेत्र के अतिरिक्त) वहां आवेदन करने पर आवेदकों को टी.सी.ओ.एस.-2004 के प्रावधान के अनुसार राशि वसूल कर घरेलू कनेक्शन जारी किये जा सकते हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वीं प्लान) के तहत 100 से अधिक आबादी की ढाणियों का आगामी दो वर्षों में विद्युतीकरण कर चयनित बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क एवं एपीएल परिवारों को नियमानुसार शुल्क जमा कर विद्युत कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं। योजना के कार्यादेश जारी हो चुके हैं एवं विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वितीय चरण में 100 से कम आबादी की ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाकर चयनित बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क एवं एपीएल परिवारों को नियमानुसार शुल्क जमा कर विद्युत कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं। योजना के कार्यादेश जारी करने का कार्य प्रगति पर है। कार्यादेश जारी होने के पश्चात आगामी दो वर्षों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर विद्युत कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं। इसके अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना के सभी लम्बित पात्र आवेदकों को भी कनेक्शन दिया जाना सम्मिलित हैं।

केकड़ी में टीकाकरण से बच्चों की मौत

416. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या केकड़ी क्षेत्र के उगाई ग्राम में दो बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत पोलियो टीकाकरण से हुई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में पेन्टावेलेंट वेक्सीन के टीके कब-कब किन-किन बच्चों के लगाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने पेन्टावेलेंट वेक्सीन कंपनी पर कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पोलियो टीकाकरण में लापरवाही व अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पोलियो टीकाकरण से हुई बच्चों की मौत पर परिवारजन को आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार द्वारा उक्त टीके के साइड इफेक्ट की जांच कराई गई है? यदि हां, तो कब? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में पेन्टावेलेन्ट वेक्सीन के टीके सोमवार एवं गुरूवार को माह नवम्बर, 2014 से माह मार्च, 2015 तक 1,462 बच्चों को तथा माह अप्रैल, 2015 से फरवरी, 2016 तक 5,272 बच्चो को लगाये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सरकार ने पेन्टावेलेन्ट वेक्सीन कम्पनी पर कोई कार्यवाही नहीं की है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी।

(4) जी नहीं। पोलियो टीकाकरण में किसी भी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा लापरवाही व अनियमितता नहीं बरती गई। अत: कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(5) जी नहीं। क्योंकि बच्चों की मौत पोलियो टीकाकरण से नहीं हुई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(6) दिनांक 23.12.2015 को जिला अजमेर की जिला स्तरीय एडवर्स इफेक्ट्स फालोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी द्वारा जांच की गई। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थी मित्रों को पुनः लगाने की योजना

417. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व प्रथम श्रेणी अध्यापक पद पर विद्यार्थी मित्रों को लगाया गया था तथा कुछ समय बाद उन्हें हटा दिया गया? यदि हां, तो कब? क्या सरकार उक्त विद्यार्थी मित्रों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पुनः विद्यार्थी मित्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर एकल पीठ द्वारा याचिका संख्या 10339/2012 द्वारा त्रिलोक सिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2013 में विद्यार्थी मित्र स्कीम को अवैधानिक एवं असंवैधानिक करार दिये जाने के कारण दिनांक 30.4.2014 के पश्चात् विद्यार्थी मित्रों को पुन: नहीं लगाया गया।

वर्तमान में विद्यार्थी मित्रों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। विद्यार्थी मित्र योजना को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं असंवैधानिक करार दिये जाने के फलस्वरूप विद्यार्थी मित्रों को उन्हीं पदों पर पुन: लगाया जाना सम्भव नहीं है।

नगर निगम जयपुर द्वारा बनाई गई सड़कों के घटिया निर्माण की शिकायतें

418. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(1) नगर निगम जयपुर द्वारा गत तीन वर्षों में सड़क बनाने पर कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि जो सड़कें बनाई गई हैं, उनके घटिया निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर निगम जयपुर द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी क्वालिटी की जांच करवायी जाती है? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितनी सड़कों की जांच करवायी गयी एवं जांच के क्या परिणाम रहे? जिन सड़कों में घटिया निर्माण पाया गया, उन संवेदकों एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नवीन बनाई गयी सड़कों एवं निर्माण कार्यों का थर्ड पार्टी जांच करवाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो अब तक कितने कार्यों की थर्ड पार्टी जांच करवायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर द्वारा विगत 3 वर्षों में सड़क निर्माण पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई है :-

वर्ष 2012-13 - 2698.60 लाख

वर्ष 2013-14 - 6518.50 लाख

वर्ष 2014-15 - 3121.49 लाख

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। नगर निगम जयपुर द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी क्वालिटी की जांच करवायी जाती है। विगत एक वर्ष में नगर निगम के 8 जोनों में सड़क निर्माण के 182 कार्यों की जांच करवायी गयी है, जिनमें जांच के परिणाम संतोषजनक रहे हैं।

(4) जी हां। नगर निगम, जयपुर के स्तर पर ऐसे कार्यों की थर्ड पार्टी जांच के तहत 8 जोनों में सड़क निर्माण के 35 कार्यों की थर्ड पार्टी जांच करवायी गयी है।

पांचू थाने (बीकानेर) में कार्यरत सिपाही की हत्या का दर्ज प्रकरण

419. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 2015 में बीकानेर जिले के पांचू थाने में कार्यरत सिपाही उमाराम की वन्य जीव चिंकारा हिरण की रक्षा करते समय शिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक रिपोर्ट में किस धारा में तथा किनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया एवं पुलिस द्वारा किन-किन व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की गईं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में पुलिस जांच अधिकारी ने आई.पी.सी. की धारा 302 में दर्ज मामले को धारा 304 में बदल दिया? यदि हां, तो धारा बदलने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कर्तव्य पर तैनात सिपाही की शिकारियों व अन्य अभियुक्तों द्वारा की गई हत्या के इस मामले को पुनः धारा 302 में रखते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार कर्तव्य पर तैनात सिपाही को प्राण आहुत करने की वजह से शहीद का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सितम्बर 2015 में पांचू थाने के कार्यरत सिपाही उमाराम की मृत्यु पर थाना पांचू में दिनांक 07.09.2015 को मुकदमा नम्बर 174 धारा 302, 353 भादस एवं 3/27 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मुलजिम करणाराम पुत्र श्री लिखमीराम जाति नायक, निवासी शोभाणा, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया गया था।

(2) प्रकरण में मृतक के साथ घटनास्थल पर उपस्थित अन्य पुलिसकर्मियों से किए गए अनुसंधान से यह पाया गया कि मृतक उमाराम कांस्टिबल व आरोपी करणाराम के कब्जे से बन्दूक छीनते वक्त बन्दूक भरी होने के कारण फायर होने से उक्त घटना कारित हुई, जिसके कारण धारा 302 भादस की बजाय धारा 304 भादस में चालान पेश न्यायालय किया गया।

(3) उक्त प्रकरण में आरोपी करणाराम के विरुद्ध जुर्म धारा 304, 353 भादस, 3/25, 27 आर्म्स एक्ट व धारा 5/9 विस्फोटक अधिनियम के तहत चालान जरिये चार्जशीट नम्बर 132 दिनांक 22.09.2015 के द्वारा किता कर दिनांक 24.09.15 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(गृह मंत्री)

(4) कर्तव्य पर तैनात सिपाही की मृत्यु पर सिपाही को शहीद का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य पुलिस नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

चित्तौड़गढ़ जिले के राजकीय महाविद्यालयों में कार्मिकों के रिक्त पद

420. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्तमान में कितने राजकीय महाविद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में से कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में 5 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:-

विधान सभा क्षेत्र	राज.महा. का नाम
चित्तौड़गढ़	1. रा.महा., चित्तौड़गढ़ 2. रा. महिला महा., चित्तौड़गढ़
निम्बाहेड़ा	राज. महा., निम्बाहेड़ा
कपासन	1. राज. महा., कपासन 2. राज. महा., मण्डफिया

(2) जिला चित्तौड़गढ़ के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य, उपाचार्य तथा व्याख्याताओं के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा अशैक्षणिक वर्ग स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) प्राचार्य/उपाचार्य का पद पदोन्नति का है। विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के 1,339 रिक्त पदों को

(उच्च शिक्षा मंत्री)

भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई गई है। इन पदों पर चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने/नियमित स्थानान्तरण के समय चित्तौड़गढ़ जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. के रिक्त पदों को भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने पर भरा जा सकेगा।

अशैक्षणिक रिक्त पदों को स्थानान्तरण, पदोन्नति, अनुकम्पात्मक नियुक्ति एवं चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरने की कार्यवाही की जा सकेगी। लिपिक ग्रेड-II के 192, शीघ्रलिपिक के 16 एवं प्रयोगशाला सहायक के 175 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित की गई है। इन रिक्त पदों को चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

यमुना नदी के बाढ़ के पानी को लाने की योजना

421. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार को यमुना नदी से बाढ़ का पानी राजस्थान में लाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन/पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या और कब-कब? प्राप्त ज्ञापनों/पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त ज्ञापनों/पत्रों पर कब-कब क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त यमुना नदी से बाढ़ का पानी राजस्थान में लाने हेतु कोई योजना/प्रस्ताव बनाया गया है? यदि हां, तो क्या व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना अलवर जिले की पानी की समस्या को ध्यान में रखकर बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी व नहीं, तो जिला अलवर को उक्त योजना से नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यमुना नदी से बाढ़ का पानी राजस्थान में लाने के सम्बन्ध में दिनांक 12.11.2014 को प्राप्त ज्ञापन/पत्र की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) ज्ञापन में उल्लिखित प्रस्ताव/सुझाव का परीक्षण कराया गया है। प्राप्त प्रस्ताव/सुझाव तकनीकी आधार तथा यमुना जल समझौते के अन्तर्गत आबंटित जल के उपयोग हेतु योजनाएं बना लिए जाने के कारण व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।

(3) मानसून (जुलाई से अक्टूबर) के दौरान यमुना नदी से राजस्थान को आबंटित पानी लाने हेतु प्रस्तावित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राज्य को यमुना समझौते के अन्तर्गत आबंटित पानी के उपयोग हेतु योजनाएं बना लिये जाने से अलवर जिले को जोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

हवाई पट्टियों पर विमान लैंडिंग पर अवैध वसूली

422. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में हवाई पट्टियों पर विमान लैंडिंग की कोई दर तय है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितनी हवाई पट्टियां हैं? क्या विमान लैंडिंग में अवैध वसूली की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब व इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में हवाई पट्टियों पर विमान लैंडिग निःशुल्क है। अन्य सुविधाएं लिये जाने पर शुल्क लिए जाने का प्रावधान है जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) राज्य में कुल 21 हवाई पट्टियां हैं जिनमें से 17 राज्य सरकार के स्वामित्व एवं 4 निजी संस्थाओं की हैं। विमान लैंडिंग में अवैध वसूली की शिकायत दिनांक 22-23 सितम्बर, 2015 को सवाई माधोपुर हवाई पट्टी के उपयोग हेतु राशि 33,288/- वसूल किये जाने की प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक को सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं भविष्य में सभी जिला कलेक्टर्स/एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्धारित दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

क्र. सं.	सुविधा का विवरण	अन्य राज्य सरकार, एम्बुलेंस, राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्यों हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वायुयान/ हैलीकाप्टर	रक्षा विभाग एवं अन्य सार्वजनिक उपक्रम	प्रशिक्षण वायुयान/ हैलीकाप्टर	निजी वायुयान/ हैलीकाप्टर
1.	सुरक्षाकर्मी	निःशुल्क	निःशुल्क	राशि 2500/- प्रतिदिन	राशि 5000/- प्रतिदिन
2.	एम्बुलेंस	निःशुल्क	निःशुल्क	राशि 1000/- प्रतिदिन	राशि 2000/- प्रतिदिन
3.	अग्निशमन वाहन	निःशुल्क	निःशुल्क	राशि 1000/- प्रतिदिन	राशि 2000/- प्रतिदिन
4.	सफाई व्यवस्था	निःशुल्क	निःशुल्क	राशि 500/- प्रतिदिन	राशि 1000/- प्रतिदिन
5.	नवीन हैलीपेड का निर्माण	निःशुल्क	निःशुल्क	राशि 30000/-	राशि 30000/-

हिंगलाज सामूहिक विवाह संस्थान बाड़मेर को सामूहिक विवाह हेतु अनुदान

423. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार सामूहिक विवाह समारोह को प्रोत्साहन देने हेतु आर्थिक अनुदान राशि उपलब्ध कराती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में श्री हिंगलाज सामूहिक विवाह संस्थान, बाड़मेर द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया?

(श्री मेवाराम जैन)

(3) क्या यह भी सही है कि हिंगलाज सामूहिक विवाह समारोह समिति को आर्थिक अनुदान राशि देने हेतु अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पत्र का हवाला देते हुए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, बाड़मेर को पत्रांक 36133-36/ दिनांक 10 नवम्बर, 2015 प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार सामूहिक विवाह समारोह को प्रोत्साहन देने हेतु आर्थिक अनुदान राशि उपलब्ध कराती है। राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम 2009 के तहत प्रति जोड़ा अनुदानित राशि रु. 12,500/- है जिसमें से राशि रु. 2,500/- विवाह के आयोजक संस्थान को आयोजक के रूप में तथा राशि रु. 10,000/- नव विवाहिता के नाम से डाक घर में अधिसूचित राष्ट्रीय बैंक में न्यूनतम तीन वर्ष के लिए सावधि जमा करायी जाती है।

(2) जी हां। जिला बाड़मेर में श्री हिंगलाज सामूहिक विवाह संस्थान, बाड़मेर द्वारा दिनांक 21.04.2015 को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया।

(3) जी हां। हिंगलाज सामूहिक विवाह समारोह समिति को आर्थिक अनुदान राशि देने हेतु विभाग द्वारा कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, बाड़मेर को पत्र प्रेषित कर 21 अप्रैल, 2015 को आयोजित किये गये सामूहिक विवाह समारोह के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी, जो परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

कार्यक्रम अधिकारी, बाड़मेर द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की गयी जो परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इस प्रकरण में विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी व कलेक्टर को प्रेषित पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-स व द पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिकराय में घरेलू विद्युत कनेक्शन के आवेदन

543. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2014-15 में घरेलू विद्युत कनेक्शन के कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितने आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं एवं कितने लम्बित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में घरेलू विद्युत कनेक्शन की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं एवं घरेलू कनेक्शन के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2014-15 में सरकार द्वारा कितने बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू कनेक्शन जारी किये गये? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2014-15 में घरेलू विद्युत कनेक्शन के 6,343 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से 3,331 आवेदकों के कनेक्शन जारी किये जा चुके है एवं 3,012 आवेदन लम्बित हैं। ग्राम पंचायतवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने सम्बन्धी योजनाओं एवं मापदण्डों का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध हैं।

सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां प्रपत्र 'स-1 से स-3' पर उपलब्ध हैं।

(3) वर्ष 2014-15 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में बी पी एल श्रेणी के परिवारों को नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन जारी नहीं किये गये है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

विद्युत उपभोक्ताओं के खराब मीटरों की एवज में विद्युत बिलों में देय छूट

544. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) प्रदेश में कितने बिजली उपभोक्ताओं के मीटर वर्तमान में खराब हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खराब मीटर के एवज में उपभोक्ताओं को बिजली बिल में पांच प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2014 एवं 2015 में कितने उपभोक्ताओं को कितनी राशि की छूट प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बिजली कम्पनियों द्वारा खराब मीटर की एवज में उपभोक्ताओं को मनमर्जी से औसत आधार पर बिल जारी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार इस हेतु दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह फरवरी, 2016 में उपभोक्ताओं के खराब मीटरों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) खराब मीटर के एवज में उपभोक्ताओं को दिये जाने वाली छूट सम्बन्धी विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन 2004 (संशोधित दिनांक 31.12.2012) के प्रावधान की प्रति प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों द्वारा वर्ष 2014 एवं 2015 में दी गई छूट की राशि का विवरण निम्न प्रकार है।

(राशि रुपये करोड़ में)

निगम का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	दी गई छूट की राशि
जयपुर	12,62,867	8.29
अजमेर	3,22,909	3.06
जोधपुर	2,76,652	2.86
कुल	**18,62,428**	**14.21**

(3) जी नहीं। बिजली मीटर खराब होने पर नियमानुसार औसत के आधार पर बिल जारी किया जाता है। अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली 24 घन्टे देने की योजना

545. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को कितने घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है?

(2) क्या सरकार शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक?

(3) सरकार द्वारा वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली उपयोग की वसूली की दर क्या निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार घरेलू उपभोक्ताओं से ली जा रही वर्तमान दरों में कमी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को सामान्यतया औसतन 20-22 घंटे सिंगल फेज व शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे थ्री-फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) जी हां। स्थापित विद्युत तंत्र सुदृढ़ करके व आवश्यकता-अनुसार नया विद्युत तंत्र स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कार्यों हेतु सिंगल फेज 24 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान किए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही बिजली उपभोग की दरों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। नियमानुसार विद्युत दरों का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार विद्युत दरों को निश्चित नहीं करती। अतः नियमानुसार सरकार विद्युत दरें कम नहीं कर सकती।

प्रपत्र 'अ'

विद्युत विक्रय दरें

श्रेणी	01.02.2015 से प्रभावी दरें			
	ऊर्जा प्रभार	राज्य सरकार से अनुदान	अनुदान के बाद प्रभावी विद्युत प्रभार	अनुदान के बाद प्रभावी स्थाई प्रभार
घरेलू				
बीपीएल 50 यूनिट/माह	3.25 रु/यूनिट	1.90 रु./यूनिट	1.35 रु./यूनिट	90 रु./उपभोक्ता /माह (60 रु./उपभोक्ता/माह सरकार से अनुदान के पश्चात)
लघु घरेलू 50 यूनिट/माह	3.50 रु./यूनिट	1.30 रु./यूनिट	2.220 रु./यूनिट	90 रु./उपभोक्ता/माह
1. सामान्य घरेलू				
A-I प्रथम 50 यूनिट प्रति माह तक	3.50 रु.	-	3.50 रु./यूनिट	180 रु./क्नेक्शन/माह
II उपभोग 50 यूनिट/माह से अधिक व 150 यूनिट प्रतिमाह तक	5.45 रु./यूनिट	-	5.45 रु./यूनिट	180 रु./क्नेक्शन/माह

श्रेणी	01.02.2015 से प्रभावी दरें			
	ऊर्जा प्रभार	राज्य सरकार से अनुदान	अनुदान के बाद प्रभावी विद्युत प्रभार	अनुदान के बाद प्रभावी स्थाई प्रभार
III उपभोग 150 यूनिट/माह से अधिक व 300 यूनिट प्रतिमाह तक	5.70 रु./यूनिट	-	5.70 रु./यूनिट	200 रु./क्नेक्शन/माह
IV उपभोग 300 यूनिट/माह से अधिक व 500 यूनिट प्रतिमाह तक	6.00 रु./यूनिट	-	6.00 रु./यूनिट	240 रु./क्नेक्शन/माह
V उपभोग 500 यूनिट/माह से अधिक	6.40 रु./यूनिट	-	6.40 रु./यूनिट	260 रु./क्नेक्शन/माह
B-I सामान्य घरेलू (एचटी सप्लाई) संविधा मांग 50 केवीए से अधिक	5.50 रु./यूनिट	-	5.50 रु./यूनिट	बिलिंग मांग का 170/केवीए/माह

बिजली चोरी रोकने हेतु अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य

546. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही हैं कि सरकार द्वारा प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता तक के लिए विजिलेंस हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो प्रति माह कितने-कितने विजिलेंस के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में कोटा जिले में तहसीलवार विजिलेंस कमेटी द्वारा कहां-कहां कितनी-कितनी विजिलेंस जांच की गई तथा कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा कितनी राशि की वसूली की गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत चोरी रोकने एवं विद्युत चोरी पर प्रभावी अकुंश लगाने के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता से अधिशाषी अभियन्ता तक के अधिकारियों के लिए सतर्कता जांच के मासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

अधिशासी अभियन्ता से उच्च स्तर के अधिकारी (अधीक्षण/मुख्य अभियन्ता) भी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सतर्कता जांच के लिए अधिकृत हैं, किन्तु इनके लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं।

(2) गत 5 वर्षों में कोटा जिले में तहसीलवार विजिलेंस कमेटी द्वारा जांच की गई विजिलेंस जांच एवं विजिलेंस जांच कर वसूल की गई राशि का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

प्रपत्र 'अ'

विद्युत चोरी रोकने एवं विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता तक के अधिकारियों के लिए सतर्कता जांच के मासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो कि निम्नानुसार है :-

सतर्कता शाखा :-

(राशि लाख रु.)

अधिकारी	सतर्कता जांच की संख्या (वीसीआर)	विद्युत चोरी के प्रकरण	राजस्व निर्धारण	राजस्व वसूली	एफ. आई. आर.
अधि. अभि.	80	70	8.00	6.00	10

अधिकारी	सतर्कता जांच की संख्या (वीसीआर)	विद्युत चोरी के प्रकरण	राजस्व निर्धारण	राजस्व वसूली	एफ. आई. आर.
सहा. अभि.	80	70	8.00	6.00	10
कनिष्ठ अभि.	80	70	8.00	6.00	10

पवस शाखा :-

(राशि लाख रु.)

अधिकारी	सतर्कता जांच की संख्या (वीसीआर)	विद्युत चोरी के प्रकरण	राजस्व निर्धारण	राजस्व वसूली	एफ.आई.आर.
अधि. अभि.	20	15	1.00	0.60	2
सहा. अभि.	20	15	1.00	0.60	2
कनिष्ठ अभि.	20	15	0.80	0.60	2

प्रपत्र 'ब'

गत 5 वर्षों में कोटा जिले में तहसीलवार विजिलेंस कमेटी द्वारा जांच की गई विजिलेंस जांच एवं विजिलेंस जांच कर प्राप्त वसूल की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(रु. लाखों में)

वर्ष	कुल चैकिंग	लाडपुरा	सांगोद	दींगोद	पीपल्दा	रामगंज मंडी	कुल असेसमेंट	कुल रिलाइजेशन	कुल एफ.आई.आर.
2011-12	2829	1128	659	126	174	742	173.79	130.34	1122
2012-13	2819	1598	632	162	148	249	215.63	114.51	1002
2013-14	455	220	155	40	22	18	105.53	56.68	485
2014-15	927	480	210	80	55	102	151.65	88.03	500
2015-16	1690	530	190	72	86	812	220.88	100.17	585
कुल	**8720**	**3956**	**1846**	**480**	**485**	**1953**	**867.48**	**489.73**	**3694**

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुभव के आधार पर टंकण परीक्षा से छूट

547. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मृत राज्य कर्मचारी आश्रित योजना में नियुक्त कार्मिकों (लिपिक ग्रेड-II) को नियुक्ति उपरान्त तीन वर्षो के भीतर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करना नियमानुसार आवश्यक है?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुत्तीर्ण कार्मिकों को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? जिन कार्मिकों को स्वीकृति जारी की गई है, उनकी विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तीन वर्षो की सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कार्मिकों को अनुभव के आधार पर अथवा राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कम्प्यूटर कोर्स आर.एस.सी.आई.टी. उत्तीर्ण करने के आधार पर नियमित/स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार टंकण गति परीक्षा अनुत्तीर्ण कार्मिकों को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद भी टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 पर कार्मिक विभाग का नियंत्रण है और इस दृष्टि से प्रकरण विशेष में मानवीयता के आधार पर कार्मिक की विषम परिस्थितियों के मध्यनजर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु एक अतिरिक्त अवसर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निर्धारित समयावधि के पश्चात् टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु स्वीकृति चाहे जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से प्रकरण इस विभाग में प्राप्त होने पर, कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृति सम्बन्धित विभाग की पत्रावली पर प्रदान कर, पत्रावली विभाग को लौटा दी जाती है।

(कार्मिक मंत्री)

कार्मिक विभाग द्वारा इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं की जाती है। अत: विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित करनी होगी, जिसमें समय लगने की सम्भावना है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इससे राज्य कार्य की कार्यकुशलता विपरीत रूप से प्रभावित होगी।

(4) जी नहीं। किन्तु शिथिलन हेतु प्राप्त मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए, गुणावगुण के आधार पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाता है।

राजस्थान लेखा सेवा संवर्ग में पदोन्नति हेतु अनुभव में एकबारीय छूट

548. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में राजस्थान लेखा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ लेखाधिकारियों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(2) उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार के स्तर पर क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदों को शत-प्रतिशत पदोन्नति से ही भरा जाना है?

(4) क्या सरकार राजस्थान लेखा सेवा संवर्ग के कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में कार्यरत अधिकारियों को पदोन्नति हेतु अनुभव में एकबारीय छूट (One time relaxation) का लाभ देकर उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त पदों के रिक्त होने से वर्तमान में कनिष्ठ अधिकारियों से उक्त पदों का कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त कनिष्ठ संवर्ग के लेखाधिकारियों को भी अधीनस्थ लेखा सेवा सहित 25 वर्षों से अधिक सेवा का अनुभव है?

उत्तर

(1) राजस्थान लेखा सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में वरिष्ठ लेखाधिकारियों के 253 पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों में से 46 पदों पर ही अधिकारी कार्यरत हैं; शेष 207 पद रिक्त हैं।

(वित्त मंत्री)

(2) सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये वर्ष 2016-17 में अप्रैल, 2016 के बाद पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जावेगी।

(3) जी हां।

(4) राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ सेवा संवर्ग में पदोन्नति हेतु कनिष्ठ सेवा संवर्ग में 5 वर्ष का वांछित अनुभव होना आवश्यक है एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04-06-2008 के बिन्दु संख्या 15.6 के अनुसार अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व अनुभव में केवल एक-तिहाई कालावधि की सीमा तक की छूट का प्रावधान है। अनुभव के शिथिलीकरण सम्बन्ध में नियमों में एकबारीय छूट का प्रावधान नहीं है।

(5) जी हां। नितान्त आवश्यक होने पर ही कनिष्ठ अधिकारियों से वरिष्ठ सेवा संवर्ग के पद का कार्य लिया जाता है।

(6) जी हां। यह सही है कि कनिष्ठ सेवा संवर्ग के लेखाधिकारियों में 278 लेखाधिकारियों को अधीनस्थ लेखा सेवा सहित 25 वर्षों से अधिक सेवा का अनुभव है।

बून्दी जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को देय मुआवजा

549. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत एक वर्ष में बून्दी जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित कितने किसानों को मुआवजे का भुगतान अब तक नहीं हुआ है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे शेष रहे किसानों को मुआवजे का तत्काल भुगतान कराने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार द्वारा मुआवजे के भुगतान में देरी के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत एक वर्ष में बून्दी जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित 3,27,203 कृषकों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान कर दिया गया है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

(2) बून्दी जिले में कृषि आदान अनुदान के भुगतान हेतु लम्बित प्रकरण नहीं हैं।

(3) जी नहीं। कृषि आदान अनुदान के भुगतान में विलम्ब नहीं हुआ है। अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जयपुर जिले के थानों में जमा कबाड़ को नीलाम करने की योजना

550. **श्री कैलाश वर्मा** (बगरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले के किन-किन थानों में कितना-कितना कबाड़ जमा है? इनके निस्तारण के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नीलाम/विक्रय प्रक्रियान्तर्गत थानों में अनावश्यक रूप से जमा कबाड़ को विनिष्ट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जमा कबाड़ (कंडम/अनुपयोगी सामान) का थानेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है। इनके निस्तारण के सम्बन्ध में सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग।। के नियम 22 के अनुसार नीलाम के लिए समिति का गठन किया जाकर अप्रचालित एवं अनुपयोगी सामानों के रजिस्टर (एस.आर. प्रारूप-5) सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग-।। के नियम 17(1) एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन एस. आर. प्रारूप-6 सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 2 नियम 21(।।) के अनुसार नकारा/अनुपयोगी सामान की सूचियां तैयार की जाती हैं। इसके पश्चात नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी कर गठित कमेटी द्वारा नकारा घोषित सामान की नीलामी की जाती है।

(2) थानों में जमा नकारा/अनुपयोगी सामान को समय-समय पर नियमानुसार निस्तारित किया जाता है। इस क्रम में कार्यालय महानिदेशक पुलिस द्वारा परिपत्र क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/परिपत्र/15/16865-915 दिनांक 30.07.2015 भी जारी किया गया है, जो परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्कालय में रखे गये)

जेलों से कैदियों के फरार होने की घटनाएं

551. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में प्रदेश की कुछ जेलों से अनेक कैदी फरार होने में सफल रहे हैं? यदि हां, तो कैदी व कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के किसी जेल में कैदियों के पास हथियार, मोबाइल या संदिग्ध सामग्री भी मिली है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्षों में प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों द्वारा दूसरे कैदी पर प्राण-घातक हमला किया गया है? यदि हां, तो कहां पर, किसने, किस पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जेल से कोर्ट की पेशी पर गए कैदी भी फरार होने में कामयाब रहे हैं? यदि हां, तो कौन, कहां व किस प्रकार? इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में राज्य की कारागृहों से फरार होने में सफल रहे कैदियों तथा कैदी व कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य की जेलों में कैदियों के पास हथियार, मोबाइल एवं संदिग्ध सामग्री मिलने तथा दोषियों लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त वर्षों में राज्य की जेलों में बंद कैदियों द्वारा दूसरे कैदियों पर किये गये प्राण-घातक हमलों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) विगत पांच वर्षो में जेल से कोर्ट की पेशी के दौरान फरार हुए कैदियों का कारागार विभाग में उपलब्ध विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पुलिस हेल्पलाइन पर महिला अत्याचारों की दर्ज शिकायतें

552. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा व उनके

(श्री जोगाराम पटेल)

विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए 'पुलिस हेल्प लाईन' शुरु की गई है? यदि हां, तो उक्त हेल्पलाइन कब शुरु की गई, इसका नम्बर व नाम क्या है तथा गत दो वर्षों में इस पर कितने कॉल/शिकायतें दर्ज हुईं और कितने प्रतिशत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत 2 वर्षों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व बलात्कार के प्रकरणों/शिकायतों में कमी आई है? यदि हां, तो गत 5 वर्ष व गत दो वर्षों के आकड़ों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार महिलाओं व छोटी बच्चियों पर हो रहे अत्याचार व बलात्कार को रोकने हेतु कोई कारगर उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(4) क्या सरकार वांछित अपराधी, जिनकी तलाश में राजस्थान पुलिस ने स्थाई वारन्ट जारी कर रखे हैं या लम्बे समय से पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं, को पकड़ने की कोई विशेष कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस हेल्पलाइन शुरु की गई थी। हेल्पलाइन शुरु करने की दिनांक व हेल्पलाइन नम्बर का जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। गत दो वर्षों में कुल 4,005 शिकायतें प्राप्स हुई जिनमें से 3,851 का निस्तारण किया गया जो कुल 4,005 का 96.12 प्रतिशत है।

(2) वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व बलात्कार के प्रकरणों/शिकायतों में कमी आई है, जबकि वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक प्रकरणों में बढ़ोतरी हुई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) महिलाओं व छोटी बच्चियों पर हो रहे अत्याचार व बलात्कार को रोकने हेतु ''महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ खोले जा चुके हैं। ''महिला एवं बाल डेस्क'' तथा महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र'' स्थापित किये जा चुके हैं राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में महिला थाने खोले जा चुके हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(4) अपराधियों को पकड़ने के लिये विभागीय स्तर पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं, जिसमें वर्ष 2015 में दिनांक 01.03.2015 से दिनांक 31.03.2015 तक व दिनांक 15 व 16.08.2015 तक 2 दिवसीय एवं 01.09.2015 से 15.11.2015 तक अभियान चलाये गये थे। इसी प्रकार वर्ष 2016 में दिनांक 02.02.2016 से 30.04.2016 तक वांछित अपराधियों को पकड़ने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

तेजाब पीडितों को दी जाने वाली सहायता

553. **श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में तेजाब पीड़ितों को सरकार द्वारा किस-किस प्रकार की सहायता दी जाती है?

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में तेजाब से महिलाओं व युवतियों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस की पालना में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

(4) क्या सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की पालना पूरे प्रदेश में हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार तेजाब पीड़ितों को विकलांग की श्रेणी में रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार तेजाब विशेष दुकानों से ही बेचे जाने की नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में तेजाब पीड़ितों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2015 के नियमानुसार 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं एसिड हमले की पीड़िता को नि:शुल्क चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में विशाखा गाइडलाइन्स के अन्तर्गत महिलाओं, युवतियों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए महिलाओं के कार्य स्थलों व कालेज, स्कूल,

(गृह मंत्री)

भीड़भाड़ वाले स्थानों, बस स्टैण्ड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सादा वस्त्रों में पुलिस कर्मी लगाकर सतत गश्त व निगरानी रखी जा रही है।

राज्य में गत तीन वर्षों में महिलाओं, युवतियों पर तेजाब हमले से सम्बन्धित घटनाओं व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायायल द्वारा जारी गाइडलाइंस की पूर्णतया पालना की जा रही है। महिला एसिड हमले के समय तुरन्त एफ आई आर दर्ज कर शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। व पीड़िता को नि:शुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देश कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राइट्स, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 2346-2416 दिनांक 13-05-15 की प्रति परिशिष्ट-स संलग्न है।

(4) जी हां। सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों की पूर्णतया पालना सम्पूर्ण राज्य में की जा रही है।

(5) तेजाब से पीड़ित होने पर व्यक्ति यदि 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्त हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को चिकित्सा विभाग द्वारा जारी नि:शक्त प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष योग्यजन की श्रेणी में रखा जाता है।

(6) जी नहीं। विषय आधिपत्य एवं विक्रय नियम, 2015 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। नियमों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

लिंगानुपात को कम करने की कार्ययोजना

554. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में पुरुषों एवं महिलाओं का लिंगानुपात क्या है? जिलेवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लिंगानुपात के हिसाब से पूरे देश में राजस्थान कौन से पायदान पर आता है?

(3) सरकार द्वारा प्रदेश में लिंगानुपात के अंतर को कम करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में वार्षिक हैल्थ सर्वे 2012-13 के अनुसार पुरुषों एवं महिलाओं का लिंगानुपात 932 है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं महिलाओं का लिंगानुपात 928 है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) लिंगानुपात के हिसाब से राजस्थान पूरे देश में तेईसवें (23) (सेन्सस 2011 के अनुसार) पायदान पर आता है।

(3) सरकार द्वारा लिंगानुपात के अंतर को कम करने के लिए निम्नांकित प्रयास किये जा रहे हैं:-

1. पी सी पी एन डी टी अधिनियम 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है;
2. बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना चलाई जा रही है; एवं
3. गिरते लिंगानुपात को रोकने के उद्देश्य से बालिका सम्बल योजना चलाई जा रही है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अवैध रूप से संचालित नशामुक्ति केन्द्रों के विरुद्ध कार्यवाही

555. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अवैध रूप से क्लीनिक व नशामुक्ति केन्द्र संचालित हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां? क्या उक्त केन्द्रों के संचालन के लिए कोई नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या?

(2) प्रदेश में गत पांच वर्षों में कितने अवैध चिकित्सा संस्थान संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) सरकार द्वारा उक्त प्रकार के अवैध संचालन की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक एवं नशामुक्ति केन्द्रों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.17

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/2/04 दिनांक 07/12/2004 जारी किया हुआ है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

अप्रशिक्षित चिकित्सक/नीम हकीमों द्वारा अवैध रूप से क्लिनिक/नशा मुक्ति केन्द्र संचालन करने की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर उक्त परिपत्र के अनुसार जिला स्तर पर गठित कार्यदल द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज/अवैध क्लिनिक/ नशा मुक्ति केन्द्रों को बन्द करवाने की कार्यवाही की जाती है।

(2) गत पांच वर्षों में अवैध चिकित्सा संस्थान संचालकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित चिकित्सा क्लिनिकों के विरुद्ध राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.17 (3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/2/04 दिनांक 07/12/2004 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी का रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नयन

556. श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दूदू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी को रेफरल अस्पताल का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के मौजमाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सावरदा, सांवली, ममाणा, पडासोली व हिंगोनिया उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम फागी में 30 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दूसरा नाम ही रेफरल चिकित्सालय है।

(2) ग्राम मौजमाबाद, पंचायत समिति दूदू (जयपुर) में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति दूदू में 2 सामुदायिक केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इसलिए वर्तमान में पंचायत समिति दूदू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) ग्राम सावरदा, सांवली, मम्माणा एवं पडासोली पंचायत समिति दूदू के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। ग्राम हिंगोनिया, पंचायत समिति सांभर में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति दूदू के ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चाकसू (जयपुर) में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की योजना

557. **श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वर्तमान में कहां-कहां पर सामुदायिक/ सैटेलाइट एवं ट्रोमा अस्पताल संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं तथा घायल व्यक्तियों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय लाने में लगने वाले समय के कारण कई बार घायल व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है?

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में तहसील मुख्यालय चाकसू एवं कोटखावदा में सैटेलाइट तथा ट्रोमा अस्पताल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकसू एवं कोटखावदा स्वीकृत हैं।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाकसू में 30 शय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, मेडिसन, गायनिक, शिशु) के एक-एक पद, चिकित्सा अधिकारी के 4 एवं चिकित्सा अधिकारी दन्त का 01 पद स्वीकृत है तथा एक्सरे, ई सी जी, आपरेशन थियेटर, जांच सुविधाएं एवं 108 तथा 104 रोगी वाहन की सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाकसू में दुर्घटनाग्रस्त रोगी को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत है।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2016-17 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकसू को सैटेलाइट में किये जाने की घोषणा की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकसू को सैटेलाइट में किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.10.2013 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटखावदा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्न्त किये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी। पदों की वितीय स्वीकृति जारी करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकसू से सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की दूरी 40 कि. मी. है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटखावदा से सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की दूरी 56 कि. मी. है। इसलिए उक्त स्थानों पर ट्रोमा सेन्टर खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्थापना

558. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

क्या सरकार राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय, बहरोड़ में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय, बहरोड़ में विज्ञान संकाय खोलने पर विचार किया जावेगा।

विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना

559. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा अल्प आय वर्ग वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए कोई ऋण दिया जाता है? यदि हां, तो उसके क्या नियम हैं तथा किस-किस वर्ग को किस-किस प्रकार से ऋण देने की व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के गरीब वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तत्काल शिक्षा ऋण हेतु परिपत्र जारी कर बैंकों को निर्देशित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आयकर के दायरे में नहीं आने वाले नागरिकों के पुत्र तथा पुत्रियों को उच्च शिक्षा के लिए सहकारी बैंकों या अन्य योजनाओं से बिना ब्याज ऋण दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसी भी वर्ग के छात्र/छात्रा को वर्तमान में कालेज शिक्षा के माध्यम से लोन देने की व्यवस्था नहीं है।

(2) सुराज संकल्प-2013 के बिन्दु संख्या 4.07 के तहत प्रदेश में उच्च/तकनीकी शिक्षा के लिए युवाओं को बिना ब्याज के शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) विभाग में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

राजकीय तकनीकी महाविद्यालयों में रिक्त पद

560. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के विभिन्न राजकीय तकनीकी महाविद्यालयों के अधीन संचालित विभिन्न डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज के लिए विभागीय नोर्म्स/शिक्षा परिषद के मानदण्डानुसार विभिन्न संवर्गों के कितने-कितने पद स्वीकृत होने चाहिए? मानदण्डों के विपरीत सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभिन्न संवर्गों हेतु सम्बन्धित वर्ष में अनुमोदित कुल स्वीकृत छात्र संख्या एवं इनके आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी अप्रूवल प्रोसेज हैण्डबुक के मानदण्डानुसार पदों का अनुपात विभिन्न प्रोग्राम्स हेतु अलग-अलग निर्धारित है। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की हैण्डबुक की छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत पालिटेक्निक महाविद्यालयों में, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा एवं 8 स्वायत्तशाषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय यथा इंजीनियरिंग कालेज अजमेर, महिला इंजीनियरिंग कालेज अजमेर, इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर, कॉलेज ऑफ इंजीनियर एण्ड टेक्नोलोजी बीकानेर, इंजीनियरिंग कालेज भरतपुर, झालावाड, बांसवाड़ा एवं एम.एल.वी. टैक्सटाइल्स एण्ड इंजीनियरिंग कालेज भीलवाड़ा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्डों के विपरीत स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय के 333 प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के 34 एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के 199, कुल 233 रिक्त पदों को भरने की अर्थना अधीनस्थ बोर्ड को प्रेषित की गई है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा एवं राज्य से अनुदानित उक्त 8 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों से पदों को भरा जाना प्रक्रियाधीन है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नगर निगम जयपुर में रियासतकालीन मकानों के रिकार्ड का संधारण

561. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर नगर निगम में चारदीवारी स्थित रियासतकालीन मकानों के रिकार्ड का संधारण किस प्रकार किया जाता है एव चौकड़ी मोदीखाना स्थित (रेडियो मार्केट) रियासतकालीन मकानों के रिकार्ड का संधारण किस प्रकार किया गया? रिकार्ड की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि किसी आवेदक द्वारा किसी मकान विशेष का रिकार्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाता है, तो रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु जयपुर नगर निगम के क्या प्रक्रिया व नियम हैं एवं कितनी अवधि में आवेदक को रिकार्ड उपलब्ध करवा दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर नगर निगम को जून 2015 से फरवरी 2016 तक कितने ऐसे आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितनों को रिकार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं एवं शेष आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वतंत्रता पूर्व तत्कालीन जयपुर राज्य द्वारा जयपुर शहर का सिटी सर्वे कराया गया था, जिसका रिकार्ड नगर परिषद, जयपुर को हस्तान्तरित किया गया था, जो कि सिटी आफ जयपुर म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट 1943 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत संधारित किया गया था, जो बाद में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 68 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत नगर परिषद/निगम आयुक्त की संविधिक अभिरक्षा में संधारित किया गया। वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 में उपबन्धित किया जा रहा है। सम्पूर्ण रिकार्ड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) उक्त रिकार्ड में से किसी रिकार्ड की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 274 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत नगर परिषद जयपुर (अभिलेखों का निरीक्षण एवं प्रतिलिपि प्रदाय) उपविधियां 1991 प्रभावशील हैं, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 344 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत प्रभावी हैं, जिसमें सम्पूर्ण प्रक्रिया और पद्धति विहित की हुई है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उक्त धारा 274 के समविषय में वर्तमान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 307 में प्रावधान उपबन्धित हैं।

नगर निगम जयपुर द्वारा लोक सेवा प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत 15 कार्य दिवस में आवेदक को रिकार्ड उपलब्ध करवा दिया जाता है।

(3) जयपुर नगर निगम को जून, 2015 से फरवरी, 2016 तक 273 आवेदन प्राप्त हुए एवं सभी आवेदकों को रिकार्ड उपलब्ध करवा दिये गये हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर परिषद हिण्डौन सिटी में वी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत जारी निविदा में अनियमितता

562. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, हिण्डौन सिटी में वी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में टेण्डर जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब व कितनी राशि के?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत टेण्डरों में अनियमितताएं की गई हैं? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त टेण्डर कितनी राशि के थे? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सभापति, नगर परिषद, हिण्डौन द्वारा की जा रही अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। नगर परिषद हिण्डौन सिटी में बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में दिनांक 24.11.2015 को राशि रुपये 102.58 लाख की निविदा जारी की गई थी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) अनियमितता की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। उक्त टेण्डर राशि रुपये 102.58 लाख के थे। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) विभाग को शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय नगर परिषद, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.)

क्रमांक :-न.प.हि./1438 दिनांक 20.11.15

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश

नगर परिषद हिण्डौन क्षेत्र में विकास कार्य हेतु बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम बी.आर.जी.एफ. वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित कार्यों की वर्ष 2014-15 एवं पूर्व वर्षों की उपलब्ध अवशेष राशि के विरुद्ध निम्न विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	प्रमोद कटारा के मकान से मिस्त्री मार्केट तक रिन्को वाली नाली से नाली का निर्माण कार्य। झण्डू का पुरा महवा रोड हिण्डौन सिटी।	5.00
	वर्ष 2013-14	
2	बाई पास से गोपी सहाय ड्राईवर की ओर डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण कार्य।	4.00
3	पुरानी मण्डी यार्ड में चारों तरफ नालियों का निर्माण कार्य। 1. मोहन ट्रेडिंग कम्पनी से पोस्ट आफिस तक 2. नरोत्तम गर्ग के मकान से कस्तूरी के मकान तक 700 फुट लम्बाई 3. प्रकाश जैन के मकान से जगदीश चुंगी वाले के मकान की ओर।	4.00
4	सिंगल फेस बोरिंग मय कनेक्शन मय टंकी निर्माण क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास।	1.86

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
5	जाट की सराय कल्ला की टाल की ओर नाली निर्माण कार्य।	4.00
	वर्ष 2014-15	
6	नाली निर्माण कार्य विभिन्न स्थानों पर वार्ड नं. 14	8.00
7	नाली निर्माण कार्य गुरुद्वारे से बड़ा पार्क के चारों तरफ व विभिन्न स्थानों पर।	6.00
8	बी सेप नाली निर्माण कार्य वार्ड नं. 35	4.00
	वर्ष 2015-16	
9	वार्ड नं. 14 में राष्ट्रीय पार्क सौन्द्रर्यीकरण कार्य।	3.00
10	वार्ड नं. 21 में मोहन नगर के हाई मास्क तिराहे से अस्पताल की ओर बडी नाली निर्माण कार्य।	10.00
11	वार्ड नं. 23 पार्क निर्माण कार्य।	3.00
12	वार्ड नं. 26 बरेडियान का पुरा जाटव बस्ती में सिंगल फेस बोरिंग मय मोटर कार्य।	1.86
13	वार्ड नं. 30 में सिंगल फेस बोरिंग मय मोटर कार्य।	1.86
14	वार्ड नं. 33 में गुर्जरों के श्मशान में टीन सेड व अन्य निर्माण कार्य।	5.00
15	जाट की सराय स्टेडियम में विभिन्न निर्माण कार्य।	18.00
16	डामरी सड़क निर्माण कार्य बयाना रोड से जाटव बस्ती तिघरिया के पुरा की ओर।	15.00
17	डब्ल्यू.बी.एम. निर्माण कार्य कंजोलियान के पुरा से मालियों के पुरा की ओर।	8.00
	योग	**102.58**

ह.
(अरविन्द जैन)
सभापति
नगर परिषद, हिण्डौन

ह.
(ज्ञानचंद जैमन)
आयुक्त
नगर परिषद हिण्डौन

अजमेर शहर की डूब क्षेत्र में आईं कालोनियां

563. श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर के कई क्षेत्र एवं कालोनियां डूब क्षेत्र में आ गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे क्षेत्र एवं कालोनियां उक्त क्षेत्र में आयी हुई हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जन कल्याण भावना को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्रों को डूब क्षेत्र से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे क्षेत्र एवं कालोनियों को कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर शहर में प्राधिकरण योजना क्षेत्र की कोई कालोनी वर्तमान में घोषित डूब क्षेत्र में नहीं है। नगर निगम अजमेर द्वारा सूचना का सम्बन्ध जल संसाधन से होना अवगत कराया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अजमेर शहर के क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अधीन कोई तालाब नहीं है।

(2) इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

नगर निगम जयपुर के उपायुक्तों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

564. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में नगर निगम जयपुर में पदस्थापित उपायुक्तों के विरुद्ध अतिक्रमण में सहयोग करने, अवैध व्यावसायिक निर्माण/तलघर बनाने, पट्टे देने में अनियमितता करने तथा जन प्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शिकायतों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनको निगम से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में नगर निगम जयपुर में पदस्थापित उपायुक्तों के विरुद्ध अतिक्रमण में सहयोग करने, अवैध व्यावसायिक निर्माण/तलघर बनाने, पट्टे देने में अनियमितता करने तथा जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार किये जाने की 5 शिकायतें नगर निगम में प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त लोकायुक्त सचिवालय में श्री मुकेश कायथवाल उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर की एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायती पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। नगर निगम, जयपुर को प्राप्त शिकायतों की जांच निगम स्तर पर करवाई जा रही है एवं लोकायुक्त सचिवालय में प्राप्त शिकायतों की जांच लोकायुक्त सचिवालय में विचाराधीन हैं।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर की किशन वाटिका व पंच विहार कालोनी में सड़क बनाने की योजना

565. **श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के वार्ड नं. 3 की कालोनी किशन वाटिका व पंच विहार में अभी तक सड़कें नहीं बनाई गई हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी में आवागमन की समस्या को देखते हुए यथाशीघ्र सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि नगर निगम द्वारा उक्त सड़कों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं? यदि हां, तो कब व निविदा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर के वार्ड नं. 3 की कालोनी किशन वाटिका व पंच विहार कालोनी में सड़क निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित करने पर कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है।

(2) जी, हां। नगर निगम, जयपुर में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के अनुरूप सड़क निर्माण कार्य करवायेगी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी हां। नगर निगम, जयपुर द्वारा उक्त सडकों के लिए माह अगस्त, 2014 में निविदा सूचना संख्या 255/2014-15 एवं निविदा सूचना संख्या 257/2014-15 से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, किन्तु इन निविदाओं में किसी भी निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निविदा प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। निविदा की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जगदम्बा नगर-बी (जयपुर) के नियमन शिविर का आयोजन

566. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के जोन-17 की कालोनी जगदम्बा नगर बी का नियमन शिविर दिनांक 25 मई, 2016 से प्रस्तावित है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के प्लाटधारियों की सूची जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सूची में सम्मिलित सभी सदस्यों को आवंटन पत्र जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक जविप्रा/अति.आ. (पीआरएन)/2016/डी-59 दिनांक 10.03.2016 के अनुसार पृथ्वीराज नगर जोन-17 क्षेत्र में स्थित अपोलो नगर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर की योजना जगदम्बा नगर-बी का नियमन शिविर दिनांक 25.05.2016 से 31.05.2016 तक प्रस्तावित है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त कालोनी के प्लाटधारियों की सूची जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त सूची में अंकित सदस्यों में से जो भी नियमन करने के निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करते हैं, को नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर आवंटन पत्र जारी कर दिये जायेंगे।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

मनोहरथाना की छापी सिंचाई परियोजना हेतु स्वीकृत राशि

567. श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): क्या सिंचित क्षेत्र विकास यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में स्थित छापी सिंचाई परियोजना के तहत गत 5 वर्षों में क्षतिग्रस्त नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा कितना बजट स्वीकृत किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना में गत 5 वर्षों में नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत बजट राशि का किन-किन संवेदकों के माध्यम से कितनी-कितनी राशि का कार्य करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) छापी मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत विगत 5 वर्षों में क्षतिग्रस्त नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु अलग से बजट स्वीकृत नहीं किया जाकर, बांध एवं नहरों की सामान्य मरम्मत, रख-रखाव एवं संचालन हेतु बजट आबंटन के अन्तर्गत नहरों की आवश्यक मरम्मत के कार्य करवाये गये। वर्षवार बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) छापी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु विगत 5 वर्षों में नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु बजट आबंटित नहीं होने से संवेदकों के माध्यम से कोई राशि व्यय नहीं की गई।

परिशिष्ट–अ

छापी मध्यम सिंचाई परियोजना तहत विगत 5 वर्षों में बांध एवं नहरों की सामान्य मरम्मत, रख-रखाव एवं संचालन हेतु आबंटित बजट एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित बजट (रुपये लाखों में)	व्यय (रुपये लाखों में)
1	2010-11	18.30	18.30
2	2011-12	32.00	31.98
3	2012-13	27.70	27.68
4	2013-14	22.00	20.25
5	2014-15	2.00	2.00

पंजाब के क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत

568. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंजाब के क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्षतिग्रस्त नहर के कारण राजस्थान के काश्तकारों को निर्धारित मात्रा के अनुरूप पानी नहीं मिल रहा है?

(2) क्या सरकार पंजाब के क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्षतिग्रस्त नहर को लाइनिंग एवं सफाई हेतु आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर के पंजाब क्षेत्र में मरम्मत की आवश्यकता होने के कारण जल ह्रास (loss) होता है, परन्तु इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की नहरों को निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु चक्रीय कार्यक्रम के अनुसार काश्तकारों को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) जी हां। इन्दिरा गांधी फीडर के पंजाब भाग में रि-लाइनिंग हेतु राशि रुपये 1305.267 करोड़ के प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03.02.2016 को अनुमोदित किये जा चुके हैं। स्वीकृति उपरान्त, संसाधन उपलब्धानुसार कार्य प्रारम्भ करवाया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल की पत्रावलियां गायब होने पर कार्यवाही

569. श्री बंशीधर (खण्डेला): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल की वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित पत्रावलियां गायब हुई थीं? यदि हां, तो कब व कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीधर)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त के सम्बन्ध में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई थी? यदि हां, तो कब व किसके विरुद्ध और वर्तमान में उक्त जांच की क्या प्रगति है? एफ.आई.आर. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल की वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित पत्रावलियां निगम कार्यालय में उपलब्ध हैं।

(2) लागू नहीं।

(3) लागू नहीं।

पर्यटन विकास हेतु संचालित योजनाएं

570. **श्री राम लाल गुर्जर** (आसींद): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास के लिये क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा पर्यटकों की रक्षा के लिये कोई योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत पर्यटक स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कार्यो की सूची परिशिष्ट-अ पर तथा केन्द्रीय योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। पर्यटकों की सुरक्षा व सहायता के लिए 11 जिलों में पर्यटक सहायता बल (टैफ) कार्यरत हैं।

पर्यटक सहायता बल (टैफ) द्वारा निम्न कार्य किये जा रहे हैं:-

- अनाधिकृत गाइडों/हाकर्स/भिखरियों/लपकों/मुनाफाखोरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करके पर्यटकों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है;
- पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए पर्यटक सहायता बल के कार्मिकों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, एयरपोर्ट एवं पर्यटक स्थलों/स्मारकों पर तैनात किया जाता है;

(पर्यटन राज्य मंत्री)

- पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ विभिन्न पर्यटक स्थानों पर साइन बोर्ड इत्यादि लगाये गये हैं;
- पर्यटकों को टैफ कर्मियों द्वारा पम्पलेट्स, ब्रोशर, जिसमें Dos & Don'ts बिन्दु दिये गये हैं, आदि के माध्यम से सावधान रहने की चेतावानी दी जाती है।
- विभाग द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न मेले, उत्सव एवं राजस्थान दिवस, इत्यादि कार्यक्रमों में भी टैफ कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे कि कार्यक्रम स्थलों पर पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो।

पर्यटक एक्ट-राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम एवं नियम, 2010 तथा अधिसूचनाओं के तहत पर्यटक सहायता बल द्वारा कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट-अ

2015-16 में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत पर्यटन विकास कार्य

(राशि रु. लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि
1	गोड़वाड़ का समग्र विकास अन्तर्गत पर्यटन सर्किट	643.19	200.00
2	रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, सवाई माधोपुर में बुनियादी सुविधाओं का विकास कार्य	434.86	100.00
3	पैलेस आन व्हील्स के पुनरुद्वार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	453.18	362.55
4	मत्स्य सर्किट का समग्र विकास (जिला अलवर एवं विराटनगर, जयपुर)	470.67	199.57
5	गागरोन फोर्ट, झालावाड़ का संरक्षण एवं पुनरुद्वार कार्य	492.81	60.00

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि (लाखो में)	स्वीकृत राशि
6	गढ़ पैलेस, झालावाड़ का संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्य	492.82	80.00
7	सांभर प्रोजेक्ट	3765.00	2100.00
8	पुराना शहर करौली में हेरिटेज Walk Way का विकास कार्य	151.95	75.00
9	पर्यटक सूचना केन्द्र, रेलवे स्टेशन, जयपुर एवं मुम्बई का नवीनीकरण व पुनरुद्धार	55.00	49.36
10	अमरसिंह राठौर की छतरी, नागौर का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य	10.00	10.00
11	पर्यटन भवन का निर्माण	1317.00	300.00
12	पर्यटक स्वागत केन्द्र, मा. आबू की मरम्मत	7.58	2.65
13	झालावाड़ में कोल्वी का ग्रामीण पर्यटन अन्तर्गत विकास	50.00	12.75
14	पाली में रणकपुर का ग्रामीण पर्यटन अन्तर्गत विकास	62.17	38.82
15	पर्यटक स्वागत केन्द्र, सवाई माधोपुर की मरम्मत	31.00	11.79
16	पाली में शिव मंदिर लाखोटिया तालाब	100.00	12.00
17	सांभर में देवयानी कुण्ड एवं मंदिर समूह	100.00	12.00
18	पाली में जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर, मुस्लिम दरगाह	100.00	30.00
19	दरगाह शरीफ अजमेर	483.00	45.00
20	रैन बसेरा, झालावाड़	263.00	100.00
21	मानगढ़धाम बांसवाड़ा में पर्यटन विकास कार्य	100.00	100.00
22	''पर्यटन विकास के लिए जैसलमेर में स्थित कुलधारा गांव में 13वीं शताब्दी के अवशेष के Restoration and Preservation साथ-साथ अन्य विकास कार्य	476.33	200.00

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि
23	झालरापाटन में चंद्रावत जी की बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य	19.90	19.90
24	बूंदी का समग्र विकास	493.09	200.00
25	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित राजस्थान पर्यटन विकास निगम की 7 वे-साईड फैसेलिटीज के निर्माण कार्य	651.24	205.77
26	डीग फोर्ट, भरतपुर का संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्य	481.76	230.00
27	नाहरगढ़ फोर्ट का संरक्षण, पुनरुद्धार कार्य	432.08	86.43
28	आमेर किला एवं अलबर्ट हाल, जयपुर में रात्रि पर्यटन विकास कार्य	87.49	87.49
29	बूंदी में भीमलत का ग्रामीण पर्यटन अन्तर्गत विकास	50.00	20.00
30	पर्यटन विकास के लिए गावड़ी तालाब, झालावाड़ का सौंदर्यकरण कार्य	794.73	100.00
31	मेवाड़ काम्पलेक्स योजनान्तर्गत विकास	767.33	200.00
32	भरतपुर में 12 दरवाजों का पुनरुद्धार	485.45	150.00
33	निगम की 21 यूनिटों हेतु टूरिज्म मैनेजमेंट, सिक्यूरिटी सिस्टम	9.80	9.80
34	आमेर महल पीछे से सागर तालाब तक सी.सी. रोड 2 कि.मी.	143.04	100.00
35	आमेर मावठा में फाउन्टेन संचालन	511.41	200.00
36	आमेर स्थित सागर एवं अन्य विकास कार्य	900.96	100.00
37	रानी जी की बावड़ी, बूंदी	75.00	19.25
38	पर्यटन विकास के लिए शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों का संरक्षण एवं आधारभूत सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास कार्य	324.00	250.00
39	जयसमंद झील का विकास	41.70	41.70
40	डांग ट्यूरिस्ट सर्किट	16.11	16.11

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि
41	तारागढ़-घण्टाघर, अजमेर तारागढ़ किला	4.70	4.70
42	मचकुण्ड, धौलपुर	3.26	3.26
43	बाला किला, अलवर	5.22	5.22
44	अकबर किला, अजमेर संरक्षण कार्य	7.45	7.45
45	सूरलिया अंता बारां	10.00	5.00
	Total	**16375.28**	**6163.57**

परिशिष्ट-ब

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि रु.
1.	स्वदेश योजनान्तर्गत सांभर लेक टाउन का डेजर्ट सर्किट अन्तर्गत विकास कार्य।	6396.37
2.	प्रसाद योजनान्तर्गत पुष्कर-अजमेर का समग्र विकास कार्य	4044.29
	कुल	**10440.66**

मारवाड़ जंक्शन (पाली) में माडल स्कूल की स्थापना

571. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक उपखण्ड में अंग्रेजी माध्यम के एक माडल स्कूल खोलने की योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत समिति उपखण्ड मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन पर मॉडल स्कूल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक्स में से 134 माडल स्कूल अंग्रेजी माध्यम से स्थापित किये जा रहे है। तृतीय चरण में 52 ब्लाक्स की सूची में पंचायत समिति उपखण्ड, मारवाड़ जंक्शन पर माडल स्कूल प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा अब यह योजना राज्यों को हस्तांतरित कर दी गयी है। वर्तमान में तृतीय चरण के स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

पेयजल व शौचालय से वंचित विद्यालय

572. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पेयजल व शौचालय से वंचित कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं?

(2) क्या सरकार पेयजल व शौचालयों से वंचित विद्यालयों में उक्त व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अन्तर्गत 15 अगस्त,2015 तक समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

डाईस 2015 के अनुसार राज्य के स्वयं के भवनों में संचालित 1,871 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थाई पेयजल सुविधा से वंचित हैं, परन्तु इन विद्यालयों में अस्थाई पेयजल सुविधा उपलब्ध है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल सुविधा से वंचित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा पी.एच.ई.डी. के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र के पेयजल सुविधा से वंचित विद्यालयों में 'सर्व शिक्षा अभियान' अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में स्थाई पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयास लक्षित हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (प्रथम) जयपुर में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के स्वीकृत पद

573. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नरेन्द्र नागर)

(1) जयपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (प्रथम), जयपुर के द्वारा वर्ष 2011 से 2016 तक कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई?

(2) उक्त चतुर्थ क्षेणी कर्मचारियों में से वर्ष 2011 से 2016 तक कितनों की पदोन्नति कर जमादार बनाया गया? जयपुर जिले में जमादारों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं?

(3) जयपुर जिले में लिपिक ग्रेड-II के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों पर गत 5 वर्षों में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (प्रथम), जयपुर के द्वारा वर्ष 2011 से 2016 तक 106 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक ग्रेड-।। के पद पर पदोन्नति दी गई है।

(2) उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से वर्ष 2011 से 2016 तक किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नत कर जमादार नहीं बनाया गया।

जयपुर जिले में जमादार के 52 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 16 पद मई 2015 से रिक्त है।

(3) जयपुर जिले में लिपिक ग्रेड-।। के 976 पद स्वीकृत हैं। उक्त स्वीकृत पदों पर गत 5 वर्षों में 106 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।

महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजपत्रित अवकाश की सुविधा

574. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं को वेतन समय पर नहीं मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार समय पर वेतन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि महिला कार्यकर्ताओं को राजपत्रित अवकाश नहीं मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं को राजपत्रित अवकाश का लाभ देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्ता को वेतन नहीं दिया जाता, अपितु मानदेय दिया जाता है। उक्त मानदेय के भुगतान को समय पर सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा मई 2015 से राजपोषण साफ्टवेयर का संचालन किया जा रहा है, जिसकी निगरानी निदेशालय स्तर पर की जाती है एवं विलम्ब होने पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को अविलम्ब भुगतान हेतु निर्देश दिये जाते हैं। पूर्व में विभाग द्वारा समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जारी किये गये निर्देशों एवं परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार के पत्र क्रमांक 19-9/85 सीडी-1 (I) दिनांक 19.3.85 के अनुरूप इन्हें कुल 20 आकस्मिक अवकाश प्रति वर्ष दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 11 राजपत्रित एवं 2 स्थानीय अवकाश तथा वर्ष के सभी रविवार का अवकाश दिया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पी.यू.सी.एल. बनाम भारतीय संघ एवं अन्य की सिविल रिट पिटिशन संख्या 196/2001 में यह निर्देश दिये गये है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कम से कम 300 दिवस पूरक पोषाहार एवं अन्य सेवाएं प्रदान किया जाना अनिवार्य हैं। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अन्य अवकाश दिया जाना सम्भव नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत केन्द्र से प्राप्त राशि

575. **श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना के तहत गत पांच वर्षों के दौरान राज्य को प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि किस-किस मद के लिए उपलब्ध कराई गई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में राज्य सरकार द्वारा अपने मद में तथा केन्द्र की राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? वर्षवार व परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा कितने बच्चों, किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाया गया तथा कितने कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उनका उपचार किया गया? वर्षवार, परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को योजनावार राशि प्राप्त होती है। विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त योजनावार राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा जिलेवार अनुदान उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

(2) उक्त योजनाओं में केन्द्रांश व राज्यांश का व्यय एक्जाई रूप से किया जाता है तथा राज्य स्तर पर एक्जाई कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवाया जाता है। विगत पांच वर्षों में विभाग द्वारा की गयी एक्जाई व्यय राशि का विवरण योजनावार, वर्षवार व परियोजनावार परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत बच्चों, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित कर उन्हें पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। गत पांच वर्षों में लाभान्वित किये गये बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	बच्चे	गर्भवती/धात्री महिलाएं	किशोरी बालिकाएं
2011-12	2791470	904952	41274
2012-13	2938576	924081	53522
2013-14	3037502	959799	60823
2014-15	2868934	892369	61231
2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)	2963679	908871	63746
कुल	**14600161**	**4590072**	**280596**

परियोजनावार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा अतिकुपोषित बच्चे एवं महिलाओं का प्रारम्भिक अवस्था में पता चलने पर दुगना पूरक पोषाहार देकर उपचारित किया जाता है। साथ ही प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर दो किशोरी बालिकाओं का चयन कर उपचारित किया जाता है, बच्चे, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 398 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (ग्रामीण) में वर्तमान में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	सरदारगढ़	1	1	0
2	सोमासर	1	1	0
3	वीरमाना	1	1	0
4	ठुकराना	1	0	1
5	बख्तावरपुरा	1	0	1
6	ढाबा	1	1	0
7	देईदासपुरा	1	0	1
8	जैतसर	1	0	1

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 401 की सूची)

क्र. सं.	अधिकारी	क्रम संख्या	जिला	नाम थाना	वांछित अपराधी का सम्पूर्ण नाम पता	किस अपराध में वांछित है मुकदमा नम्बर व दिनांक	हिस्ट्रीशीट खुली है तो आदेश क्रमांक दिनांक	हिस्ट्रीशीट नहीं खुली तो क्या कारण रहे	हिस्टीशीट खुली है तो राजनैतिक दल से अप्रत्य्रक्ष संबंध पार्टी का नाम पद
1	पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर	1	बाड़मेर	शिव	सुखसिंह पुत्र हडवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी साजीतडा थाना शिव	स्थाई वारन्टी कोर्ट केस नम्बर 63/11 सीजेएम कोर्ट बाडमेर	05.05.2005	0	0
2	पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर	2	बाड़मेर	सदर बाडमेर	देवाराम पुत्र पेमाराम जाट निवासी कुर्जा थाना सदर बाड़मेर	स्थाई वारन्टी कोर्ट केस नम्बर 20/04 डीजे कोर्ट बाड़मेर	12.11.1992	0	0

क्र. सं.	अधिकारी	क्रम संख्या	जिला	नाम थाना	वांछित अपराधी का सम्पूर्ण नाम पता	किस अपराध में वांछित है मुकदमा नम्बर व दिनांक	हिस्ट्रीशीट खुली है तो आदेश क्रमांक दिनांक	हिस्ट्रीशीट नहीं खुली तो क्या कारण रहे	हिस्टीशीट खुली है तो राजनैतिक दल से अप्रत्य्रक्ष संबंध पार्टी का नाम पद
3	पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर	3	बाड़मेर	ग्रामीण बाडमेर	खेताराम पुत्र राजाराम मेघवाल निवासी आंटी थाना ग्रामीण बाड़मेर	स्थाई वारन्टी कोर्ट केस नम्बर 719/10 ए सीजेएम कोर्ट बाड़मेर में वांछत	25.04.06	0	0
4	पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर	4	बाड़मेर	नागाणा	महेन्द्रसिंह पुत्र छेलसिंह राजपूत निवासी भूरटीया थाना नागाणा	स्थाई वारन्टी कोर्ट केस नम्बर 01/04 ए डीजे कोर्ट बाडमेर में वांछत	05.05.05	0	0

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 402 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारां

क्र.सं.	विषय	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अर्थशास्त्र	5	4	1
2	अंग्रेजी	2	1	1
3	भूगोल	4	2	2
4	हिन्दी	6	4	2
5	इतिहास	3	1	2
6	दर्शनशास्त्र	1	1	0
7	राजनीति विज्ञान	7	4	3
8	संस्कृत	2	1	1
9	समाज शास्त्र	3	1	2
10	उर्दू	1	0	1
11	वनस्पति शास्त्र	4	2	2
12	रसायन शास्त्र	4	2	2
13	गणित	2	1	1
14	भौतिक शास्त्र	2	1	1
15	प्राणी शास्त्र	4	2	2
16	ए.बी.एस.टी.	1	0	1
17	व्या. प्रशासन	1	1	0
18	ई.ए.एफ.एम.	1	1	0

राजकीय कन्या महाविद्यालय, बारां

क्र.सं.	विषय	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अंग्रेजी	1	1	0
2	हिन्दी	3	2	1
3	गृह विज्ञान	7	1	6
4	राजनीति विज्ञान	4	1	3

क्र.सं.	विषय	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
5	संस्कृत	3	1	2
6	वनस्पति शास्त्र	1	1	0
7	रसायन शास्त्र	1	0	0
8	गणित	1	1	0
9	भौतिक शास्त्र	1	0	1
10	प्राणी शास्त्र	1	1	0
11	व्या. प्रशासन	1	0	1

ह.

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)

कालेज शिक्षा, राज., जयपुर